# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

तेरहवां सत्र
Thirteenth Session

5th Lok Sabha

खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LI Contains Nos. 31 to 40

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price* : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

24 LSS/75—1

## विषय-सूची/CONTENTS

अंक 38, मंगलवार, 22 अप्रैल, 1975/2 वैशाख, 1897 (शक)

No. 38, Tuesday, April 22, 1975/Vaisakha 2, 1897 (Saka)


| विषय | SUBJECT | PAGE |
| --- | --- | --- |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 732, 733, 737, 738, 740 और 750 | Starred Questions No. 732, 733,737,738, 740 and 750 . . . . . | 1 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 731, 734 से 736, 739 और 741 से 749 | Starred Questions Nos. 731, 734 to 736, 739 and 741 to 749 . . | 16 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 7078 से 7139, 7141 से 7172, 7174 से 7214, 7216 से 7218, 7220 से 7250, 7252 से 7259, 7261 से 7274, 7276 और 7277 | Unstarred Questions Nos. 7078 to 7139, 7141 to 7172, 7174 to 7214, 7216 to 7218, 7220 to 7250, 7252 to 7259, 7261 to 7274, 7276 and 7277 | 25 |
| 25-3-75 को लोक-सभा के० अता० प्र० संख्या 4709 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण | Statement Correcting Answers to USQ No. 4709 dated 25-3-75 . . . | 143 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers laid on the Table . . . | 144 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . . | 144 |
| संश्लिष्ट कपड़े को भारी मात्रा में चोरी छिपे भारत में लाने के अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन संघों के कथित प्रयास | Reported attempts of international cartels to smuggle huge quantities of synthetic textiles into India . | 144 |
| श्री पीलू मोदी | Shri Piloo Modi . . . | 144 |
| श्री प्रणव कुमार मुखर्जी | Shri Pranab Kumar Mukherjee . | 145 |
| लोक लेखा समिति | Public Accounts Committee . . | 149 |
| 148 वां प्रतिवेदन | Hundred and forty-eight Report . | 149 |
| सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति | Committee on Government assurances | 150 |
| 11वां प्रतिवेदन | Eleventh Report . . . . . | 150 |


किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + Marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| विषय | SUBJECT | PAGE |
|---|---|---|
| मेजर रमेश चन्द्र धवन की नजरबन्दी के बारे में पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में रक्षा मंत्री के उत्तर सम्बन्धी जानकारी के बारे में वक्तव्य | Statement by Member re. Information given by Defence Minister in reply to a Question regarding detention of Major Ramesh Chander Dhawan . | 150 |
| श्री ज्योतिर्मय बसु | Shri Jyotirmoy Bosu | 150 |
| श्री स्वर्ण सिंह | Shri Swaran Singh . . . | 150 |
| सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 1975—पुरःस्थापित | Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Bill—Introduced . . . . . . | 151 |
| सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के बारे में | Re. procedure about personal explanation by Members . . . | 152 |
| नियम 377 के अधीन मामला | Matter under rule 377 | 156 |
| पांडिचेरी के सम्बन्ध में विनियोग लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में सरकार की असफलता | Failure of Government to lay on the Table Appropriation Accounts and Audit Reports in respect of Pondicherry . . . | 156 |
| अनुदानों की मांगे, 1975-76 | Demands for Grants, 1975-76 | 156 |
| वाणिज्य मंत्रालय | Ministry of Commerce . | 156 |
| श्री एम० सुदर्शनम | Shri M. Sudarsanam . | 156 |
| श्री सी० जनार्दनन | Shri C. Janardhanan | 158 |
| श्री एस० आर० दमाणी | Shri S. R. Damani . | 160 |
| डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय | Dr. Laxminarain Pandeya | 161 |
| श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे | Shri N.K.P. Salve | 162 |
| श्री बसंत साठे | Shri Vasant Sathe . . | 163 |
| श्री जे० माता गौडर | Shri J. Matha Gowder . . | 164 |
| श्री राम सिंह भाई | Shri Ram Singh Baai . . | 166 |
| श्री हुकम चन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Kachwai . | 167 |
| श्री पी० वेंकटासुब्बया | Shri P. Venkatasubbaiah . | 167 |
| श्री राम हेड़ाऊ | Shri Ram Hedaoo . . | 168 |
| श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी | Shri Dinesh Chandra Goswami | 169 |
| श्री एन० ई० होरो | Shri N.E. Horo . | 170 |
| श्री के० गोपाल | Shri K. Gopal . . . | 170 |
| श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह | Shri Vishwanath Pratap Singh | 172 |
| श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य | Shri Chapalendu Bhattacharyya | 176 |
| श्री के० एम मधुकर | Shri K.M. Madhukar . | 177 |

# लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

# LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

## लोक-सभा

## LOK SABHA

**मंगलवार, 22 अप्रैल, 1975/2 बैशाख, 1897 (शक)**

*Tuesday, 22nd April, 1975/Vaisakha 2, 1897 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
**Mr. Speaker in the Chair**]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**गत छः महीनों से सियालदह डिवीजन में बिजली की कमी के कारण रद्द की गई रेलगाड़ियां**

*730. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**

**श्री टुना उरांव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में सियालदह डिवीजन में बिजली की कमी के कारण रद्द की गई रेलगाड़ियों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस डिवीजन में रेलगाड़ियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) पिछले 6 महीनों के दौरान सियालदह मंडल में बिजली की खपत पर प्रतिबन्ध के कारण कोई भी गाड़ी रद्द नहीं की गयी। लेकिन बिजली की खराबी और शैडिंग आदि के कारण 305 गाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं।

(ख) दीर्घकालिक आधार पर बिजली परिचालित गाड़ियों के लिए बिजली की सप्लाई की सतत् एवं पक्की व्यवस्था करने के लिए, रेल मंत्रालय ने योजना आयोग के साथ परामर्श करके, रेलवे के अपने पावर स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया है। जो कि राज्यों के ग्रिडों के साथ पारस्परिक तालमेल से काम करेंगे। इन पावर स्टेशनों में से एक को पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का प्रस्ताव है जो, पूरा हो जाने पर बिजलीकृत खंडों पर गाड़ियों के सुचारू संचालन में सहायक होगा।

**श्री मोहम्मद खुदा बख्श :** क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि बिजली केन्द्रों की स्थापना करने का विचार कब है ?



24 LSS/75—2

**श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : योजना आयोग इस पर विचार कर रहा है।

## पश्चिम बंगाल में तेल खोज परियोजनाएं

*733. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चालू तेल खोज परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है ; और

(ख) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी दिनाजपुर के जिलों, माल्दाह, वर्धवान, नादियाह, हावड़ा, 24 परगानाओं, मिदनापुर और पश्चिम बंगाल के वाकुरा में भू-कंपीय सर्वेक्षण किये है। पश्चिमी बंगाल में वाणिज्यिक उपयोगिता वाले तेल/गैस भण्डारों की खोज अब तक किए गए अन्वेषण कार्य से पता नहीं लगा है। जिसमें अनेक व्यधन कुंए भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कार्य करने के आधार पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तीन और स्थानों में व्यधन करने के लिए मुक्त कर दिया है एक वकुलतला और दो गालसी में। वकुलतला की संरचना पर व्यधन कार्य इस वर्ष के दौरान शुरू कर दिये जाने की आशा है।

**श्री समर गुह** : क्या मैं जान सकता हूं कि (क) 24 परगना के बकुलतला क्षेत्र में भू-कम्पीय सर्वेक्षण से गुजरात की तरह तेल निकलने की सम्भाव्यता का पता चला है और बकुलतला क्षेत्र में भी तेल की उसी प्रकार की संरचना की सम्भावना है और यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या परिणाम हैं;

(ख) क्या जागुली, हरिनघाट, बेराचम्पा, गुमकरा, बट-कृष्णापुर तथा गालसी क्षेत्र में सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था। किन्तु बाद में स्थगित कर दिया गया;

(ग) क्या इन क्षेत्रों तथा बोद्रा में व्यधन कार्य स्थगित करने का कारण यह था कि व्यधन कार्य के लिए समुचित उपकरण उपलब्ध नहीं थे ?

**श्री के० डी० मालवीय**: श्रीमान अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। यदि वह इन्हें एक-एक करके पूछे तो मैं उत्तर दे सकता हूं। बकुलतला में किए गए भू-कम्पीय सर्वेक्षण से उत्पन्न सम्भावनाओं से हमें व्यधन के लिए क्षेत्र चुनने में प्रोत्साहन मिला है, जहां हम इस वर्ष के अन्त तक व्यधन कार्य आरम्भ कर देंगे। कठिनाई यह है कि भू-कम्पीय जांच की ऐनालोन प्रणाली के स्थान पर डिजीटल प्रणाली काम में लाई जा रही है, जिससे गलतियां होनी रुक जायेंगी। गलतियां दूर कर देने से हमें पता चला है कि बकुलतला व्यधन कार्य के लिए अच्छा क्षेत्र है। ज्योंही ड्रिल उपलब्ध होगा, व्यधन कार्य आरम्भ हो जायेगा।

**श्री समर गुह** : मैंने कुछ स्थानों जैसे जगुली, हरिनघाट, बेराचम्पा, गुसकरा, बाट-कृष्णापुर, गालसी तथा बोद्रा का उल्लेख किया है। इन सभी क्षेत्रों में व्यधन कार्य प्रारम्भिक तौर पर आरम्भ किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या व्यधन कार्य अपर्याप्त व्यधन उपकरणों की कमी के कारण छोड़ दिया गया है या किन्हीं अन्य कारणों से ?

**श्री के० डी० मालवीय** : जिन क्षेत्रों में स्टैनवैक परियोजना के अन्तर्गत लगभग 14 साल पहले व्यधन कार्य आरम्भ किया गया था, स्थगित कर दिया गया क्योंकि वे उत्साहजनक क्षेत्र नहीं है। हम सोचते हैं कि निष्फल ढंग से व्यधन कार्य पर धन लगाना उचित नहीं है । भू-कम्पीय जांच की नई प्रणाली के अन्तर्गत हमने बकुलतला तथा एक दो और स्थानों को चुना है। ज्योंही हमें ऐसे और स्थानों का पता लगायेंगे त्योंही वहां व्यधन कार्य आरम्भ कर देंगे।

**श्री समर गुहा** : इसी सभा में हमें बताया गया था कि चूंकि 10 हजार फुट तक व्यधन करने के लिए हमारे पास उपकरण नहीं थे, अतः हमने बोद्रा तथा अन्य क्षेत्रों में व्यधन कार्य स्थगित कर दिया था। किन्तु अब आप कहते हैं कि इन स्थानों पर व्यधन कार्य करना उत्साहजनक नहीं है। यह भिन्न प्रश्न है । यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल के तटीय क्षेत्र में समुद्रतल संरचना के कुछ चित्र लिए गए हैं और वे भी उत्साहवर्धक सिद्ध हुए हैं और क्या पश्चिम बंगाल के तट पर तेल की खोज के लिए तट-दूर व्यधन कार्य करने हेतु कुछ कदम उठाये गए हैं। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह के कदम उठाये गये हैं और क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

**श्री के० डी० मालवीय** : माननीय सदस्य को शायद इन दो बातों के बारे में कुछ भ्रांति हो गई है, जिन्हें मैं स्पष्ट करता हूं। तट पर कुछ क्षेत्र हैं, जहां गहरे व्यधन के लिए रिगों की आवश्यकता है (**व्यवधान**)।

**श्री समर गुह** : मुझे कोई भ्रांति नहीं हुई है (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : प्रोफेसर साहब आप बहुत समय ले रहे हैं मानो सारा प्रश्नकाल आप ही के लिए हो।

**श्री के० डी० मालवीय** : जहां तक तट दूर क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वे तट क्षेत्रों से सर्वथा भिन्न हैं। यहां कुछ ऐसे स्थानों का पता लगा है, जहां तेल की संभावना है। इन क्षेत्रों का परीक्षण करने के पश्चात् जिन क्षेत्रों में तेल की संभावना होगी वहां व्यधन कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। जहां तक तट क्षेत्रों का सम्बन्ध है, बकुलतला में व्यधन कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं, जहां गहराई तक व्यधन की आवश्यकता हो। उनमें व्यधन कार्य करने के बारे में हमने कोई निर्णय नहीं किया है।

**श्री राम सहाय पांडेय** : श्रीमान परसों माननीय मंत्री ने टेलीविजन भेंट में यह संकेत दिया था कि तेल के मामले में हम शीघ्र ही आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय तथा गुजरात का मामला लेता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि बृहत प्रणाली (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह पसंद नहीं करता ।

**श्री राम सहाय पांडेय** : तटदूर और तट---मैं पश्चिम बंगाल, बम्बई हाई आदि के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बताया कि (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यह मुख्य प्रश्न से संगत नहीं है ।

**श्री राम सहाय पांडेय** : यदि मंत्री के रूप में आपको उत्तर देना होता तो आप खुश होते ?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं उन्हें उत्तर देने के लिए नहीं कह रहा। वह संगत होना चाहिए । ऐसा रोज मत किया करिये (**व्यवधान**)

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में तेल का पता लगा है । यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं ? (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्या कर रहे हैं ? कृपया बैठ जाइये । जब मंत्री को किसी विशेष प्रश्न का विशेष उत्तर देने के लिए कहा गया है तो आप इसमें अपनी ओर से कुछ ओर नहीं जोड़ सकते। कृपया नहीं। कुछ भी संगत नहीं है । मुझे हैरानी होती है। आप अपनी ओर से अपना ही पृथक प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** गाल्सी तथा गोलपारा क्षेत्रों से उत्साहजनक रिपोर्ट प्राप्त हुई है । ये दोनों क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन क्षेत्रों की कहां तक जांच की है और गैस का पता लगाने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट क्या है ? इस बारे में आद्यतन विस्तृत जानकारी क्या है ? मैं यही जानना चाहता हूं ।

**श्री के० डी० मालवीय :** क्या हमें गाल्सी तथा गोलपारा में तेल मिलेगा ? निश्चय ही इन दोनों क्षेत्रों में गैस मिलने की संभावना है । अतः हम वहां जल्दी ही व्यधन कार्य आरंभ करेंगे ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं जानना चाहता हूं कि बकुलतला क्षेत्र में व्यधन कार्य कब आरंभ किया जायेगा। यह पहली बात है । दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने मूल उत्तर में कहा था कि कई स्थानों पर तेल का पता लगाने के लिए कुएं खोदे गए हैं । क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि आशाजनक प्रारंभिक भूकम्पीय सर्वेक्षण के बिना ही इन कुओं के खोदने का कार्य आरंभ किया गया है ? यह स्पष्ट है कि कुओं की खुदाई तभी की जाती है जब कि भूकम्पीय सर्वेक्षण आशाजनक हों। इन कुओं की खुदाई किन-किन स्थानों पर की गई हैं और क्या कारण है कि उन्हें अब कहना पड़ रहा है कि भूकम्पीय सर्वेक्षणों के फलस्वरूप खोदे गए कुओं का कोई परिणाम नहीं निकला ।

**श्री के०डी० मालवीय :** भारत सरकार के साथ हुए पहले के समझौते के अन्तर्गत इन्डो-स्टेनवॅक परियोजना ने जो एक संयुक्त परियोजना है, पूर्ण भूकम्पीय जांच के बाद दस स्थानों पर व्यधन कार्य किया और उनमें से किसी भी स्थान पर गैस या तेल नहीं निकला ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** केवल बोद्रा में कुआं खोदा गया था ।

**श्री के० डी० मालवीय :** मैं बोद्रा के बारे में बताता हूं । मैं किए गए व्यधन कार्यों की बात कर रहा था । व्यधन कार्य कहां-कहां किए गए । मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । दस वर्ष पूर्व पूर्ण भूकम्पीय कार्य के पश्चात् दस स्थानों पर कुएं खोदे गए थे किन्तु कोई गैस या तेल नहीं निकला । केवल एक या दो स्थानों पर इसकी कुछ संभावना का पता चला। बोद्रा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने एक कुआं खोदा । इसकी अनुमानित गहराई 5,000 मीटर थी । व्यधन कार्य की कठिनाई के कारण हम 4,200 मीटर से आगे खुदाई नहीं कर पाये। अतः हमें यह कार्य छोड़ना पड़ा, इसलिए नहीं कि वहां भूकम्पीय सर्वेक्षण से तेल की संभावना का पता नहीं लगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** वहां तेल है ।

**श्री के० डी० मालवीय :** चाहे तेल हो अथवा गैस, वहां वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक मात्राओं में उपलब्ध है । हमने यह काम इसलिए रोका क्योंकि उस समय हमारे पास गहन व्यधन के लिए उपकरण नहीं थे । वे 4,200 मीटर से अधिक गहराई तक नहीं पहुंच पाये जबकि खुदाई 5,000 मीटर तक करनी थी। बार-बार जांच के पश्चात् हमें पता चला कि बकुलतला में तेल की अधिक संभावना है । इसलिए हम वहां खुदाई कर रहे हैं ।

**श्री बसन्त साठे** : एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अचर्चित रह गया । कई सदस्य प्रश्न की सूचना दे देते हैं लेकिन जब प्रश्नों का उत्तर देना होता है तो यहां नहीं रहते । इससे कई प्रश्न ऐसे ही रह जाते हैं । इसका क्या उपचार है ?

**श्री राम सहाय पांडे**: उनके 51 रुपये काट दिए जायें।

**श्री बसन्त साठे**: मेरा सुझाव है कि यदि हम पहले ही यह सूचना दे दें कि हम फलां प्रश्न में रुचि रखते हैं तो चाहे सदस्य अनुपस्थित हो, वह प्रश्न पूछने के लिए हमें अनुमति दी जानी चाहिए । कभी कभी ये प्रश्न कुछ सदस्यों द्वारा अन्य सदस्यों के माध्यम से पूछे जाते हैं और वे जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं । इसलिए हमें ऐसे प्रश्न उन पर ही नहीं छोड़ देने चाहिएं।

**श्री जी० विश्वनाथन** : इस पर नियम समिति में चर्चा होनी चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय**: हमने पहले ही प्रक्रिया तैयार करली है । यदि सूची पूरी हो चुकी है तो फिर छोड़ दिये जाने वाले प्रश्नों को पुनः लिया जायेगा ।

**Proposal to abolish Monopolistic tendency in Book Stalls at Railway Stations**

***737. Shri Shankar Dayal Singh** :Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of book stalls in the various Zonal Railways in the country at present and the number thereof with educated unemployed persons or cooperative organisations;

(b) whether Government propose to abolish monopolistic tendency in the book stalls; and

(c) if so, the action being taken in this regard ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) सभी भारतीय रेलों में 744 बुक स्टाल हैं । इस समय 19 बुक-स्टाल बेरोजगार स्नातकों और बेरोजगार स्नातकों की सहकारी संस्थाओं/साझेदारी द्वारा चलाये जा रहे हैं ।

(ख) इस समय किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा इन पर एकाधिकार नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**Shri Shankar Dayal Singh** : Whenever Railway Budget is discussed in this House, then all the Members as well as all the parties demand to abolish monopoly of Wheeler Co. etc. in the matter of book stalls. This was demanded this year also. Shri L. N. Mishra, the former Railway Minister gave an assurance of the House in this regard and this year too, the issue was touched by Railway Minister in his speech. Now as the Ceiling is being imposed in case of land and industry, may I know if any policy will be formed to impose similar Ceiling on book stalls also so that a single person may not have more book stalls then the prescribed number ? In view of this, may I know when the monopoly of Wheeler or other similar agencies will be curbed as they are in possession of a large number of book stalls ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : They have not been given any permanent right to run those book-stalls. The moment it comes to our notice that their work is not satisfactory, their contracts will be terminated. Some contracts have been surrendered by them and we are trying to give them to unemployed graduates.

**Shri Shankar Dayal Singh** : Mr. Speaker Sir, on many stations catering service has been taken over by the Government. May I know why the Government is not considering to take over book-stalls also ? I am purposely asking this question because the literature available on these book-stalls is the index of the standard of those stalls.

Many a time even cheep literature like Jasusai Panja, Khuni Panja and Manohar Kahanian is not available on those stalls. I want to know what steps are being taken to ensure that those stalls may provide standard literature ? May I know if Government is considering to run these stalls service like catering service ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi :** The Government is not having any proposal to run these stalls nor it will be useful. As regards, the literature on these stalls is concerned, it is ensured by our Committee regarding stations and platforms that the literature which by sold out on those stalls should not contain any thing derogatory to our culture and morality. But unfortunately, non-standard books like 'Khuni Panja' are also sold out on those stalls. Which is being looked into. But much depends upon the interest of reader also.

**Shri Shankar Dayal Singh :** Mr. Speaker, it must be well known to you also what sort of literature is available on those stalls. May I know if any book-stall licence has been cancelled for displaying non-standard literature ?

**Shri R.S. Pandey :** 'Khuni Panja' is a good book.

**Mr. Speaker :** Morality varies from Man to Man.

**श्री जी० विश्वनाथन :** माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि रेलवे बुक-स्टालों के बारे में किसी फर्म विशेष का एकाधिकार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इनकी बात ठीक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि व्हीलर को कितने बुक स्टाल दिये गये हैं तथा सम्पूर्ण दक्षिण भारत में हिगिन बोथमज को कितने बुक-स्टाल अलाट किये गये हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप का प्रश्न आंकड़ों से सम्बद्ध है ।

**श्री जी० विश्वनाथन् :** यह भी तो प्रश्न के अन्तर्गत ही आता है ।

**अध्यक्ष महोदय :** दक्षिण भारत ।

**श्री जी० विश्वनाथन :** वह सम्पूर्ण भारत सम्बन्धी जानकारी दे दें । मैंने कभी भी कोई असंगत प्रश्न नहीं पूछा ।

**श्री महम्मद शफी कुरेशी:** व्हीलरज़ को 331 बुकस्टाल दिये गये है तथा 'हिगिन बोथमज़' को 49 बुक स्टाल दिये गये हैं ।

**श्री जी० विश्वनाथन :** इन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी का एकाधिकार नहीं है। यह एकाधिकार नहीं तो और क्या हैं ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** वह हमारे लाइसेंधारी हैं। उनके तथा हमारे बीच ठेका हुआ है। हम जब भी चाहें यह ठेका समाप्त कर सकते हैं। फिर यह भला एकाधिकार किस प्रकार हुआ ?

**श्री विश्व नारायण शास्त्री :** श्री शंकर दयाल सिंह के प्रश्न के सन्दर्भ में मैं मंत्री जी से यह जाना चाहता हूं कि क्या रेलवे बुक स्टालों के लिए पुस्तकों का चयन करने के लिए किसी सलाहकार समिति का गठन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ताकि यात्रियों को बुक स्टालों पर अच्छा साहित्य उपलब्ध करवाया जा सके ?

**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी:** प्रत्येक रेलवे डिवीज़न के लिए एक बुक-स्टाल समिति हुआ करती थी। बाद में उसे ज़ोनल सलाहकार समिति के साथ मिला दिया गया। अब हम इन समितियों को पुन: बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा प्रत्येक ज़ोन के लिए बुक-स्टाल समिति का गठन किया जायेगा।

**Shri Damodar Pandey** : I want to know from hon. Minister if he is having any knowledge about the cheap books which are made available on those stalls. I think he is not having full informations about them. But may I know, if he is having any information about the non-availability of good Government publications on those stalls ? May I know if arrangement will be made to make good Government publications and other useful books available on those stalls and efforts will be made to sell them ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : It all depends upon the interest of the reader as to which book he wants to read.

**Shri Damodar Pandey** : Such books are not available on those stalls.

**Mr. Speaker** : Religious books and those too published by you should be made available for journey readings.

**Shri Janeshwar Mishra** : Just now it has been stated by hon. Minister that they are having a contract with M/s. Wheeler Co. which can be extended or terminated according to their discretion. May I know if contract tenders for book-stalls are invited ?

Mr. Speaker, Sir, it is a matter of pleasure that today Shri Shankar Dayal Singh, in whose name this question was is here, whereas previously these Members in whose name the question regarding book-stalls used to stand remained absent from the House. We used to think that there must be some pressure behind it. The pressure is not increased on Members only but it is exercised on Ministries also... (*Interruptions*) I know that he belongs to Allahabad and I also know how he exercises his influence. He is my opponent. I know him well.

May I know if contract tenders have been invited publicly. He has referred to only one firm which is selling out its books at more than 300 places. I want to know whether you will accept monopoly limit at 300, 500 or 1000 ? At how many stations you are prepared to accept his monopoly.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : It is advertised in the Newspapers. As and when a book-stall falls vacant, it is advertised. Afterwards, there is a licence system of $2\frac{1}{2}$ percent of royalty or licence fee and then the stall is given on a contract. Even now we are having 256 vacant book-stalls with use for which we have given a regular advertisement in newspapers and we want that un-employed graduates should apply for them. We are in receipt of 19 applications from un-employed graduates. More than 200 stalls are lying vacant and if applications are received, we will consider them.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : May I know if the book-stalls are provided with a list of literature which should be sold out by them, if so, which is that list ? May I know if Railway Board has issued some instructions to Zonal Railways and zonal Railways to DSS that some newspapers and weeklies such as 'Organiser', 'Panchjanya' and 'Motherland' should not be sold at these stalls. Is it a fact ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : The allotment of a book-stall is not refused simply for the fact that newspaper, book or magazines of a particular.

**Shri Hukam Chand Kachwai** : I have asked about the list.

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : No such list has been given.

**Shri Hari Kishore Singh** : I want to know whether there is a practice of giving sub-contracts also. My information is that M/s. Wheeler & Co. after getting contract from Railways give sub-contracts to other parties. Is it legal ?

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** : The licence cannot be transferred, but a licence can appoint his agent to carry on his business.

## जयपुर उद्योग लिमिटेड

*738. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आलोक उद्योग लिमिटेड से सम्बद्ध एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कम्पनी, जयपुर उद्योग लिमिटेड के समक्ष, कम्पनी के कार्यों के अत्याधिक कुप्रबन्ध और धन के दुरुपयोग के कारण, गम्भीर संकट उपस्थित हो गया है ;

(ख) क्या 30 मार्च, 1974 के "न्यू एज" साप्ताहिक में इस बारे में प्रकाशित समाचार के बारे में सरकार को बताया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री बेदब्रत बरुआ) :** (क) सरकार को जानकारी है कि जयपुर उद्योग ने अपने 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के लेखा वर्षों की अवधि में भारी हानि की है।

(ख) तथा (ग) सरकार ने 30 मार्च, 1975 के "न्यू एज" (30 मार्च, 1974 की इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ) में प्रकाशित समाचार को देखा है, जिसमें साथ साथ ये आरोप है कि जयपुर उद्योग ने ऋणों, कर्मचारी भविष्य निधि की जमाओं तथा अनिवार्य जमा राशियों की पुनः अदायगी में भूल-चूक की है।

(घ) जयपुर उद्योग की लेखा बहियों का निरीक्षण 1973 में सम्पन्न किया गया है तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनियमितताओं और उल्लंघनों के विषय में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें अन्य विभागों या मंत्रालयों द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है उनको आवश्यक विवरण भेज दिये गये हैं।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** मैं समझता हूं कि सरकार प्रश्न से सम्बद्ध गम्भीरता को समझने का प्रयास नहीं कर रही है। यह कम्पनी देश में सीमेंट का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी फैक्टरी का स्वामित्व संभाले हुये है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा भारी ऋण दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा कैलशियम की खानें भी इस कम्पनी को राजकीय सहायता प्राप्त दरों के आधार पर दी गई हैं। इस कम्पनी का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता का केवल 30 प्रतिशत है। **(व्यवधान)** सम्पूर्ण देश के समक्ष सीमेंट का भारी संकट है परन्तु इस कम्पनी द्वारा अधिष्ठापित क्षमता का केवल 30 प्रतिशत ही उत्पादन किया जा रहा है।

इतना ही नहीं, कम्पनी के निदेशकों द्वारा जो खर्चा किया गया है उसके फलस्वरूप कम्पनी लगभग दिवालिया होने वाली है। कम्पनी ने पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों या लाखों रुपये देने हैं और बैंक अब उसके लिये कदम उठाने·······

**अध्यक्ष महोदय :** आप का प्रश्न क्या है ?

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था परन्तु सरकार ने ठीक ढंग से उसका उत्तर नहीं दिया तथा इसीलिए मैं पुनः प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि कम्पनी के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा कुछ ऐसे आपात कदम उठाये जा रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप इस एकाधिकार गृह को सबक सिखाया जा सके।

**श्री बेदब्रत बरुआ** : मैंने पहले ही कहा है कि अनेक कदम उठाये जा सकते हैं। हमने यह मामला सम्बद्ध विभाग को भी भेजा है जहां कम्पनी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है। वह कम्पनी नियम के अन्तर्गत की जा रही है।

जहां तक खानों का सम्बन्ध है मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं परन्तु अधिष्ठापित क्षमता के 30 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया जा रहा है। हमने इसकी जांच की है तथा अधिष्ठापित क्षमता के 56 प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु यह सत्य है कि कम्पनी को भारी घाटा हो रहा है। वर्ष 1973-74 में कम्पनी को 2,94,00,000 रुपये का घाटा हुआ। पिछले दो या तीन वर्षों में भी कम्पनी को भारी हानि हुई है और ऐसा लगता है कि उसकी चुकता पूंजी तथा घाटा बराबर हो गया है।

जहां तक अंधाधुंध खर्च करने के आरोप का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में वर्ष 1973 के निरीक्षण प्रतिवेदन में कुछ ऐसी बाते देखने में आई थी जिनकी उचित व्याख्या नहीं की गई थी तथा इसीलिए हमने यह मामला उचित कार्यवाही के लिए आयकर विभाग को भेज दिया है क्योंकि ऐसा लगता है कि खर्चा ठीक ढंग से नहीं किया गया था। हमने इस मामले का उल्लेख सम्बद्ध विभाग से भी कर दिया है।

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : 18 मार्च को राजस्थान विधान सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वहां के श्रम मंत्री ने कहा था कि जब तक केन्द्रीय सरकार की अनुमति न मिल जाए तब तक वह इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है तथा राजस्थान सरकार को कम्पनी के विरुद्ध आगे की कार्यवाही करने के लिए कह दिया है।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कम्पनी को अनेक वर्षों से हानि हो रही है तथा उसके विरुद्ध मनमाने ढंग से खर्च करने का आरोप भी है तो फिर भला सरकार को इस एकाधिकार गृह का राष्ट्रीयकरण करने में क्या संकोच है ?

**श्री बेदब्रत बरुआ** : यह ठीक है कि मंत्री महोदय ने राजस्थान विधान सभा में यह कहा था कि वह कुछ कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि इस मामले का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। यही कारण है कि हमने उद्योग मंत्रालय को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए कह दिया है जिसके अन्तर्गत अपने हाथ में लेने सहित कोई भी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री माल्वे के प्रश्न के उत्तर में मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि जहां तक 'अन्य' कार्यवाही का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि हम अन्य कानून की धाराओं के अन्तर्गत निदेशकों की नियुक्ति आदि सम्बन्धी अन्य कार्यवाही भी कर सकते हैं परन्तु स्थिति ऐसी थी कि हमने यही उचित समझा कि सारे मामले का अध्ययन औद्योगिक विकास मंत्रालय कर ले ताकि उसके द्वारा शीघ्र ही अपेक्षित कार्यवाही की जा सके। हमने इस तथ्य का उल्लेख अपने 1973 के निरीक्षण प्रतिवेदन में भी कर दिया है जबकि हमने कम्पनी का निरीक्षण कार्य आरम्भ कर, पूरा किया था।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि निदेश शेयर होल्डरों के न्यासी की क्षमता में कार्य करते हैं । व्यापार में उचित ढंग से यदि कोई हानि होती है तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । परन्तु यदि कुछ खर्चा अनुचित ढंग से हुआ है, जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा कहा गया है तो वह विश्वास का उल्लंघन करार दिया जा सकता है तथा उसके लिए निदेशकों को दोषी ठहराया जा सकता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में जबकि प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुका है तो फिर कम्पनी अधिनियम तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत उनके विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्यवाही करने में संकोच क्यों है ?

**श्री वेदव्रत बरुआ :** मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि कार्यवाही की जा रही है । मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि कुछ गलत काम हुआ है या नहीं, उनकी जांच की जा रही है । मैं ऐसे अनेक मामले बता सकता हूं जिनमें उनका सम्बन्ध गलत काम की अपेक्षा आयकर के मामलों से अधिक रहा है और बातें जैसे कि कम्पनी निदेशकों की नियुक्ति या कम्पनी कानून आदि से सम्बद्ध अन्य बातें हैं, उनके सम्बन्ध में हमने अपेक्षित निर्णय कर लिया है । हम कानून के अनुसार उस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं ।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** मेरा प्रश्न यह नहीं है । यदि कोई व्यक्ति धनराशि को मनमाने ढंग से अपने आप खर्च कर दे तो वह आयकर कानून के तब तक अन्तर्गत दोष नही बन जाता जब तक उसने आयकर छिपाने का प्रयत्न न किया हो । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इसके सम्बन्ध में विशिष्ट धारायें हैं तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत भी निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

**श्री वेदव्रत बरुआ** : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम इस मामले की जांच करेंगे ।

**श्री के० लकप्पा** : आलोक उद्योग धन का अपव्यय कर रहा है और शेयरधारियों की जमा राशि का दुरविनियोग कर रहे हैं । और यही बात काफी समय पहले सरकार के नोटिस में लायी गयी थी । मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने विभिन्न मामले विभिन्न विभागों को भेजे हुए हैं । मैं इस कम्पनी की कार्यविधि के बारे में और जहां तक शेयरधारियों की पूंजी का सम्बन्ध है उसमें उन्होंने जितनी धोखाधड़ी की है उसके बारे में जानना चाहता हूं । जिसके बारे में कम्पनी कार्य मंत्रालय कार्यवाही कर सकता है । मैं यह भी जानना चाहता हू कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर कार्यवाही करने में जानबूझ कर किए जा रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**श्री वेदव्रत बरुआ** : मैं बता ही चुका हूं कि कम्पनी कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है ।

**श्री के० लकप्पा** : आपने क्या किया है ? उन्होंने तो अनेक अपराध किए हैं ।

**श्री वेदव्रत बरुआ :** जहां तक मुझे पता है शेयरधारियों ने मेरे मंत्रालय में कोई शिकायत नहीं की है ।

**श्री के० लकप्पा :** अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस उत्तर से सन्तुष्ट हैं ? उन्होंने कहा है कि शेयरधारियों ने कोई शिकायत नहीं की है । 'न्यु एज' में देश की जनता का ध्यान इस ओर दिलाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ? **(व्यवधान)**

**श्री वेदव्रत बरुआ** : मैं बता ही चुका हूं कि 'न्यु एज' में अनेक आरोप लगाए गए हैं । मैं यह भी बता चुका हूं कि कम्पनी अधिनियम के अधीन क्या कार्यवाही की गयी है और हमने अन्य विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिये कह दिया है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हमारी कठिनाई यह है कि अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि गत दो-तीन वर्षों के जांच प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट पता चलता है कि उक्त उद्योग ने अत्यधिक, अनावश्यक और अप्राधिकृत व्यय किया जिससे भारी हानियां हुईं और उनकी पूंजी लगभग समाप्त हो चुकी है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह काम कम्पनी विधि बोर्ड का है या कम्पनी कार्य विभाग का ? क्या उनका काम केवल डाकघर का ही है कि वह मामले वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या औद्योगिक विकास मंत्रालय को कार्यवाही के लिए भेज देते हैं या वह स्वयं कम्पनी अधिनियम के अधीन कार्यवाही भी कर सकते हैं और इस कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध मुकदमे चला सकते हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये कार्यवाही क्यों नहीं की ? इस कम्पनी के वर्तमान निदेशकों के नाम क्या हैं ?

**श्री वेदव्रत बरुआ** : सबसे पहले मैं इस कम्पनी के निदेशकों के नाम बताता हूं :

| | |
|---|---|
| श्री आलोक प्रसाद जैन . . . . . | अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक |
| श्रीमती सुशीला जैन . . . . . | निदेशक |
| श्री चुनी लाल जयपुरिया . . . | निदेशक |
| श्री एम० पी० झालान . . . | निदेशक |
| श्री नील रतन खेतान . . . . . | निदेशक |
| श्री नरेश चन्द्र, उद्योग और खान विभाग, राजस्थान के सचिव | निदेशक |
| श्री राजेश्वर पटेल . | निदेशक |
| श्री ए० सी० चक्रवर्ती . . | निदेशक |
| श्री बी० के० श्राफ . | निदेशक |

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपने क्या कार्यवाही की है ?

**श्री वेदव्रत बरुआ** : कानून के अन्तर्गत जो भी उल्लंघन उन्होंने किए हैं हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है । और इस सम्बन्ध में कम्पनी कानून के अन्तर्गत हमने कार्यवाही की है ।

**श्री पीलू मोदी** : परन्तु आपने तो उन्हें इसका विश्वास दिलाना है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री गजाधर मांझी ।

**श्री डी० के० पंडा** : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता था और मैं कब से खड़ा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न श्री चन्द्रप्पन का था उसके बाद श्री इन्द्रजीत गुप्त ने प्रश्न पूछे । अब भी आप सन्तुष्ट नहीं हैं . . .

**श्री डी० के० पण्डा** : इसके बाद भी मुझे एक विशिष्ट प्रश्न पूछना है ।

**अध्यक्ष महोदय** : चलिए पूछ लीजिए ।

**श्री डी० के० पण्डा** : मैं मंत्री महोदय का ध्यान मामले के एक विशेष पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं । 'एलकाक एशडाउन' के बारे में उसके कुप्रबन्ध सम्बन्धी जांच पांच साल से चल रही है । और अन्ततः यह मामला समाप्त कर दिया गया । इसी प्रकार इस मामले में भी आपको कितने वर्ष

लगेंगे और जांच रिपोर्ट के कितने वर्ष बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? जांच के बाद जांच की रिपोर्ट और उसके बाद ही कोई कार्यवाही सम्भव होगी । और तब भी आप कह देंगे कि इसे किसी अन्य मंत्रालय को सौंप दिया गया है। उसके बाद मामला फिर किसी और को भेज दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय को कितने स्मरण पत्र भेजे गए ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह मामला उन्हें कब भेजा गया ?

**श्री वेदव्रत बरुग्रा :** औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन जांच के इलावा, इसी अधिनियम के अधीन औद्योगिक विकास मंत्रालय उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है जिसमें उक्त संकटग्रस्त उद्योग को अपने नियंत्रण में लेना भी शामिल है । हमारे मंत्रालय को किसी भी हालत में किसी कम्पनी को अपने अधिकार में लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है : अतः हमने यह मामला उक्त मंत्रालय को सौंपा है जो स्वयं भी कार्यवाही कर सकते हैं । इसी सन्दर्भ में मैं बता चुका हूं कि हमने उक्त मंत्रालय को उक्त अधिनियम के अधीन कुछ अन्य कार्यवाही करने का भी सुझाव दिया है ।

**श्री डी० के० पण्डा :** यह सुझाव कब दिया गया था ? तिथि बताई जाये ।

**श्री वेदव्रत बरुग्रा :** 1973 की जांच के बाद हमने एक पत्र भेजा था और अब हम पुनः उन्हें नई परिस्थितियों के कारण लिख रहे हैं और इन्हीं के कारण हमने औद्योगिक विकास मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वह मामले पर गम्भीरता से विचार करें और हमने उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी लिख दिया है ।

**श्री डी० के० पण्डा :** उठ खड़े हुए ।

**अध्यक्ष महोदय :** हर बार आप खड़े हो जाते हैं ।

**श्री डी० के० पण्डा :** क्योंकि उत्तर स्पष्ट नहीं है । मैंने पूछा था कि कितने स्मृति-पत्र भेजे गए ।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाइए ।

## Amendment to Child Marriage Restraint Act

*740. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Will the Minister of **Law, Justice & Company affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring about certain amendments in the Child Marriage Restraint Act with a view to making it more effective in restraining child marriages ; and

(b) whether under the existing law the offences are not **cognizable** due to which Government are not able to take action suo-moto?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :** (क) और (ख) बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अधीन अपराध संज्ञेय नहीं है । तथापि, गुजरात राज्य में एक स्थानीय संशोधन द्वारा उन्हें संज्ञेय बना दिया गया है । अधिनियम का संशोधन करने के कतिपय प्रस्तावों पर सरकार ध्यान दे रही है ।

**Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Sir, the hon. Minister has stated that in the State of Gujarat this offence has been made cognizable by a local amendment. But it is not so in the entire country. Large number of child marriages are taking place including those of infants and mass marriages of hundreds of children are known to have taken place. I want to know whether this Act would be made cognizable within a specified period ?

**Dr. Sarojini Mahishi:** Some States are in its favour but still some other States are not. Even in States like Gujarat where it has been made cognizable, there are 1934 cases of child marriage in 1970, 1971 and 1972........

**Mr. Speaker :** He did not want to know the number of cases. He wants to know the steps being taken in this regard.

**Dr. Sarojini Mahishi :** It is still under considertation as some states have not yet sent their consent.

**Dr. Laxmi Narayan Pandeya:** Sir, I had asked the time by which—say within a year or six months—this Act is likely to be amended ? On the one hand lakhs of rupees are being spent on family planning and on the other this law is not being made cognizable. Hence this huge expenditure is rendered infructuous and this will go on till it is made cognizable. You can also act like Gujarat.

**Dr. Sarojini Mahishi :** There is no objection to its being made cognizable. Gujarat amended it according to the law of 1964 but the states which did not want, did not do so. A decision was taken at one stage considering all these aspects that it would be better if these states themselves make it cognizable. As far as we are concerned, no definite date can be decided as many states are not agreeable.

**श्री वसन्त साठे :** मैं जानना चाहता हूं कि बहुत पहले शारदा एक्ट पास होने की दृष्टि से और तभी से हम इस मामले के प्रति नरमी का रुख अपनाते रहे हैं और इस ओर उदासीन रहे हैं, क्या आपको पता है कि बाल विवाह का प्रश्न परिवार नियोजन से इतना अधिक सम्बन्धित है । 16–21 वर्ष की आयु को अधिकतम उत्पादक माना गया है और आपका परिवार नियोजन का सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रभावहीन हो जाता है यदि आप विवाह की आयु नहीं बढ़ाते । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप कुछ राज्यों के सहमत न होने का बहाना क्यों बना रही हैं ? तो (क) क्या आपने इस मामले पर राज्यों से गम्भीरतापूर्वक बातचीत की है कि इसे हस्तक्षेपीय अपराध बनाया जाए; और (ख) विवाह की आयु 14 से कम-से-कम 18 वर्ष कर दी जाए यदि 21 वर्ष न भी हो ? जहां हम मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करने की बात करते हैं वहां विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष तो की जा सकती है । इतना तो कम-से-कम किया ही जाना चाहिए यदि आप परिवार का आकार और बच्चों की संख्या पर रोक लगाना चाहते हैं और विशेषकर जब कि जनसंख्या विस्फोटक स्थिति पर पहुंच चुकी है । सरकार ने इस सम्बन्ध में वास्तव में क्या कदम उठाए हैं ?

**डा० सरोजिनी महिषी :** इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा विधि मंत्रालयों द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है। **(व्यवधान)**

**श्री वसन्त साठे:** आयु बढ़ाने के प्रश्न पर आपको विचार करना चाहिए था न कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय को ।

**डा० सरोजिनी महिषी:** इसे हमें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की सलाह से ही करना चाहिये । इस पर निर्णय लेने से पूर्व दोनों मंत्रालयों ने मिलकर इस पर विचार किया और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे ।

८० प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं लड़कों-लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने से ग्रामीणों पर ही प्रभाव पड़ेगा अतः 14-15 और 18 वर्ष के युवक-युवतियों को यदि रोज़गार के अवसर न दिए गए तो कठिनाई होगी। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया शान्त रहें। यह बहुत सौम्य सुझाव है।

**डा० सरोजिनी महिषी :** जैसा कि कहा जाता है 81 प्रतिशत जनसंख्या गांवों की, आदिवासियों और झुग्गी-झोंपड़ी वालों की है और उन्हीं में यह धारणा है कि यह विधान अनुकूल नहीं है। हमें सिद्धान्तवादी रवैया छोड़कर गांवों की 15-18 वर्ष की अशिक्षित युवतियों के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिये तब तक विवाह की आयु बढ़ाना उचित नहीं होगा। यह निष्कर्ष कुछ वर्ष पूर्व का है और इसके कारण मैं बता ही चुकी हूं।

**श्री वसन्त साठे:** यह निष्कर्ष किसका था ?

**डा० सरोजिनी महिषी :** स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय का। **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** श्री साठे, आप मंत्री महोदया की पूरी बात तो सुन लें।

**डा० सरोजिनी महिषी :** मैं कह रही थी कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा विधि मंत्रालयों ने अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की राय लेकर उस समय यह निष्कर्ष निकाला था कि अभी लड़कियों की विवाह आयु बढ़ाना उचित नहीं है।

**श्री वसन्त साठे :** तब से इस शताब्दी के अन्त तक जनसंख्या 100 करोड़ हो जाएगी।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :** यह धारणा कि हम माननीय सदस्यों के सुझावों के विरुद्ध हैं गलत है। इसके विपरीत हम भी इसी विचार के हैं कि लड़के-लड़कियों की विवाह-आयु बढ़ाकर परिवर्तन होना चाहिये।

यह एक सामाजिक विधान है। तथापि हम इन बातों को केवल विधान द्वारा लागू नहीं कर सकते। शारदा एक्ट के प्रभावहीन होने से यह सिद्ध कर दिया है।

हम इस अपराध को दण्डनीय बनाने के भी विरुद्ध नहीं हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम इस बारे में भी बहुत गम्भीरता से सोच रहे हैं यद्यपि एक दृष्टिकोण इसके विरुद्ध भी था। तथापि हमें अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इसे भी ध्यान में रखना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रयोग लोगों को तंग करने में किया जा सकता है। जिन लोगों ने अपनी राय दी है उन्होंने हमें ऐसी शिकायतें भेजी हैं। वास्तव में एक मसौदा लोक राय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। राज्य सरकारों का कहना है कि इसे दण्डनीय अपराध बना देने से बहुत-से मामलों में, विशेषकर गांवों में, काफी परेशानी हो सकती है।

अतः जानबूझकर हमने इस मामले में शीघ्र कोई कार्यवाही न करने का फैसला किया है। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। मोटे तौर पर हम सदस्यों के सुझावों से सहमत हैं और यह बात यहीं समाप्त नहीं हो गई। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार हो रहा है।

**कोटा बूंदी रेलवे लाइन बिछाने के लिए परिव्यय**

*750. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में रेलवे लाइने बिछाने का है जो इसका खर्च वहन करने को तैयार हैं ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में कोटा से बूंदी तक 22 मील लम्बी रेल लाइन बिछाने में कितना परिव्यय होगा ; और

(ग) इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि की सहायता दी जायेगी ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) उन रेलवे लाइनों को बनाने में रेलवे विभाग को कोई एतराज नहीं है जिन की पूरी प्रारम्भिक लागत और साथ ही परिचालन हानि को राज्य सरकारें वहन करने के लिए सहमत हों ।

(ख) भूरचना और निर्माण-मानक के आधार पर एक रेलवे लाइन से दूसरी रेलवे लाइन के निर्माण की लागत में बहुत अधिक अन्तर आ जाता है । कोटा से बूंदी तक लाइन लगभग 35 कि० मी० लम्बी होगी और उसकी अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपये होगी ।

(ग) पांचवीं योजना अवधि में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए आवंटित निधि पहले ही पूरी की पूरी निर्धारित की जा चुकी है और जब तक उनके लिए निधियों का आवंटन बढ़ा न दिया जाय पांचवीं योजना में प्रस्तावित लाइन के निर्माण में उनमें से कोई भी अंशदान करना सम्भव न होगा ।

**Shri Onkar Lal Berwa** : Sir, the question regarding Kota-Bundi-Chittor line is hanging fire for the past 15 years and the Ministry is not paying any attention at all. If they cannot take it up in the Fifth Plan, it can be completed by making a provision in the Supplementary Budget because it is a very backward area inhabited mostly by Scheduled Castes and it is chronically famine-stricken. Railway lines have been provided in such areas in Maharashtra already. Why then this 35 kilometre line is not being constructed ? If he does not prepare to construct it, let him say so.

**Shri Buta Singh** : Sir, it has been stated in the question that the State Government will bear the entire expenditure. If that is so the Ministry has no objection.

**Shri Onkar Lal Berwa** : The State Government is prepared to bear half the expenditure whether the Centre will also meet the other half ?

**Shri Buta Singh** : Whether the hon. Member speaking on behalf of the State Government ?

**Shri Onkar Lal Berwa**: This is my constituency and I am saying so on that basis.

**Shri Buta Singh** : We will send his proposal to the State Government and if they will agree, we will consider that.

**Shri Braj Raj Singh** : The Rajasthan Government proposes to set up a Thermal Project at Kota towards Bundi on the river bank and Government would have to construct a railway line to supply coal there. So, whether, keeping this in view, this line cannot be extended to Bundi and Chittor ?

**Shri Buta Singh** : When this work is taken in hand, this proposal shall also be considered.

**Mr. Speaker** : That is already there.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## Written Answers to Questions

### मन्दिरों में पशु बलि रोकने के लिए कानून

*731. **श्री बनमाली बाबू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों में मन्दिरों अथवा उनके प्रांगणों या सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थलों पर अभी भी पशु-पक्षियों की बलि देने की प्रथा प्रचलित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मन्दिरों में पशु बलि (वध) को पूर्णतया रोकने के लिये कोई विधान पुरःस्थापित करने का है ।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : (क) और (ख) यह प्रश्न मुख्यतः राज्य सूची की प्रविष्टि 15 अर्थात् "पशु की नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति" के अधीन आने वाले विषय के बारे में है, अतः इसका संबंध राज्य सरकारों से है और केन्द्रीय सरकार को इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है । वास्तव में केरल और तमिल नाडु सरकारों ने मन्दिरों की प्रसीमाओं के भीतर पशुओं या पक्षियों की बलि का प्रतिषेध करने के लिए विधान अधिनियमित किए हैं।

### एकलक्खी-बलूरघाट रेलवे के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

*734. **श्री शंकर नरायण सिंह देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकलक्खी–बलूरघाट रेल लाइन के लिए कोई तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस रेल लाइन के निर्माण के लिए आज तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां ।

**(ख) और (ग)** गजोल, बुनियादपुर और गंगारामपुर के रास्ते एकलक्खी से बलूरघाट तक एक नयी बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है, फिर भी रिपोर्ट की पूरी जांच करने के बाद ही इस मामले पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

### केरल में पैट्रोल पंपों का आवंटन

*735. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में केरल में, जिलावार, कितने पैट्रोल पंपों का आवंटन किया गया ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पंपों का आवंटन किया गया; और

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पंप आवंटित किये गये ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के०डी० मालवीय)** : (क) फुटकर बिक्री केन्द्र (पैट्रोल पम्प) तेल कम्पनियों के द्वारा वाणिज्यिक महत्व के आधार पर स्थापित किये जाते हैं । एक विवरण पत्र, जिसमें, पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में स्थापित फुटकर बिक्री केन्द्रों के ब्यौरे जिला-वार दिखाये गये हैं सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) आई० ओ० सी० के अतिरिक्त अन्य किसी तेल कम्पनी के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिये एजेंसियों/फुटकर बिक्री केन्द्रों, के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आई० ओ० सी० ने 1974-75 के दौरान फुटकर बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 6 नियुक्ति पत्र जारी किये हैं ।

(ग) इस समय ऐसे कोई आंकड़े आई० ओ० सी० द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

**विवरण**

| जिलों के नाम | फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | आई ओ सी | आई बी पी | एच पी सी | बर्माशैल | कालटैक्स |
| पालघाट | 1 | — | — | — | — |
| कन्नोनार | 1 | — | — | 1 | — |
| क्विलोन | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
| कालीकट (कोजीकोट) | 2 | — | — | — | — |
| कोटायाम | 1 | — | — | — | — |
| अर्नाकुलम | — | 2 | 1 | — | 1 |
| मालापुरम | — | — | 1 | — | — |
| इडिकी | — | — | 1 | — | — |
| त्रिचूर | — | — | — | 2 | — |
| योग | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 |

आई० ओ० सी० और काल्टैक्स के संबंध में सूचना वित्तीय वर्ष के आधार पर है जबकि अन्य के संबंध में यह केलैण्डर वर्ष के आधार पर है ।

### औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्यवाही

*736. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में देश में औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा नई औषधियों का उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) वर्ष 1975-76 में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या देश औषध उद्योग में आत्मनिर्भर हो जायेगा और यदि हां, तो कब तक ?



24 LSS/75—3

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) और (ख) औषध उद्योग के वर्तमान स्तर को निर्धारित करने और पांचवीं योजना अवधि के लिए योजनाओं को तैयार करने और भी अध्ययन करने के लिए योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को अन्य सम्बन्धित मामलों के साथ हासिल किया जा सकता है, योजना आयोग ने औषध और भेषजों पर एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी। कार्यकारी दल ने 1973 में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश की। विभिन्न प्रपुंज औषधों और मध्यवर्ती पदार्थों पर इस रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें हैं जिनके उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी।

पांचवीं योजना के दौरान परिकल्पित औषधों और भेषज उद्योग का बड़े पैमाने पर विस्तार करने के सन्दर्भ में और औषध और निर्माण तथा अन्य विषयों का विनियन्त्रण और तीव्र विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने औषध और भेषज उद्योग समिति की स्थापना की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को पेश कर दी थी और यह निरीक्षणाधीन है।

सरकार ने उद्यमियों की सूचनार्थ उद्योगों के मार्ग दर्शक सिद्धान्त 1974-75 भी प्रकाशित किए थे और इसमें औषध और भेषज उद्योग की सूचना शामिल है जिस में पांचवीं योजना के लिए आवश्यकताओं और अन्य सम्बद्ध विवरणों का संकेत किया है।

औषध और भेषज समिति पहले ही आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आवश्यक औषधों और आम घरेलू औषधियों की व्यवस्था करने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी और 117 औषध सूत्रयोगों के उत्पादन का पता लगाया है जिनका देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य हाथ में लिया जाना चाहिए। रिपोर्ट की एक प्रति लोक सभा पटल पर दिनांक 4 मार्च, 1975 को रखी गई थी।

सरकार कार्यकारी दल और औषधों और भेषज उद्योग समिति की अनेक सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए यूनिटों की स्थापना द्वारा या किसी विस्तार द्वारा औषधों की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना पर कार्यवाही की पहल पहले ही कर चुकी है।

इसके अलावा सरकारी और भारतीय क्षेत्र के साथ चर्चा की पहल की जा चुकी है कि वे औषधों की पांचवीं योजनागत आवश्यकताओं के सन्दर्भ में आवश्यक ऐन्टीबायोटिक्स और सिन्थेटिक औषधों के उत्पादन करने में अपनी भूमिका निभाने का परिचय दें जिससे लगभग 3000 मी० टन के वर्तमान उत्पादन से लगभग 10,000 मी० टन तक उत्पादन में वृद्धि हो। पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री की अध्यक्षता में औषध उद्योग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दो दिन का एक सम्मेलन 12 और 13 मार्च 1975 को हुआ था। इस सम्मेलन में यह बात नोट की गई कि सरकारी क्षेत्र के यूनिटों को, 1500 मी० टन के वर्तमान स्तर से 5000 मी० टन तक अपना उत्पादन बढ़ाना होगा।

भारतीय क्षेत्र ने पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मंत्री को एक प्रारूप पेश किया है जिसमें इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में 23 यूनिटों 27 औषधों का उत्पादन हाथ में लेंगे।

(ग) नई औषधों का विकास करने की दृष्टि से अनुसन्धान आधार का विकास करने के लिए भारत में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि देश में औषधों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और अधिकतम सम्भव मात्रा तक आयात करने की निर्भरता को कम किया जा सके। सरकारी क्षेत्र के लिए और गैर सरकारी क्षेत्र विशेष रूप से भारतीय क्षेत्र में परिकल्पित कार्यक्रम से पांचवीं योजना अवधि में उत्पादन दुगना हो जाएगा और इसलिए हम आत्म पर्याप्ति के निकटतर लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे।

## इंडेन गैस

*739. **श्री गजाधर मांझी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वे जिला मुख्यालय कौन-कौन से हैं जहां अभी तक इंडेन गैस उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिला मुख्यालयों में इंडेन गैस के वितरण की व्यवस्था करने का है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) देश में जिला मुख्यालयों सहित स्थानों के नाम जहां इंडेन गैस जारी की गई है, को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) विशेष शहर को इंडेन गैस का वितरण करने का निर्णय, विभिन्न विचारधाराओं पर जसे क्षेत्र की क्षमता, उत्पाद उपलब्धता, शोधनशाला के निकट मार्केट, सिलैंडरों की अदला-बदली आदि के आधार पर लिया जाता है । पहले जिला मुख्यालयों में इंडेन गैस जारी करने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है ।

### विवरण

जिला मुख्यालयों सहित स्थान जहां इंडेन गैस जारी की गई है ।

अलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, देहरादून, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, अलीगढ़, लखनऊ कानपुर, बरेली, मेरठ, हरिद्वार, ऋषीकेश, रुड़की, गाजियाबाद, दिल्ली, चण्डीगढ़, शिमला, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पिलानी, अमृतसर, लुधियाना, जलन्धर, करनाल, हिसार, अम्बाला, गुडगांव, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, पानीपत, सतना, रायपुर, भोपाल, उज्जैन, पिंजौर, ग्वालियर, भिलाई, नारदा, रतलाम, सागर, जबलपुर, महू, दमोह, पटना, रांची, दरभंगा, गया, मुजफरपुर, भागलपुर, धनबाद, अराह, छपरा, मुंगैर, पुर्निया, जमशेदपुर, बरौनी, समस्तीपुर, बोकारों, बकसर, कलकत्ता, दुर्गापुर, आसनसोल, खड़गपुर, सीलीगुड़ी, गोहाटी, तेजपुर, जोरहाट, डिबरुगढ़, नमगांव, शिलांग, राऊरकेला, बडौदा, सूरत, अहमदाबाद, बढोच, गोधरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, दोहद, सुरेन्द्रनगर, गांधीनगर, जवाहरनगर, नडियाद, आनन्द, पोरबन्दर, भुज, मोरबी, मद्रास, कुडेलोर, वेण्डोर, मधुरैई, तिरुची, टिनिवेली, कोयम्बतूर, तंजौर, सलेम, अर्वक, चिंगलेपट, कांजीवरम, छिदमवारम, नेवेली, विलिमपुरम, तूतीकोरिन, कराईगुडी, कुम्बकोनम, नागा-पटनम, म्यूरम, उड़ूकोटई, डिंडीगल, कोनूर, इरोड, मेट्टपलायम, पोलाची, त्रिपुर, त्रिवेन्द्रम, नागरकोली, राजापलायम कोलार, मैसूर, बंगलोर, मंगलोर, तुमकुर, मरकरा, उदीपई, केजीएफ दावनगेरे, भद्रावती, चितौड़, गुनटूर, हैदराबाद, अंगोला, अनन्थापुर, तिरुपति, विजयवाडा, तेनालई, अदोन, तेलीचेरी, मदनपाली, कोटायम, कन्नौर, कालीकट, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, पालघाट, त्रिचुर, अरनाकुलम, कुवालोन कोजीकोडे, अलिपाय, और पांडेचेरी ।

## पश्चिम रेलवे में गुजरात राज्य के लिए रेल परियोजनाएं

*741. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे की (एक) नई रेल लाईन का निर्माण करने, (दो) रेल लाईन का विस्तार करने और (तीन) मीटरगेज लाईन का ब्राड गेज लाईन में बदलने हेतु रेलवे प्राधिकारियों के पास जो मुख्य परियोजनाएं विचाराधीन और निर्माणाधीन है, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इनका निर्माण-कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ग) पश्चिम रेलवे पर, गुजरात राज्य में जो नई लाइनों, विस्तार और आमान परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण-कार्य चल रहे हैं, उनके ब्यौरे तथा अन्य विवरण नीचे दिये गये हैं :—

| क्रम संख्या | निर्माण का नाम, लम्बाई, आमान | लागत (करोड़ रुपयों में) | प्रगति | पूरा होने की लक्ष्य तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **(क) चालू निर्माण कार्य :** | | | | |
| 1. | साबरमती – गांधीनगर नयी लाइन (30.0 कि॰मी॰ बड़ी लाइन) | 2.85 | 68 प्रतिशत | 31-12-75 |
| 2. | वीरमगांव–ओखा/पोरबन्दर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव (556.97 कि॰ मी॰) | 42.93 | 35 प्रतिशत | काम चालू है। संशोधित लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गयी है। |

## Employees participated in Railway Strike of May, 1974

†*742. **Shri Ishwar Chaudhury :**

**Shri Jagannathrao Joshi :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway employees in the various railway zones, separtely, who participated in the last railway strike and the number of those employees (1) who are being prosecuted for charges of violence or sabotage, (2) who are being prosecuted for charges other than violence and sabotage, (3) who have not yet been reinstated, (4) whose break in service has not been condoned, and (5) whose appeals have been rejected;

(b) the time by which action for restoring normalcy and for putting an end to vindictive action would be completed keeping in view the aforesaid facts; and

(c) whether any general concession would be made to the employees mentioned in (2), (3), (4) and (5) of part (a) above and if so, the details thereof indicating the time by which it would be made ?

**The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :** (a) Please see the Annexure.

(b) With a view to creating cordial and better labour relations in Railways all appeals from employees connected with May, 1974 illegal strike are considered sympathetically and decided expeditiously.

(c) Whereas no general amnesty can be given as per Government's declared policy, lenient view is taken while reviewing the individual cases.

**Statement**

| Railway | No. of employees who participated in Strike | No. of employees being prosecuted for sabotage/violence | No. being prosecuted for charges other than sabotage/violence | No. of permanent/temporary staff not taken back to service so far | No. whose break has not been condoned. | No. whose representations/Appeals have been rejected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C . . . | 65,602 | 65 | 22 | 136 | 254 | 135 |
| E . . . | 115,868 | .. | .. | 451 | 489 | 321 |
| N . . | 38,453 | 1 | 9 | 82 | 73 | 80 |
| N.E. . . . | 17,506 | 107 | 111 | 28 | 260 | 28 |
| N.F. . . . | 65,000 | 13 | 23 | 262 | .. | 2 |
| S . . . | 65,115 | 41 | .. | 55 | 1,626 | 49 |
| S.C. . . . | 43,748 | 6 | .. | 19 | .. | .. |
| S.E. . . . | 78,869 | 95 | 213 | 449 | 1,000 | 332 |
| W . . . | 72,581 | 44 | 5 | 147 | 150 | 93 |
| Total . . . | 562,742 | 372 | 383 | 1,629 | 3,852 | 1,040 |

**Demonstration by Ministerial Staff of D.S. Office, Dhanbad**

+*743. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether about twelve hundred ministerial and other employees working in the D.S. Office, Dhanbad staged a demonstration on the 28th Feb. 1975;

(b) if so, the reasons therefore; and

(c) the action taken by Government for fulfilling their demands ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh)** : (a) & (b) About 200 persons, mostly Ex-employees and some serving employees are reported to have demonstrated and shouted slogans before the D.S. Office during office hours. At this demonstration they are reported to have explained the decisions taken at the All India Railway Employees Confederation meeting held at Secunderabad in February and also mentioned about the proposed relay fast before Parliament on 17-3-75 and 18-3-75. They also shouted about taking back of dismissed employees and further negotiations with National Coordination Committee for Railwaymen's Struggle.

(c) Out of about 16,700 employees dismissed/removed from services about 15,200 employees have since been taken back. Further appeals are under consideration.

Government have never recognised National Coordination Committee for Railwaymen's Struggle, however the two recognised Federations in Railways are always welcome for negotiations.

**औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के कार्यकारी दल की सिफारिशें**

*744. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक औषधियों के मूल्यों के बारे में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के कार्यकारी दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) और (ख) अपने तीन निम्नलिखित विचारार्थ विषयों में से प्रथम दो के बारे में औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो के कार्यकारी दल की सिफारिशों को सरकार ने पहले ही मान लिया है और इस उद्देश्य से एक विवरण पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1974 को लोक सभा पटल पर रखा था :

(i) 25 प्रपुंज औषधों की निर्माण लागत का अध्ययन करना और उसके लिए उचित बिक्री मूल्यों की सिफारिश करना।

(ii) सरकार द्वारा यथा निर्धारित परिवर्तन लागत और संवेष्टन के सिद्धान्तों का पुनरीक्षण करना और उस सीमा तक सिफारिश करना जिस सीमा तक औषध (मूल्य नियन्त्रण ) आदेश, 1970 के उद्देश्यों और प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए इनमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता हो, और

(iii) उक्त मामलों का अध्ययन करने के लिए जर्मन मदों, अन्य किसी का अध्ययन करना

उक्त मद (iii) के बारे में सरकार ने औषध और भेषज उद्योग समिति का गठन किया था।

"उपभोक्ताओं के लिए औषध मूल्यों का कम करने से सम्बन्धित उपायों की सिफारिश करना और ऐसे अन्य उपायों की सिफारिश करना जो मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को सुस्थिर करने के लिए आवश्यक है।"

जैसा कि यह अनुभव किया गया था कि कार्यकारी दल की अनुषंगिक सिफारिशों में से कुछ समिति के निर्णयों पर भी असर पड़ सकता है, यह तय किया गया था कि समिति की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जाए। समिति ने दिनांक 6-4-1975 को सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

**किशोर सम्मेलन (कंवेंशन आफ टीनएजर्स) पदधारियों के लिए निःशुल्क रेलवे पास**

*745. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोर सम्मेलन (कंनवेंशन आफ टीनएजर्स), नई दिल्ली के एक पदधारी को प्रथम श्रेणी का एक अखिल भारतीय रेलवे पास निःशुल्क जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति का नाम और पद नाम क्या है और यह रेलवे पास जारी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त व्यक्ति को यह निःशुल्क पास सुविधा समाप्त करने का प्रश्न रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है; और

(घ) अन्य सामाजिक संगठनों के उन व्यक्तियों का नाम और दर्जा क्या है जिन्हें निःशुल्क रेलवे पास जारी किये जाते हैं ?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) जी हां।

(ख) श्री महेन्द्र नाथ, संयोजक। मानार्थ कार्ड पास संगठन को जारी किया गया है क्योंकि वह पिछड़ी जातियों, हरिजनों, आदिवासियों और सामाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उद्धार कल्याण तथा आर्थिक विकास के लिये काम करता है जो राष्ट्रीय हित में है।

(ग) जी नहीं।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिएसंख्या एल० टी०–9487/75]**

**रेल सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के कार्य में प्रगति**

*746. **श्री पी०एम० सईद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में आरक्षण सैल के गठन के बाद से विभिन्न रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती और उनकी पदोन्नति में हुए सुधार का जोन-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान (एक) आल इण्डिया शिडयूल्ड कास्ट एण्ड शिडयूल्ड ट्राइब गवर्नमेंट इम्प्लायीज कोआर्डिनेशन काउन्सिल, कलकत्ता, और (दो) अन्य अनुसूचित जाति/जनजातियों की एशोसियेशनों द्वारा कितनी विशिष्ट शिकायतें की गई और उनमें से कितनी शिकायतों को दूर कर दिया गया है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की रेलों में भर्ती के सम्बन्ध में हुई प्रगति के लिए 30-9-1973 और 31-3-1974 को समाप्त होने वाली छमाहियों की दो अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट संसद् को पहले ही पेश की जा चुकी हैं और उनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। ऐसी संभावना है 30-9-1974 को समाप्त होने वाली छमाही की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत हो जायेगी।

(ख) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी कर्मचारी समन्वय परिषद, कलकत्ता, एक ऐसा निकाय है जो मान्यता-प्राप्त नहीं है। उस परिषद् से तथा ऐसे ही अन्य गैर-मान्यताप्राप्त निकायों से मिले पत्रों के सम्बन्ध में रेलों पर कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते।

**झामर कोटरा में राक फास्फेट के उत्पादन को कम करने का निर्णय**

*747. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने झामर कोटरा में वर्ष 1975-76 में राक फास्फेट के उत्पादन को 500,000 टन तक सीमित करने का निर्णय किया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस निर्णय के कारण यह उपक्रम अपने उत्पादन को दुगुना करने के उद्देश्य से मंगाये गये मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों की शीघ्र ही डिलिवरी लेने को उत्सुक नहीं है ; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप अतिरिक्त रोजगार के अवसर समाप्त हो जाने के अलावा राज्य सरकार को भी भारी हानि होगी, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) जी नहीं, राजस्थान राजकीय खान और खनिज लि० द्वारा तैयार किए गए खनन कार्यक्रम में 1975-76 के दौरान केवल पांच लाख मी० टन राक फास्फेट के उत्पादन की परिकल्पना की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि का रासायनिक पदार्थों के उत्पादन पर प्रभाव**

*748. **श्री पी० गंगादेव :**
**श्री अनादि चरण दास :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक पदार्थों, उर्वरकों और अन्य पेट्रोल रसायन उत्पादों की उत्पादन लागत पर अशोधित तेल के मूल्य में हुई वृद्धि के प्रभाव का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) से (ग) 1973 और 1974 के दौरान अशोधित तेल के मूल्य में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप उर्वरकों पेट्रो-रसायनी और कुछ रसायनों के उत्पादन के लिये प्रयुक्त विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई। जबकि नाइट्रोजन युक्त नेफ्था उर्वरक के मूल्य सांवधिक रूप से नियमित किये जाते हैं। विभिन्न पेट्रो-रसायनों के मूल्य नियंत्रित नहीं किये जाते। 1 जून, 1974 से पूर्व और 1 जून से निम्नलिखित उर्वरकों के लिये नियंत्रित मूल्य निम्न प्रकार थे :

रुपये/मी० टन

| | 1 जून, 1974 से पूर्व | 1 जून 1974 से |
|---|---|---|
| यूरिया | 1050 | 2000 |
| अमोनिया सल्फेट . . | 590 | 935 |
| कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (25% एन) | 615 | 1095 |

पेट्रो-रसायन क्षेत्र में महत्वपूर्ण खण्डों के मूल्य नेफ्था मूल्यों में वृद्धि से पूर्व और उसके उपरान्त निम्न प्रकार थे।

रु०/मी० टन

| | फरवरी 1974 | अप्रैल 1974 |
|---|---|---|
| 1. ऐथिलेन | 1650 | 2967 |
| 2. प्रोपीलेन | 2000 | 3305 |
| 3. बूटाडीन | 2400 | 3763 |
| 4. बेन्जेन . . . . . | 1471 | 2919 |

**न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद की याचिकाओं के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विशेष कुटम्ब न्यायालय**

*749. **श्री सतपाल कपूर**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद की याचिकाओं जैसे मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये विधि आयोग ने विशेष कुटुम्ब न्यायालयों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री (एच०आर० गोखले)** : (क) जी हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों के गठन और संगठन का संबंध राज्य सरकारों से है जिनको विधि आयोग के हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 विषयक 59वीं रिपोर्ट भेजी गई है। कुटुम्ब संबंधी विषयों से संबंधित वादों के लिए उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक में, जो इस समय संयुक्त समिति के समक्ष है, प्रति-स्थापित आदेश 32क में किया गया है।

**मध्य रेलवे में रेल गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाने संबन्धी योजना**

7078. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य रेलवे में रेल गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाने संबंधी योजना पर निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** (क) और (ख) सरकार की नीति संतृप्त ट्रंक मार्गों पर माल और सवारी गाड़ियों का डीजलीकरण करने की है ताकि संचलन में तेजी आ सके और इन मार्गों पर यातायात अधिक मात्रा में हो सके। ऐसी रेलों को तरजीह भी दी गई है जो कोयला क्षेत्रों से दूर है। लेकिन डीजल इंजनों की सीमित उपलब्धता के कारण आबंटन में प्राथमिकता माल की ढुलाई को दी गई है। आवश्यक माल यातायात की जरूरतों को पूरा करने के बाद उपलब्ध इंजनों का उपयोग कुछ चुनी हुई अत्यधिक भीड़-भाड़ तथा लम्बी दूरी वाली डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण करने के लिये किया जाता है।

अब तक मध्य रेलवे को 55 डीजल शंटर के अलावा बड़े आमान के 224 मुख्य लाइन के डीजल इंजन आबंटित किये गये हैं ताकि ट्रंक मार्गों पर माल यातायात का अधिक मात्रा में डीजलीकरण किया जा सके। इसके अलावा, मध्य रेलवे में बड़ी लाइन की 12 जोड़ी सवारी गाड़ियां डीजल कर्षण के द्वारा चलायी जा रही हैं।

न्यू कटनी, इटारसी और कुर्ला में डीजल शेड की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। झांसी में एक नये डीजल शेड का निर्माण किया जा रहा है। इस शेड के तैयार होने पर मध्य रेलवे को अतिरिक्त डीजल इंजन आबंटित किये जायेंगे और नियतन सम्बद्ध प्राथमिकता के अनुरूप समस्त रेलवे के आधार पर किया जायेगा।

## हाथी समिति द्वारा बहुराष्ट्रीय फर्मों के कार्यकरण की समीक्षा

7079. **श्री नानू भाई एन० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली फर्मों सहित प्रत्येक बहुराष्ट्रीय फर्म के कार्यकरण पर अलग अलग विचार विमर्श किया था ;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी फर्मों के सम्बन्ध में इक्विटी पूंजी करार लाइसेंस उत्पादन और लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन विदेशों में धनराशि भेजना 'बल्क' औषधियों का उत्पादन और बल्क औषधियों की लायसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन संबंधी ब्यौरे प्रश्नों के उत्तर में अथवा हाथी समिति को नहीं दिये हालांकि इस समिति ने यह ब्यौरे मांगे थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अब यह पूरी जानकारी सप्लाई करेगी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश)** : (क) औषध व भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा 6 अप्रैल 1975 को प्राप्त की गई थी तथा उस पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) और (ग) जो कुछ सूचना मांगी गई थी तथा उपलब्ध थी समिति तथा संसद प्रश्नों के उत्तर में दी गई थी। 26% तथा 50% के बीच विदेशी पूंजी वाले कम्पनियों के संबंध में मूल साम्य पूजी विदेशी शेयर धारिता, वर्तमान चुकता पूंजी बाहर भेजा गया धन, कुछ बिक्री, लाभ आदि के ब्यौरे 18 मार्च, 1975 को क्रमशः लोक सभा अ० प्र० स० 3797 एवं 3846 के उत्तर में बताये गये थे। वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बाहर भेजे गये धनराशि के ब्यौरे 25 मार्च, 1975 को लोक सभा अ० प्र० स० 4818 के उत्तर में बताये गये थे। विदेशी कम्पनियों को प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस तथा क्षमता के ब्यौरे 2 दिसम्बर, 1974 को लोक सभा अ० प्र० स० 791 के उत्तर में बताये गये थे। विभिन्न महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के उत्पादन ब्यौरे तथा गत तीन वर्षों के दौरान 1972-73 एवं 74 (सितम्बर तक) उत्पादन के साथ अपने उत्पादक कार्यों में लगे एककों के नाम 15 अप्रैल, 1975 को लोक सभा अ० प्र० स० 6200 के उत्तर में बताये गये थे। इसके अतिरिक्त जब कभी सम्बन्धित

प्रश्नों में किसी विशेष विदेशी कम्पनियों के बारे में पूछा गया उसके बारे में भी बताया गया । कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा किए गये करार के बारे में कुछ ब्यौरे के सम्बन्ध में सदन को आश्वासन दिये गये थे क्योंकि ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नही थे इन ब्योंरों को एकत्रित किया जा रहा है तथा आश्वासन को पूरा करते हुए इसे सदन को भेजा जायेगा ।

**अंशधारियों द्वारा कुछ फार्म और प्रपत्र विशेष भरे जाने के लिए नियम और विनियम**

7080. **श्री एन० आर० वेकारिया :**

**श्री डी०पी० जदेजा :**

**श्री पी० जी० मावलंकर :**

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के नियमों तथा विनियमों के अनुसार ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों तथा सम्बन्ध निकायों के अंशधारियों को कुछ फर्म तथा प्रपत्र भरने होंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) ऐसे नियम तथा विनियम बनाने के क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ ) :** (क) तथा (ख) शायद माननीय सदस्य कम्पनी (शेयरों में लाभदायी हित की घोषणा) नियम, 1975 का हवाला दे रहे हैं । इन नियमों के अन्तर्गत वह व्यक्ति, जिसका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में उस कम्पनी में शेयर धारक के रूप में प्रविष्ट है, किन्तु वह इस प्रकार के शेयरों में लाभदायी हित धारण नहीं करता है, को कम्पनी (शेयरों में लाभदायी हित की घोषणा) नियम, 1975 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म I में घोषणा करना अपेक्षित है।

(ग) इसका उद्देश्य शेयरों के लाभदायी स्वामित्वी होने में समुचित प्रगटीकरण को सुनिश्चित करना है।

**वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में मध्य रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या**

7081. **श्री वसंत साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में मध्य रेलवे में वर्ष 1974-75 में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए जो उपाय किये जा रहे है और जिन्हें अधिक कड़ा करने का प्रस्ताव है वे नीचे बताये गये है :--

(1) टिकट जांच-कर्ता कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस का एक बड़ा दल लगाकर बिना टिकट यात्रा करने वालों की विशेष तौर पर व्यापक चेकिंग तथा बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये व्यक्तियों पर मुकदमे चलाना।

(2) बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध राज्य सरकारों के साथ मिल-जुल कर संयुक्त अभियान चलाना।

(3) जनता विशेषकर विद्यार्थी समुदाय के बीच बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध शिक्षात्मक प्रचार करना ।

(4) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान में रेल मंत्रालय में कार्यरत गैर-सरकारी स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति को शामिल करना ।

**Use of Hindi in the Departments under the Ministry of Law, Justice and Company Affairs.**

†7082. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether any instructions have been given to the officers and employees of all the Departments under his Ministry by Government to the effect that they should use Hindi in all the work done by them ;

(b) if so, the reasons for non-compliance of those instructions and the action taken in this regard; and

(c) the steps proposed to be taken further to ensure that only Hindi is used in these Departments for writing notes and making entire correspondence ?

**The Minister of Law Justice & Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) :** (a) to (c) Under article 343 (1) of the Constitution, Hindi is the official language of the Union. However, as provided in section 3 of the Official Languages Act, 1963, as amended, English has been allowed to be used in addition to Hindi for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before the 26th January 1965. The Central Government employees are therefore free to use either Hindi or English for the transaction of the official business.

Officers and employees of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs are encouraged to work in Hindi to the extent possible.

**औषधियों के किस्म नियंत्रण के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें**

7083. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या हाथी समिति ने अपने निदेश पदों की मद संख्या (पांच) अर्थात् औषधियों के किस्म नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा करने हेतु एक उप समिति की नियुक्ति की है यदि हां, तो उप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है और उसकी क्या सिफारिशें है; और

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया और निर्णय है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) जी हां। औषधों के गुण नियंत्रण और संबंद्ध मामलों पर औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति की अंतरिम रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें उप-समिति का गठन और सिफारिशें दी गई है, 25 मार्च, 1975 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी । रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

**Petrol Pumps allotted in Madhya Pradesh**

7084. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the total number of petrol pumps allotted in Madhya Pradesh State, district-wise, during the last two years?

**The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) :** The total number of retail outlets for petrol/HSD set up by different oil companies during the last two years in Madhya Pradesh, is as under :

| Name of Districts | IOC | IBP | HPC | Caltex | Burmah-Shell |
|---|---|---|---|---|---|
| West Nimar . . . | — | 1 | — | — | — |
| Indore . . . | 2 | — | — | — | — |
| Bhopal . . . | 2 | — | — | — | — |
| Raipur . . . | 1 | — | — | — | — |
| Bastar . . . | 2 | — | — | 1 | — |
| Ratlam . . . | 2 | — | — | — | — |
| Gwalior . . . | 4 | — | — | — | — |
| Bhind . . . | 1 | — | — | — | — |
| Mandsaur . . . | 1 | 2 | — | — | — |
| Jabalpur . . . | 1 | — | — | — | — |
| East Nimar . . | 1 | — | — | — | — |
| Hoshangabad . . | 2 | — | — | — | — |
| Durg . . . . | — | — | 1 | — | — |
| Total . . | 19 | 3 | 1 | 1 | — |

The information pertaining to HPC and Caltex is on financial year basis and that for other oil companies on calender year basis.

## बेकार पड़े तेल के ज्ञात कुंए

7085. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेकार पड़े तेल के ज्ञात कुओं के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) उनसे तेल भंडारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी०पी० माझी)** : (क) जी, हां।

(ख) कुछ कूपों को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण की वजह से बन्द रखने की अनुमति दे दी जाती है ।

(i) व्यधित किए गए नये कूपों के मामले में कूप के व्यधन तथा उससे अंततः उत्पादन के बीच में एक अपरिहारि काल होता है निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर इन कूपों को उत्तरोतर रूप से तेल क्षेत्र प्रतिष्ठानों से संबंधित कर दिया जाता है ।

(ii) कुछ कूपों को या तो दबाव में कमी जो कुछ समय उत्पादन देने के बाद उत्पन्न हो जाती है या कम उत्पादन देने के कारण उस अवधि तक के लिए बन्द कर देना पड़ता है जब तक कि उन कूपों के उत्पादन को कृत्रिम उठान द्वारा गतिशीलता देकर बढ़ाया नहीं जाता ।

(iii) कुछ मामलों में जहां नए भण्डारों की प्राप्ति निर्जन स्थानों पर उत्पादन सुविधाओं से दूरस्थ क्षेत्रों में होती है वहां पर कूप (कूपों) को अतिरिक्त उत्पादन सुविधाओं आदि की स्थापना की अवधि तक के लिए बन्द कर देना पड़ता है ।

(ग) कूपों से शीघ्रातिशीघ्र उत्पादन आरम्भ कराने के लिए संभावित सीमा तक, कूपों में गतिशीलता लाने के तरीकों आदि के बाद, आवश्यक हो, तेल क्षेत्र प्रतिष्ठानों से संबंध जोड़ दिया जाता है।

**मद्रास-त्रिवेल्लोर रेल विद्युतीकरण परियोजना के बारे में प्रगति**

7086. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-त्रिवेल्लोर रेल विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन तमिल नाडू के मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि द्वारा 24 नवम्बर, 1973 को किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर क्या प्रगति हुई है ;

(ग) इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि मद्रास-त्रिवेल्लोर सेक्शन तीन रेलवे वर्कशापों से जुड़ा है और क्या इस दृष्टि से सरकार का विचार इसे निर्धारित अवधि में पूरा करने का है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) 3 प्रतिशत।

(ग) और (घ): इस कार्य की प्रगति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

**स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व उखाड़ दी गयी रेल लाइनों का फिर से बिछाया जाना**

7087. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे लाइनों के, जोनवार, नाम क्या है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व उखाड़ दी गयी थी और अभी तक फिर से नहीं बिछाई गयी है ;

(ख) क्या इन रेल लाइनों को फिर से बिछाने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक के कब तक बिछा दिये जाने की योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) उखाड़ी गयी लाइनें जिन्हें अभी तक फिर नहीं बिछाया गया है, निम्नलिखित है :—

| क्रम सं० | लाइन का नाम | रेलवे |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | डुरवहा-पुसाद | मध्य |
| 2. | सिन्ना-तीताबार | पूर्वोत्तर सीमा |
| 3. | गोसाईगांव-काकिलामुख | पूर्वोत्तर सीमा |
| 4. | मोरनहाट—खोवांग | पूर्वोत्तर सीमा |
| 5. | बहारामघाट—बुढ़वल | उत्तर |
| 6. | बुढ़वल—बाराबंकी | उत्तर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | (काकीनाडा)-कोटिपल्ली | दक्षिण मध्य |
| 8. | मोरप्पूर-होसूर | दक्षिण |
| 9. | तिरुप्पत्तूर-कृष्णगिरी | दक्षिण |
| 10. | रायपुर फोरस्ट ट्रामवे | दक्षिण पूर्व |
| 11. | माधोगंज-ओहदपुर | उत्तर |
| 12. | निर्मली-सरायगढ़ | पूर्वोत्तर सीमा |
| 13. | प्रतापगंज-भीमनगर | पूर्वोत्तर सीमा |

(ख) से (घ) परिवहन के वैकल्पिक साधनों के विकास के परिणामस्वरूप तथा वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन लाइनों को फिर से बिछाने का काम शुरू करना संभव नहीं हो सका है हालांकि कुछ लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

**औषध उद्योग की प्रगति के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें**

7088. **श्री भालजी भाई रावजीभाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति ने उद्योग की प्रगति तथा इसके द्वारा प्राप्त स्तर के बारे में निदेश पद की मद संख्या (एक) के बारे में क्या सिफारिशें की हैं ।

(ख) क्या मामले पर विस्तार से विचार करने के लिए एक उपसमिति बनाई गई थी, समिति के सदस्य कौन-कौन थे तथा उपसमिति ने क्या सिफारिशें की थी; और

(ग) क्या सिफारिशों के पहले प्रारूप में तथा अन्तिम प्रतिवेदन में बहुत बड़ा अंतर है और क्या परिवर्तन अधिकृत सदस्यों ने एक मत से किये है, यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) से (ग) सरकार द्वारा औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई थीं तथा सरकार उस पर विचार कर रही है ।

**दक्षिण रेलवे के वर्ष 1975-76 के कार्यक्रम में एर्णाकुलम एलप्पी रेलवे लाइन का सम्मिलित किया जाना**

7089. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम एलप्पी रेलवे लाइन दक्षिण रेलवे के वर्ष 1975-76 के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित की गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इसके लिए भूमि और लकड़ी के स्लीपर मुफ्त देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और ऐसी परिस्थितियों में क्या सरकार का विचार दक्षिण रेलवे को इस लाइन के मार्ग-निर्धारण के काम को अन्तिम रूप देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहने का है ।

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)**: (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां; राज्य सरकार ने सरकारी भूमि और स्लीपर मुफ्त देना स्वीकार कर लिया है।

(ग) इस लाइन के लिए जल्दी ही एक सर्वेक्षण किया जायगा ।

**रेलवे कैंटीन के श्रमिकों के साथ रेलवे कर्मचारियों के समान व्यवहार**

7090. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले रेलवे कैंटीन के श्रमिकों के साथ रेलवे कर्मचारियों के समान व्यवहार करने के मामले में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय लेते समय वर्ष 1973 की सिविल अपील संख्या 941 के बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 16 जुलाई, 1974 को दिये गये फैसले को भी ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ूटा सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार, जो श्रम मंत्रालय के परामर्श पर आधारित हैं, कारखाना अधिनियम द्वारा प्रशासित कैंटीनों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते । उनको सरकारी कर्मचारी माने जाने के प्रश्न पर विधि मंत्रालय के परामर्श से उक्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है । श्रम मंत्रालय द्वारा इस मामले में अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यदि कैंटीन कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हुआ, तो इस मंत्रालय द्वारा उस पर यथावत विचार किया जायेगा ।

**Filling up of posts of Radiographer on Northern Railway**

7091. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of X-rays taken in the railway hospitals of Bikaner, Rewari, Tundla, Amritsar, Jodhpur, Ferozepur, Delhi and Lucknow during the last three years and the places, out of them, in which Technicians are working in the lower scale of pay and the time by which the posts in lower scale of pay would be upgraded and the time by which the post of X-ray Technician of Railway Hospital, Amritsar would be upgraded; and

(b) whether Railway Service Commission has advertised two posts of Radiographer for Medical Department, Northern Railway, and if so, the power under which C.M. Officer, Northern Railway is filling up the posts (non-technical) of Bikaner and Allahabad ?

**Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :** (a) A statement giving number of X-rays done in Railway Hospitals of Bikaner, Rewari, Tundla, Amritsar, Jodhpur, Ferozepur, Delhi and Lucknow for the years 1972-73, 1973-74 & 1974-75 is enclosed. The grades in which these posts are being operated and the number is also given in the statement. Proposals for upgradation of Class III cadre are still under consideration. The specific case of allotment of higher grade to X-ray Technician at Amritsar is also under consideration.

(b) Yes. The Railway Service Commission has advertised two posts of Radiographers in the higher grade due to existing vacancies. Pending receipt of panel from Railway Service Commission, local arrangements to carry on the work are being made by the Railway.

**STATEMENT**

| | Bikaner | Rewari | Tundla | Amritsar | Jodhpur | Ferozepur | Delhi | Lucknow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) No. of X-rays taken. | | | | | | | | |
| 1972-73 | 2471 | 163 | 321 | 1489 | 4164 | 4056 | 5669 | 10262 |
| 1973-74 . | 2916 | 534 | 515 | 1332 | 4415 | 2505 | 6001 | 8427 |
| 1974-75 . | 2098 | 69 | 67 | 2048 | 4739 | 2926 | 3441 | 8900 |
| (b) X-Ray Technicians | Higher Grade | Higher Grade | Lower Grade | Lower Grade | Higher Grade | Higher Grade | Higher Grade | 3Higher Grades |

**नेपाल को तेल की सप्लाई**

7092. **श्री बीर भद्र सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में नेपाल को सप्लाई किये गये तेल की मात्रा क्या है और यह तेल किस मूल्य पर सप्लाई किया गया है ; और

(ख) क्या तेल की सप्लाई घरेलू कोटे में से की गई थी अथवा विशेष रूप से अरब देशों से नेपाल द्वारा यह व्यवस्था की गई थी ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी):** (क) यह सूचना बताना जन हित में नहीं होगा ।

(ख) 1974 तक नेपाल को हमारी अपनी उपलब्धता में से सप्लाई की गई थी । तथापि कुछ मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद नेपाल द्वारा 1974 में सीधे आयात किए गए थे और भारतीय तेल निगम को उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको दिए गए थे । तथापि 1974 के दौरान इन आयातों से कोई सप्लाई नहीं की गई थी । नेपाल तेल निगम द्वारा व्यवस्थित आयातों के प्रति जनवरी 1975 से नेपाल को भारतीय तेल निगम द्वारा उत्पाद विनिमय के आधार पर सप्लाई की जा रही है ।

**तमिलनाडु में तेल के कुंओं की खुदाई**

7093. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इस समय तेल के कौन-कौन से कुंओं की खुदाई हो रही है और खुदाई कार्य इस समय किस अवस्था में है ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान और किन–किन कुंओं की खुदाई का कार्य किया जाना है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :** (क) इस समय तमिलनाडु राज्य के मण्डापम में एक कुंआ खोदा जा रहा है। 14-4-1975 तक कुंआ 600 एम० टी० एस० की गहराई तक खोदा गया है ।

(ख) दो कुंओं की खुदाई, एक केराइकल और दूसरे ट्यूराईपुडी पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की जाएगी ।

**दक्षिण-पूर्व रेलवे के टिकट चैक करने वाले कर्मचारियों में भ्रष्टाचार**

7094. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 में दक्षिण-पूर्व रेलवे की टिकट चैक करने वाले किन्हीं कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टचार किये जाने का पता चला ; और

(ख) उस अवधि में दक्षिण-पूर्व रेलवे की बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से कितनी राशि एकत्र की गयी ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) अप्रैल 1974 से जनवरी 1975 तक की अवधि में टिकट जांच करने वाले किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध नहीं हुआ है ।

(ख) इसी अवधि के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूल की गयी रकम नीचे दी गयी है :—

| | | |
|---|---|---|
| | | रु० |
| (i) | किराया और अतिरिक्त प्रभार | 18,97,827 |
| (ii) | अदालती जुर्माना | 44,221 |

**मारुति प्राइवेट लिमिटेड के महानिदेशक द्वारा त्यागपत्र**

7095. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती सोनिया गांधी ने दिल्ली में मारुति प्राइवेट लिमिटेड के महानिदेशक के पद से त्याग पत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ)** : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में "मारुति प्राइवेट लिमिटेड" नाम से कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं है । तथापि "मारुति लिमिटेड" के नाम से एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है । कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्रीमती सोनिया गांधी इस कम्पनी की कभी भी निदेशक नहीं रही है । अभिलेखों से यह भी दिखलाई नहीं देता है कि इस कम्पनी का कभी कोई महानिदेशक भी रहा है ।

**50 औद्योगिक बड़े गृहों द्वारा परिसम्पत्तियों को बढ़ाना**

7096. **श्री सरजू पांडे:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े 50 औद्योगिक गृहों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने गत तीन वर्षों में अपनी परिसम्पत्तियों में कितनी वृद्धि की ; और

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसम्पत्तियों में गत तीन वर्षों में कितनी वृद्धि हुई ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ)** : (क) तथा (ख) विभाग द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपनी परिसम्पत्तियों के आकार के अनुरूप श्रेणीबद्ध 50 शीर्षस्थ कम्पनियों ने 1972–73 में अपनी कुल परिसम्पत्तियों में 762.8 करोड़ रु० की एवं 1973–74 में 882.1 करोड़ रु० (45 कम्पनियों से संबंधित) की वृद्धि अभिलेखित की । उनके नामों, पंजीकृत पतों, एवं परिसम्पत्तियों के मूल्य की बाबत ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—9488/75]

इनमें 26 कम्पनियां, सरकारी कम्पनियां थीं, एवं उन्होंने अपनी परिसम्पत्तियों में 1972–73 में 607.3 करोड़ रु० व 1973–74 में 692.9 करोड़ रु० (21 कम्पनियों से संबंधित) की वृद्धि अभिलेखित की ।

## इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशों के साथ किये गये ठेके

7097. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशों के साथ किये गये ठेकों संबंधी संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये विदेशी ठेके संबंधित विदेशी सरकारों की अपेक्षानुकूल निर्धारित समय पर पूरे हो जायें, किस प्रकार की जांच तथा परिवीक्षा की जाती है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी)** : (क) इंजीनियर्स इण्डिया लि० द्वारा हस्ताक्षरित ठेकों के ब्यौरे के बारे में एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) ये ठेके इंजीनियर्स इण्डिया लि० द्वारा तकनीकी सेवाओं के बारे में हैं जोकि विदेशी पार्टियों के साथ न कि विदेशी सरकारों के साथ किए गए है । इंजीनियर्स इण्डिया हाथ में लिए गए विदेशी कार्यों को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने को सुनिश्चित करने के बारे में पर्याप्त उपाय करती है सरकार का इस कम्पनी के कार्यों पर किसी प्रकार का दैनिक पर्यवेक्षण नहीं है । तथापि इस कम्पनी के मंडल में सरकार का एक निदेशक होता है । इसके अलावा सरकार इस कम्पनी के कार्यों पर सामयिक कार्य निष्पादन पुनरीक्षण बैठकों द्वारा नजर रखती है ।

### विवरण

(1) ईरान—(क) इटली के स्नाम प्रोग्रैटी के माध्यम से नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी की शिराज शोधनशाला के लिए विस्तृत इंजीनियरी और माल-प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए ।

(ख) स्नाम प्रोग्रैटी के माध्यम से ईरान में तावरीज में एक आई ओ सी की एक अन्य शोधनशाला के लिए विस्तृत इंजीनियरी और माल-प्राप्ति सेवाएं प्रदान करने के बारे में ।

(2) सीरिया—यूनीडो वियाना (आस्ट्रिया) के माध्यम से सीरियन अरब गणराज्य में होम्स शोधन-शाला के उपकरणों के निरीक्षण तथा अनुरक्षण के संबंध में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए ।

(3) नीदरलैंड्स—ई आई एल ने मैसर्स ल्यूमस कंपनी, दिहेग, को हीट एक्सचेंजर्स के डिजाइन के लिए सहायता प्रदान की ।

(4) जर्मन गणराज्य—व्यूरे मैश्चिनन एक्सपोर्ट जी० एम० बी०, बरलिन को आर—1040 सिस्टम कम्प्यूटर के आयात तथा सौफ्टवेयर के निर्यात के बारे में ।

(5) श्री लंका—सीलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन, कोलम्बो को उनकी पेट्रोलियम शोधनशाला के अनुरक्षण के बारे में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए ।

(6) ईराक—निम्नलिखित संगठनों को पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोकैमिकल्स उर्वरक आदि के क्षेत्र में प्रायोजना के डिजाईन, इंजीनियरी और निर्माण के बारे में सेवाएं प्रदान करने के लिए :—

(क) स्टेट कन्सलटिंग कम्पनी फ़ार आयल प्रोजैक्ट्स ; और

(ख) स्टेट आर्गेनाइजेशन आफ इन्डस्ट्रियल डिजाईन एण्ड कन्सट्रक्शन ।

**मथुरा तेलशोधक कारखाने से निकलने वाले सल्फर डाईआक्साइड से ताजमहल को क्षति**

7098. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1975 के 'दी इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें गंभीर आशंकायें व्यक्त की गई हैं कि मथुरा तेलशोधक कारखाने से निकलने वाले सल्फर डाईआक्साइड से ताज महल, को जो इस तेल शोधक कारखाने से केवल 40 मील की दूरी पर स्थित है, क्षति पहुंच सकती है और इसका रंग बिगड़ सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने देश के और यदि आवश्यक हुआ तो विदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा इस मामले की गम्भीरता पूर्वक जांच कराने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) :** (क) सरकार ने समाचार देख लिया है ।

(ख) और (ग) ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों पर मथुरा शोधनशाला द्वारा छोड़े जाने वाले वहिःस्रावों के प्रभाव को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

**विवरण**

(ख) और (ग) आस-पास के स्थानों और विशेष रूप से ताजमहल और आगरा तथा मथुरा के अन्य स्मारकों को प्रभावित करने वाले मथुरा शोधनशाला से बहिस्थानों की संभावना पर पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, और वातावरण योजना एवं समन्वय पर राष्ट्रीय समिति, भारतीय मानक संस्थान, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था आदि के परामर्श से इंडियन आयल कारपोरेशन ने सूक्ष्म रूप से जांच की है। इंडियन आयल कारपोरेशन शोधनशाला के डिजाइन में विशेष सुविधाएं शामिल कर रहा है ताकि प्रदूषण के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर किया जा सके।

2. गैस-युक्त वहिःस्रावों के उपचार के लिये अपेक्षित सुविधाओं के निरुपण के लिये आई०ओ०सी० को योग्य बनाने के लिये मौसम विज्ञान विभाग मथुरा में मौसम स्थिति पर विचार करने हेतु विस्तृत ब्यौरे एकत्र कर रहा है। सामान्यतः वहिःस्रावों के गम्भीर बाधाएं उत्पन्न करने की आशा नहीं है यदि इनको उच्च स्तर से वातावरण में निकाल दिया जाए और मौसम की स्थिति ऐसी हो कि गैस स्वच्छन्दता से वातावरण में फैल जाए। प्रत्येक स्थिति में पर्याप्त सावधानी के उपाय के रूप में सल्फर डाइओक्साइड को निकालने के लिये शोधनशाला के रूपांकन में तैयार सुविधाओं को जोड़ा जायेगा।

3. ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों पर मथुरा शोधनशाला के प्रदूषण प्रभाव को बिलकुल कम करने के लिये किये जाने वाले उपायों पर प्रायोजना प्राधिकारियों को निरंतर सलाह देने के लिये डा० एस० बारादराजन, अध्यक्ष, आई०पी०सी०एल० की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति में मौसम विभाग, वातावरण प्रदूषण नियंत्रण पर राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय वातावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। अन्य संगठनों के प्रतिनिधि जैसे पुरातत्व विभाग, भारतीय मानक संस्थान आदि भी समिति की बैठकों में, जब कभी आवश्यकता समझी जाए, आमंत्रित किये जाते हैं।

4. मौसम विभाग के सहयोग से किये जाने वाले प्रदूषण-रोधक उपायों पर और अध्ययन करने के लिये इंडियन आयल कारपोरेशन इटली के मैसर्स टैक्नेकों की सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव रखती है। मैसर्स टैक्नेकों, जो इटली सरकार की एक सहायक कम्पनी है, ई०एन०आई० ग्रुप का स्वामित्व रखती है और जो प्रदूषण और उसके नियंत्रण से सम्बन्धित है, को प्रदूषण को कम करने के लिये उनके द्वारा किये गए उपायों के साथ इटली सरकार द्वारा भी सहयोग दिया गया है।

5. आयातित अशोधित तेल के अतिरिक्त, मथुरा शोधनशाला के बम्बई हाई से प्राप्त कम सल्फर वाले कच्चे तेल की कुछ मात्रा को साफ करने के लिये भी विचार किया जा रहा है ताकि प्रदूषण का प्रभाव कम से कम हो। यह सुनिश्चित करने के लिये हर सम्भव उपाय किये जायेंगे कि शोधनशाला की गैस का ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े।

**रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के वेतनमान**

7099. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों के बारे में 17 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) रेलों के राष्ट्रीयकरण के समय संघटक इकाइयों में नियुक्त रेल कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के वेतनमानों के सम्वन्ध में कोई एकरूपता नहीं थी। एक रेलवे से दूसरी रेलवे के वेतनमान भिन्न थे। समय-समय पर सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न वेतन आयोगों की सिफारिश पर मानक वेतन-मानों को लागू करने के बाद ही एकरूपता आई। एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी०--9489/75] जिसमें आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में कर्मचारियों की इन कोटियों को आवंटित मानक वेतनमान दिखाये गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## रेलवे स्टेशनों पर "क्लोज्ड सरकिट' टेलीविजन का लगाया जाना

7100. **चौधरी राम प्रकाश:**

**श्री भाऊ साहेब धामनकर:**

**श्री भगतराम राजाराम:**

**श्री भागीरथ भंवर:**

**श्री जी० वाई० कृष्णन:**

**श्री मनहर:**

**श्री बसन्त साठे: क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्लोज्ड सरकिट टेलीविजन व्यवस्था लगाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर क्लोज्ड सरकिट टेलीविजन व्यवस्था लगाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां। 15-4-1975 से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक सन्निकट परिपथ दूरदर्शन की व्यवस्था की गई है।

(ख) यह मुख्यतः गाड़ियों के आने और जाने के बारे में दृश्य-श्रव्य सूचना का प्रदर्शन करने और यात्रियों को समाज शिक्षा प्रदान करने के लिये है। उपलब्ध फालतू समय का उपयोग वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिये किया जायेगा

(ग) मद्रास सेण्ट्रल स्टेशन पर सन्निकट परिपथ दूरदर्शन पहले ही लगाया जा चुका है।

इस समय बम्बई और कलकत्ता में दूरदर्शनों की व्यवस्था करने का कोई ठोस प्रताव नहीं है।

**मैथोक्सीक्लोर का देश में उत्पादन**

7101. **श्री श्रीकिशन मोदी:**

**श्री डी० डी० देसाई :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मैथोक्सीक्लोर जो कि डी०डी०टी० का एक उत्तम प्रतिस्थापक है, के उत्पादन की स्वदेशी जानकारी के विकास के सम्बन्ध में कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके उपयोग के लिये कोई उपाय किये हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)**: (क) व (ख) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद ने हाल ही में 5 कि०ग्रा० प्रति वैच की सीमा तक मैथोक्सिक्लोर के उत्पादन के बारे में एक तकनीक विकसित की है तथा इसे सम्बन्धित पार्टी को इसके वाणिज्यिक उपयोग के लिये दे दिया गया है ।

यह सूचना मिली है कि मैथौक्सिक्लोर, डी०डी०टी० की तुलना में अपनी कम ओरल और डरमल एल०डी०-50, गुणों के कारण, डी०डी०टी० से अच्छा है । तथापि मैथौक्सिक्लोर घर से बाहर के लारवा तथा बड़े मच्छरों पर रोक रखने में प्रभावी नहीं है । जबकि डी०डी०टी० प्रभावी है और मच्छरों को समस्त स्थितियों में मार-गिराने में अच्छा प्रभाव रखती है । कृषक विशेषज्ञों का विचार है कि सुरक्षित होने के कारण मैथौक्सिक्लोर को डी०डी०टी० के एक अच्छे प्रतिस्थापन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।

**मैसर्स फाइजर द्वारा टैट्रासाईक्लीन का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी देने की पेशकश**

7102. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**

**श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री कुछ औषधियों का निर्माण करने के लिये प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु फाइजर के साथ बातचीत के सम्बन्ध में 25 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैट्रासाईक्लीन के निर्माण के लिये मैसर्स फाइजर द्वारा प्रौद्योगिकी देने की पेशकश तथा उसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा उसका मुख्य व्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश)** : (क) और (ख) टेट्रासाइक्लीन तथा आक्सीटेट्रासाइक्लीन के उत्पादन को सुधारने के लिये मैसर्स फिजर लि० बम्बई द्वारा औद्योगिकी प्रस्ताव तथा आई०डी०पी०एल० द्वारा डेक्सीसाइक्लीन का निर्माण निःशुल्क है और यह (i) अक्सीटेट्रासाइक्लीन करना के लिये उनकी बढ़ी हुई क्षमता का नियमन; (ii) डाक्सीसाइक्लीन के 5 मी० टन के लिये उद्योकि लाइसेंस देना, के लिये उनकी प्रार्थना के संदर्भ किया गया है। समस्त बातों को ध्यान में रख कर मैसर्स फिजर द्वारा किये गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है ।

**महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता के लिये विदेशी मुद्रा का दिया जाना**

7103. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता के निष्पादन सम्बन्धी चरण-बद्ध कार्यक्रम के लिए अपेक्षित थोड़ी सी विदेशी मुद्रा देने के लिए इच्छुक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समस्या के शीघ्र हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने इस परियोजना के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की मंजूरी पहले ही दे दी है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)**: (क) और (ख) विदेशी मुद्रा की छोटी-छोटी रकम देने के अलग-अलग मामलों का विनिश्चय विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में की गयी समग्र व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है ।

(ग) चूंकि महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे), कलकत्ता की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं में विदेशी मुद्रा की भारी रकम लगेगी, इसलिए सरकार यथासंभव अधिक से अधिक इन आवश्यकताओं की पूर्ति उपयुक्त ऋण साधनों से करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है बशर्ते कि इस परियोजना के लिए पर्याप्त रूप से रुपये के संसाधन उपलब्ध हों ।

(घ) विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की मंजूरी वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है । इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति ऊपर भाग (ग) में बतायी गई है ।

**पश्चिम रेलवे में निर्माण कार्य हेतु रेलवे परियोजनाएं**

7104. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में कितनी रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा नवीनतम स्थिति क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) पश्चिम रेलवे की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| लाइन का नाम, लम्बाई और आमान | लागत (करोड़ रुपयों में) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. गुना-मक्सी, नई लाइन (193 कि० मी० बड़ी लाइन) | 10.51 | निर्माण-कार्य हो रहा है और उसके 31-3-76 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । समग्र रूप से अद्यतन वास्तविक प्रगति 94.0 प्रतिशत हुई है । |
| 2. साबरमती-गांधी नगर नयी लाइन (30 कि० मी० बड़ी लाइन) | 2.85 | निर्माण-कार्य हो रहा है और उसके 31-12-75 तक पूरा हो जाने की संभावना है । समग्र-रूप से अद्यतन वास्तविक प्रगति 68 प्रतिशत हुई है । |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. वीरमगाम ओखा/पोरबन्दर मीटर लाईन को बड़ी लाइनों में बदलना (556.97 कि० मी०) | 42.93 | धन की सीमित उपलब्धता के कारण निर्माण कार्य प्रतिबन्धित गति से हो रहा है। निर्माण-कार्य पूरा किये जाने की लक्ष्य तिथि में संशोधन करना होगा और यह प्रतिवर्ष परियोजना के लिए उपलब्ध होने वाले धन पर निर्भर होगा । इस निर्माण-कार्य की, समग्ररूप से अद्यतन वास्तविक प्रगति 35 प्रतिशत हुई है । |

**गैर सरकारी औषध निर्मात्री एककों के अनुसंधान तथा विकास सेल**

7105. **श्री एस० आर० दामाणी:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने गैर-सरकारी औषध निर्मात्री एककों के अपने अनुसंधान तथा विकास सेल है तथा उन्हें काम जारी रखने के लिए क्या सुविधाएं दी गई है ;

(ख) इस उद्देश्य के लिए व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई है तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनकी वार्षिक कुल बिक्री में इसका कितना प्रतिशत है ; और

(ग) नई औषधियों तथा 'फार्मलेशनों' को बनाने में क्या सफलता प्राप्त की गई है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वीकृत गैर सरकारी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास एककों की सूची से युक्त एक विवरण संलग्न है। कुछ प्रमुख अनुसंधान यूनिटों द्वारा वहन किया गया पूंजीगत व्यय और पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी कुल बिक्री निम्न प्रकार है :—

| क्रम सं० | यूनिट का नाम | पूंजीगत व्यय | कुल बिक्री 1971/71-72 | 1972/72-73 | 1973/73-74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | (लाख रु० में) | | | |
| 1. | सिबा गैगी आफ इंडिया | 310 | 2266 | 2620 | 3122 |
| | | 2266 31/12/74 तक | | | |
| 2. | हेवस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० | 1971 | 30.34 | | |
| | | | 1479 | 1833 | 2172 |
| | | 1972 | 4.60 | | |
| | | 1973 | 9.30 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (लाख रु० में) | | | |
| 3. | साराभाई एम कैमिकल्स | 26.51 | 30-6-73 तक | | |
| | | | 384.47 | 422.58 | 481.33 (अस्थाई) |

(ग) मैसर्स सीबा आफ इंडिया लि०, बम्बई ने एक नई एन्टीडिप्रेजेंट औषध अर्थात् सिन्टामिल का विकास किया है और कम्पनी ने इसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहले ही एक आशय पत्र प्राप्त कर लिया है, अन्य कंपनियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

**विवरण**

| क्रम सं० | फर्म का नाम और पता |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | बंगाल एम्यूनिटी अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता |
| 2. | कैमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज, बम्बई |
| 3. | सीबा गैगी आफ इंडिया, बम्बई |
| 4. | डेज मेडिकल स्टोर्स (मैनुफैक्चरिंग) प्रा० लि०, कलकत्ता |
| 5. | दि फेयरडील कारपोरेशन (प्रा०) लि०, बैम्बई |
| 6. | ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि०, बम्बई |
| 7. | हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल लि०, बम्बई |
| 8. | इंडिया डिटोनेटर्स लि०, बम्बई |
| 9. | निटसन लेबोरेटरीज, थाना |
| 10. | ओर्गेनोन इंडिया लि०, कलकत्ता |
| 11. | रैनवक्सी लैबोरेटरीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली |
| 12. | रैप्टाकोस ब्रैट एंड कं० लि०, बम्बई |
| 13. | रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०, थाना |
| 14. | सैन्डोज लि०, बम्बई |
| 15. | साराभाई एम० कैमिकल प्रा०लि०, बड़ौदा |
| 16. | साराभाई अनुसंधान केन्द्र, बड़ौदा |
| 17. | सिर्ले इंडिया लि०, थाना |
| 18. | सेनथियोटिक्स लि०, बड़ौदा |
| 19. | यूनिकैम लेबोरेटरीज, बम्बई |
| 20. | वेथ लेबोरेटरीज लि०, बम्बई |
| 21. | रेलिस इंडिया लि०, बम्बई |
| 22. | सुनीता लेबोरेटरीज प्रा० लि०, इंदौर |
| 23. | एलैम्बिक कैमिकल वर्क्स लि०, बड़ौदा |
| 24. | कादिला लेबोरेटरीज यानीनगर, अहमदाबाद |
| 25. | चौगुले एंड कंपनी (हिन्द) प्रा० लि०, बम्बई |
| 26. | बूट्स कंपनी (इंडिया) लि०, बम्बई |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 27. | कलकत्ता कैमिकल कंपनी लि०, कलकत्ता |
| 28. | दाई-इच्ची करकारिया लि०, बम्बई |
| 29. | अहुरा कैमिकल प्रोडक्ट (प्रा०) लि०, बम्बई |
| 30. | कैमोसिन प्रा० लि०, बम्बई |
| 31. | हाफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई |

**Expenditure on National and Zonal Railway User's Consultative Committee**

7106. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of National and Zonal Railway Users consultative councils/committees together with the total membership thereof and the total amount the Railway spent on their administration expenses and allowances during 1973 and 1974; and

(b) whether the Railway Board is obliged to implement the decision taken by the committes and if not, reasons threfor ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :** (a) A statement giving the information is attached.

(b) The National Railways Users' Consultative Council and the Zonal Railway Users' Consultative Committees are advisory in character. The recommendatons of the Council/Committees are given due consideration.

**Statement**

| Sl. No. | Particulars of the Council/Committee | Total membership for the current term (1974-76) | Total expenditure incurred during 1972-73 | 1973-74 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | National Railway Users' Consultative Council. | Not yet reconstituted | No expenditure incurred as the Council did not function. | |
| 2. | Zonal Railway Users' Consultative Committees. | | Rs. | |
| | Central Railway . . . . | 58 | 1830.00 | 3965.00 |
| | Eastern Railway . . . . | 64 | 2172.12 | 2297.28 |
| | Northern Railway . . . | 97 | 8266.11 | 10348.10 |
| | North Eastern Railway . . | 81 | 2727.00 | 4602.00 |
| | Northeast Frontier Railway . . | 52 | 2000.00 | 2500.00 |
| | Southern Railway . . . | 60 | 4299.23 | 8071.12 |
| | South Eastern Railway . . | 64 | 5765.76 | 6902.99 |
| | South Central Railway . . . | 51 | 7831.00 | 11155.00 |
| | Western Railway. . . . . | 65 | 2328.00 | 2262.00 |

*These figures are not maintained for the calendar years and do not include cost of rail journeys performed by the members for attending meetings etc. as free Railway passes are issued for the purpose.

**संसद् द्वारा अधिनियमित विधियों का क्रियान्वयन**

7107. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या विधि न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के लिये लम्बित विधेयकों की विशिष्टियां क्या हैं ;

(ख) क्या संसद् द्वारा बनाई गई सब विधियां केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की गई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन अधिनियमों की विशिष्टियां क्या हैं जिन्हें अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है और उनके क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) लम्बित विधेयकों और पारित लेकिन क्रियान्वित न किये गये अधिनियमों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले)** : संसद् के सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लम्बित नहीं है ।

(ख), (ग) और (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों पर न हटाये गए मोटे अनाजों के स्टाक का जमा हो जाना**

7108. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने मार्च 1975 में यह सूचना दी थी कि तमिलनाडु में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर न हटाये गए मोटे अनाजों का भारी स्टाक जमा हो गया है;

(ख) क्या 22 मार्च, 1975 के मध्याह्न पश्चात् तक लगभग 600 वैगन तथा खाद्यान्नों की लगभग 57,000 बोरियां निपटान हेतु पड़ी थी ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) रेलवे अधिकारियों ने वैगनों को खाली कराने हेतु क्या कार्यवाही की थी ; और

(ङ) क्या लम्बे समय तक वैगनों को खाली न करने के लिए कोई अर्थ दंड लगाया गया है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)**: (क) जी हां, यह मामला दक्षिण रेलवे द्वारा तमिलनाडु की सरकार के नोटिस में लाया गया था।

(ख) 22 मार्च, 1975 के अपराह्न में दक्षिण रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर खाद्यान्नों के 55 माल डिब्बे और 122706 बोरे निकासी की प्रतीक्षा में थे।

(ग) खाद्यान्न परेषणों की भारी आमद, पार्टियों के पास संग्रहण हेतु पर्याप्त स्थान के अभाव, बैंकों के माध्यम से भेजी गयी रेलवे रसीदों की अनुपलब्धता और उधारी बन्द हो जाने से, बैंकों द्वारा उनके निर्मुक्त किये जाने के कारण मालगोदामों में माल का जमघट हो गया।

(घ) इस मामले पर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों, जिलाधीशों, तमिलनाडु सरकार के खाद्य सचिव और स्थानीय राजस्व अधिकारियों से बातचीत की गयी। व्यापारियों से भी विशेष रूप से सम्पर्क किया गया।

(ङ) विलम्ब शुल्क पहले से निवारक के रूप में हैं, अर्थात् 22.4 मीटरिक टन की वहन-क्षमता के बड़ी लाइन के चौपहिये माल डिब्बे पर निःशुल्क अवधि समाप्त होने के बाद, प्रथम 24 घंटों

की समाप्ति पर 134.40 रुपये, 48 घंटों की समाप्ति पर 295.68 रुपये और 72 घंटों की समाप्ति पर 510.72 रुपये विलम्ब शुल्क बैठता है। निःशुल्क अवधि के बाद जहां कहीं माल डिब्बे रुके रहे थे वहां विलम्ब शुल्क वसूल कर लिया गया था।

**कोचीन तथा दुर्गापुर उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन**

7109. **श्री रामसहाय पांडे** :

**श्री यमुना प्रसाद मंडल** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तथा दुर्गापुर उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन अभी तक संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा इस संबन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)**: (क) और (ख) आयानित मशीनरी तथा घटकों सहित उपकरणों के अनेक नाजुक मदों में खराबी आने के कारण दो संयंत्र जो क्रमशः अप्रैल, 1973 तथा अक्तूबर, 1973 में प्रारम्भ हुए थे संतोषजनक स्तर तक उत्पादन स्थिर करने में समर्थ नहीं हो पाया है। संतोषजनक कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न यांत्रिक खराबियों एवं अन्य समस्याओं का पता लगाने एवं उन पर काबू पाने के लिए समय समय पर सुव्यावस्थित प्रयास किये गये हैं। चूंकि ये प्रयास पूर्ण रूप में सफल नहीं थे अतः लगभग निर्धारित क्षमता पर उत्पादन प्राप्त करने एवं उसे स्थिर रखने के लिए समस्याओं का पता लगाने तथा उपायों का सुझाव देने के लिए दुर्गापुर संयंत्र की विस्तृत सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने हेतु इटली के मैसर्स टैक्नीमोन्ट को कहा गया था। सम्पूर्ण सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा कोचीन एवं दूर्गापुर संयंत्रों में आवश्यक समझे गये सुधारात्मक एवं अन्य उपायों हेतु उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

**मिट्टी के तेल के वितरण को सुधारने की योजना**

7110. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मिट्टी के तेल का वितरण सुधारने के लिये विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वितरण की नई व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा;

(ग) क्या गुजरात में वितरण व्यवस्था दोषपूर्ण है और इसमें शीघ्र परिवर्तन करने की आवश्यकता है; और

(घ) क्या उस राज्य में मिट्टी के तेल का अभाव बहुत अनुभव किया गया है जिससे दोषपूर्ण वितरण की व्यवस्था पैदा हो गई है यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान मार्च, 1975 तक उस राज्य को कुल कितना मिट्टी का तेल सप्लाई किया गया तथा उसकी कुल मांग कितनी थी ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी)** : (क) और (ख) इस समय राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य के अन्तर्गत वास्तविक वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तथापि सरकार ने, मिट्टी के तेल आदि जैसे उपभोक्ता उत्पादों की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने और उत्पादों को उपभोक्ताओं के अधिक पास पहुंचाने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, जहां तक विपणन अर्थव्यवस्था सम्भव हो, के लिए अन्य बातों के साथ, उपायों की सिफारिश करने हेतु एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

(ग) मामले के बारे में राज्य सरकार से पूछताछ की जा रही है और उनका उत्तर प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) इस मंत्रालय को विगत समय में गुजरात राज्य में मिट्टी के तेल की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जनवरी से मार्च 1975 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य को 70,315 मी० टन के आबंटन की तुलना में 68,525 मी० टन की कुल सप्लाई की गई।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के टी०टी०ई० तथा अन्य टी०टी०ई० की वरीयता का उल्लंघन**

7111. **श्री एस० एम० सिद्दइया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ टिकट कलक्टरों (ग्रेड 110–180 रु०) को उनके विकल्प के आधार पर जुलाई 1972 में टिकट कलेक्टर (ग्रेड 150–240 रु०) के पद पर पदोन्नत किया गया था तथा बाद में उनको उस ग्रेड पर स्थायी कर दिया गया था;

(ख) क्या विशेष मामले के रूप में जून 1972 में उन्हें जूनियर ग्रेड (130–212 रु०) में टी०टी०ई० बनने का दूसरा विकल्प दिया गया था;

(ग) क्या इस कार्यवाही से उन्हें उच्च ग्रेड में स्थायी बनने तथा उच्च टी०ए०. वाले लोअर ग्रेड में नियुक्ति और वर्ष 1968 से काम कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 25 सदस्यों सहित अनेक अन्य टी०टी०ई० (ग्रेड 130–212 रु०) पर वरीयता का दावा करने का तिहरा लाभ मिला; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित टी०टी०ई० तथा अन्य टी०टी०ई० जिनको अकारण वरीयता में पीछे कर दिया गया, के मामलों में किए गए अन्याय को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) प्रत्येक रेल प्रशासन ऐसी कोटियों के लिए मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से पदोन्नति की सरणि निर्धारित करता है। अधिकांश रेलों पर कोई विकल्प नहीं है। सम्भवतः प्रश्न उत्तर रेलवे से सम्बन्धित है जहां पदोन्नति सरणि के लिए विकल्प की व्यवस्था है और जहां 1972 में परिवर्तन पर सहमति हो गयी थी। इस रेलवे पर 1962 में पदोन्नति सरणि के लिए निर्धारित नियमों में टिकट कलक्टरों को यह विकल्प दिया गया था कि या तो वे चल टिकट परीक्षक बन जायें या ऊंचे ग्रेड के टिकट कलेक्टर बन जायें। 1971 में यूनियनों द्वारा, उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक के पास और नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के पास अभ्यावेदन भेजा गया था कि उच्चतर ग्रेड के पद, जो प्रतिशत के आधार पर मंजूर किये गये थे, टिकट कलक्टरों और चल टिकट परीक्षकों के बीच संवर्ग संख्या के अनुसार आवंटन नहीं किये गये

और यह कि टिकट कलक्टरों से पहले लिये गये विकल्प इस तथ्य से प्रभावशून्य हो गये कि उच्चतर ग्रेड के अधिक पद चल-टिकट परीक्षकों को दे दिये गये । इस सम्बन्ध में स्थायी वार्ता-तन्त्र में विचार-विमर्श किया गया और अन्तिम विनिश्चय यह किया गया कि चूंकि उच्चतर ग्रेड के पदों को सन्तुलित करना प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है इसलिए, टिकट कलक्टरों को नया विकल्प दिया जाना चाहिए कि यदि वे समझते हों कि उनकी पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो वे चल-टिकट परीक्षक बन जायें ।

(ख) जी हां । ऊपर बताये गये कारणों से उन्हें दूसरा विकल्प दिया गया ।

(ग) इस विकल्प से वरिष्ठ कर्मचारियों को एक अवसर मिला जिससे वे भविष्य में होने वाली रिक्तियों में चल-टिकट परीक्षक के रूप में अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों से आगे चले जायें । विनिश्चय की तारीख अर्थात् 28-5-1972 से पहले की रिक्तियों में जिन कनिठ कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था उनके हितों की रक्षा की गयी क्योंकि उन्हें अपने से वरिष्ठ उन कर्मचारियों के लिए स्थान नहीं खाली करना था जिन्होंने इस व्यवस्था के अन्तर्गत विकल्प दिया था ।

यह विनिश्चय केवल सामान्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में लिया गया था । इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(घ) यदि ऐसा पाया गया कि आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

## दिल्ली में पेट्रोल पम्पों पर डकैतियां

**7112. श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1975 तक, वर्षवार, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पेट्रोल पम्पों पर पड़ी कुल कितनी डकैतियों की सूचना सरकार को दी गई है;

(ख) इसमें कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त हुई तथा कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) क्या रात को एक विशेष समय पर पेट्रोल पम्पों को बन्द करने का आदेश जारी करने तथा इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पम्प वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :** (क) दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 1972 में 5, 1973 में 6, 1974 में 13 और 1975 (31 मार्च, 1975 तक) में 1 है ।

| (ख) | अन्तर्गस्त राशि | जख्मी व्यक्ति |
|---|---|---|
| 1972 . . . . . . . | रु० 1016.15 | — |
| 1973 . . . . . . . | रु० 1850 | 1 |
| 1974 . . . . . . . | रु० 7011 | 5 |
| 1975 (31-3-75 तक) . . . . . | रु० 7750 | — |

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**हुबली-कारवार रेल मार्ग के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण में हुआ व्यय**

7113. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुबली-कारवार रेल मार्ग का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) इसके परिणामों का सारांश क्या है; और

(ग) इस बारे में रेलवे विभाग का आगे क्या कार्यवाही करने का कार्यक्रम है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) 9.8 लाख रुपये ।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच से पता चला है कि इस लाइन पर पर्याप्त यातायात होने की सम्भावना नहीं है और यह अलाभप्रद होगी । इसलिए इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है ।

**पिंपरी औषध एकक के प्रबन्धकीय स्तर पर परिवर्तन**

7114. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी औषध एकक के उच्च प्रबन्धकीय स्तर पर बड़े परिवर्तन करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे परिवर्तन कब तक किए जाएंगे ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) उत्पादन और लाभ के रुख में कमी को देखते हुए कम्पनी के निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित विषयों की चर्चा करने के लिए एक समिति की नियुक्त की ।

विशेषकर कर्मचारियों के कार्य के सन्दर्भ में उत्पादन, इंजीनियरी और माल प्रबन्धक विभागों की कार्य प्रणाली की जांच करना और गिरावटों के लिए जिम्मेदारी निश्चित करना । यथा सम्भव शीघ्र समिति की बैठक होगी और लगभग 30 दिन के अन्दर-अन्दर वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और नई दिल्ली में आपात बैठक बुलाना आवश्यक समझा गया तो प्रबन्ध निदेशक इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

अन्य वार्ता के अलावा समिति के निष्कर्षों पर निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं:—

(1) जब उत्पादन और इंजीनियरी सेवाओं के प्रमुखों में अपनी जिम्मेदारियों के निभाने और जिम्मेदारी लेने का अभाव पाया जाता है जो समिति को भी इसका पता है कि कम्पनी के तकनीकी परिचालनों के अपर्याप्त कार्यों के लिए केवल अधिकारियों की असफलता ही कारण नहीं होती ।

(2) सभी स्तर पर अनुशासन को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है और अपराधों और जिम्मेदारी से भागने वाले अधिकारियों और आपरेटरों तथा अन्य कामगरों को शीघ्र दण्डित किया जाना चाहिए ।

(3) निम्नलिखित की स्थापना करने के लिए तत्काल प्रौद्योगिकी सैल स्थापना किए जाने की आवश्यकता है:— (क) अनुकूलतम क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रोटोकल

(ख) कार्य की निगरानी, (ग) निष्पाक्ष्य और लक्ष्य कार्य-कुशलता का उद्देश्य, (घ) सामग्री शेषों और बेच आपरेशनों के लिए शीट प्रवाह, सामग्री पत्नों उपकरण विशिष्टयों तथा अपने कर्त्तव्यों, (ङ) उपचार कार्यों के लिए सिफारिश करना।

(4) जिस कार्यकारी दल ने पेंसिलीन का उत्पादन किया था उसने प्रदर्शन करके बतलाया है कि कार्य-कुशलता का अनुकूलतम लक्ष्य के प्रोटोकल में यथानिर्धारित उत्पादन प्रक्रिया पैरामीटरों का यथावत् रूप में पालन कर विद्यमान स्थिति के अधीन संयंत्र में निष्पाद किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि उत्पादन विभाग कार्य कुशलताओं के इन अनुकूल लक्ष्यों को बनाये रखने के लिये योग्य नहीं रहा है, समिति के इस असफलता के लिए उत्पादन कर्मचारियों को जिम्मेदार मानती है और विशेष रूप से उत्पादन अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराती है जिस पर इस विभाग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है।

अतः निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त समिति उत्पादन और लाभ में कमी होने के लिए अनेक कारणों को मानती है। जिसमें बुरा प्रबन्ध, अनुशासन की कमी और संयंत्रों के कुशल परिचालन से सम्बन्धित समस्यायें हैं।

निदेशक मण्डल द्वारा जिस समिति का अनुसमर्थन किया गया था उसकी सिफारिशों के आधार पर दो पदाधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। समिति की अन्य सिफारिशें कार्यान्वियनाधीन हैं। एक नए प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करने का भी प्रस्ताव है और सरकारी उद्योगों के प्रवरण मण्डल को इस सम्बन्ध में लिखा गया है।

### आसाम आयल कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ

7115. **श्री नूरुल हुडा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान आसाम आयल कम्पनी डिगबोई ने कितना लाभ अर्जित किया है?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :** असम आयल कम्पनी लि० द्वारा तीन वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | रुपये/लाख |
|---|---|
| 1971 . | 17.69 |
| 1972 . | 27.57 |
| 1973 . | 48.17 |

ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

### हाल्दिया उर्वरक परियोजना को पूरा करने में विलम्ब

7116. **श्री हरी सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल्दिया उर्वरक परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) व (ख) वर्ष 1972 के अन्तर्गत हाल्दिया में 152,000 मी० टन नाइट्रोजन और 75,000 मी० टन पी$_2$ओ$_5$

की निर्माण क्षमता के एक उर्वरक संयंत्र के निष्पादन हेतु हाथ में लिया गया। यह प्रायोजना, जो ईंधन तेल को सम्भरण सामग्री के रूप में उपयोग करने पर आधारित है कि लागत का वर्तमान में 187 करोड़ रुपये का है जिसमें 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा घटक सम्मिलित है। मुख्य रूप से श्रमिक समस्याओं तथा उपकरणों के पहुंचने में विलम्ब होने के कारण खैरगाडिन के कार्य में धीमी प्रगति होने से इस प्रायोजना के निर्माण में कुछ विलम्ब हो गया है। हाल्दिया में मिट्टी की हालत ऐसी थी जिसने इस प्रायोजना की नींव सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 6800 खूटों का गाड़ना आवश्यक हो गया था। इन खूटों के गाड़ने में प्रगति पहले मुख्य रूप से आवश्यकता पूरी करने के लिए साधनों को काम में लाने के वास्ते ठेकेदारों की असफलता, संरचना सामग्री का परिवहन करने के लिए वैगनों की कमी के कारण और उसके बाद ठेके पर लिए श्रमिकों में मुख्य श्रमिक असन्तोष के कारण धीमी थी। फरवरी, 1975 के अन्त तक केवल 2700 खूंटे गाड़े जा चुके हैं। अतिरिक्त ठेकेदारों और रिगों के प्रवेश द्वारा खूंटे गाड़ने के कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक सौहार्द्रयता बनाए रखने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग और सहायता भी ली गई है। इन प्रयासों के फलस्वरूप खूंटे गाड़ने के कार्य में प्रगति हुई है।

इस प्रायोजना के लिए उपकरण के आदेश देने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और आयातित उपकरण निर्माण कार्य स्थल पर आने पर आरम्भ हो गए हैं। तथापि देशीय सप्लायरों में से कुछ को दिए गए आदेश के उपकरणों की सप्लाई और निर्माण चिन्ताकारण हैं। भारतीय उर्वरक निगम अब यह सुनिश्चित करने के लिए सप्लायरों की शाप में उपकरण के निर्माण पर निकट से नजर रखे हुए है कि इन उपकरणों की सुपुर्दगी में और आगे विलम्ब न हो। अब इस प्रायोजना का अक्टूबर, 1977 तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

## पूर्व पैक किये गए कुछ सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों का कम भार

7117. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साबुन, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, सिर पर लगाने का तेल जैसे पूर्व पैक किए गए कुछ सामग्रियों, जिन पर शुद्ध भार तथा माप चिन्हित किया गया है, के कम भार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) प्रश्न के उल्लिखित मदों में से पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का सम्बन्ध साबुन तथा संश्लिष्ट प्रक्षालकों के उत्पादन से है। पहले से पैकेट में बन्द साबुन और प्रक्षालकों के कम भार के बारे में इस मंत्रालय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सामान्य रूप में पैकेट में बन्द वस्तुओं के सम्बन्ध में भार, मूल्य तथा उत्पादन तिथि आदि के बारे में आदेशात्मक सूचनायुक्त पैकिंग की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक कानून बनाने के बारे में विचार कर रही है।

**नाइट्रिक एसिड के उत्पादन में एमोनिया गैस की आवश्यकता**

7118. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैटेलिस्ट की विद्यमानता में आक्सीकरण तरीके का उपयोग करने से 1 टन नाइट्रिक एसिड (50–53%) का उत्पादन करने में कितनी मात्रा में एमोनिया गैस की आवश्यकता है ;

(ख) क्या एमोनिया गैस का मूल्य बहुत बढ़ गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या परिवहन के लिए अमोनिया गैस सिलेंडर इस देश में निर्मित होते हैं और यदि हां, तो ऐसे एककों के क्या नाम हैं, यदि इनका निर्माण देश में नहीं होता है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से अमोनिया गैस सिलेंडरों का आयात किया गया है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) 50–53 प्रतिशत नाइट्रिक एसिड का एक टन उत्पादन करने के लिए लगभग 0.145 से 0.154 मी० टन की आवश्यकता होगी।

(ख) सम्बन्धित यूनिटों द्वारा विभिन्न उत्पादों, उन पर शुल्क/उगाही की लागत में हुई वृद्धि का हिसाब लगाते हुए अमोनिया के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**कुछ व्यक्तियों द्वारा गिद्दड़बाहा रेलवे स्टेशन के आस-पास रेलवे की जमीन को कब्जे में करना**

7119. **श्री भान सिंह भौरा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों ने भटिंडा-अबोहर रेलवे लाइन पर गिद्दड़बाहा रेलवे स्टेशन के आस-पास रेलवे की भूमि पर कब्जा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस पर कब्जा किया है ; और

(ग) क्या जमीन खाली कराने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) जिन व्यक्तियों के नाम मालूम हुए हैं वे हैं सर्वश्री (1) हंसराज, (2) राम चन्द, (3) चांद सिंह, (4) राम नाथ (5) अर्मी लाल, (6) रामानंद, (7) गुलशन राम, (8) बूटा राम, (9) मंगत राम, (10) मिट्टू राम, (11) कुन्दन लाल, (12) चंदगी राम, (13) बनारसी दास, (14) प्रभु दयाल, (15) शिव लाल, (16) गुरदित्ता राम, (17) मंघू राम, (18) नानक चन्द, (19) परस राम, (20) कुन्दन लाल, (21) नंद लाल, (22) मातुर राम।

(ग) अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को बेदखल करने और उनसे हरजाना वसूल करने के लिए उनके विरुद्ध सार्वजनिक परिसर अधिनियम (अनधिकृत कब्जा बेदखली अधिनियम) के अधीन अदालती कार्यवाही की गई थी। इन मामलों का फैसला रेल प्रशासन के हक में हुआ था। लेकिन रेलवे की भूमि खाली नहीं हुई क्योंकि अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों ने फिरोजपुर के जिला जज की अदालत में अपील दायर कर दी थी, जो अन्ततः जून 1971 में खारीज हो गयी। बाद में उन पार्टियों ने जुलाई 1972 में गिद्दड़बाहा के प्रथम श्रेणी के सब जज की अदालत से निषेधाज्ञा ले ली थी।

इसी बीच गिद्दड़बाहा की नगरपालिका ने रेल प्रशासन से अनुरोध किया था कि यह भूमि अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों से खाली कराये बिना ही नगरपालिका को दे दी जाये।

अब यह फैसला किया गया है कि रेलवे की यह भूमि अनधिकृत कब्जों सहित गिद्दड़बाहा की नगरपालिका को दे दी जाये।

## पी० वी० सी० कम्पाउंड्स की कमी

7120. **श्री जी०वाई० कृष्णनन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पी० वी० सी० कम्पाउंड्स की बहुत अधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यकताओं की तुलना में कमी का क्या अनुमान है; और

(ग) कमी की पूर्ति के लिये स्वदेशी उत्पादन की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने किन उपायों का सुझाव दिया है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे और नई ब्राड गेज लाइन के अन्तर्गत आने वाले नगरों के नाम

7121. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाईट रेलवे के अन्तर्गत कौन-कौन से नगर आते थे ; और

(ख) नई ब्राड गेज लाईन के निर्माण से, जिसकी मंजूरी सरकार ने पहले ही दे दी है, कौन कौन से नगर इसके अन्तर्गत आएंगे ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित कस्बे दिल्ली शाहदरा, बागपत रोड, बड़ौत, कांडला, शामली, थाना भवन, रामपुर, मणिहास, सहारनपुर थे।

(ख) ऊपर बताये गये कस्बे ही नई बड़ी लाइन द्वारा सेवित होंगें।

## भुवनेश्वर में रेल ट्रांस्पोर्टेशन कोओरडिनेटर का पद बनाना

7122. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य विधान सभा ने 6 अप्रैल, 1972 को एक मत से संकल्प पारित किया था और बाद में एक मत से पारित संकल्प सहित एक ज्ञापन भूतपूर्व मुख्य मंत्री और उड़ीसा के भूतपूर्व राज्यपाल ने दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को क्रमावस्था में स्थानान्तरित करने और भुवनेश्वर में राज्य सरकार के निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिये डिप्टी जनरल मैनेजर की श्रेणी का रेल ट्रांसपोर्टेशन कोओरडिनेटर का एक पद बनाने के बारे में भूतपूर्व रेलवे मंत्री को दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रधान कार्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव प्रशासनिक, परिचालानिक और वित्तीय कारणों से स्वीकार्य नही किया जा सका। जहां तक रेल परिवहन समन्वयकार के पद के सृजन का सम्बन्ध है, उड़ीसा राज्य सरकार को यह सलाह दी गयी थी कि भुवनेश्वर में रेलों से सम्पर्क रखने के लिये राज्य सरकार के संवर्ग में उप महाप्रबन्धक के ओहदे का एक पद बना लिया जाये जिसका पदनाम निदेशक, रेल परिवहन रखा जा सकता है। यदि राज्य सरकार चाहेगी तो इस पद के लिये रेल प्रशासन प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक अनुभवी रेल अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध करा देगा। लेकिन प्रस्तावित रेल समन्वय निदेशालय की सम्पूर्ण लागत उड़ीसा सरकार को वहन करनी होगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई और उत्तर नहीं मिला है।

## पानीपत उर्वरक परियोजना के लिये जापानी सहायता

7123. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान ने पानीपत उर्वरक परियोजना के लिये भारत को सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) जी हां।

(ख) जापान से माल और सेवाओं के आयात के लिये इस प्रायोजना की विदेशी मुद्रा लागत का वित्त पोषण करने के लिये जापान के निर्यात-आयात बैंक के साथ 11 बिलियन येन (विनिमय दर 3960 येन-100 रुपये के आधार पर 29.8 करोड़ रुपये के बराबर) के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस ऋण पर 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा (7 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) और इसे 25 वर्षों में चुकाया जायेगा।

## औषधियों के उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी की खरीद का प्रस्ताव

7124. **श्री डी०डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औषधियों के उत्पादन के लिये विदेशों से प्रौद्योगिकी की सीधी खरीद करने के मामले पर विचार कर रही है;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी के विकास के लिये एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) :** (क) से (ग) सरकार द्वारा औषध निर्माता एककों को प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर नई औषधों के लिये जानकारी खरीदने और उसका प्रयोग करने के बारे में अनुमति दी जाती है। सरकार द्वारा किसी प्रायोजना के लिये प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने हेतु विदेशी सहयोग की अनुमति देने से पूर्व प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकता की जांच पड़ताल, जिससे तकनीकी विकास के महानिदेशक, विज्ञान और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, विकास आयल लघु क्षेत्र उद्योग, वित्त मंत्रालय, आदि के विभिन्न तकनीकी द्वारा

की जाती है । अपेक्षित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता तथा उसे प्रदान की जाने वाली अग्रिमता के आधार पर जानकारी की खरीद के बारे में एकमुश्त भुगतान, न्यून साम्यपूंजी भागीदारीयां और रायल्टी का भुगतान का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। औषध और भेषज उद्योग समिति, जिसने 6 अप्रैल 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, द्वारा नई प्रौद्योगिकी के उद्योग में अंर्तवाह संबंधी वर्तमान व्यवस्था की जांच सहित, उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है । इस समिति की सिफारिशों की समग्रता के आधार पर, सरकार एक केन्द्रीय ऐजेन्सी की स्थापना के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाएगी ।

**पूर्व रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर आई० ओ० डब्ल्यू०**

7125. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे में उत्तर रेलवे के कुल कितने इंस्पैक्टर आॅफ वर्क्स प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा वे कितने वर्षों से पूर्व रेलवे में कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे इंस्पैक्टर आॅफ वर्क्स की संख्या कितनी है जो उत्तर रेलवे के हैं किन्तु अभी तक पूर्व रेलवे के निर्माण डिवीजन में नियुक्त हैं; और

(ग) उन्हें उत्तर रेलवे से वापस स्थानान्तरित न किये जाने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) केवल एक, अक्टूबर, 1967 से ।

(ख) एक ।

(ग) पूर्व रेलवे ने अभी तक निर्माण कार्य निरीक्षक को फालतू घोषित नहीं किया है।

**मुजफ्फरपुर-सोनपुर रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) के लिये मिट्टी सम्बन्धी कार्य के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच**

7126. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर मुजफ्फरपुर से सोनपुर तक बड़ी लाइन के निर्माण के लिये मिट्टी सम्बन्धी कार्य में भ्रष्टाचार के मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी धनराशि का मामला है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) और (ख) मुजफ्फरपुर और सोनपुर के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सिलसिले में किये गये मिट्टी सम्बन्धी काम के लिये ठेकेदार को अधिक भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (विशेष पुलिस स्थापना, पटना शाखा) ने प्रारम्भिक जांच पड़ताल शुरू कर दी है । अभी इस मामले की छान-बीन हो रही है ।

**Damage caused by Anti-social elements to Passenger and Local Shuttle Trains in Rural Areas during the Last Year**

7127. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government have made any assessment in regard to the damage caused by anti-social elements to passenger trains and local shuttle trains in rural areas during the last year ; and

(b) if so, extent of the damage caused ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :** (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

**मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के लिये परेशान किये गये रेल कर्मचारियों के मजदूर संघ पदाधिकारी**

7128. **श्री शरद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की सभी ज़ोनों में रेलवे कर्मचारियों की यूनियनों के बहुत से मजदूर संघ पदाधिकारियों को मई, 1974 की रेल कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने के लिये परेशान किया गया है;

(ख) क्या मजदूर संघ पदाधिकारियों को संरक्षण देने वाले औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के उपबन्धों की उपेक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो मई, 1974 की रेल कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने के कारण प्रत्येक रेलवे जोन में मजदूर संघों के कितने पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) से (ग) सरकार की कभी यह नीति नहीं रही है कि अपने कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन के वैध कार्यकलाप में भाग लेने पर परेशान करे। लेकिन मई, 1974 की गैर-कानूनी हड़ताल के दौरान हिंसा, तोड़-फोड़ और डराने-धमकाने के कार्यों में भाग लेने पर उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी, जिसके फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों को, चाहे वे किसी ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी रहे हों या न रहे हों, सेवा से बर्खास्त किया गया/निकाल दिया गया। मान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों के जो पदाधिकारी नौकरी से बाहर हैं उनकी संख्या इस समय लगभग 150 है।

**जनवरी और फरवरी, 1975 के दौरान दिल्ली मेन स्टेशन पर आई और वहां से गई रेलगाड़ियां**

7129. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1975 के दौरान दिल्ली मेन जंक्शन स्टेशन पर कुल कितनी रेल-गाड़ियां आईं; और

(ख) कितनी रेलगाड़ियां वहां देर से आयीं या वहां से देर से चलीं और इसके क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) और (ख) जनवरी और फरवरी, 1975 तक की अवधि में दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर कुल 4515 गाड़ियां आयीं जिनमें से 2203 गाड़ियां देर से आयीं तथा 450 गाड़ियां इस स्टेशन से देर से चलीं। गाड़ियों के देर से आने और जाने के विभिन्न

कारण थे जैसे खतरे की जंजीर का खींचा जाना, बदमाशों की गतिविधियां, यांत्रिक/सिगनल की खराबी, गाड़ियों की क्रासिंग और गाड़ियों को अग्रता देना आदि, आदि।

**वर्ष 1974-75 के लिये नये रेल वैगनों की अनुमानित आवश्यकता में कमी**

7130. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के लिये नये रेल वैगनों की अनुमानित आवश्यकता में कमी होगी; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल की फर्मों को रेल वैगनों के लिये दिये गये क्रयादेशों में कमी कर दी गई है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) कोई कमी नहीं आई है।

(ख) पहले दिये गये क्रयादेशों को न तो रद्द किया गया है और न ही उनमें कमी की गयी है।

**Purchase of Inferior Quality Bearing by Railways from a Jaipur Firm.**

7131. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of bearings (in lakhs of rupees) purchased for Railways by Government from the National Engineering Company, Jaipur during 1974 for the Railways ;

(b) whether these bearings were of inferior quality; and

(c) if so, the action taken by Government against this Company?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh)** : (a) No purchases of bearings have been made from any firm named National Engineering Company, Jaipur. However, purchases of bearings made for the railways from M/s. National Engineering Industries, Jaipur during 1974 valued at Rs. 132 lakhs.

(b) No complaints have been received regarding adverse performance.

(c) Does not arise in view of reply against (b) above.

**भूतपूर्व राजा महाराजाओं के महलों की रेलवे लाइनों का निपटान**

7132. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर पैलेस से काफी मात्रा में मीटर गेज, ब्राड गेज और नैरो गेज लाइनें उखाड़ दी गईं और बेच दी गईं;

(ख) ग्वालियर पैलेस में कुल कितनी रेलवे लाइन थी और इसमें से कुल कितनी उखाड़ दी गईं और बेच दी गयीं;

(ग) यह सूचना प्राप्त होने के बाद सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) रेलवे लाइनों के इस प्रकार उखाड़े जाने तथा बेचे जाने को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और देश के भूतपूर्व राजा-महाराजाओं के महलों में रेलवे लाइनों के निपटान के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) फरवरी, 1973 में मध्य प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त हुई कि ग्वालियर राज महल के अहाते से ग्वालियर स्टेशन तक की रेलवे लाइन भूतपूर्व शासक द्वारा बेच दी गई है और उसे ठेकेदार द्वारा हटाया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश के पास मौजूदा नक्शों के अनुसार, साइडिंग की कुल लम्बाई लगभग 1890 मीटर थी। यह साइडिंग अंशतः राज महल परिसर में और अंशतः राज महल परिसर के बाहर स्थित थी। राज महल के अहाते के अंदर बड़ी लाइन और छोटी लाइन की लम्बाई, नक्शे के अनुसार, लगभग 566 मीटर थी। राजमहल के अहाते के भीतर मीटर लाइन नहीं थी। राज महल परिसर के अंदर और बाहर, दोनों तरफ उखाड़े गये सामान की वास्तविक मात्रा का सत्यापन, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से, मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है।

(ग) यह सूचना की प्राप्ति के बाद, इस साइडिंग के स्वामित्व के प्रश्न पर छानबीन की गयी और यह विनिश्चय किया गया कि साइडिंग का जो भाग राज महल के अहाते के अन्दर है उसे भूतपूर्व शासक की निजी संपत्ति समझा जाये तथा जो भाग राज महल के अहाते के बाहर है उसे सरकार की संपत्ति समझा जाय। इसी बीच, मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना भेजी थी कि जिस अहाते में उखाड़ा गया सामान रखा गया था उसके चारों तरफ पुलिस रक्षक तैनात कर दिये गये हैं ताकि उन सामानों का आगे निपटारा न होने पावे।

(घ) राज महल परिसर के बाहर स्थित रेलवे साइडिंग के उखाड़े गये सामान, जो सरकार की सम्पत्ति समझी जाती है, का दावा करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से कदम उठाये गये हैं। ऐसे मामलों में सरकार की नीति सामान्यतः यह है कि राज महल के अहाते में पड़ने वाली रेल साइडिंग का भाग भूतपूर्व शासक की निजी संपत्ति समझी जाय और राज महल के बाहर की रेलवे साइडिंग को सरकारी सम्पत्ति समझा जाय जब तक कि राज्यों के विलय के समय निजी संपत्ति की जो सूची बनायी गयी थी उसमें उसे भी निजी सम्पत्ति न माना गया हो।

**पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर अनिर्णीत दावे**

7133. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में टूटफूट, उठाइगिरी तथा परिवहन के दौरान वस्तुओं की हानि के कितने तथा कितनी धनराशि के मामले अभी भी अनिर्णित पड़े हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों से, दो वर्षों से, तथा एक वर्ष से पृथक-पृथक कितने कितने दावे अनिर्णित पड़े हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 31-3-1975 को टूट-फूट, उठाइगिरी और परिवहन के दौरान माल की हानि के कारण क्षतिपूर्ति के अनिर्णित दावों की कुल संख्या 7089 है। इन दावों की रकम 485.94 लाख रुपये है।

(ख) कोई नहीं।

**वर्ष 1972, 1973 और 1974 में कम्पनियों को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति देना**

7134. **श्री मधु लिमये** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवेदन में उल्लिखित एकाधिकार उद्योग समूहों से संबंधित कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1972, 1973 और 1974 में बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दी गई;

(ख) इस की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप धन और आस्तियों की जमा होने की दर नहीं बढ़ी है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) :** (क) से (ग) 25 मार्च, 1975 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 4758 के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट की परिभाषा के आधार पर कम्पनी कार्य विभाग में कोई सूची रखना न आवश्यक है अथवा ना ही रखी जा रही है। एकाधिकार एवं निर्बंधन कारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अन्तः संबंधित उपक्रम और प्रमुख उपत्रम जिनकी कथित अधिनियम की धारा 20 में जो परिकल्पना की है, की सूची रखी जा रही है।

पूंजी प्रेषण (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के लागू करण के लिए वित्त मंत्रालय ही प्रभारी है अतः बोनस शेयरों के प्रेषण हेतु अनुमति की संस्वीकृति के लिये वही उत्तरदायी है। उस मंत्रालय से सदन को आवश्यक सूचना देने, उन कम्पनियों की सूची बनाने जिनकी बोनस शेयरों के प्रेषण हेतु अनुमोदन दिया जा चुका है, एकाधिकार जांच आयोग (1965) द्वारा तैयार कंपनियों की सूची के अनुरूप समूहबद्ध करने की प्रार्थना की जा रही है।

### Implementation of demands of Guards

*7135. **Shri Nageshwar Dwivedi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the all India strike by Railway Guards last year was called off on an assurance given by Government;

(b) the main demands by guards ;

(c) the assurance given for calling off the strike; and

(d) the hurdles coming in the way of fulfilling the assurances till now and the time by which they will be fulfilled ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :** (a) to (c) The work-to-rule agitation started by Guards with effect from 15th March, 1974 in support of their demands, mainly those for better pay scales, and absorption of medically decategorised Guards was called off as a result of a decision taken by Shri R.P. Yadav and certain other leaders of the Guards Council after discussion with the then Deputy Minister of Railways. At these discussions it was agreed that the anomalies in pay scales of Guards would be looked into and removed in the appropriate forum, that there would be no victimisation and that the Guards Council did not seek recognition but only redressal of their legitimate grievances.

(d) The Anomalies Committee set up under the Scheme of J.C.M. is now looking into the anomalies arising out of the recommendations of the Third Pay Commission; the two recognised Federations of Indian Railwaymen are represented on this committee. The subject of absorption of medically decategorised staff is already before the Railway Labour Tribunal, 1971, and the Tribunal's report is awaited.

### कोंकण रेलवे तथा बम्बई में भूमिगत रेलवे को प्रायमिकता के बारे में महाराष्ट्र सरकार के विचार

7136. **श्री मधु दण्डवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे परियोजना और बम्बई में भूमिगत रेलवे परियोजना को प्राथमिकता दिये जाने के मामले में अपने विचार भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार किस परियोजना को प्राथमिकता देना चाहती है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

### उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा रेलवे को भुगतान किया गया विलम्ब शुल्क

7137. **श्री राजदेव सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पड़े हुए विद्युत उपकरणों को न उठाने के कारण रेलवे को विलम्ब शुल्क के रूप में भारी राशि दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने रेलवे को विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया है तथा इस समय रेलवे के पास पड़े हुए बिजली के उपकरणों की डिलीवरी लेने से पूर्व रेलवे को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन तथा पहिले ही विलम्ब शुल्क के रूप में बड़ी मात्रा में वसूली की राशि को देखते हुए रेलवे प्रशासन का विचार विलम्ब शुल्क की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने का है ?.

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### मैसर्स एब्बट लैबोरेटरी का उत्पादन

7138. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एब्बट लैबोरेटरी' शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी है, यदि हां, तो इसके मुख्य उत्पादन क्या हैं;

(ख) इस कम्पनी ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी धन राशि अपने देश को भजी;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस कम्पनी ने बिना अनुमति के अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से लगभग एक हजार प्रतिशत तक अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) इस कंपनी को हाल ही में जारी किये गए सी०ओ०वी० लाइसेंस का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विदेशी इक्विटी-पूंजी में कमी की कोई अपेक्षा किये बिना सी०ओ०वी० लाइसेंस जारी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) से (घ) मैसर्स एबोट लेबोरेटरीज (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई के समस्त शेयर इस समय मैसर्स एबोट लेबोरेटरीज नार्थ शिकागो यू०एस०ए० के द्वारा रखी गयी है।

लाइसेंस संख्या तथा स्वीकृत क्षमता, वर्ष 1971, 72 एवं 1973 के दौरान उत्पादन तथा गत तीन वर्षों के दौरान बाहर भेजी गई राशि युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-9490/73]** पार्टी के समस्त कार्यकलाप इस समय 1971 में जारी किये गये सी०ओ०वी० लाइसेंस के अन्तर्गत दिये गये हैं। पार्टी को 12-3-70 को एक आशय पत्र भी जारी किया गया था जिसके ब्यौरे ऊपर बताये गये विवरण पत्र में दिये गये हैं। कुछ मदों के लिये कंपनी अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है। औषध एवं भेषज उद्योग समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्रस्तुत कर दी है, औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है तथा समिति के कुल सिफारिशों के आधार पर सरकार अधिक उत्पादन के पहलू पर विचार करेगी।

(ङ) पहले से स्थापित कार्यकलापों पर विचार करने के लिये 1971 में इस कंपनी को सी० ओ० वी० लाइसेंस दिया गया था तथा विदेशी पूंजी की कमी करने की कोई शर्त लागू नहीं की गई थी। मार्च, 1970 की पार्टी को दिये गये आशय पत्रों, के शर्तों में से एक शर्त है—प्रस्तावित नये उपक्रम में विदेशी निवेश की सीमा सरकार की संतुष्टि के अनुसार नियत की जायेगी। 7 मार्च, 1974 को सहयोग की शर्तों की स्वीकृति करते समय इस आशय की एक शर्त लागू की गई थी कि औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के अंतर्गत कंपनी विदेशी पूंजी को 60 प्रतिशत तक कम करेगी कंपनी ने यह शर्त स्वीकार कर ली है किन्तु लाइसेंस अभी जारी किया जाना है।

### विवाह-व्यय का अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव

7139. **श्री राम हेडाऊ : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में होने वाले विवाह-व्यय से देश की अर्थ व्यवस्था और लोगों के रहन सहन के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार विवाह-कर्मो में सुधार करने तथा विवाह-व्यय में कमी करने के लिये विधान बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :** (क) और (ख) विवाह-व्यय ऐसा विषय है जो सरकार के नियंत्रण और जानकारी से परे है। सरकार के पास इस समय इस विषय पर कानूनी निर्बन्धन अधिरोपित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### दक्षिण पूर्व रेलवे में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

7141. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) और (ख) जी हां। अभ्यावेदन की जांच की गई थी जिससे यह पाया गया कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर संरक्षा नियमों को भंग करने का कोई मामला नहीं था।

### नई दिल्ली स्टेशन के एवजी कुली

7142. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्टेशन पर काम कर रहे कुछ एवजी कुली पिछले एक वर्ष से अनुशासन-हीनता फैला रहे हैं तथा कदाचारों में अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली स्टेशन के पार्सल कार्यालय के पर्यवेक्षी कर्मचारियों ने इन कुलियों के विरुद्ध पिछले एक वर्ष में क्या शिकायतें की हैं; और

(ग) इनके विरुद्ध प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) पिछले एक वर्ष से, एक एवजी पार्सल पोर्टर इस तरह की गतिविधियों में लगा हुआ है।

(ख) पार्सल कार्यालय में पर्यवेक्षण कर्मचारियों ने, पिछले एक वर्ष में इस एवजी पार्सल पोर्टर के विरुद्ध, ग्यारह रिपोर्टें की हैं।

(ग) संबंधित कर्मचारी किसी दूसरे बूथ पर स्थानान्तरित कर दिया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी यथेष्ट भर्त्सना की गई है। उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई के औचित्य पर मण्डल अधीक्षक, दिल्ली द्वारा विचार किया जा रहा है।

### रोहाना कलां स्टेशन (उत्तर रेलवे) के वाटर मैन

7143. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहाना कलां स्टेशन (उत्तर रेलवे) के कुछ वाटरमैनों को, जो इस समय गाजियाबाद स्टेशन पर काम कर रहे हैं, जनवरी, 1973 में ड्यूटी से एक दिन के लिये अनुपस्थित रहने के कारण डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट, उत्तर रेलवे नई दिल्ली ने छह महीने तक काम पर वापिस नहीं लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रशासन का विचार इस अवधि के लिये उनके वेतन का भुगतान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन रोहाना कलां में एक पानी वाले का ऐसा मामला हुआ था जो 17-1-72 को अनधिकृत रूप से लिखित आदेश के खिलाफ ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। जब वह 18-1-72 को ड्यूटी पर लौटा तो उसे मण्डल अधीक्षक, दिल्ली के कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिये कहा गया। लेकिन वह 30-6-72 तक बिना डाक्टरी प्रमाण-पत्र दिये अनुपस्थित रहा। 17-1-72 से 30-6-72 तक की उसकी अनधिकृत अनुपस्थिति को बिना वेतन छुट्टी मान लिया गया। वह अब गाजियाबाद में काम कर रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**एरणाकुलम-एल्लप्पी रेल लाइन पर मार्ग रेखा निर्धारण कार्य**

7144. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरणाकुलम-एल्लेप्पी रेल लाइन पर मार्ग-रेखा निर्धारण कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह):** (क) जी नहीं।

(ख) इंजीनियरी सर्वेक्षण करना और पहले किये गये यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करना भी आवश्यक होगा ताकि इस परियोजना की लागत और इसकी वित्तीय सक्षमता का पता लगाया जा सके। केरल राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि यदि राज्य सरकार लागत वहन करने को सहमत हो तो रेलवे द्वारा सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जा सकता है। राज्य सरकार के विचार ज्ञात होते ही आगे की कार्रवाई की जायेगी।

**उत्तर रेलवे में रेलगाड़ियों में हत्याओं और डकैतियों की घटनाएं**

7145. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में, वर्षवार उत्तर रेलवे में रेलगाड़ियों में हत्याओं और डकैतियों की कितनी घटनायें हुई; और

(ख) ऐसे अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) 1973 में उत्तर रेलवे में हत्या की 8 घटनायें और गाड़ियों में डकैती की 9 घटनायें हुईं। 1974 में हत्या की 6 घटनायें और डकैती की 12 घटनायें हुईं।

(ख) संविधान के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है इसलिये यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उनका है जिसे वे राज्य रेलवे पुलिस के माध्यम से पूरा करती हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिये रेल प्रशासन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जाता है। पुलिस अपने क्षेत्रों में ऐसे अपराधों का नियंत्रण करने के लिये पहले से ही उपाय कर रही है जैसे ऐसे मामलों में जोरदार जांच पड़ताल करना, भेद्य क्षेत्रों में सवारी गाड़ियों में आरक्षियों की व्यवस्था करना और ऐसी घटनाओं का पता लगाने/घटनास्थल पर अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से सवारी गाड़ियों में सादे लिबास में कर्मचारियों को तैनात करना आदि। यात्रियों की सुरक्षा के उपायों को और भी सुदृढ़ करने के लिये रेल मंत्रालय द्वारा इस बारे में आयोजित किये जाने वाले एक सेमिनार में विचार किया जायेगा।

**गुजरात में अहमदाबाद प्रान्तिज रेलवे के नाम से जानी जाने वाली मीटर गेज लाइन के विस्तार की मांग**

7146. **श्री पी०जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री, रेल बोर्ड तथा अन्य उच्च प्राधिकारियों को गुजरात में सार्वजनिक निकायों तथा/अथवा व्यक्तियों से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें ए० पी० रेलवे (अहमदाबाद प्रान्तिज रेलवे) के नाम

से जानी जाने वाली वर्तमान 150 किलोमीटर की मीटर गेज लाइन को अहमदाबाद से खेदब्राह्म्ण, आबू रोड स्टेशन तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है; जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त 50 किलोमीटर और क्षेत्र आ जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) धन की विकट स्थिति और यातायात के पर्याप्त औचित्य के अभाव में वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तावित लाइन का बढ़ाया जाना कठिन होगा।

**पेट्रोलियम उत्पादों की खपत**

7147 **श्री एस०एन० मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 के दौरान देश में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) :** सरकार देश में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत पर नियंत्रण रखने के लिये विभिन्न उपायों को कर चुकी है या कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें (1) वित्तीय और विनियन्त्रक सम्बन्धी उपायों की मार्फत अनावश्यक उद्देश्यों के लिये खपत पर नियंत्रण

(2) ईंधन के इस्तेमाल में उच्च कुशलता और (3) ऊर्जा और फीडस्टाक के वैकल्पिक साधनों पर विश्वास में वृद्धि करना शामिल है।

**चल टिकट परीक्षकों के लिये इलाहाबाद (मध्य रेलवे) में अलग "रनिंग रूम"**

7148. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के चल टिकट परीक्षकों को इलाहाबाद में अलग से रनिंग रूम नहीं दिया जाता;

(ख) मध्य रेलवे के कितने चल टिकट परीक्षक प्रति दिन इलाहाबाद पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर आवास की आवश्यकता रहती हैं; और

(ग) उनके लिये अलग से 'रनिंग रूम' का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) 'रनिंग रूम' की सुविधा मुख्यतः नियमित रनिंग कर्मचारियों के लिये दी जाती है। कुछ गैर-रनिंग कर्मचारी, जैसे चल टिकट परीक्षक भी विश्राम की सुविधा के हकदार हैं। मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिये इलाहाबाद स्थित संयुक्त 'रनिंग रूम' में सात पलंग सर्वथा मध्य रेलवे के चल टिकट परीक्षकों के उपयोग के लिये नियत हैं।

(ख) प्रतिदिन 18

(ग) इलाहाबाद में मध्य रेलवे के चल टिकट परीक्षकों के लिये अलग से एक 'रनिंग रूम' की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, उनके लिये अतिरिक्त पलंग देने की व्यवस्था की जा रही है।

**फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कानूनी सलाहकारों को दी गई धनराशि**

7149. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कानूनी सलाहकारों को गत तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) यह राशि कितने मामलों के लिये दी गई तथा उन मामलों का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) :** (क) सूचना नीचे दी गई है :—

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1972-73 | रु० 63,370.40 |
| 1973-74 | रु० 81,469.83 |
| 1974-75 | रु० 1,39,574.35 (अस्थाई क्योंकि लेखे अब बन्द किये जाने हैं)। |

इसमें कानूनी फीस और कम्पनी से संबंधित मामलों में लगे हुये एडवोकेटों के जेब खर्च आदि शामिल हैं। इसमें कम्पनी के विधि सलाहकारों को प्रतिवर्ष दिये गये रु० 9000/– का प्रतिकारण शुल्क भी शामिल है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलना**

7150. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री ब्राड गेज लाइन के समस्तीपुर-दरभंगा से रक्सौल तक बढ़ाने के बारे में 25 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने सम्बन्धी संक्षिप्त प्राक्कलन पर इस बीच विचारविमर्श पूरा कर लिया गया है तथा निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह खंड पिछले मानसून में भारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था इसलिये, पानी की निकासी के लिये अतिरिक्त जलमार्ग की व्यवस्था करना और किनारों को ऊंचा बनाना आवश्यक हो गया।

संशोधित प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने और संशोधित लागत का मूल्यांकन करने के लिये शीघ्र ही ब्यौरेवार सर्वेक्षण किया जायेगा। प्रस्तावित ब्यौरेवार सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही आमान परिवर्तन का काम शुरू किया जा सकेगा।

**कच्चे माल की कमी के कारण रसायन उद्योग में संकट**

7151. **श्री वरके जार्ज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल तथा विद्युत की कमी के कारण रसायन उद्योग में संकट विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार दीर्घकालीन उपाय के रूप में देश में पैट्रो-रसायन के क्षेत्र में संयुक्त उद्योग स्थापित करने के बारे में पैट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

**पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) मुख्य कठिनाईयों में एक कठिनाई जिसने कुछ रसायन संयंत्रों में उत्पादन पर प्रभाव डाला था वह बिजली की कमी थी। इस समस्या के समाधान के लिये राज्य सरकारों से यथा संभव सहायता प्राप्त की गई है। कुछ मामलों में कच्चे माल की कमी की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। ये देशी उत्पादन को बढ़ाने और पर्याप्त आयातों के जरिये भी उठाये जाने वाले कदमों के द्वारा ये कम किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में कुछ मिडिल ईस्ट देशों के साथ सहयोग में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं की छानबीन की जा रही है। इन्हें अभी और ठोस रूप दिया जाना है।

**पूना में इलैक्ट्रो-मेडीकल एकक स्थापित करने के बारे में फिलिप्स लिमिटेड का प्रस्ताव**

7152. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने पूना में एक इलैक्ट्रो-मेडीकल एकक स्थापित करने सम्बन्धी फिलिप्स लिमिटेड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की सिफारिश पर निर्णय कर लिया है;

(ग) इस क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में उपकरणों के आयात पर रोक लगाई है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ)** : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत मै० फिलिप्स इन्डिया लिमिटेड का, इलैक्ट्रो-मैडीकल उपकरणों के निर्माणार्थ प्रस्ताव, पुनः जांच एवं रिपोर्ट के लिये, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित किया गया था। आयोग ने प्रस्ताव को खारिज



24 LSS/75—6

करने की सिफारिश युक्त रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। आयोग द्वारा सिफारिश की गई रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) अभी तक मैडीकल इलैक्ट्रोनिक उपकरणों की अनेक प्रकार की किस्मों, जैसे कार्डीयक केअर सिस्टम, इन्टेंसिव केअर सिस्टम, पेस मेकर्स, आदि के निर्माणार्थ, संगठित क्षेत्र की आठ तथा लघु मापक क्षेत्र की 21 पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं। इनमें से कई पहले से उत्पादन कर रही हैं। भली प्रकार सूचित योजनाओं के लिये अतिरिक्त अभिप्राय पत्र अनुमोदन प्रदान करने के लिये विचार किया जा रहा है। ये योजनायें, सेन्ट्रल साइन्स्ट्रीफिक इन्स्ट्रूमैन्टस अर्गनाइजेशन, चण्डीगढ़ तथा इलैक्ट्रोनिक्स एंड राडार डवलपमेंट एस्टोबिलिशमेंट, बंगलौर आदि के समान संस्थानों द्वारा, संचालित स्वदेशीय जानकारी सहित कार्यान्वित की जा रही है। अत्याधिक चयन की गई मदों, जिनके लिये पर्याप्त स्थानीय जानकारी उपलब्ध नहीं है, के लिये विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है।

(घ) वर्तमान में, "जीवन रक्षा उपकरण" की श्रेणी के अन्तर्गत, मैडीकल इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों के आयात की अनुमति दी जा रही है, इनमें कम्पलीट इन्टेंसिव केअर, कारडीयक केअर सिस्टम्स, इन्टरनल पेस मेकर्स, आदि सम्मिलित हैं।

## Import of Rock Phosphate

7153. **Shri Hemendra Singh Banera :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the dates on which rock phosphate was imported from foreign countries indicating the quantity thereof by M.M.T.C. during 1974-75 and the price at which the same was sold;

(b) the quantity of rock phosphate proposed to be imported during 1975 ;

(c) whether because of import of rock phosphate, about 2.20 lakh tonnes of rock phosphate of Rajasthan Mines and Minerals Limited has accumulated at Fire Roted Rock Phosphate Mines on 6th February, 1975 in the absence of its sale; and

(d) if so, the arrangements made by Government for the disposal of this rock phosphate ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K.R. Ganesh):** **(a)** The following imports of rock phosphate were effected by M.M.T.C. from various source during 1974-75 :

| Month | Quantity (tonnes) |
|---|---|
| April 1974 | 73,323 |
| May | 147,539 |
| June | 43,370 |
| July | 98,154 |
| August | 143,091 |
| September | 64,780 |
| October | 40,050 |
| November | 57,617 |
| December | 102,323 |
| January 1975 | 78,105 |
| February | 58,714 |
| March | 34,267 |
| Total | 941,333 |

The rock phosphate thus imported were sold on the high sea and on the exjetty basis at the rates indicated below:

**PRICE/RUPEES PER TONNE**

I. To producers of Single superphosphate:

| | High Sea Sales | Ex-jetty Sales |
|---|---|---|
| | Rs. | Rs. |
| April-June 1974 . . . . . . . . . | 525 | 669 |
| July-Sept. 1974 . . . . . . . . . | 630 | 800 |
| Oct-Decr. 1974 . . . . . . . . . | 630 | 800 |
| Jan-March, 1975 . . . . . . . . . | 630 | 800 |

**II. To producers of complex fertilizers :**

Actual cost (including overhead charges) *plus* Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) service charges at Rs. 3 per tonne.

(b) The total import requirements of rock phosphates during 1975-76 are presently estimated at 7.5 lakh tonnes, but the position is to be reviewed in September-October, 1975.

(c) and (d) Presently, indigenous production of rock phosphate falls short of the total requirements of the country and imports are arranged, to the extent possible, to bridge the gap between demand and supply. Most of the phosphatic fertilizer producers get both imported and indigenous rockphosphate. Recently, some accumulation of indigenous rock has been reported in Rajasthan and this was mainly due to production being higher than what was anticipated earlier and the technical difficulties now encountered by the fertilizer manufacturers in using the indigenous rock. Every endeavour is being made to ensure maximum utilisation of the indigenously available rock.

**हाथी समिति पर हुआ व्यय**

7154. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी समिति पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या हाथी समिति द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई थी अथवा काफ़ी समय बाद उपलब्ध कराई गई और इससे समिति के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा; और

(ग) क्या इस समिति में वही अधिकारी रखे गये हैं जो सी०ओ०बी० लाइसेंस तथा अनुमति पत्र देने के मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं, यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को समिति से न हटाने के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्तों एवं महंगाई भत्ते तथा औषध एवं भेषज उद्योग समिति के कार्यालय एवं अध्यक्ष के आवास पर 31 मार्च, 1975 तक 89,635.68 रुपया खर्च किया गया। तथापि अभी कुछ और दावे एवं समायोजन को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) और (ग) मांगी गई ऐसी सूचना एवं उपलब्ध सूचना समिति को दी गई थी।

**औषध फर्मों के अधिग्रहण पर हाथी समिति के सदस्यों के विचार**

7155. **श्री नानूभाई एन० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों के अधिग्रहण का हाथी समिति द्वारा बहुमत से दिये गये निर्णय का नौकरशाही ने जोरदार विरोध किया था जैसा कि हाल ही में 'इकनामिक टाइम्स' नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस सदस्यों ने अधिग्रहण के पक्ष में मत दिया तथा किस-किस ने विरोध में ;

(ग) क्या जिन अधिकारियों ने विरोध किया है वे अधिकारी ही अपने अधिकृत कार्यभार के रूप में विदेशी फर्मों के मामले तैयार कर रहे थे, जिसके लिये मुख्य रूप से हाथी समिति बनाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) से (घ) सरकार द्वारा औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई थी तथा सरकार उस पर विचार कर रही है ।

**विदेशी औषध फर्मों तथा उनकी प्रिंसिपल फर्मों के बीच हुए करारों की हाथी समिति द्वारा जांच**

7156. **श्री नानुभाई एन० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने विदेशी औषध फर्मों तथा उनकी प्रिंसिपल फर्मों के बीच हुए करारों, उन में से प्रत्येक के मूल पूंजीनिवेश तथा वर्तमान स्थिति तथा वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के साधनों के बारे में जांच की थी;

(ख) क्या निरन्तर दबाव के कारण, हाथी समिति को इस विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी और समिति इन मामलों पर विस्तार से विचार नहीं कर सकी; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई थी । तथा उस पर विचार कर रही है ।

(ख) जी नहीं, ऐसी सूचना जो मांगी गई थी तथा उपलब्ध थी समिति को दी गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**ग्लोबेनक्लामाइड तथा एल्फा मैथिलडोपा का उत्पादन और इनका आयात**

7157. **श्री नानूभाई एन० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लावेनक्लामाइड तथा एल्फा मैथिलडोपा जीवन-रक्षक औषधियां हैं जो हमारे देश में बहु-राष्ट्रीय बड़ी कम्पनियों अर्थात, होचेस्ट, बोरिन्गेर नोल और एम०एस०डी० द्वारा बेची जाती हैं, प्रत्येक कंपनी की मद-वार लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है, लाइसेंस का नम्बर और तिथि क्या हैं और गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या ग्लाबनक्लामाइड का उत्पादन एक लघु निर्माता द्वारा मूल अवस्थाओं से किया जा रहा है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाक उपलब्ध है परन्तु फिर भी मैसर्स होचेस्ट ने 28 फरवरी, 1975 को 4.20 लाख रु० मूल्य की इस औषधि का आयात किया;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कंपनी द्वारा औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के आयात विनियमों का उल्लंघन करके और भारतीय क्षेत्र के विकास में बाधा डालकर अधिक मात्रा के आयात को जब्त करने के आदेश जारी करने का है; और

(घ) एम०एस०डी० को अमरीका में अपनी मालिक कंपनी से मैथिलडोपा का आयात करने की अनुमति किस आधार पर दी गई जबकि इसका आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है और क्या राज्य व्यापार निगम को इसका आयात एम०एस०डी० अमरीका से, मंत्रालय के दबाव में आकर करना पड़ा था, इस बारे में पत्र-व्यवहार का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। तीन कंपनियों के मद-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

| क्र सं० | कंपनी/मद का नाम | क्षमता सहित लाइसेंस सं० और तिथि | के दौरान उत्पादन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1972 | 1973 | 1974 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | एम० एस० डी० (मेथाइल डोपा के एल्डोमेट टेबलेट्स) | एल/22/171/63 कैमी० III दिनांक 30-10-1963 और संशोधन पत्र सं० 1(20)/63 कैमी० III दिनांक 5-2-64 36 लाख प्रतिवर्ष। | 29.4 मिलियन गोलियां और 164 | 30.4 मिलियन गोलियां कि० ग्रा० | 18.6 मिलियन गोलियां आयात के लिये |
| 2. | हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स ग्लाइवेक्लेमाइड के सूत्र-योग) | एल०/22/460/73 कैमी० III दिनांक 9-1-63 20 मिलियन (संपूर्ण क्षमता के अन्तर्गत) | इन दो कंपनियों के उत्पादन आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. बोहरिंगर नील लि० (ग्लाइबेंक्लेमाइड के सूत्रयोग) | एल०/22/467/73-कैमी० III दिनांक 14-3-73 15.5 मिलियन (संपूर्ण क्षमता के अन्तर्गत) | | | |

(ख) और (ग) एक लघु क्षेत्र यूनिट अर्थात् मैसर्स कादिला कैमिकल्स प्रा० लि० के प्रपुंज ग्लाइबेनक्लोमाइड का उत्पादन प्रारम्भ करने की सूचना मिली है और यह पता लगा है कि यह कंपनी इस प्रपुंज औषध के 600 कि० ग्रा० प्रतिवर्ष का उत्पादन करने में समर्थ है । इस यूनिट के पास प्रपुंज औषध के भंडार और 28-2-75 को मैसर्स हैक्स्ट द्वारा प्रभावित इसका आयात, यदि कोई हो, के बारे में स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा; और यदि आई० डी० आर० अधिनियम की कोई अवज्ञा हो तो उसकी भी जांच की जायेगी।

(घ) मैसर्स मर्कशार्प एंड डोहमें देश में मेथाइल डोपा के सबसे बड़े निर्माता हैं । कंपनी ने रुपया स्रोतों से राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित सामग्री को उठाने से अपनी अनिच्छा प्रकट की है, इससे इस औषध की कमी उत्पन्न हो गई और कई प्रमुख डाक्टरों ने ऐसी जीवन रक्षक औषध की पर्याप्त उपलब्धता की आवश्यकता के बारे में मंत्रालय को लिखा है । मैसर्स एम० एस०डी० द्वारा उत्पादित एल्डोमेंट सूत्रयोगों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से एम०एस० डी० (यू०एस०ए०) मैथाइल डोपा की कुछ मात्रा के आयात की अनुमति दे दी है । किन्तु इसका औसत मूल्य रुपये स्रोतों से प्राप्त इस औषध के मूल्य के समान हो । आई० डी०वी०एल० को इस औषध का निर्माण हाथ में लेने के लिये कहा गया है और उनके उत्पाद जून, 1975 के अन्त से पूर्व उपलब्ध होने की आशा है । इसके पश्चात प्रपुंज मेथाइल डोपा की आवश्यकता के संबंध में एम०एस० डी० की लाइसेंसीकृत क्षमता की तुलना में उनकी हकदारी की समीक्षा की जायेगी।

**वर्ष 1972-73, वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 के दौरान चोरियों के कारण रेलवे को हुई हानि**

7158. **श्री एन० आर० वेकारिया :**

**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73, वर्ष 1973-74 और वर्ष 1974-75 के दौरान, जोनवार, चोरियों के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ?

**रेल मंत्रालय म उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (जनवरी 1975 तक) के दौरान बुक किये गये परेषणों की चोरी और उठाई गीरी के कारण रेलों को जो कुल हानि हुई वह निम्नलिखित तालिका में दिखायी गई है :—

| रेलवे | वर्ष | दी गयी राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| मध्य | 1972-73 . . . . . . . | 76.08 |
| | 1973-74 . . . . . . . | 97.50 |
| | 1974-75 . . . . . . . | 94.05 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| पूर्व | 1972-73 | 221.54 |
| | 1973-74 | 269.01 |
| | 1974-75 | 215.28 |
| उत्तर | 1972-73 | 137.75 |
| | 1973-74 | 112.76 |
| | 1974-75 | 111.99 |
| पूर्वोत्तर | 1972-73 | 48.18 |
| | 1973-74 | 59.90 |
| | 1974-75 | 51.98 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 1972-73 | 90.39 |
| | 1973-74 | 127.16 |
| | 1974-75 | 100.14 |
| दक्षिण | 1972-73 | 63.00 |
| | 1973-74 | 59.13 |
| | 1974-75 | 54.34 |
| दक्षिण-मध्य | 1972-73 | 41.05 |
| | 1973-74 | 46.22 |
| | 1974-75 | 48.21 |
| दक्षिण-पूर्व | 1972-73 | 122.33 |
| | 1973-74 | 108.26 |
| | 1974-75 | 92.12 |
| पश्चिम | 1972-73 | 113.59 |
| | 1973-74 | 104.17 |
| | 1974-75 | 101.71 |

**इन्डेन गैस कनेक्शनों की बुकिंग की अधिकतम सीमा निर्धारित करना**

7159. **श्री ओ० पी० त्यागी :**

**श्री अरविन्द एम० पटेल :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम से इन्डेन गैस कनेक्शनों की बुकिंग की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी)** : (क) व (ख) जी नहीं, भारतीय तेल निगम द्वारा उन क्षेत्रों में जहां गैस की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध हो सकती है तथा जिन

नये क्षेत्रों में उनके द्वारा इस सुविधा को प्रदान करने का अनुमान है, नये ग्राहकों के नाम सूचीबद्ध करने का कार्य जारी है। जिस क्षेत्र में निगम वर्तमान में अतिरिक्त गैस सप्लाई की सुविधा प्रदान नहीं कर सकता है, वहां के लिये नये ग्राहकों के नाम सूचीबद्ध नहीं किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा निगम को प्रत्येक डीलर द्वारा ग्राहकों को सूचीबद्ध करने की सीमा निर्धारित करने के लिये कहा गया है।

**महाराष्ट्र सरकार द्वारा रसायन संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव**

7160. **श्री बसंत साठे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को रसायन संयंत्रों की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा उनके स्थापना-स्थलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) से (ग) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है। तथापि महाराष्ट्र सरकार से स्थिति के बारे में पूछताछ की जा रही है।

**Cases pending in Madhya Pradesh High Court for the last five years**

†7161. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending in the Madhya Pradesh High Court for the last five years;

(b) whether the number of such cases has been increasing constantly thus necessitating increase in the number of judges; and

(c) if so, the steps taken by Government ?

**The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) :** (a) Excluding miscellaneous cases, 3,199 cases were pending for more than five years in Madhya Pradesh High Court as on 31-12-1974.

(b) & (c) Yes, Sir. The State Chief Ministers were requested in August, 1972 that a systematic review of the state of work in each High Court should be undertaken every three years and the judge strength should be re-fixed taking into account the institutions, disposals and the arrears to be cleared. No proposal for increase in the judge strength of Madhya Pradesh High Court has been received from the State Authorities.

**Supply of Hindi Type Writers**

†7162. **Shri Sudhakar Pandeya :** Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state the action proposed to be taken by Government to supply Hindi typewriters to the offices under his Ministry which have English typewriters only at present.

**The Minister of Law, Justice & Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) :** All the Offices under the Ministry of Law, Justice and Company Affairs have been provided with Hindi typewriters according to their requirements.

**वैगन उद्योग में छंटनी**

7163. **श्री टुना उरांव :**
**श्री शक्ति कुमार सरकार :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से इस आशय का कोई पत्र मिला है कि राज्य के वैगन उद्योगों के समक्ष छंटनी की समस्या है क्योंकि इन एककों को रेल-वैगनों के क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) 1-4-1975 पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा उद्योग पर 15335 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के निर्माण का भार था जो 1974-75 के 6035 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के उत्पादन की तुलना में दो वर्षों से भी अधिक के भार का द्योतक है और जो इस उद्योग के लिये प्रर्याप्त कार्य भार माना जा सकता है । लेकिन माल डिब्बों की खरीद के लिये आबंटित धन पर दबाव होने के कारण हो सकता है कि 1975-76 के उत्पादन को 1974-75 के उत्पादन के 50 प्रतिशत पर रखना पड़े । अतः इस उद्योग की फालतू क्षमता अन्यत्र लगानी होगी अथवा निर्यात करनी होगी ।

1974-75 के चलस्टाक कार्यक्रम में चौपहियों के हिसाब से लगभग 14,000 माल डिब्बों की खरीद के लिये टेंडर देने का प्रश्न विचाराधीन है । लेकिन अतिरिक्त आर्डर देना अतिरिक्त धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

**उपभोक्ताओं को आवश्यक औषधियों की सप्लाई के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें**

7164. **श्री सोमचंद सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने उपभोक्ताओं को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आवश्यक औषधियां सप्लाई करने के उपायों से संबंधित अपने निदेश पद की मद (सात) पर विस्तार-पूर्वक विचार करने के लिये उप-समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उप-समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, इसकी सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) और (ख) जी हां । आम जनता को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आवश्यक औषधों एवं आम घरेलू दवाइयों की व्यवस्था के लिये उपाय, पर औषध एवं भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट तथा उप-समिति के गठन एवं सिफारिशों से युक्त एक विवरण पत्र 4 मार्च, 1975 को लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था । रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

**औषध उद्योग संबंधी नये प्रौद्योगिकी के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें**

7165. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने अपने निदेश पदों की मद संख्या (चार) अर्थात् "उद्योग में नये प्रौद्योगिकी के प्रसार की वर्तमान व्यवस्था की जांच और इसके बारे में सिफारिशें करने के लिए" विस्तार से चर्चा हेतु एक उप-समिति की नियुक्ति की थी ; और

(ख) समिति की मूल और अन्तिम सिफारिशें क्या थीं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) सरकार द्वारा औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई थी तथा सरकार उस पर विचार कर रही है ।

**हाथी समिति को प्रेषित प्रश्न**

7166. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सत्र के दौरान बहुत से प्रश्नों के उत्तर में यह बताया गया है कि मामला हाथी समिति के विचाराधीन है;

(ख) क्या ये भी प्रश्न हाथी समिति को इसलिए भेजे गये थे ताकि समिति संगत मामलों पर गहराई से विचार कर सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) क्योंकि अधिकांशतः प्रश्नों के विषय का संबंध औषध और भेषज उद्योग समिति से था तथा वे इस समिति के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आते थें, इसलिए इस बारे में समिति को अलग से लिखना उचित नहीं समझा गया ।

**Production of Naphtha in Madhya Pradesh**

7167. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister **of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total quantity of naphtha produced in Madhya Pradesh during 1973-74;

(b) the name of the firm to which it was sold;

(c) the quantity of naphtha supplied to other States during 1973-74; and

(d) the names of these States and the rate at which it was supplied to them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi):** (a) & (b) No oil refinery is situated in Madhya Pradesh. The question of producing Naphtha in that State, therefore, does not arise.

(c) & (d) Naphtha is consumed mostly by the fertiliser and Petrochemical units. Supplies are r. : ( ( to the individual units on the basis of their demand. No allocation of

Naphtha is made on a state-wise basis. Offtake of Naphtha by the various units situated in different states during 1973-74 has been as under :—

| State/Union Territories | '000 Tonnes Qty. |
|---|---|
| Andhra Pradesh . | 65.2 |
| Bihar . . . | 23.8 |
| Gujarat . . . | 171.7 |
| Goa . . . | 124.9 |
| Kerala . . . | 115.4 |
| Madhya Pradesh . | 20.4 |
| Maharashtra . . | 398.6 |
| Orissa . . . | 38.0 |
| Rajasthan . . | 102.5 |
| Tamil Nadu . . | 212.3 |
| Uttar Pradesh . . | 185.3 |
| West Bengal . . | 44.0 |
| Others . . . | 2.5 |
| GRAND TOTAL . . . . . . . . . . . . | 1504.6 |

**केरल में अलवाई तथा ओलावा-रोड के बीच दोहरी रेल लाइन बिछा**

7168. **श्री बयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अलवाई तथा ओलावा-रोड के बीच रेल लाइन को दोहरी करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान इस कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) आशा है कि शोरान्नूर और अलवाय के बीच 18 कि० मी० रेलवे लाइन मार्च, 1976 तक बनकर तैयार हो जायेगी ।

(ख) ओलकक्कोट और अलवाय के बीच दोहरी लाइन बिछाने के काम के लिए 1975-76 के बजट में 100.01 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । इस काम को पूरा होने में तीन वर्ष लगेंगे ।

**भारतीय तटों का भूकंपीय सर्वेक्षण करने के लिए सोवियत जलपोतों का उपयोग**

7169. **श्री बयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के तटों का भूकंपीय सर्वेक्षण करने के लिए इस समय श्री लंका के तटों पर कार्य कर रहे सोवियत जलपोत का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने इस कार्यक्रम में केरल के तटों के सर्वेक्षण को भी शामिल करने का है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट में दायर शिकायतें

7170. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चार्टर्ड एकाउन्टेंटों द्वारा अधिनियम की धारा 227 के अन्तर्गत अपने सांविधिक दायित्वों का पालन न करने के लिये कितने मामलों में इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटों से शिकायतें की हैं ;

(ख) क्या इन शिकायतों की संख्या इतनी अधिक होने का कारण संतुलन-पत्रों और लाभ और हानि खातों की उचित जांच न करना और रजिस्ट्रार आफ कम्पनी कार्यालयों में अधिनियम की धारा 227 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र देना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की ध्यान पूर्वक जांच की जाये और कम्पनी के दोषी प्रबन्धकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ)** : (क) गत तीन वर्षों के मध्य, सरकार ने सम्बन्धित शास-प्राप्त लेखापालों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने के लिए भारतीय शास-प्राप्त लेखापाल संस्थान के पास निम्नांकित संख्या में परिवाद अथवा परिवाद की प्रकृति की "सूचना" प्रस्तुत की थी :—

वर्ष 1972........6

वर्ष 1973........4

वर्ष 1974........6

(ख) कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये तुलन-पत्रों तथा लाभ-हानि लेखाओं की संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रारों द्वारा समय-समय पर संवीक्षा की जाती है एवं अपेक्षित होने पर, संबंधित लेखा-परीक्षक (परीक्षकों) के द्वारा कोई चूक (चूकों) के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

### स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति के बारे में कार्मिक विभागों के आदेशों का क्रियान्वयन

7171. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति के बारे में कार्मिक विभाग के दिनांक 6 सितम्बर, 1973 के आदेशों को क्रियान्वित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपनी 6-9-73 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 जो कि केवल केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा पर लागू होते हैं, संशोधित कर दिये थे। उन्हीं के अनुरूप रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1971 को संशोधित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

**रेलवे बोर्ड सचिवालय स्टोनोग्राफर्स सेवा संबंधी नियमों में संशोधन**

7172. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 6 सितम्बर, 1973 के अनुदेशों के अनुसार रेलवे बोर्ड सचिवालय स्टेनोग्राफर्स सेवा सम्बन्धी नियमों में संशोधन कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त नियमों के अनुसार स्टेनोग्राफर वैयक्तिक सहायकों (एस० पी० ए०) के पद भरे जाने हैं, और यदि नहीं, तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपनी 6-8-73 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में संशोधन किया। ये नियम केवल केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा पर ही लागू होते हैं। उन्हीं के अनुरूप रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1971 को संशोधित करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

(ग) नियमों के प्रस्तावित आशोधन से पहले खाली होने वाली इन रिक्तियों को भरने के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

**मद्रास-हावड़ा लाइन पर रेलवे वैगनों से चोरी**

7174. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 मार्च, 1975 के 'नव भारत टाइम्स' में (अंतिम पृष्ठ) 'रेलवे वैगनों से नियमित चोरी' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या मद्रास-हावड़ा मुख्य लाइन के स्टुअर्टपुरम तथा चिंगुलजाम स्टेशनों के बीच रेलवे वैगनों से चोरी के धंधे में धनी व्यक्तियों का एक गिरोह सक्रिय है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ऐसा कोई गिरोह नजर में नहीं आया है। लेकिन रिपोर्ट मिली है कि स्टुअर्टपुरम के रहने वाले कुछ भूत पूर्व अधिसूचित जन जाति के व्यक्ति सिगनलों के साथ हस्तक्षेप करके माल गाड़ियां रोक लेते हैं और माल डिब्बों में जा रहे परेषणों की खासतौर से अनाज की, चोरी करते हैं। खण्ड में

इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिये सरकारी रेलवे/ज़िला पुलिस के पूर्ण सहयोग से पर्याप्त उपाय किये गये हैं। सामान्य उपायों के अलावा, अपराधों को रोकने के और इस खण्ड में चोरी करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिये निड्रोल स्टेशन पर रेलवे सुरक्षादल की एक सशस्त्र टुकड़ी तैनात की गयी है। माल गाड़ियों को पहरेदारों के संरक्षण में ले जाया जाने लगा है और सशस्त्र टुकड़ियां भी अन्य भेद्य स्थानों पर तैनात की गई हैं। इन उपायों के फलस्वरूप न केवल स्थिति मिली है बल्कि चुराई गई अधिकांश संपत्ति भी बरामद कर ली गयी है।

### दिल्ली डिवीजन के अन्तर्गत माल-यातायात से प्रति मास 20 लाख रुपये से अधिक आय वाले रेलवे स्टेशन

7175. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अन्तर्गत उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जिनकी माल-यातायात से मासिक आय 20 लाख रुपये से अधिक है;

(ख) क्या इन स्टेशनों पर गोदामों की सुविधायें सहित उक्त माल की रक्षा के लिये समुचित प्रबन्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त सुविधायें सम्भवतः किस तारीख तक उपलब्ध करा दी जायेंगी; और

(घ) उपरोक्त (क) में उल्लिखित प्रत्येक स्टेशन पर वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान मासिक आय के औसत आंकड़े क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) केवल नयी दिल्ली स्टेशन।

(ख) और (ग) जी हां। लेकिन सीमेंट साइडिंग के निकट माल प्लेटफार्म का विस्तार और खनिज साइडिंग प्लेटफार्म पर एक छत की व्यवस्था आवश्यक है। यदि धन उपलब्ध हुआ तो इन निर्माणकार्यों को वर्ष 1976-77 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

(घ) वर्ष 1973-74 और 1974-75 में माल यातायात से नयी दिल्ली स्टेशन की मासिक औसत आमदनी क्रमशः 59.40 लाख और 94.60 लाख रुपये रही।

### रेल प्रशासन को समयोपरि भत्ते और यात्रा भत्ते का भुगतान

7176. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के लिये प्रत्येक रेलवे जौनल प्रतिष्ठान, रेलवे बोर्ड और डी० एल० डब्ल्यू०, सी० एल० डब्ल्यू० और आई०सी०एफ० और रेलवे के सभी ज़ोनों के कुल प्रतिष्ठानों द्वारा अदा किये गये (एक) समयोपरि भत्ते (दो) यात्रा भत्ते के अलग-अलग तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या मितव्ययिता अभियान में इन दो उप-शीर्षों के कारण भुगतान में कमी करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम हैं; और

(घ) संदर्भाधीन अवधियों के लिये उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक यूनिट के लिये कुल भुगतान कुल मजूरी बिल का कितना प्रतिशत है और प्रत्येक यूनिट और रेलवे के सभी जोनों के लिये अलग-अलग कितना प्रतिशत है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (घ) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के समयोपरि के आंकड़ों के संबंध में माननीय सदस्य का ध्यान उस सूचना की ओर दिलाया जाता है जो इस सदन में 8-4-1975 को उनके प्रश्न सं० 5361 के उत्तर में दी जा चुकी है। वर्ष 1974-75 के समयोपरि के आंकड़े और 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के यात्रा भत्ता के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) और (ग) रेलों पर जिन कारणों से समयोपरि देना पड़ता है वे हैं कर्मचारियों की कमी, अनुपस्थिति, रिक्तियों का ना भरा जाना, यातायात में वृद्धि, लाईन क्षमता की अपर्याप्तता आदि। रेलों को समय-समय पर यह जोर देते हुए हिदायतें जारी की गई हैं कि ऐसी सभी बातों को दूर करने की जरूरत है जिनकी वजह से रेल कर्मचारियों को समयोपरि का अधिक भुगतान करना पड़ता है। रेलों को इस तरह की हिदायतें भी जारी की गयी हैं कि किफायत के लिये यात्रा भत्ते और कार्यालय कर्मचारियों को समयोपरि के भुगतान पर होने वाले खर्च में 10 प्रतिशत की कटौती की जाये।

### रेलवे हड़ताल के दौरान रद्द को गई गाड़ियों को फिर से चलाना

7177. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 के रेलवे हड़ताल के दौरान रद्द की गयी ऐसी गाड़ियों का जोन-वार एवं अन्तः जोन-वार ब्यौरा क्या है जो अभी तक फिर से चलाई नहीं गयी हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक गाड़ी को कब तक फिर से चलाया जायेगा ; और

(ग) क्या उनको फिर से चलाने के लिये कोई प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

### लघु औषध उद्योग के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें

7178. **श्री भाल जी भाई रावजी भाई परमार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने लघु औषध उद्योग संबंधी अपने निर्देश पदों में से मद संख्या 3 पर विचार करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की थी, उक्त उप-समिति के सदस्य कौन-कौन थे और उसने क्या सिफारिशें की ;

(ख) क्या समिति में ऐसे नौकरशाह, जो विदेशी फर्मों में रुचि रखते हैं, होने के कारण लघु उद्योग के विकास में किसी ने भी रुचि नहीं ली ; और

(ग) सरकार का औषध उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विभाजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लघु औषध उद्योग की प्रगति के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) औषध एवं भेषज पर समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हुई थी तथा सरकार उसकी जांच कर रही है ।

(ग) जहां लघु क्षेत्र में अनेक एकक सूत्रयोगों का उत्पादन कर रहे हैं, उनमें से कुछ प्रमुज औषधों के उत्पादन में लगी हुई है जिन्हें या तो उनके द्वारा उत्पादित किया जाता है अथवा अन्य उत्पादक एककों को बिक्री करने के लिए दिया जाता है ।

उनके उत्पादन का अनुमान उद्योग के सम्पूर्ण बिक्री के लगभग 20% है तथा उनमें से कुछ उद्योग अपेक्षित मध्यवर्ती पदार्थों तथा रसायनों के साथ मूल स्तरों से प्रमुज औषधों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं ।

औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लघु क्षेत्रीय एककों अर्थात् वे उपक्रम जिनमें 7.5 लाख रुपये तक प्लांट एवं मशीनरी के रूप में नियम आस्तियों का निवेश लगा हुआ है, लाइसेंस नहीं लेने होते है । प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये तक कुछ बिक्री करने वाले एककों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत अपने उत्पादकों के मूल्यों के लिए स्वीकृति लेने से भी छूट दी गई है ।

लघु क्षेत्र एककों के बारे में, पिछली खपत के आधार पर सरणीबद्ध कच्चे माल का, निम्नलिखित रूप से अर्थात् (क) एक करोड़ रुपये से कम की बिक्री करने वाले एककों के लिए अतिरिक्त 30% और

(ख) एक करोड़ या उससे अधिक वार्षिक की बिक्री करने वाले एककों के लिए अतिरिक्त 15%, का वृद्धिशील आबंटन किया जाता है ।

लघु क्षेत्र के एककों में औषध उद्योग के विकास के सम्बन्ध में, औषध एवं भेषज उद्योग समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में उद्योग के आगामी विकास हेतु, उसका क्षेत्रीय आबंटन, आदि ध्यान में रखा जाएगा ।

### सचिवों द्वारा हाथी समिति के समक्ष साक्ष्य

**7179. श्री बालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के तीन सचिव "अनुमति पत्रों" और "सी० ओ० बी० लाइसेंसों" के बारे में साक्ष्य देने के लिए हाथी समिति के समक्ष पेश हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन मामलों में अधिकारियों की अनियमितताओं पर पर्दा डालने के लिए विदेशी क्षेत्र के पक्ष में विचार व्यक्त किये थे

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और क्या सरकार उन सभी अनुमति पत्रों एवं सी० ओ० बी लाइसेंसों को रद्द करेगी जो गैर-कानूनी सिद्ध हो चुके हैं और

(घ) क्या सरकार इस मामले में उत्तरदायित्व नियत करेगी ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) से (घ) सरकार द्वारा जारी किये गये अनुमति अन्नापति पत्रों/सी० ओ० बी० लाइसेंसों के प्रश्न की जांच करने के लिए औषध एवं भेषज उद्योग समिति द्वारा गठित उपसमिति के समक्ष भारत सरकार के तीन सचिव उपस्थित हुए।

सरकार द्वारा औषध एवं भेषज उद्योग समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई है तथा सरकार उस पर विचार कर रही है।

**कोचीन तेल शोधक कारखाने द्वारा क्षमता से कम कार्य करना**

7180. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाना अपनी क्षमता से बहुत ही कम कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं कारण क्या हैं ; और

(ग) उसकी अधिष्ठापित क्षमता के उपभोग में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं/करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी)** : (क) से (ग) 1974 के दौरान कोचीन शोधनशाला ने अपनी 3.3 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता की तुलना में 2.37 मिलियन मी० टन अशोधित तेल साफ किया।

अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, कोचीन शोधनशाला सहित, आयातित अशोधित तेल पर चालू, कुछ शोधनशालाओं को कम स्तर पर कार्य करना पड़ता है। आयातित कच्चे तेल को साफ करने वाली शोधनशालाओं के परिचालन स्तरों और अशोधित तेल के आवंटन का निर्णय, शोधनशालाओं की उत्पाद पद्धति और उत्पाद की क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए, किया जाता है।

**वाल्टेयर किरंदूल लाइन पर यात्री रेलगाड़ियों का चलाना स्थगित करना**

7181. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्टेयर किरंदूल लाइन पर रेलवे मार्ग के नीचे कंकरीट भराई त्रुटिपूर्ण पायी गई थी जिसके परिणामस्वरूप इस लाइन पर यात्री रेलगाड़ियों का चलाना स्थगित करना पड़ा ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस जाच के क्या परिणाम रहे ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।



24 LSS/75—7

**Demands made at the Seminar organised in Cochin in connection with International Women's Year**

+7182. **Shri Kushok Bakula** :Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the resolution passed in the Seminar Organised in Cochin recently in connection with the International Women's Year in which it has been demanded that :

(1) dowry system should be abolished ;

(2) the shortcomings in the divorce law should be removed ;

(3) special schemes should be formulated for providing employment to women; and

(4) 25 per cent seats in bodies from Panchayat to Parliament should be reserved for women ; and

(b) If so, Government's reaction thereto and the measures to be taken to implement them ?

**The Minister of Law, Justice & Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) :** (a) No such resolution has been received in this Ministry.

(b) Does not arise.

**मथुरा तेलशोधक कारखाने के लिए गंधक मिश्रित अशोधित तेल**

7183. **श्री वनमाली बाबू :**

**श्री भागीरथ भवंर :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

**श्री एम० कतामुत :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेलशोधक कारखाने में गंधक मिश्रित अशोधित तेल की बहुत बड़ी मात्रा वहां पर परिष्करण के लिए आयेगी ;

(ख) मथुरा तेलशोधक कारखाने के लिए स्वदेशी और आयातित अशोधित तेल की कितनी मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है ; और

(ग) निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) :** (क) मथुरा शोधनशाला का रूपांकन आयातित अशोधित तेल जिसमें सल्फर तत्व अपेक्षाकृत अधिक है को साफ करने के लिए किया गया है।

(ख) रूपांकन के अनुसार शोधनशाला प्रतिवर्ष 6 मिलियन मी० टन आयातित अशोधित तेल को साफ कर सकेगी। बाम्बे हाई तेल क्षेत्रों से उपलब्ध अशोधित तेल तथा अन्य देशीय संसाधनों की सीमा पर निर्भर करते हुए शोधनशाला कुछ और अशोधित तेल की मात्रा भी साफ कर सकेगी।

(ग) शोधनशाला के रूपांकन में विशेष सुविधाओं को सम्मिलित किया जा रहा है जिससे गैस निस्राव से प्रदुषण के कारण उत्पन्न हानि को दूर किया जा सके । अत्यधिक अद्यतन तथा आधुनिक तरीकों का प्रयोग करते हुए तरल निस्राव का उपचार किया जायेगा तथा अन्तिम जल निकासी सिंचाई के पानी और नदियों में गिराये जाने वाले झरनों के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे ।

अतः उपचारित निस्राव जल सिंचाई के लिए अथवा म्यूनिसिपल उपचार व्यवस्थाओं द्वारा सामान्य उपचार के पश्चात् पीने के लिए उपयोग में लाने पर किसी प्रकार की हानि उत्पन्न नहीं करेगा । गैस-युक्त निस्रावों को भी उपयुक्त विधि से उपचारित किया जायेगा ताकि इनके द्वारा मनुष्यों के स्वास्थ्य अथवा शोधनशाला के निकट स्थित ऐतिहासिक इमारतों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी ।

**पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सियालदह स्टेशन को नया रूप देने संबंधी कार्यक्रम**

7184. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सियालदह स्टेशन को नया रूप देने सम्बन्धी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इस स्टेशन पर प्रतिदिन आने वाली और वहां से जाने वाली गाड़ियों की संख्या कितनी है, इस स्टेशन का प्रति दिन औसतन कितने यात्री प्रयोग करते हैं, वहां टैक्सी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और दिल्ली, बम्बई तथा हवड़ा स्टेशनों की दृष्टि से वहां की तुलनात्मक स्थिति कैसी है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) सियालदह स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन का काम 1960-61 में तीन चरणों में प्रारम्भ किया गया था । दो चरणों का काम पूरा हो चुका है और तीसरे चरण का काम चल रहा है तथा इसे पांचवीं योजना में पूरा कर लिया जायेगा ।

इसकी मुख्य बातों में यार्ड के ढांचे में परिवर्तन, रूट रिले अन्तर्पाश केबिन की व्यवस्था, अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था, रेल डाक सेवा वेतन और रोकड़ कार्यालय का निर्माण, प्लेटफार्म पर छत के विस्तार सहित प्लेटफार्मों को ऊंचा करना तथा उनपर फर्श बिछाना, मुख्य और उत्तरी स्टेशनों के सामने की पुरानी इमारत के स्टेशन बदले की नयी इमारत का निर्माण आदि ।

(ख) सियालदह स्टेशन पर कुल मिलाकर 398 गाड़ियां आती-जाती हैं । प्रतिदिन औसतन 3.2,550 यात्री इस स्टेशन का उपयोग करते हैं ।

टैक्सियों के दो अड्डे हैं, एक सियालदह दक्षिण स्टेशन के निकट 10 टैक्सियों के लिए और दूसरा मुख्य स्टेशन के निकट 30 टैक्सियों के लिये । रेलवे स्टेशनों पर टैक्सियों के अड्डे सम्बन्धी सुविधाएं स्टेशन की स्थिति, परिचलन-क्षेत्र में जगह की उपलब्धता आदि के अनुसार की जाती है । इसलिए इस सुविधा की तुलना दिल्ली, बम्बई और हवड़ा में की गयी सुविधा से करना संभव नहीं है ।

**पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों में रेल विज्ञापन**

7185. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य के छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को रेलवे विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन दैनिक समाचार पत्रों और साप्ताहिकपत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे से विज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) अमादाबाद (अगरतल्ला), दैनिक प्रान्त ज्योति (सिल्चर) जननी (कलकत्ता), दैनिक चन्द्र भाग (सूरी), जनपत (जलपाईगुड़ी) और स्वाधीन वार्ता (मिदनापुर) को विज्ञापन देने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व राज्यों के ऐसे छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को जो विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की अनुमत सूची में दर्ज हैं, रेलवे के विज्ञापन दिये जाते हैं ।

(ख) सूची संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--9491/75] ।

(ग) जननी (कलकत्ता) को उसके समान बिक्री और महत्व वाले अन्य समाचारपत्रों के बराबर ही विज्ञापन दिये जा रहे हैं । संवाद (अगरतल्ला) की ओर से विज्ञापनों के बारे में अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

दैनिक प्रांत ज्योति (सिल्चर), दैनिक चन्द्रभाग (सूरी), जनपत (जलपाईगुड़ी) और स्वाधीन वार्ता (मिदनापुर) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की अनुमत सूची में शामिल नहीं हैं, अतः उन्हें रेलवे के विज्ञापन नहीं दिये जा रहे हैं ।

## पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र में रेलवे लाईन की लम्बाई में वृद्धि

7186. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र में रेलवे लाईन-वार गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे लाईनों की लम्बाई में कुल कितने मील की वृद्धि की गई ;

(ख) इन राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, कितनी रेलवे लाईनें निर्माणाधीन रही ; और

(ग) इन राज्यों में नई लाईनों के लिये राज्य-वार तथा लाईनवार किये गये सर्वेक्षणों की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिह)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में रेलवे लाईनों के मार्ग किलोमीटर में वृद्धि नीचे दिखायी गयी है :—

| क्रम संख्या | राज्य | लाईन का नाम | आमान | कुल लम्बाई (कि० मी० में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बिहार | बरकाकाना में परिहार लाइन | ब० ला० | 2.30 |
| 2. | ,, | सरायगढ़-प्रतापगंज (पुनः स्थापन) | मी० ला० | 23.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | पश्चिम बंगाल | फरक्का बांध तक और उसके आर-पार मार्ग लिवशाखान सम्बन्धी पहुंच मार्ग | व० ला० | 12.46 |
| 4. | ,, | पोषक नहर के बायें किनारे के साथ-साथ बल्लालपुर हाल्ट-तिलडांगा लाईन का मार्ग बदलना | व० ला० | 5.97 |
| 5. | ,, | अंडाल-कलकत्ता कार्ड संपर्क | व० ला० | 15.03 |
| 6. | ,, | सजनीपाड़ा और अहीरन के बीच स्थायी मार्ग परिवर्तन | व० ला० | 5.49 |
| 7. | महाराष्ट्र | कोई नहीं | — | — |
| | | | जोड़ | 64.25 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भाग (क) के उत्तर में दिये गये ब्यौरे के अनुसार पूर्ण की जा चुकी लाईनों के अलावा, इन राज्यों में निर्माणाधीन नयी लाईनें नीचे दिखायी गयी हैं :—

| क्रम संख्या | राज्य | लाईन का नाम | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | बिहार | झंझारपुर-लौकहा बाजार | निर्माण कार्य चल रहा है। |
| 2. | ,, | प्रतापगंज-फारविसगंज | निर्माण कार्य चल रहा है। |
| 3. | ,, | वगहा-छितौनी | निर्माण कार्य चल रहा है। |
| 4. | ,, | हसनपुर-सकरी | निर्माण कार्य अनुमोदित हो चुका है। |
| 5. | पश्चिम बंगाल | बारागाछिया-चम्पाडांगा शाखा लाईन सहित हवड़ा-आम्ता बड़ी लाईन | निर्माण कार्य अनुमोदित हो चुका है। |

(ग) नयी लाइनों के लिए संदर्भाधीन राज्यों में प्रारम्भ किये गये सर्वेक्षणों का राज्यवार और लाईनवार विवरण नीचे दिया गया हैं :—

| क्रम सं० | राज्य | लाईन का नाम | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बिहार | झंझारपुर-लौकहा बाजार नयी मीटर लाईन के लिए अंतिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरी सर्वेक्षण . | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | बिहार | हसनपुर-सकरी नयी मीटर लाइन के लिए अंतिम मार्ग-निर्धारण इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |
| 3. | " | सिमरी-वख्तियारपुर-बिहारीगंज नयी मीटर लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण हो रहा है। |
| 4. | " | दौरम-माधोपुरा-सिंघेश्वर स्थान नयी मीटर लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ! |
| 5. | " | सरायगढ़-प्रतापगंज मीटर लाइन (पुनः स्थापन) के लिए अंतिम मार्ग-निर्धारण इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |
| 6. | " | प्रतापगढ़-फारबिसगंज मीटर लाइन (पुनः स्थापन) के लिए अंतिम मार्ग-निर्धारण इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |
| 7. | " | वगहा-छितौनी मीटर लाइन (पुनः स्थापन) के लिए अंतिम मार्ग-निर्धारण इंजीनियरीं एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |
| 8. | " | देहरी-आन-सोन-पिपराडीह के लिए अंतिम निर्धारण इन्जीनियरी सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |
| 9. | " | वैद्यनाथ धाम तक एक शाखा लाइन सहित दुमका के रास्ते मंदारहिल से साइथिया तक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण हो रहा है। |
| 10. | " | हजारीबाग टाउन से रामपुरहाट तक के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है। |
| 11. | " | रांची रोड से हजारी बाग रेलवे लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है। |
| 12. | " | रांची से कोरवा तक यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गयी है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | पश्चिम बंगाल | सुन्दरबन क्षेत्र में नयी लाइनों के लिए यातायात सर्वेक्षण | चार लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और एक लाइन के लिए सर्वेक्षण हो रहा है। |
| 14, | ,, | बरगाछिया-चम्पाडांगा शाखा लाइन सहित हवड़ा-आम्ता बड़ी लाइन के लिए अंतिम मार्ग-निर्धारण एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |
| 15. | ,, | हावड़ा-शियाखला बड़ी लाइन के लिए अंतिम मार्ग निर्धारण एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |
| 16. | ,, | इकताही से बेलूरघाट तक यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। |
| 17. | महाराष्ट्र | वर्धा-कटौल नयी लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण हो रहा है। |
| 18. | ,, | आप्टा से दासगांव तक अंतिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण | सर्वेक्षण पूरा हो चुका है |
| 19. | ,, | दासगांव और रतनागिरी के बीच अंतिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण और रतनागिरी और मेंगलूर के बीच स्थान की जांच | सर्वेक्षण हो रहा है। |
| 20. | ,, | प्रस्तावित आप्ता-दासगांव लाइन पर रोहासे-अगरडांगा तक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | सर्वेक्षण हो रहा है। |

## रसायन और औषध उद्योगों के लिए जारी किए गये लाइसेंस

7187. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन और औषध कंपनियों की स्थापना करने संबंधी तथ्य क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों में लाइसेंस जारी किये गये थे ; और

(ख) इनमें से कितने लाइसेंस अभी तक प्रयोग में नहीं लाये गये हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**पूर्व तथा उत्तर-पूर्व रेलवे में दुर्घटनायें**

7188. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व तथा उत्तर-पूर्व रेलवे में गत एक वर्ष के दौरान कितनी दुर्घटनायें हुई ;

(ख) उन दुर्घटनाओं सम्बन्धी विवरण क्या हैं ; और

(ग) उनमें कितने व्यक्ति मारे गये ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) 1974-75 के दौरान पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे पर रेल दुर्घटनाओं का कोटि-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

| क्रम संख्या | कोटि | पूर्व रेलवे | पूर्वोत्तर रेलवे |
|---|---|---|---|
| 1. | टक्कर . . | 12 | 4 |
| 2. | पटरी से उतरना | 55 | 66 |
| 3. | समपार पर दुर्घटनाएं . . . | 6 | 19 |
| 4. | रेल गाड़ियों में आग लगना | 2 | 2 |
| | | 75 | 91 |

(ग) इन दुर्घटनाओं में 79 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

**पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे लाइनों में वृद्धि**

7189. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में रेल लाइनों में केवल 11.20 किलोमीटर की वृद्धि की गई ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दक्षिणी राज्यों में रेलवे लाइनों में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में किये गये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण की लाइन-वार मुख्य बातें क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण अथवा विभागीय सर्वेक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 31 मार्च, 1971 की तुलना में 31 मार्च, 1974 को पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में रेलवे

लाइनों के मार्ग किलोमीटरों में राज्यवार जो शुद्ध वृद्धि कमी हुई है उसे नीचे दिखाया गया है :

| राज्य | मार्ग किलोमीटरों में शुद्ध वृद्धि/कमी |
|---|---|
| **पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य--** | |
| पश्चिम बंगाल . | (+) 19 |
| आसाम | — |
| मिज़ोरम | — |
| मणीपुर | — |
| मेघालय | — |
| नागालैंड . . | — |
| त्रिपुरा . | — |
| अरुणाचल प्रदेश | — |
| **दक्षिणि राज्य --** | |
| आन्ध्र प्रदेश . | (-) 12* |
| कर्नाटक | — |
| केरल . . | — |
| तमिलनाडु . . . . | (+)7 |
| पांडिचेरी . . . . . . . | — |

*मार्ग किलोमीटरों में कमी तसुन्दुरु-वेजेंडला कार्ड लाइन और एक 'टेक-आफ' प्वाइंट के हटाये जाने के कारण हुई ।

(ग) और (घ) 31-3-71 से 31-3-74 तक इन राज्यों में निम्नलिखित लाइनों के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं :

| लाइन का नाम | राज्य | स्वीकृत व्यय | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| | | (लाख रु० में) | |
| 1. सुन्दरवन क्षेत्र में नयी लाइनों के लिए यातायात सर्वेक्षण | पश्चिम बंगाल | 2.40 | एक लाइन के अलावा सभी लाइनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । |
| 2. हवड़ा और शियाखला के बीच बड़ी लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | ,, | 0.99 | सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है । |
| 3. बरगाछिया-चम्पाडांगा शाखा लाइन सहित हवड़ा-आम्ता बड़ी लाइन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण | ,, | 1.91 | सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । |

| लाइन का नाम | राज्य | स्वीकृत व्यय (लाख रु० में) | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 4. सिलचर- जीरीबम | आसाम, मणीपुर | 1.43 | सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । |
| 5. बेलोनिया तक संपर्क सहित अखौरा-अगरतला-साबरुम यातायात सर्वेक्षण | त्रिपुरा | 1.15 | सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । |
| 6. इकलाखी से बालूरघाट तक बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण | पश्चिम बंगाल | 0.53 | सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । |

1974-75 के दौरान पूर्वोत्तर परिषद् की लागत पर आगे निम्नलिखित लाइनों के लिए सर्वेक्षणों की भी स्वीकृति दे दी गयी है :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) रंगापांड़ा/वालीपारा/भालुकपोंग | असम और अरुणाचल प्रदेश | 3.61 | सर्वेक्षण-कार्य चल रहा है । |
| (ii) जोगीघोपा-पंचरल-दारंगिरी | असम और अरुणाचल प्रदेश | 14.55 | सर्वेक्षण कार्य चल रहा है । |
| (iii) गुवाहटी-बरनीहाट | असम और मेघालय | 1.86 | सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। |
| (iv) लालाधाट-सैरंग | असम और मिजोराम | 9.86 | सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। |
| (v) मुरकांग सेलक-पासीघाट | अरुणाचल प्रदेश | 2.53 | सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। |
| (vi) टिपलिंग-ईटानगर | असम और अरुणाचल प्रदेश | 1.53 | सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। |
| (vii) गुवाहटी-दुधनाइ | असम | 2.19 | सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। |

1974-75 के दौरान बंगला देश के अखौरा और बेलोनिया से, त्रिपुरा के अगरतला और बेलोनिया सिटी तक रेलवे साइडिंगों के लिए 0.50 लाख रु० की लागत का सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका है ।

**कोचीन से बम्बई तक सीधी रेलगाड़ी**

7190. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :**

**श्री वयालार रवि :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से बम्बई तक एक सीधी रेलगाड़ी शीघ्र ही चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) जी नहीं । लेकिन यातायात की अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए, अप्रैल से जून 1975 के दौरान बम्बई और एर्णाकुलम के बीच सीमित स्टेशनों पर ठहरने वाली तेज गति की 17 जोड़ी छोटी स्पेशल गाड़ियां चलायी जा रही हैं ।

**मंगलौर स्टेशन का विस्तार तथा सुधार**

7191. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर स्टेशन का विस्तार तथा सुधार करने की जरूरत है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजनाओं की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) मेंगलूर स्टेशन पर वर्तमान सुविधाएं सामान्यत: पर्याप्त हैं । फिर भी, इस स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तार-कार्य को आगे आने वाले वर्षों के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित करने के बारे में विचार किया जायेगा, बशर्ते धन उपलब्ध हो और इस प्रकार के कार्यों के लिए रेलवे उपयोगकर्ता सुविधा समिति स्वीकृति दे ।

**नये मंगलौर पत्तन तथा मंगलौर के बीच और मंगलौर तथा पत्तूर के बीच रेलवे फाटक**

7192. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नये मंगलौर पत्तन तथा मंगलौर के बीच और मंगलौर-हसन रेलवे लाईन के पार मंगलौर तथा पुत्तूर के बीच कितने रेलवे फाटक हैं तथा वे कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(ख) क्या इन रेलवे फाटकों में से किसी पर ऊपरी पुलों अथवा भूमिगत पुलों का निर्माण करने की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) न्यू मंगलूर हार्बर और मंगलूर के बीच 6 ऊपरी निचले सड़क पुल बनाने और मंगलूर तथा पुत्तूर खण्ड के बीच 10 ऊपरी/निचले पुल बनाने की व्यवस्था की गयी है ।

**विवरण**

मंगलूर-हसन रेलवे लाइन पर न्यू मैंगलूर हार्बर और मंगलूर के बीच तथा मंगलूर और पुत्तूर के बीच समपारों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

(i) न्यू मंगलूर हार्बर और मंगलूर के बीच : कुल : 26

| समपारों की सं० | स्थान |
|---|---|
| (क) वाहन यातायात के लिए—7 | |
| 2 समपार | जेप्पीनामोगारु गांव |
| 1 ,, | अलापी गांव |
| 1 ,, | पाडावु/कुड्डुपी गांव |
| 1 ,, | ठोकर गांव |
| 1 ,, | बालिमबाडी गांव |
| 1 ,, | पादुशैडे गांव |
| (ख) पशुओं के पार जाने के लिए : 19 | |

(ii) मंगलूर और पुत्तूर के बीच : कुल 50

| समपारों की सं० | स्थान |
|---|---|
| (क) वाहन यातायात के लिए : 12 | |
| 2 समपार | जेप्पीनामोगारु गांव |
| 1 ,, | अलापी गांव |
| 3 ,, | अरकुला गांव |
| 1 ,, | कार्लिग गांव |
| 1 ,, | अम्तुर गांव कार्लिगाना रोड |
| 1 ,, | गोल्टामाजालू गांव मांचनी रोड |
| 1 ,, | नेटलामुड्नूर गांव––नैरालाकट्टा |
| 1 ,, | इडिकुडु गांव |
| 1 ,, | कबाका |
| (ख) पशुओं के पार जाने के लिए : 38 समपार | |

**जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा कदाचार**

7193. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि वर्ष 1974 की पहली तिमाही के दौरान जयपुर उद्योग लि०, दिल्ली ने अशोका सीमेंट लि०, अशोका स्टील लि० जैसे कुछ सप्लायरों और 13 अन्य फर्मों से बहुत ही ज्यादा ऊंची कीमतों पर सामान खरीदने की अनुचित कार्यवाही की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में लाई गई है कि यह कम्पनी सामान की अपनी खरीद के लिए बिचौलियों के माध्यम से बहुत अधिक ऊंची दरों पर क्रयादेश देती रही हैं जबकि कम्पनी कम दरों पर सीधे ही निर्माताओं को क्रयादेश दे सकती थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ)** : (क) से (ङ) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पट पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

**जयपुर उद्योग लि० के कार्यकरण के बारे में जांच**

7194. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री जयपुर उद्योग लि० के कार्यकरण के बारे में जांच के सम्बन्ध में 7 मई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9366 के उत्तर के बारे यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर उद्योग लिमिटेड और डालमिया जैन ग्रुप से सम्बद्ध 74 अन्य कम्पनियों ने वे स्पष्टीकरण दे दिये हैं जो सरकार ने कुछ ऐसी बातों का पता लगाने पर पूछे थे, जिनसे कम्पनी

अधिनियम, 1956 के उल्लंघन, अथवा अनियमित कम्पनी प्रक्रियाओं का अनुसरण करने का संकेत मिलता था,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अशोका मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्यों की जांच करने का जो आदेश दिया गया था, उसके क्या परिणाम निकले ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ)** : (क) से (ग) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(घ) मै० अशोक मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्य-क्लापों की जांच का आदेश, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत, 31 दिसम्बर, 1973 को दिया गया था । कम्पनी ने उक्त आदेश पर आपत्ति करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक लिखित याचिका प्रस्तुत कर दी, एवं उच्च न्यायालय ने 6 अगस्त, 1974 को अन्तरिम रोकादेश प्रदान कर दिया है । रोकादेश प्रवर्तन में है।

## रेलवे वर्कशापों के लिए रक्षित विद्युत केन्द्र

7195. **श्री गजाधर मांझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली में कटौती के कारण वे वर्कशापों के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) क्या सरकार रक्षित विद्युत केन्द्रों की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) बिजली की कटौती के कारण उत्तर, दक्षिण और पूर्व रेलों के कुछ कारखानों को छोड़कर रेलवे कारखानों के उत्पादन पर हाल के महीनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । अन्य कारखानों का समय बदल कर उसे बिजली की सप्लाई के समय के अनुसार कर दिया गया है और इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है ।

(ख) जी नहीं, कारखाने के लिए नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## Shortage of Cooking Gas due to its Industrial use

7196. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in "The Economic Times" dated 27th Feburary, 1975 wherein it has been reported that due to industrial use of cooking gas, its acute shortage is being experienced for deomestic use; and

(b) the present distribution system of cooking gas ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi)** : (a) Yes, Sir. This Ministry had instructed Oil Companies on 17th June, 1974 that LPG

should not be committed for industrial use except for ad hoc releases based on availability, and where for technological reasons no other fuel can be used.

(b) Hindustan Petroleum Corporation, Burmah-Shell and Caltex are marketing LPG in the country through a net-work of distribution arrangement with adequate number of cylinders, storage, bottling and transport facilities etc. to handle the entire LPG from their refineries.

Indian Oil Corporation is at present selling Indane Gas produced from Gauhati, Barauni, Madras, Koyali and Cochin Refineries. Indane retail marketing in cylinders is carried on by the Indian Oil Corporation through its agents appointed in accordance with a specified policy laid down with the approval of the Government.

**Used chemicals thrown as waste by Gujarat Fertilizers**

7197. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Minister of Petroleum and Che micals** be pleased to state :

(a) whether a large part of used chemicals is thrown away as waste by Gujarat Fertilizers after the production of Fertilizers ;

(b) whethe we have to import naphtha worth crores of rupees from outside every year and if so, the value of naphtha imported; and

(c) whether naphtha can be prepared from the said waste ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K.R. Ganesh):** (a) No, Sir.

(b) The details of naphtha imported/exported during the last three years were as under :

Quantity : '000 tonnes
Value : Rupees/Crores

| | Imports | | Exports | |
|---|---|---|---|---|
| Year | Qty. | Value | Qty. | Value |
| 1972 . . . . . . . | 37.1 | 0.68 | Nil. | Nil. |
| 1973 . . . . | 181.8 | 5.90 | 4.4 | 0.19 |
| 1974 . . . . . . . | 42.9 | 1.68 | 123.7 | 12.09 |

Thus, during 1974, there was a net export of naphtha.

(c) M/s Gujarat State Fertilizer Company have stated that the only large scale waste product in their fertilizer factory is calcium carbonate sludge but this is being sold by them to M/s Associated Coment Corporation for conversion into cement. Moreover, naphtha cannot be produced from calcium carbonate sludge.

**Amendment of Railway Act**

†7198. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring forward a comprehensive bill to modernise the "Railway Act".

(b) whether the aforesaid Act is very old and many amendments have been made therein and whether this step is necessary in order to consolidate and make some new amendments therein; and

(c) if so, the time by which it will be done ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :** (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The endeavour is to complete this work as early as possible.

**कीर्ति एक्सप्रेस, सोमनाथ मेल और द्वारका मेल में ऊंचे दर्जे की 'बर्थे/सीटें**

7199. **श्री ईश्वर चौधरी :**

**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कीर्ति एक्सप्रेस, सोमनाथ मेल और द्वारका मेल में ऊंचे दर्जे की कितनी बर्थों/सीटों की व्यवस्था होती है;

(ख) क्या इन में से प्रत्येक गाड़ी में ऊंचे दर्जे में यात्रियों की देख रेख के लिये 'कन्डक्टर' नियुक्त किये जातें हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(घ) इन गाड़ियों में ऊंचे दर्जे में कब तक 'कन्डक्टर,' नियुक्त किये जायेंगे ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) इन गाड़ियों में पहले दर्जे की जितनी शायिकाओं/सीटों की व्यवस्था की गयी है वह इस प्रकार है:—

| | | शायिकाएं | सीटें |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 अप<br>36 डाउन | कीर्ती एक्सप्रे | 62 | 93 |
| 23 अप<br>24 डाउन | सोमनाथ मेल | 60 | 90 |
| 39 अप<br>40 डाउन | द्वाराका मेल | 18 | 27 |

(क) जी नहीं।

(ग) कण्डक्टर अधिकतर बहुत महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में ही लगाये जाते हैं। इन गाड़ियों के सम्पूर्ण गलियारेदार किस्म के पहले दर्जे के डिब्बों में डिब्बा परिचरों और दूसरे दर्जे के शयनयानों में चल टिकट परीक्षकों की जो व्यवस्था की गयी है उससे यात्रियों की जरूरते भलीभांति पूरी हो जाती हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**डिविजनल सुपरिन्टेडेन्टों को दी गई शक्तियां तथा ग्रेड**

7200. **श्री ईश्वर चौधरी :**

**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में डिविजनल सुपरिटेंडेंटों को जनरल मैनेजरों के लगभग समान ही शक्तियां तथा ग्रेड किये गये हैं;

(ख) उपरोक्त तथ्य की दृष्टि से, क्या रेलवे प्रशासन जोनों को समाप्त/कम करने के बारे में विचार करेगा ताकि जनरल मैनेजरों के कार्यालयों पर होने वाले खर्चों में बचत की जा सके; और

(ग) जनरल मैनेजरों के कार्यालयों पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना खर्च हुआ ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**Railway Employee's Trade Union Leaders Dismissed for Participating in May, 1974 Strike**

+7201. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have dismissed some railway trade union leaders and other employees from service for participating in the strike of May, 1974 ;

(b) if so, their number, railway-wise and the names of the leaders and employees dismissed, zone-wise ;

(c) the names of Railway organisations and unions with which the employees dismissed from service are associated ;

(d) the reasons for dismissing them; and

(e) whether Government have taken a final decision not to take them back on duty ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh)** : (a) to (d) No, however, about 16,700 Railway employees were dismissed/removed from service on charges of serious nature including criminal offences during the illegal strike of May, 1974. Out of this about 15,200 employees have since been taken back to duty. The remaining employees are involved in acts of sabotage, violence and intimidation. Their appeals are being considered sympathetically on merits.

The names of Office bearers of un-recognised unions and the employees associated with them are not maintained. The names of the office bearers of recognised unions are maintained but are not readily available.

**Eastern Railway Employees Suffered Punishment**

+7202. **Shri Ramavatar Syastri** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the Division-wise number of the workers of Eastern Railway who were dismissed, suspended and removed from service and in whose services a break has been caused for taking part in the May, 1974 railway strike ;

(b) the Division-wise number of workers against whom above proceeding have been withdrawn;

(c) the Division-wise number of the workers who are still the victims of Government action ; and

(d) the reasons for not withdrawing the action taken against them and the action Government propose to take in their case ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh)**: (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No L.T.-9492/75]

(d) In accordance with the Government's declared policy, lenient view is being taken of their offences except in cases of sabotage, violence or intimidation, and Railway Administrations are doing their utmost to complete a review of the remaining cases as expeditiously as possible.

### Transfer of Railway Employees for Participating in May, 1974 Strike

+7203. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether most of the Railway employees, after proceedings against them for their participation in the Railway strike of May, 1974 had been withdrawn, have now been transferred from one place to another by the Railway officers to teach them a lesson;

(b) if so, the zone-wise number of such employees transferred;

(c) whether a Member of Parliament of the Communist Party has written letter against this anti-labour policy of the Railway administration enclosing a list of the names of such employees; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh)**: (a) & (b) No, however about 1,360 employees out of 15,200 permanent/temporary employees on re-instatement have been posted elsewhere purely on administrative grounds.

(c) & (d) Yes, letters have been received from Member of Parliament regarding transfer of employees on re-instatement. These transfers were on administrative grounds and cannot be construed as anti-labour.

### Employees of C&W Department Dhanbad Demonstrating before D.S. Dhanbad

+7204. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway employees working the Carriage & Wagon Department of Dhanbad Division of Eastern Railway had staged a peacefful demonstration before the Divisional Office of the Railways on the 17th March, 1975;

(b) if so, the demands of the workers;

(c) whether the Divisional Superintendent had refused to receive the memorandum from the demonstrating workers;

(d) if so, the reasons therefor and whether it was proper to do so; and

(e) if not, the action taken by Government against the officer responsible therefore?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sh. Buta Singh)** : (a) Yes.

(b) to (d) The demonstration was organised by the so called Carriage & Wagon staff Council of Dhanbad area. It is an unrecognised categorywise Organisation; as such the Memorandum was refused to be accepted. It is understood that it was demanded that a substitute under Carriage Foreman, Patratu whose services were terminated should continue to be engaged. Staff are fully aware that for redressal of grievances there is a well established machinery and taking resort to demonstration is not correct.

(e) Question does not arise.

**राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती**

7205. **श्री के० मलन्ना** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1973–74 के दौरान राज्य सरकारों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में कितनी बार तथा कितनी कितनी मात्रा में कटौती की और चालू वर्ष के दौरान यदि कोई कटौती की गई है तो कितनी;

(ख) इन कटौतियों के क्या कारण हैं तथा इसका समूचे तौर पर उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ग) उपभोक्ताओं को परेशानियों से बचाने के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में की गई कटौतियों को हटाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी)** : (क) वर्ष 1973–74 के दौरान राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटों में निम्नलिखित कटौती लागू की गई थी :—

| माह | लागू किये गये कटौती की प्रतिशतता |
|---|---|
| 1 | 2 |
| मई, 1973 | 25 |
| जून, 1973 | 10 |
| नवम्बर, 1973 | 10 |
| जनवरी, 1974 | 15 |
| फरवरी, 1974 | 20 |
| मार्च, 1974 | 15 |

1974–75 के दौरान अप्रैल अगस्त, 1974 से समस्त राज्यों में मिट्टी के तेल के कोटे में 20% से बढ़ाकर 30% तक समान कटौती लागू की गई थी । राज्यों में मिट्टी के तेल की खपत में विशेष बातों पर यथोचित तेल देने के लिए सितम्बर, 74 से समान कटौती योजना में परिवर्तन किया गया था जिससे राज्यों में मिट्टी के तेल की खपत पर प्रभाव पड़ा । 25% की अधिकतम कटौती करते हुए सितम्बर, अक्तूबर, 1974 के दौरान राज्यों को आवंटित सम्पूर्ण मात्रा में 15% की कमी की गई थी । नवम्बर, 1974 से कटौती में औसतन 10% की और कमी की गई थी किन्तु यह कमी अधिकतम 15% तक की गई थी ।

(ख) अशोधित तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के अयात में बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के लिये मिट्टी के तेल के कोटे में ये कटौतियां किया जाना आवश्यक हो गया था । वर्ष के प्रारम्भिक भाग में, जिसमें 20% से 30% के बीच कटौतियां लागू की गई थीं, विभिन्न राज्य सरकारों से कमी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । तथापि नवम्बर, 1974 से राज्यों में मिट्टी के तेल की कमी के बारे में कोई गम्भीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) 1975–76 के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन के अन्तर्गत राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में नवम्बर, 1974 से लागू किये गये स्तर से अधिक करना सम्भव नहीं होगा।

**इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1974 में पास हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार**

7206. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1974 के लिखित प्रश्न पत्रों में पास हो गये थे, किन्तु जिन्हें परीक्षा के लिए साक्षात्कार में छोड़ दिया गया था;

(ख) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मादवारों को लिखित परीक्षा पास कर लेने पर व्यक्तित्व के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाता; और

(ग) यदि हां, तो कम से कम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में इन तकनीकी पदों के लिए तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा व्यक्तित्व परीक्षा को अधिक महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है, जबकि दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण सामान्यतः उनका अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन पाता।

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 1974 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अनुसूचित जाति के 56 उम्मीदवार और अनुसूचित जनजाति के 2 उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा के लिए अर्हक हुए थे। परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के 30 उम्मीदवारों और अनुसूचित जनजाति के 1 उम्मीदवार को उन विभिन्न सेवाओं/पदों पर नियुक्त करने की सिफारिश की है जो इस परीक्षा के आधार पर भरे जाते हैं।

(ख) इंजीनियरिंग सेवा परीक्षाओं और आई० ए० एस० तथा एलाइड सेवा परीक्षाओं में व्यक्तित्व परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अर्हंक अंक नहीं रखे गये हैं। उम्मीदवार इन परीक्षाओं में अन्तिम रूप से सफल होते हैं, उनका योग्यता-क्रम उनकी लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार व्यक्तित्व परीक्षा में कोई अंक प्राप्त किये बिना भी किसी उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए सिफारिश हो सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान भारत में व्यापार स्थापित करने वाली विदेशी कम्पनियां**

7207. **श्री सतपाल कपूर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान देश में जिन-जिन विदेशी कम्पनियों ने व्यापार स्थापित किया, उनके नाम वर्षवार क्या हैं;

(ख) उनकी पूंजी, भारतीय शेयर पूंजी की मात्रा और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और तत्सम्बन्धी अन्य निदेश तथा शर्तें क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान भारत में जिन विदेशी कम्पनियों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बन्द कर दिया है, उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ)** : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत यथा-परिभाषित विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में 1972–73 में ग्यारह, 1973–74 में पांच और 1974–75 में छः कम्पनियों द्वारा अपने व्यापारिक स्थानों की स्थापना किये जाना सूचित किया गया था । भारत में उनके नाम, उनकी जनिन कम्पनियों की पूंजी तथा औद्योगिक गतिविधियों की मुख्य रेखा अनुबद्ध विवरण-पत्र में दिये जाते हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 9493/75]**

चूंकि ये कम्पनियां भारत के बाहर विनिगमित हैं, अतः इनकी कुल प्रदत्त पूंजी में भारतीय शेयर पूंजी की सीमा 1-2-1975 को कम्पनी संशोधन अधिनियम 1974 के लागू होने से पूर्व कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं था । वे शर्तें जिनके अन्तर्गत इन विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को भारत में संचालित किया जाता है, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 11 की धारा 591 और 608 में वर्तनित किया गया है।

(ग) 1972-73 में चौदह विदेशी कम्पनियों द्वारा, 1973–74 में तीन और 1974-75 में छत्तीस द्वारा भारत में अपने व्यापार के स्थानों को बन्द किया जाना सूचित किया गया था । इन कम्पनियों के नाम अनुबद्ध विवरण पत्र 2 में दिये जाते हैं। **[ग्रन्थालय में में रखा गया । देखिये संख्या एव० टी० 943/75]**

## निर्वाचन विधि में संशोधन

7208. **श्री मधु लिमये** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन संबंधी एक मामले के निर्णय में निर्वाचन प्रतीक के साथ सेना अध्यक्षों के चित्रों के पोस्टरों के छापे जाने को 'अनुचित कार्य' बताया है;

(ख) क्या पहले के एक निर्णय में उसी न्यायालय ने परियोजनाओं को शुरू करने के आश्वासन देने, शिलान्यास करने आदि को 'गलत आचरण' की संज्ञा दी थी;

(ग) क्या सरकार भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट 'अनुचित कार्यों,' 'गलत आचरणों' को 'भ्रष्ट आचरण' के अन्तर्गत लाकर विधि में संशोधन करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो विधि में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी)** : (क) उच्चतम न्यायालय ने जो मत व्यक्त किया है वह वस्तुतः निम्नलिखित है:

> "प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और तीनों सेनाध्यक्षों के फोटों वाले पोस्टरों का प्रकाशन एक अनौचित्यपूर्ण कार्य है, किन्तु यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के भीतर आने वाला भ्रष्ट आचरण नहीं है।"

(ख) उच्चतम न्यायालय के पूर्वतर निर्णय से सुसंगत उद्धरण निम्नलिखित हैं :–

"सब कुछ होते हुए भी, विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में, निर्वाचनों के ठीक पूर्व धन खर्च करने के लिए, भले ही वह लोक हित के लिए हो, इन्तजाम करना एक गलत आचरण है । गलत आचरण और भ्रष्ट आचरण के बीच की विभाजन रेखा बहुत क्षीण होती है । इस बात को समझ लेना चाहिए कि लोक हित के लिए कार्यशक्ति का प्रयोग निर्वाचनों के ठीक पूर्व नहीं बल्कि उसके बहुत पहले ही किया जाना चाहिए और यह कि एक छोटा सा साक्ष्य भी इस गलत आचरण को भ्रष्ट आचरण में बदल सकता है। निर्वाचनों के ठीक पूर्व वैवेकिक अनुदान में से संदाय करने से बचना चाहिए।"

(ग) और (घ) ऊपर बताई गई बातों से यह पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय की राय में कौन सी बात गलत आचरण को भ्रष्ट आचरण में बदल सकती है । किन्तु इस बारे में भिन्न-भिन्न रायें हो सकती हैं कि उचित रूप से किस बात का अर्थ गलत आचरण लगाया जा सकता है और लगाया जाना चाहिए और इसलिए इस निमित विधि में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में कार्यरत श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों के लिये रेलवे क्वार्टर**

7209. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में श्रेणी-तीन तथा श्रेणी-चार के कर्मचारियों के लिये रेलवे क्वार्टरों के बारे में 17 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4858 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**विवरण**

| | बम्बई | | कलकत्ता | | दिल्ली | | मद्रास | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | श्रेणी III | श्रेणी IV | श्रेणी III | श्रेणी IV | श्रेणी III | श्रेणी IV | श्रेणी III | श्रेणी IV |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| (क) श्रेणी III और IV के रेल कर्मचारियों के लिए 1972 से अब तक बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास क्षेत्रों में बनाये गये रेलवे क्वार्टर की कुल संख्या । | 420 | 402 | 267 | 70 | 353 | 509 | 348 | 247 |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ख) उन क्वार्टरों की संख्या जो अलग अलग सिगनल और दूर संचार, परि-चालन और लोको विभागों के श्रेणी IV और III के कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं : | | | | | | | | |
| (i) सिगनल और दूर संचार । | 16 | 8 | 18 | — | 7 | 5 | 8 | 19 |
| (ii) परिचालन | 90 | 17 | 19 | 4 | 13 | — | 53 | 45 |
| (iii) लोको | 178 | 90 | 23 | 3 | 3 | — | 60 | 30 |
| (ग) श्रेणी IV से श्रेणी III में पदोन्नति, सिगनल और दूर संचार विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या जो भाग (क) में उल्लिखित नगरों में 1970 से अभी तक टाइप I के क्वार्टरों में रह रहे हैं; और | | 43 | | 59 | | 18 | | 21 |
| (घ) उन्हें टाइप II के क्वार्टर आवंटित करने के लिए की गयी कार्रवाई ताकि श्रेणी IV के कर्मचारियों की मकान की समस्या सुलझ सके । | रेलों पर इस तरह की कोई एकजैसी कार्यविधि नहीं है । अपनी-अपनी स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर रेलों ने अलग-अलग परिपाटी अपना रखी है । लेकिन सामान्यत : जब भी टाइप II के क्वार्टर उपलब्ध होते हैं तो श्रेणी IV से श्रेणी III में पदोन्नत हुए उन कर्मचारियों को, जो टाइप I में रह रहे हैं, वे क्वार्टर दे दिये जाते हैं । इस प्रकार टाइप I के जो क्वार्टर खाली होते हैं वे श्रेणी IV के कमचारियों को आवंटित किये जाते हैं । "अनिवार्य कमचारियों को, जिन्हें समय-कुसमय ड्यूटी देनी होती है क्वार्टरों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है । | | | | | | | |

**कुछ रेलों के सिगनल तथा दूर संचार विभागों में मेंटेनरों के लिये छुट्टी रिजर्व तथा रेस्ट गिवर कर्मचारी**

7210. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल-मंत्री उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे में सिगनल तथा दूर संचार विभागों में मेंटेनरों के लिए छुट्टी रिजर्व तथा रेस्ट गिवर कर्मचारियों

के बारे में 17 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4859 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० तो० 9494 (क)/75]**।

**विभिन्न जोनल रेलवेज में श्रेणी तीन तथा चार के सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण-स्कूल**

7211. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर, पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण मध्य रेलवे में श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के सिगनल तथा दूर संचार कर्मचारियों के लिये कोई प्रशिक्षण-स्कूल है ;

(ख) यदि हां, तो वहां किन वर्गों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन प्रशिक्षण स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों का तथा उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है,

(ग) इन प्रशिक्षण-स्कूलों में शिक्षा का माध्यम क्या है तथा इन स्कूलों में एक समय में अधिकाधिक कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा सकते हैं,

(घ) क्या प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजन तथा निवास की आवश्यक व्यवस्था है, और

(ङ) क्या प्रशिक्षणार्थियों को सिगनल तथा दूर संचार संबंधी आधुनिकतम प्रतिष्ठानों के बारे में अपेक्षित साहित्य दिया जाता है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ङ) तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**रेलवे स्टेशनों पर आपातकालीन डीजल जेनरेटर का रख-रखाव**

7212. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनलिंग तथा दूर संचार सर्किटों के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आपातकालीन डीजल जेनरेटरों का रख-रखाव पहले विद्युत विभाग कर रहा था और अब यह कार्य सिगनल तथा दूर संचार विभाग द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे में वर्ग-वार तथा जोन-वार (एक) विद्युत विभाग ने कितने कर्मचारी समर्पित किये, (दो) विद्युत विभाग से सिगनल तथा दूर-संचार विभाग को कितने कर्मचारी

स्थानांतरित किये गये तथा (तीन) सिगनल तथा दूर-संचार विभाग के लिये कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है।

(ग) इस काम को विद्युत विभाग से सिगनल तथा दूर-संचार विभाग को अन्तरित करने के क्या कारण थे; और

(घ) सिगनल तथा दूर-संचार कर्मचारियों को डीजल जेनरेटरों संबन्धी प्रशिक्षण देने के बारे में वर्ग-बार ब्यौरा क्या है और क्या इस अतिरिक्त कार्य के लिए कर्मचारियों को कोई लाभ दिया जायेगा ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) और (ख) भारतीय रेलों के अधिकतर मण्डलों में, डीजल जनित्र सैटों के अनुरक्षण का काम सिगनल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है क्योंकि डीजल जनित्र सट सिगनल और दूर-संचार संस्थापनों का ही अंश है और सिगनल एवं दूर संचार विभाग के कर्मचारी ही इन संस्थापनों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं ।

उत्तर रेलवे के कुछ क्षेत्रों में, जहां बिजली विभाग इन सैटों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी समझा जाता है वहां, सिगनल और दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों ने डीजल जनित्र सैटों की देखभाल का काम संभाल लिया है । इस काम के लिए, एक सिगनल निरीक्षक और 7 डीजल अनुरक्षक नियुक्त कर दिये गये हैं । चूंकि बिजली विभाग इन डीजल जनित्र सैटों का अनुरक्षण नहीं करता, इसलिए बिजली विभाग द्वारा किसी पद के परित्याग का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) डीजल जनित्र सैट सिगनल और दूर-संचार संस्थापनों का ही अंग है और बिजली चली जाने पर वे जब-तब उपयोग में आते रहते हैं ।

(घ) जिन सिगनल और दूर-संचार संस्थापनों को सहायक के रूप में डीजल जनित्र सेटों की आवश्यकता पड़ती है, उनके अनुरक्षण पर सिगनल और दूर-संचार अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा बार-बार ध्यान दिया जाता है और उनके अंगभूत डीजल जनित्र सैटों की भी वे देखभाल करते रहते हैं । इस प्रयोजन के लिए, काम का यह पक्ष उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है ।

**भारी संख्या में लोगों द्वारा विधि व्यवसाय का अपनाया जाना**

7213. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में लोगो द्वारा विधि व्यवसाय के अपनाए जाने और इसके परिणामस्वरूप इस व्यवसाय के स्तर में गिरावट आने के बारे में सरकार ने कोई निर्धारण किया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :** (क) जी नहीं । अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के पारित किए जाने के पश्चात् से भारी संख्या में लोगों द्वारा विधि व्यवसाय अपनाए जाने और इसके परिणामस्वरूप उस व्यवसाय के स्तर में गिरावट आने के बारे में सरकार ने कोई निर्धारण नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**मोहरी स्टेशन से आगे बम्बई एक्सप्रेस से ट्रक की टक्कर**

7214. **श्री अनादि चरण दास :**
**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
**श्री डी० डी० देसाई :**

**क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अम्बाला-दिल्ली क्षेत्र में मोहरी रेलवे स्टेशन से आगे, बिना कर्मचारी वाले रेल-क्रासिंग पर 21 मार्च, 1975 को तेज गति से जाती हुई बम्बई एक्सप्रैस से हुई ट्रक की टक्कर में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) 21-3-1975 को लगभग 15.47 बजे, उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में, दिल्ली अम्बाला छावनी खण्ड पर मोहरी-शाहबाद मारकंडा स्टेशनों के बीच, बिना चौकीदार वाले समपार नं० 100-सी पर, ट्रक नं० पी० यू० वी० 5313 गाड़ी नं० 53 डाउन अमृतसर एक्सप्रेस के साथ टकरा गया। ट्रक में बैठे पांच व्यक्ति, जिनमें ट्रक ड्राइवर शामिल है, मारे गये।

**बर्दवान स्टेशन को आधुनिक रूप देने संबंधी प्रस्ताव**

7216. **श्री टुना उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना की अवधि के दौरान वर्दवान स्टेशन को फिर से नया रूप देने के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) औसतन कितने यात्री इस स्टेशन का उपयोग करते हैं और प्रतिदिन कितनी रेल गाड़ियां इस स्टेशन से गुजरती हैं;

(ग) स्टेशन पर यात्रियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) स्टेशन को आधूनिक रूप देने के लिए किए जाने वाले सम्भावित निर्माणकार्य की मुख्य बातें क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) (1) लगभग 8,355 यात्री प्रति दिन।
(2) 94 गाड़ियां।

(ग) इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार हैं:—

**प्रतीक्षालय :**

| | |
|---|---|
| पुरुषों के लिए ऊंचे दर्जे के | 2 |
| महिलाओं के लिए ऊंचे दर्जे के | 1 |
| तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय | 1 |
| पुरुषों के लिए शौचालय | 25 सीटें |
| महिलाओं के लिए शौचालय | 10 |

**पेय जल** : एक जल शीतक के अलावा, यात्रियों को पानी की सप्लाई के लिए पानी की चार ट्रालियां और 38 बाल्टियां हैं ।

**विश्रामालय**—3 विश्रामालय जिनमें 8 खाटें हैं ।

**बुकिंग काउंटर**—5

**खान-पान की व्यवस्था** — भोजनालय में भारतीय और पाश्चात्य दोनों तरीके के भोजन उपलब्ध हैं । विभागीय खोमचेवालों और फैरी लगाने वालों से चाय, स्नैक आदि भी उपलब्ध हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता :

## महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) के संबंध में रूसी विशेषज्ञों की भारत यात्रा और भारतीय दलों की विदेश यात्रा

7217. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) कलकत्ता के बारे में कई रूसी विशेषज्ञ दलों ने भारत की यात्रा की है। यदि हां, तो उनकी भारत यात्रा पर कुल कितना खर्च हुआ और इन दलों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सोवियत संघ और पश्चिम जर्मनी की यात्रा करने वाले भारतीय दलों पर कितना खर्च हुआ और उनके प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां। अब तक रूसी विशेषज्ञों के तीन दल भारत भ्रमण कर चुके हैं। उनके भ्रमण पर किया गया कुल खर्च केवल 4,86,000 रुपये है। 1971 के प्रारम्भ में प्रथम दल ने कलकत्ता के लिये प्रथम महानगर लाईन के रूप में दमदम-टालीगंज भूगत लाइन के निर्माण के लिये सिफारिश की। 1972 के प्रारम्भ में द्वितीय दल ने दमदम-टालीगंज द्रुत परिवहन प्रणाली के लिये महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन द्वारा तैयार रिपोर्ट की समीक्षा करके उसे अनुमोदित किया तथा उसके निर्माण के सम्बन्ध में सिफारिश की।

जून, 1974 में तृतीय दल ने कलकत्ता सबवे परियोजना के निर्माण में रूसी सहयोग और सहायता के बारे मे जानकारी दी।

(ख) भारतीय दलों के रूस और कुछ अन्य देशों के भ्रमण का खर्च, केवल 2,46,000 रुपये है। प्रथम भारतीय दल जो 1972 में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, स्वीडन, हंगरी और पश्चिम जर्मनी गया था उसका उद्देश्य विदेशों में महानगर परियोजनाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त करना आयात के लिये उपर्युक्त निर्माण उपस्करों तथा विदेशों में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना था।

1972 के अंत में द्वितीय दल के ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम, जर्मनी स्वीडन और जापान भ्रमण का उद्देश्य चल-स्टाक के अभिकल्प तथा बिजली कर्षण सम्बन्धी उपयुक्त तकनीक का चयन करना था ताकि उन्हें अपनाया जा सके तथा देश में उसका निर्माण किया जा सके।

1973 में तृतीय दल ने रूस की यात्रा रूसी पक्ष को आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं के ब्यौरे, परामर्श और प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता के बारे में जानकारी देने तथा रूसी चल-स्टाक और सिगनल प्रणाली का और अधिक अध्ययन करने के लिये किया।

## रेलवे बोर्ड द्वारा महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता की उपेक्षा

7218. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे बोर्ड की उपेक्षा के कारण महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता के पूरा होने में अत्यधिक विलम्ब हो गया है, हालांकि इसके शीघ्र निष्पादन और वर्ष 1980 तक इसके पूरा किये जाने के बारे में प्रधान मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री सहित अन्य अधिकारियों ने आवश्वासन दिये थे;

(ख) मांगे गये टेंडरों के अनुसार विभिन्न सेक्शनों अथवा डिवीजनों का निर्माण कार्य सौंपने में विलम्ब क्यों हुआ है;

(ग) अब तक कितने टेंडर मांगे गए और खोले गए तथा उनमें से कितनों के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) कितने टेंडरों पर किन कारणों से निर्णय नहीं लिया गया है ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) इस परियोजना के लिये संसाधनों की अनिश्चित उपलब्धता के कारण।

(ग) खोले गए 128 टेंडरों में से 46 का अंतिम रूप से फैसला हो गया है।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता में सुधार होते ही, शेष टेंडरों पर विचार किया जायेगा।

## विदेशी कंपनियों द्वारा औषधियों का आयात

7220. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में औषध निर्माता विदेशी फर्मों को दी गई आयात की अनुमति से सम्बन्धित संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितने मूल्य की किन-किन मदों के आयात की अनुमति दी गई;

(ख) देश में ऐसी ही कितनी औषधियां बनाई जाती हैं और किनके द्वारा ; और

(ग) ऐसी ही औषधियों के आयात के लिये विदेशी फर्मों को अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) विदेशी कम्पनियों सहित समस्त आयात लाइसेंसों के ब्यौरे (अर्थात् पार्टियों के नाम, पता, आयात की मद मूल्य आदि) "औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंस के साप्ताहिक बुलैटिन में प्रकाशित किये जाते हैं जिनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय को उपलब्ध की जाती है। तथापि तकनीकी

विकास महानिदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत आयात की मुख्य मदें उनकी मात्रा तथा मूल्य के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

### Government Companies found guilty under the Companies Act

7221. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the number and names of Government companies found guilty under the Companies Act, 1956 during 1973, 1974 and 1975 indicating the sections of the Act under which they were found guilty and the action taken against them and the results thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua)** : The information is being collected and will be placed on the table of the House.

### New Railway lines laid in Rajasthan during last three years

7222. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any new railway line has been laid or any narrow gauge lines have been converted into broad gauge lines or any new station has been set up or any new train has been introduced in Rajasthan during the last three years; and

(b) if so, which are they ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sh. Buta Singh)** : (a) & (b) Construction of the new railway line from Dabla to Singhana (MG), partly falling in the State of Rajasthan, has been completed during the last three years. This line was opened to traffic with effect from June, 1974. No narrow gauge lines have been converted to broad gauge during this period.

The following twelve new halt/flag stations have been opened on B.G. and M.G. lines in Rajasthan during this period :—

| | |
|---|---|
| (1) Motipura-Choki. | (7) Panotiya |
| (2) Dhindhona-Hukmiaheda | (8) Mandpia |
| (3) Naglatola | (9) Ghasinhar |
| (4) Jaicholi | (10) Majaniwala |
| (5) Salashah Thana | (11) Jorkin |
| (6) Dolijat Kakhara | (12) Pahasar. |

One pair of trains 1 JDP/2 JDP running between Degana-Phulera was extended to/from Bikaner by amalgamating with 1 JMB/2 JMB running between Merta road and Bikaner and re-numbered as 1 JBF/2 JBF providing additional service on Bikaner-Merta Road section. Another pair of trains viz. 86 Dn/85 Up runing between Ahmedabad-Udaipur city was extended to Chittaurgarh.

### Scheme to minimise import of drugs

7223. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the value of the foreign drugs being imported by India at present and the value of those imported during the last three years and the names of these drugs;

(b) whether Government propose to formulate or have already formulated a scheme to minimise the import of drugs; and

(c) if so, the broad features thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K.R. Ganesh):** (a) Particulars of all import licences issued including those of foreign drugs and their value etc., are published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences and Export Licences" copies of which are regularly made available to the Parliament Library.

(b) and (c) The Import of drugs is dependent upon the domestic production of those drugs in the country. At present, almost all the imports are for bulk drugs and drug intermediates. Imports of formulations are allowed only in exceptional circumstances and for negligible quantity and value.

The value of bulk drug production in the country at present is about Rs. 60 crores which is proposed to be increased to Rs. 150 crores during the Fifth Plan Period. Of this the increase in production by the public sector units namely IDPL and HAL would be approximately by Rs. 78 crores.

Towards the development of all industries during the Fifth Plan, various Task Forces were appointed by the Planning Commission of which Task Force on Dugs and Pharmaceuticals is one. This report submitted to the Planning Commission in 1973 has *inter alia* identified the bulk drugs and chemicals and intermediates production of which would need to be increased or newly established in the country and has also worked out the demand of each drug by the Fifth Plan and the need for foreign technology, etc. Government have also published the 'Guidelines for Industries' which include drugs and pharmaceuticals and the information furnished indicates the capacity required in the Fifth Plan and information for the guidance of entrepreneures.

Government had set up a Committee on Drugs and Pharmaceuticals Industry in February, 1974 for examining various facets of the drug industry. The Committee which submitted its report on the 6th April, 1975 have identified 117 essential formulations whose production need to be expanded or taken up in adequate quantities giving top priority for manufacture of the bulk drugs/active ingredients required for the manufacture of these formulations. Government have already initiated action in this regard.

Efforts are being made in India to develop research base with a view to developing new drugs so as to meet increasing demand in the country for drugs and avoid dependence on imports to the maximum extent possible. The programme envisaged for the Public Sector and in the private sector especially Indian Sector would lead to doubling up of production during the 5th Plan Period and therefore would take us nearer the goal of self-sufficiency.

**बिहार और अन्य राज्यों में कुकिंग गैस की कमी**

7224. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल द्वारा नियुक्त सम्बन्धित वितरकों द्वारा सिलेंडरों की सप्लाई अनियमित तथा विलम्ब से करने के कारण पटना (बिहार की राजधानी) में कुकिंग गैस की भारी कमी तथा उसका अभूतपूर्व अभाव उपस्थित हो गया है;

(ख) क्या कुकिंग गैस की कमी कृत्रिम है तथा विक्रेता ऐजेंटों से 'रिफिल' लेने में 20 से 30 दिन लग जाते हैं;

(ग) क्या ऐजेंटों द्वारा इसकी सप्लाई में इतना अधिक विलम्ब करने से विक्रेता ऐजेंटों द्वारा इसकी बड़ी संख्या में चोर बजारी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो देश में बिहार में तथा अन्य राज्यों में कुकिंग गैस की कमी को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी)** : (क) और (ख) उपभोक्ताओं को भरे हुए सिलेंडरों की सप्लाई करने में लगभग दो सप्ताहों की देरी की रिपोर्ट गत मास में प्राप्त हुई थी। सप्लाई की स्थिति अब सुधार गई है और पटना में उस समय, भरे हुए सिलैंडरों की सप्लाई बिना विलम्ब की जाती है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित शिकायतें नहीं हैं।

(घ) इस समय, पटना में भरे हुए सिलैंडरों की सप्लाई करने की स्थिति सामान्य है। देश में खाना पकाने वाली गैस की कमी को पूरा करने के लिये प्रस्तावित कदम, लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2127 दिनांक 4-3-75 के उत्तर में देखने की कृपा करें।

### पतरातू-बरकाकाना स्टेशन पर रेल दुर्घटना

7225. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1975 को पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन के परारातू-बरकाकाना सेक्शन पर हजारी बाग से 70 किलोमीटर दूर एक भयंकर दुर्घटना हुई थी, जिसमें मालगाड़ी के गार्ड-सहित चालक वर्ग के सभी सदस्य मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे और ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये रेल अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) मृत लोगों के सम्बन्धियों को कितना मुआवजा दिया गया और दुर्घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां। 21-3-1975 को पूर्व रेलवे के पतरातू और भुरकुंडा स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी माल से लदी एक बैलगाड़ी से जा टकरायी, जो रेलपथ पर छोड़ी हुई थी। इस दुर्घटना के कारण, गार्ड और दो फायरमैन मारे गए और ड्राइवर को मामूली चोटें आयीं।

(ख) किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोयले से लदी एक बैलगाड़ी गैर-कानूनी ढंग से पटरी पर लाकर छोड़ दी गई थी, वाहनों या बैलगाडियों के अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिये दुर्घटना-स्थल के पास रेलवे लाइन के दोनों ओर अब गहरी खाइयां खोद दी गई हैं और अड़खम्ब लगा दिये गए हैं। गैर-कानूनी प्रवेश करने वालों के विरुद्ध अदालती कार्यवाई करने के लिये पुलिस प्राधिकारियों को भी सावधान कर दिया गया है।

(ग) कोई भी रेल कर्मचारी जिम्मेदार नहीं पाया गया है। तीनों मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितों को देय अपेक्षित मुआवजे का भुगतान करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

### टाटा-मुरी बरकाकाना सेक्शन पर रेल दुर्घटना

7226. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के टाटा-मुरी बरकाकाना सेक्शन पर 24 मार्च, 1975 को दो माल गाड़ियों के टकराने से एक गम्भीर दुर्घटना में अनेक रेल कर्मचारी और चालक वर्ग हताहत हो गए थे;

(ख) क्या देश में हाल ही में रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं, रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई और मृतकों के निकट सम्बन्धियों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां। दुर्घटना के परिणामस्वरूप 4 व्यक्ति (रेल कर्मचारी) उसी ठौर मर गए और एक व्यक्ति (ड्राइवर) को गम्भीर चोटें आयीं।

(ख) और (ग) 1973-74 की तुलना में 1974-75 में गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है जिसका मुख्य कारण था—श्रमिक अशान्ति जिसकी परिणति मई, 1974 में अखिल भारतीय रेल कर्मचारी हड़ताल के रूप में हुई, जिसका चल-स्टाक और रेल पथ के अनुरक्षण पर और विशेष रूप से रेल कर्मचारियों की अनुशासन भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती, बाहरी व्यक्तियों की लापरवाही उपस्करों की खराबी, तोड़-फोड़ और रेल-पथ से छेड़ छाड़ अथवा कई अन्य मिले-जुले कारणों से होती हैं।

दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप 1974-75 में रेल सम्पत्ति को लगभग 2,52,02,682 रुपये की क्षति का अनुमान है और अब तक भारतीय रेल अधिनियम के अधीन मृत व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति के रूप में 3,33,500 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 1974-75 में इन दुर्घटनाओं में मरने वाले रेल कर्मचारियों के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन रेलों ने 2,10,000 रुपये की राशि का भुगतान भी किया है।

सभी दुर्घटनाओं की पूरी तरह से जांच की जाती है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। सुरक्षा संगठनों को गाड़ियों के चालन के काम में लगे कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के काम में लगाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी सुरक्षा नियमों के उल्लघंन न करें अथवा लाघवपूर्ण तरीके न अपनायें। इस प्रयोजन के लिये समय समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं। कर्मचारियों के प्रारम्भिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया है।

## समस्तीपुर–दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में चोरियां

7227. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती जनता समस्तीपुर-दिल्ली ऐक्सप्रेस रेल गाड़ी यात्रियों के सामान की लगातार चोरियों और रेलगाड़ी में आम तथा पुराने डिब्बे लगाये जाने के कारण अपनी लोकप्रियता खो रही है;

(ख) क्या पुलिस व्यवस्था के अभाव के कारण अधिकांशतः समस्तीपुर में रेलगाड़ियों में चोरियां रोजमरा की बात बन गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस रेल में तथा देश में तीव्र चलने वाली अन्य रेलगाड़ियों में बढ़ती हुई चोरियां रोकने के लिये सरकार का शीघ्र क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी नहीं। 1975 के दौरान इस गाड़ी पर यात्री सम्पत्ति की चोरी के केवल 3 मामले हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) भेद्य खंडों से गुजरने वाली सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों पर सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग रक्षकों की व्यवस्था की जाती है।

**मार्च से मई, 1975 के महीनों के दौरान नई रेलगाड़ियों का चालू किया जाना**

7228. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च से मई, 1975 के महीनों के दौरान यात्रियों के परिवहन के लिये रेलवे विभाग ने कुछ नई रेल गाड़ियां चालू की हैं अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी नई रेल गाड़ियां चालू की गई हैं और उक्त अवधि के दौरान कितनी अन्य रेलगाड़ियों को चालू किये जाने की संभावना है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) 30 मार्च, 1975 से नयी दिल्ली और वाराणसी के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई है तथा मई, 1975 के प्रथम सप्ताह से नई दिल्ली और सिकन्दराबाद के बीच एक साप्ताहिक जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी नियमित रूप से चलाये जाने का विचार है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, से जुलाई, 1975 तक गर्मी के महीनों में छुट्टियों से सम्बन्धित यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को दूर करने के लिये विभिन्न मार्गों पर लगभग 470 विशेष गाड़ियां चलाने का विचार है।

**मार्च, 1974 और 1975 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं**

7229. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के मार्च महीने की तुलना में मार्च, 1975 में अधिक संख्या में रेल दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण तेज गति की गाड़ियां चलाना और कर्मचारियों की लापरवाही है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) 1975 के मार्च के महीने में गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार पर होने वाली और गाड़ियों में आग लगने की 77 दुर्घटनाएं हुईं, जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ऐसी 63 दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) दुर्घटनाएं होने में और तेज गाड़ियां चलाये जाने में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दिखायी पड़ता। मानवीय त्रुटियां ही हमेशा दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा एकमेव कारण रहा है।

## तमिलनाडु में तेल की खोज

7230. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में और अधिक संख्या में तेल के कुओं की खोज करने की योजना बनाई जा रही है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मण्डपय में पहले कुएं की खुदाई को ध्यान में रखते हुए, आयोग नई नीति अपनाने की योजना बना रहा है;

(ग) यदि हां, तो तेल का पता लगाने के लिये किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) क्या उक्त कार्य के लिये और अधिक धन आवंटित किया गया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी)** : (क) से (घ) भूगर्भीय विचारधाराओं पर, जहां उचित समझा जाता है तेल अन्वेषण करना, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का प्रयास रहा है। अब तक तमिलनाडु राज्य में 12 अन्वेषण कुएं खोदे गए हैं। इस समय मंडापम में खोदे जाने वाले कुएं के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो अन्य तेल अन्वेषण कुएं एक कराइकल और दूसरा तूथुराइपुण्डी में खोदने के लिये राशि की व्यवस्था की है।

## तमिलनाडु में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

7231. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 या 1976 के दौरान तमिलनाडु में और अधिक संख्या में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या ये उर्वरक संयंत्र कुछ अन्य देशों की सहायता से स्थापित किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित संयंत्रों की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का विस्तार करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान जिन उर्वरक संयंत्रों का विस्तार किये जाने की सम्भावना है, उनके नाम क्या हैं।

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) से (ग) कास्टिक सोडा के निर्माण में प्राप्त क्लोरीन उप-उत्पाद का प्रयोग करते हुए, 21,000 मी० टन प्रति वर्ष फर्टिलाइजर ग्रेड अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन करने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था हेतु मैसर्स कोठारी (मद्रास) लि० को एक आशय पत्र देने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है। किसी विदेशी सहयोग की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) एन०पी०के० उर्वरक के उत्पादन के लिये सरकार ने मद्रास उर्वरक लि० के संयंत्र के विस्तार के लिये स्वीकृति दे दी है।

**किसी अवधि में की गई खरीद को मात्रा पर आधारित अवकल प्रोत्साहन (डिफरेंशियल इनेसिन्टव) बोनस की अदायगी के बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग का निर्णय**

7232. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने निर्णय दिया है कि किसी अवधि में की गई खरीद की मात्रा पर आधारित अवकल प्रोत्साहन बोनस की अदायगी एक निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया है;

(ख) क्या निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाओं के रजिस्ट्रार को इस आशय की बहुत सी !शकायतें मिली हैं कि अधिकांश कम्पनियां इस प्रकार का अवकल प्रोत्साहन दे रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग के समक्ष विचाराधीन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने उन पर कोई अन्तिम निर्णय किया है; इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) :** (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) तथा (घ) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। चूंकि इन मामलों में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की जांच अभी प्रवर्तमान है, अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार के मामलों में आयोग के आदेशों के किसी उल्लंघन के लिये, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 50 में उपबन्धित दंड भोगने पड़ते हैं।

**विवरण**

| क्रम संख्या | उस उपक्रम का नाम, जिसके बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा जांच की गई है। | भिन्न प्रोत्साहन लाभांश आदि की प्रकृति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आई० टी० सी० लिमिटेड तथा वजीर सुलतान टोबैको कम्पनी लिमिटेड | विभिन्नता युक्त तथा विशिष्ट व्यापार मात्रा। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | रेमन्ड वूलन मिल्स लिमिटेड (जे०के० इन्जीनियरिंग फाइल्स प्रभाग), बम्बई। | बट्टा तथा व्यापारावर्त लाभांश देने में भेदभाव। |
| 3. | सिंगर स्यूइंग मशीन कम्पनी लि०, बम्बई। | न्यूनतम व्यापारावर्त सहित व्यापारावर्त के आधार पर बट्टे तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना। |
| 4. | एन० एम० त्रिपाठी प्रा० लि०, बम्बई। | खरीददारों तथा खरीददारों के मध्य कानून की किताबों पर बट्टे की दर में भेदभाव तथा कानून की किताबों की बिक्री पर बट्टा उस दर से भिन्न निम्न दर से देना, जिस पर पुस्तक व्यापार में बट्टा दिया जाता है। |
| 5. | बाटा इण्डिया लिमिटेड। | जूतों की विभिन्न श्रेणियों के लिये विशिष्टीय दरों पर बट्टा देने से अलग (अर्थात् चमड़े की चप्पलों तथा हवाई वेज श्रेणियों पर 8.25 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणियों पर 8.5 प्रतिशत) थोक विक्रेताओं को कुल व्यापारावर्त्त का 1 प्रतिशत अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। पुनः, यदि सम्पूर्ण व्यापारावर्त एक सीमा की राशि से अधिक हो जाता है, तो अधिक राशि पर 1 प्रतिशत का अलग बट्टा दिया जाता है। |
| 6. | बजाज इलैक्ट्रीकल्स लि० | कम्पनी द्वारा समय-समय पर निश्चित किये गए व्यापार बट्टे के अतिरिक्त, $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत का "विशिष्ट बट्टा" व्यापारियों की इस शर्त के आधार पर दिया जाता है कि उनकी वार्षिक खरीद (लैम्प तथा ट्यूबों के अलावा), कम्पनी द्वारा निश्चित लक्ष्य अथवा इससे अधिक पर पहुंच जाय। |
| 7. | टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोको-मोटिव कम्पनी लिमिटेड | बट्टे की दर फालतू पुर्जों पर 18 प्रतिशत तथा पूरी वस्तु पर 10 प्रतिशत है। । 2 लाख रु० या इससे अधिक के मूल्य के अधिकांश आदेशों पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। 1 प्रतिशत के अतिरिक्त बट्टे की पात्रता के लिये अधि-कांश आदेशों में, 1.50 लाख रुपये के न्यूनतम मूल्य के अकाष्ठीय पुर्जों के आदेश सम्मिलित होने चाहियें। |

**रेलवे में चोरी की घटनाओं से निबटने के लिये एक पैनल की स्थापना करने संबंधी निर्णय**

7233. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रेलवे सम्पत्ति की बहुत बड़ी मात्रा चुराई जा रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेलवे में चोरी की घटनाओं से निबटने के लिये एक पैनल की स्थापना करने सम्बन्धी कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पैनल के कौन-कौन से सदस्य होंगे और इसके कृत्य क्या होंगे ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां। रेलों पर रेल सम्पत्ति की चोरियों की वारदातें हुई हैं।

(ख) यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है कि एक वरिष्ठ एवं अनुभवी रेल अधिकारी को नियुक्त किया जाए जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करे और यह परामर्श दे कि इस समस्या को सुलझाने के लिये राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाइयां की जानी अपेक्षित हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**बम्बई के निकट गहरे समुन्द्र में तेल उत्पादन के बारे में सोवियत संघ के विशेषज्ञों के विचार**

7234. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के विशेषज्ञों की अभी हाल की यात्रा के दौरान उन से गुजरात के समुद्रतट के सर्वेक्षण रिपोर्ट की भी जांच करने के लिये कहा गया था;

(ख) क्या गुजरात में तेल का पता लगाने के लिये किये जा रहे प्रयासों को बन्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी)** (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**टाडी तथा अनकापल्ले के बीच रेल लाइन पर पाये गये देसी "कुड" बम**

7235. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
**श्री प्रबोध चन्द्र :**
**श्री मधु दंडवते** :
**श्री नवल किशोर शर्मा :**
**श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1975 को दक्षिण मध्य रेलवे में टाडी और अनकापल्ली स्टेशनों के बीच रेलवे पुल के निकट बाईस देशी बम टोकरी में रखे रेल लाइन पर पाये गये थे;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी भी की गई है; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां, टाडी और अनकापल्ले रेलवे स्टेशनों के बीच पुल सं० 718 पर, अप लाइन के पास 28 देशी बम पाये गये थे; एक टोकरी में 22 कूड बम नहीं।

(ख) 28-3-1975 को, लगभग 8.30 बजे, मवेशी चराते हुए एक 13 वर्षीय लड़के को उस स्थान पर 28 देशी बम पड़े मिले। उसने उनमें से एक बम उठा लिया और उसे पुल सं० 718 की मुण्डेर पर रगड़ा। बम जोरदार धमाके से फटा और लड़का घायल हो गया रेलवे के फाटकवाले ने यह सूचना स्टेशन मास्टर अनकापल्ले को भेजी। अनकापल्ले के स्टेशन मास्टर, से सूचना मिलने पर, स्थानीय पुलिस अधीक्षक और कलक्टर, वाल्तेरु, तथा नौसेना आयुध डिपो के विशेषज्ञों ने उस स्थल का निरीक्षण किया। जांच पड़ताल में सहायता देने के लिए पुलिस के कुत्ते भी बुलाये गये। रेल पथ या रेल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची।

(ग) अभी तक इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

(घ) कासिमकोट पुलिस ने विस्फोट पदार्थ अधिनियम की धारा 7 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और जांच हो रही है।

**लालागोला जाने वाली पैसेंजर गाड़ी का वीरनगर स्टेशन पर पटरी से उतरना**

7236. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लालागोला जाने वाली यात्री गाड़ी के पूर्व रेलवे के राणाघाट कृष्णनगर स्टेशन पर वीरनगर स्टेशन पर पटरी से उतर जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 15 अन्य व्यक्ति घायल हो गये थे,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को क्या मुआवजा दिया गया?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) 26-3-1975 को लगभग 16.23 बजे पूर्व रेलवे के सियालदह-लालगोला खण्ड के वीरनगर स्टेशन के अप सम्मुख कांटों पर 365 अप सियालदह-लालगोला से सवारी गाड़ी पटरी से उत्तर गयी। इस दुर्घटना के फलस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया और नौ घायल हुए, जिनमें से 5 को गंभीर चोटें आयीं। इसके अलावा 6 व्यक्तियों को मामूली खरोंच और छीलन जैसी छोटी-मोटी चोटें आयीं।

पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार रेल कर्मचारियों की गलती के कारण गाड़ी पटरी से उतर गयी थी।

(ग) भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत इस दुर्घटना के पीड़ितों को अभी तक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

**बरौनी उर्वरक संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा होना**

7237. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित बरौनी उर्वरक संयंत्र का निर्माण-कार्य लगभग पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू होने की संभावना है; और

(ग) चालू किये जाने वाले संयंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है और इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इस पर कितना लागत व्यय होगा?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) बरौनी उर्वरक प्रायोजना यांत्रिक रूप में पूरी है और पूर्ण आरम्भ प्रचालन तथा परीक्षण प्रगति पर है। इन प्रचालनों के दौरान रिफार्मर स्टेशन में कुछ खामियां जैसे लीकेज देखे गए। इन खामियों को, अपेक्षित उपस्करों के आयात द्वारा दूर करने के लिए कार्रवाही आरम्भ की गई है 1975 के अन्त तक संयंत्र की वाणिज्यिक उत्पादन करने की संभावना है।

(ग) प्रायोजना जिस की यूरिया की प्रतिवर्ष 3,30,000 मी० टन की स्थापित क्षमता है (प्रतिवर्ष नाईट्रोजन के 1,52,000 मी० टन के बराबर) उस पर लगभग 69 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

**बिना गार्डों और ब्रेकमैनों के गाड़िया चलाने के विरुद्ध शिकायतें**

7238. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बहुत से सेक्शनों पर गाड़ियां बिना गार्डों और ब्रेकवानों के चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या ड्राइवरों द्वारा इस प्रथा के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों, जिससे चोरियों और उठाईगिरी करने में सुविधा हो जाती है, पर रेल अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं; और

(ग) क्या उनका विचार इस मामले में अधिकारियों के उत्तरदायित्व की जांच करने का है क्योंकि इस प्रकार रेल सम्पत्ति की चोरियां करने में सहायता मिलती है और उनके लिये प्रेरणा मिलती है?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां। कभी-कभी गाड़ियां, विशेष अनुदेशों के अधीन, बिना गार्डों और ब्रेकयानों के चलायी जाती हैं। ऐसा वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अनुमेय है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**मथुरा तेल शोधनशाला आरम्भ किये जाने पर विवाद**

7239. **श्री भाऊ साहब धामनकर** :

**श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1975 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'रो ओवर मथुरा शैडयूल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) जी हां, तो विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी)** : (क) सरकार नें 29 मार्च, 1975 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख) और (ग) मथुरा शोधनशाला प्रायोजना को पहले ही पांचवी योजना में सम्मिलित किया गया है तथा 1975-76 के वार्षिक योजना में प्रायोजना के लिए धन की व्यवस्था भी की गई है किन्तु आयातित अशोधित तेल की लागत में तीव्र वृद्धि विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता तथा कठिन संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रायोजना को पुनः चरणबद्ध करने के लिए विचार किया जा रहा है। प्रायोजना का कार्य जारी है।

**पश्चिम तथा मध्य रेलवे में उपरि पुलों का निर्माण**

7240. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाना जिले में कुछ उपरि पुल मंजूर किये गये हैं और प्रवेश मार्गों के निर्माण के लिये कुछ निर्माण-कार्य आरम्भ किये गये हैं परन्तु पश्चिम रेलवे में दाहानु, पालघार, बसीम तथा बिहार और मध्य रेलवे में डोम्बीवाली (प्रस्तावित) शाहाद, अम्बरनाथ, आसनगांव, शाहपुर, बादलपुर उपरी पुलों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बसीन, पालघार, आसनगांव में निर्माण-कार्य दो वर्ष पहले पूरा हो चुका है परन्तु उपरि पुलों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है; और

(घ) उपरि पुलों का निर्माण शीघ्रता से करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) दहानू रोड, पालघर के ऊपरी सड़क पुलों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और इन पुलों पर काम हो रहा है।

शाहाद के ऊपरी सड़क पुल की मंजूरी भी दी जा चुकी है लेकिन वास्तविक काम शुरू नहीं किया जा सका। बेसिन रोड के ऊपरी सड़क पुल की मंजूरी भी पहले दी गयी थी लेकिन बाद में प्रस्तावित दिवा-बेसिन रेल सम्पर्क में परिवर्तन और सड़क के मार्ग निर्धारण में भी परिवर्तन हो जाने के कारण इस योजना में संशोधन करना पड़ा।

डोंबिवली और असनगांव के ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है लेकिन अभी निर्माण-कार्य की स्वीकृति नहीं हुई है।

फिलहाल सम्बन्धित राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों से विरार, अम्बरनाथ, शाहपुर और बदलापुर में ऊपरी सड़क पुल बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) दहानू रोड और पालधर में पुल खास पर निर्माण-कार्य हो रहा है।

शाहाद में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि भूमि के अधिग्रहण में कठिनाइयों के कारण पुल के स्थान में परिवर्तन करने का प्रस्ताव था। डोंबिवली और असनगांव में ऊपरी सड़क पुल की मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि राज्य सरकार सड़क प्राधिकारियों ने कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं।

बेसिन में तब तक निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया जा सकता जब तक संशोधित योजना की मंजूरी के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं।

विरार, अम्बरनाथ, शाहपुर और बदलापुर में काम शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इनके लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) आसनगांव के ऊपरी सड़क पुल का मिट्टी सम्बन्धी काम अंशतः पूरा हो गया है लेकिन पुल खास के अनुमान को अभी तक राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। बेसिन में ऊपरी सड़क पुल का मिट्टी सम्बन्धी काम पूरा हो चुका है लेकिन भाग (ख) में उल्लिखित कारणों से पुल सम्बन्धी भाग का काम शुरू नहीं किया गया है। पालधर के पुल के पहुंच मार्गों का मिट्टी सम्बन्धी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, राज्य सरकार ने इस काम के पूरा होने की संभावित तारीख 30-6-1975 निश्चित की है। पालधर में भी केन्द्रीय स्पेन में इस्पात के गर्डर खड़े करने और सड़क-पट्टों की ढुलाई के काम को छोड़कर पुल सम्बन्धी भाग का काम पूरा हो चुका है। केन्द्रीय स्पेनों के लिए इस्पात के गर्डर, निर्माण स्थल पर पहुंच गये हैं।

(घ) प्रत्येक निर्माण कार्य की स्थिति इस प्रकार है:--

**डोंबिवली में ऊपरी सड़क पुल**

योजनाएं, अनुमान आदि तैयार करने के सम्बन्ध में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गयी हैं और ज्यों ही डोंबिवली नगर परिषद् ऊपरी सड़क पुल के अपने हिस्से की लागत रेलों के पास जमा करायेगी, इस काम की मंजूरी दे दी जायेगी। हाल में 30 मार्च, 1975 को मध्य रेलवे द्वारा आयोजित एक बैठक में डोंबिवली नगर परिषद् ने यह सूचना दी है कि वह आगामी महीनों में जल्दी ही अपने हिस्से की लागत तीन किस्तों में जमा करा देगी और 25,000 रुपये की पहली किस्त 9-4-1975 को प्राप्त हो गयी हैं। 56,000 रुपये की शेष राशि के जमा होते ही इस काम की मंजूरी दे दी जायेगी।

**असनगांव में ऊपरी सड़क पुल**

सड़क प्राधिकारियों ने पहुंच मार्गों का मिट्टी सम्बन्धी काम अंशतः पूरा कर लिया है । लेकिन पुल खास का निर्माण शुरू नहीं किया गया क्योंकि लागत में हिस्सा बंटाने सम्बन्धी कई मामलों में राज्य सरकार से बात-चीत करके फैसला किया जाना था। 30-8-1974 को हुई एक बैठक में असनगांव में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की लागत के आवंटन के सिद्धांतों पर विचार-विमर्श किया गया था और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। इस सिद्धांत के आधार पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का अनुमान जनवरी, 1975 में स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से इस अनुमान की स्वीकृति नहीं मिली है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कई अनुस्मारक भेजे गये हैं।

**शहाद में ऊपरी सड़क पुल**

मध्य रेलवे इस पुल के निर्माण कार्य के वास्तविक रूप में शुरू होने के बारे में राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है। हाल में फरवरी, 1975 में राज्य सरकार ने मध्य रेलवे को बताया है कि ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए मूल स्थान ही ठीक है और उसने तदनुसार मध्य रेलवे से पुल का निर्माण शुरू करने का अनुरोध किया है। अब टेंडर मंगाने की व्यवस्था की जा रही है और काम का शुरू किया जाना वित्तीय वर्ष 1975-76 में धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

**पालघर में ऊपरी सड़क पुल**

उपर्युक्त ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्गों का मिट्टी सम्बन्धी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कार्यकारी इंजीनियर, थाना (बी० एण्ड सी०) मण्डल, थाना ने उपर्युक्त ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्गों के पूरा होने की संभावित तारीख 30-6-1975 निश्चित की है। जहां तक पुल सम्बन्धी भाग का सम्बन्ध है, पुल के केन्द्रीय स्पैन में इस्पात के गर्डर खड़े करने और उन पर सड़क-पट्टों की ढलाई करने के काम को छोड़कर बाकी सारा काम पूरा हो चुका है। केन्द्रीय स्पैन के लिए इस्पात के गर्डर निर्माण-स्थल पर पहुंच गये हैं।

**दहानू रोड में ऊपरी सड़क पुल**

उपर्युक्त ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्गों का मिट्टी सम्बन्धी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कार्यकारी इंजीनियर (बी० एण्ड सी०) मण्डल, थाना ने पहुंच-मार्गों के काम के पूरा होने की संभावित तारीख 13-11-1975 निश्चित की है। जहां तक पुल सम्बन्धी भाग का सम्बन्ध है, दो केन्द्रीय स्पैनों में इस्पात के गर्डर खड़े करने और उन पर सड़क-पट्टों की ढलाई करने के काम को छोड़कर शेष सारा काम पूरा हो चुका है। दो केन्द्रीय स्पैनों के लिए इस्पात के गर्डरों के निर्माण का काम पूरा होने वाला है।

**बेसिन रोड में ऊपरी सड़क पुल**

यह काम तभी शुरू किया जा सकता है जब इस प्रस्ताव को निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाये बशर्ते धन उपलब्ध हो और साथ ही राज्य सरकार संशोधित सामान्य प्रबन्ध व्यवस्था का अनुमोदन कर दे और आरेख, शर्तों आदि का ज्ञापन समय पर प्राप्त हो जाये ताकि रेलें इस काम को निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर सकें।

**अम्बरनाथ, शाहपुर और बदलापुर में ऊपरी सड़क पुल**

अम्बरनाथ, शाहपुर और बदलापुर के समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों ने कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है। लेकिन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के निक्षेप कार्य के रूप में बदलापुर में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की मंजूरी 1973 में दी गयी थी और यह काम 1974 में पूरा हो गया था।

**विरार में ऊपरी सड़क पुल**

राज्य सरकार ने किसी वर्तमान समपार के बदले अथवा निक्षेप कार्य के रूप में विरार में ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए अभी तक रेल प्रशासन से कोई अनुरोध नहीं किया है।

**आल इंण्डिया लोको रनिंग एसोसियेशन द्वारा आन्दोलन की धमकी**

7241. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि आल इंडिया लोको रनिंग एसोसियेशन ने 1973 के करारों को क्रियान्वित करवाने के लिये आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो जो करार किये गये हैं, उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां। संघ से प्राप्त 24-3-75 के ज्ञापन में भविष्य में अप्रिय स्थिति की ओर संकेत किया गया है यदि उनके द्वारा उठाये गये मामलों का दो महीने के भीतर निबटारा नहीं होता ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें करार की विभिन्न मदों पर की गई कारंवाई बतायी गयी है।

## विवरण

**अनुमानत** : यह 13-8-73 को भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा संसद् में दिये गये उस बयान से सम्बन्धित है जिसमें लोको रनिंग कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में आश्वासन दिये गये थे। निम्नांकित विवरण में विभिन्न आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई बतायी गयी है।

(i) अगस्त, 1973 की हड़ताल से हुए सेवाभंग को रेलों द्वारा माफ कर दिया गया था और इस आंदोलन से सम्बन्धित अनुपस्थिति की अवधियों को उपार्जित या भविष्य में अर्जित छुट्टी में समायोजित कर दिया गया था।

(ii) (क) मई-अगस्त, 1973 के आंदोलनों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को छोड़ दिया गया था सिवाय उनके जिन पर तोड़-फोड़ करने, रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने और हिंसक अपराधों के आरोप थे।

(ख) जिन अपराधों में तोड़ फोड़, हिंसा या रेल सम्पत्ति को हानि पहुंचाने के आरोप नहीं थे, उनके सम्बन्ध में भारत रक्षा नियमों के अधीन दिये गये आरोप-पत्रों को वापस लेने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था।

(iii) मई और अगस्त, 1973 की हड़तालों के कारण हुई पदावनतियों, निलम्बन और नौकरी से हटाने सम्बन्धी कार्रवाई को नवम्बर, 1973 के अन्त तक रद्द कर दिया गया था और विवादग्रस्त मामलों को इस उद्देश्य हेतु नियुक्त लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की उप-समिति को सौंपा गया था।

(iv) मई और अगस्त, 1973 से सम्बन्धित प्रशासनिक ढंग के आरोप-पत्र वापस ले लिये गये थे विवादग्रस्त मामलों को लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की उप-समिति को सौंप दिया गया था।

**टिप्पणी** : उपर्युक्त (iii) और (iv) के अन्तर्गत विवादग्रस्त मामलों के सम्बन्ध में उप-समिति की सिफारिशों के विषय में अधिकांश मामलों के बारे में लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति के अध्यक्ष के निर्णय रेलों को भेज दिये गय हैं।

(v) लोको रनिंग कर्मचारियों के लिए 10 घंटे की रनिंग ड्यूटी चालू करने के सम्बन्ध में, संसद् में घोषणा कर दी गयी है। इसे चरणबद्ध ढंग से चालू किया जायेगा और 1976 के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा। यात्री ढोने वाली गाड़ियों पर काम करने वाले कर्मचारियों पर इसे लागू किया जा चुका है और अन्य गाड़ियों पर काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में शुरुआत की गयी है।

(vi) समझौते के अनुसार लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति ने 3 अन्य शिकायतों की जांच की थी और उनमें से दो को अर्थात् (i) समान कार्य के लिए समान वेतन-फायरमैन और शंटरों के सम्बन्ध में उठाया गया प्रश्न और (ii) डाक्टरी परीक्षा में असफल कर्मचारियों के वेतन का संरक्षण 16/17 सितम्बर, 1974 को हुई लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत उप-समिति ने अन्तिम रूप से निपटा दिया था। तीसरे प्रश्न पर जो 'मील भत्ता के भुगतान के आधार पर युक्तिकरण' से सम्बन्धित है, अभी तक विचार-विमर्श हो रहा है।

**अशोधित तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट**

7242. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलयम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मन्डी में अशोधित तेल के मूल्यों में कोई गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत को क्या लाभ होगा ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख)** कच्चे तेल का अन्तर्राष्ट्रीय विपणन मूल्य पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और अलग अलग तेल उत्पादक देशों के निर्णय द्वारा पहले ही तय किए जाते है। वियना में आपके सदस्यी देशों की बैठक दिसम्बर. 1974 को हुई थी जिसमें उन्होंने कच्चे तेल के मूल्य में पहली जनवरी 1975, से संशोधन करने का निर्णय किया था जो सितम्बर, 1975 तक लागू रहेगी। अभी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नथापि उसके मूल्यों में गिरावट के अनेक संकेत विशेष रूप से उसी स्थान की बिक्री से मिले हैं इस समय स्थिति ऐसी है कि इस अवस्था में यह कहना कठिन है कि हमें इससे क्या लाभ होगा। स्थिति को निरन्तर ध्यान में रखा जा रहा है।

**शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में रेल लाइन के निर्माण सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन के निष्कर्ष**

7243. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइन रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में एक नई ब्राड गेज लाइन के निर्माण सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने सर्वेक्षण प्रतिवेदन की सभी दृष्टिकोणों से जांच कर ली है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है, और यदि नहीं तो निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या इस परियोजना पर कार्य धीमी गति से हो रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) कार्य को तेजी से करने के लिये सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गयी है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** (क) और (ख) : भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में बड़ी लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण अभी चल रहा है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट 30-6-1975 तक उपलब्ध होने की संभावना है।

(ग) और (घ) उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत इस परियोजना का निर्माण कार्य संतोषप्रद ढंग से हो रहा है।

**भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण स्वीकार करना**

7244. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के क्षेत्र में नई बड़ी लाइन के स्वीकृत निर्माण-कार्य के लिए अन्तिम स्थल-सर्वेक्षण कब शुरू किया गया था और कब पूरा हुआ या पूरा करने का प्रस्ताव है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या रेल-मार्ग के रेखांकन के बारे में और कस्बों को रेल मार्ग से जोड़ने या उन्हें रेल-मार्ग से असम्बद्ध करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) रेल मार्ग के नये रेखांकन का निर्धारण करने में क्या मानदण्ड अपनाया गया है और भूतपूर्व एस० एस० लाइट रेलवे से असम्बद्ध किसी नये कस्बे को जोड़ने या भूतपूर्व एस० एस० लाइट रेलवे द्वारा पहले सम्बद्ध किसी पुराने स्टेशन/कस्बे को असम्बद्ध करने के क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र में एक बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम मार्ग-निर्धारण सर्वेक्षण का काम 28-1-1974 को शुरू किया गया था और 30-6-75 तक इसके पूरे हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण पूरा होने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) अन्तिम संरेखण का अपनाया जाना अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा जिसका काम चल रहा है।

(ग) नया संरेखण सामान्यतः शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के पुराने संरेखण का अनुगमन करेगा सिवाय दोनों अन्तिम सिरों के, क्योंकि नयी लाइन को वर्तमान बड़ी लाइन के तन्तुजाल के साथ जोड़ना है। इंजीनियरिंग, परिचालन या यातायात की दृष्टि से आवश्यकतानुसार मामूली हेर-फेर किया जा सका है।

**एस० एस० लाइट रेलवे की बड़ी लाइन में बदलने के कार्य का पूरा होना**

7245. **श्री के० लकप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को पूरा करने के लिये सरकार ने मूलतः क्या समय निर्धारित किया था ;

(ख) अब तक जितना कार्य पूरा हुआ है उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) यह कार्य वास्तव में कब तक पूरा होगा ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने का निर्धारित समय 1-4-79 है।

(ख) 31-3-75 को महत्वपूर्ण मदों के निर्माण सम्बन्धी काम की प्रगति इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| निर्माण | 33 प्रतिशत |
| बड़े पुल | 10 ,, |
| छोटे पुल | 2 ,, |
| कुल ठोस प्रगति | 13 ,, |

(ग) 31-3-1975 तक का प्रत्याशित खर्च 2.20 करोड़ रुपया है।

(घ) यदि वर्ष-प्रति-वर्ष प्रर्याप्त धनराशि उपलब्ध हुई तो उपर्युक्त लक्ष्य समय पर काम पूरा हो जाने की संभावना है।

**औषधियों के मूल्यों में कमी करने के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें**

7246. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने उपभोक्ताओं के लिये औषधियों के मूल्यों में कमी करने के बारे में अपने निर्देश पद संख्या (6) पर विस्तार से विचार करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की थी, यदि हां, तो उप-समिति के सदस्य कौन-कौन थे;

(ख) क्या निवेशित पूंजी का जबकि अन्य उद्योगों में मूल्य नियत करने का आधार माना जाता है परन्तु इस उद्योग में विदेशी फर्मों को लाभ पहुंचाने के विचार से ऐसा नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्य नियत करने के मामले में निवेशित पूंजी के आधार को इस उद्योग में भी मान्यता देने का है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) से (ग) सरकार द्वारा औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट 6 अप्रैल, 1975 को प्राप्त की गई थी तथा सरकार उस पर विचार कर रही है।

**निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में लगी हुई कम्पनियों के विरुद्ध जांच**

7247. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी फर्मों की संख्या और नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत छः महीनों में निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में लगे रहने के कारण जांच आरम्भ की गई थी ; और

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिसमें जांच पूरी हो गई है और उन फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ)** : (क) दिनांक 18-3-75 को उत्तरित सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 3818 के अनुसरण में 1-1-1974 से 31-12-74 तक की अवधि में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं पर संस्थित जांचों को प्रदर्शित करता हुआ विस्तृत विवरण-पत्र सदन के पटल पर दिनांक 24-3-1975 को प्रस्तुत किया गया था। 1-1-1975 से 15-4-1975 तक की अवधि में आयोग द्वारा संस्थित जांचों के सबन्ध में इसी प्रकार की सूचना प्रदर्शित करता हुआ अगला विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों के विवरण का जिनमें अभी तक जांचें पूर्ण की जा चुकी हैं और आयोग द्वारा आदेश पारित किये जा चुके हैं, उल्लेख नीचे दिया जाता है:—

| क्रम संख्या | नाम | आयोग द्वारा आदेश जारी करने की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | केडवरी-फ्राई इंडिया लि० | 5-9-1972 |
| 2. | ग्रोज-बेकर्ट साबू लिमिटेड . . | 13-2-1974 |
| 3. | नेशनल टोबाकू कम्पनी आफ इडिया लिमिटेड | 4-10-1974 |
| 4. | अमेरिकन यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड | 1-11-1974 |
| 5. | यूनियन कारबाइड आफ इंडिया लिमिटेड | 27-12-1974 |
| 6. | कलर केम लि० और अन्य . . . . | 14-1-1975 |
| 7. | हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता और 2 अन्य | 14-2-1975 |
| 8. | मोदी यार्न मिल्स लिमिटेड . . | 18-2-1975 |
| 9. | इंडियन ट्यूब कम्पनी और उसके वितरक नई दिल्ली | 25-2-1975 |
| 10. | कारीना साहू लिमिटेड . . . . . . | 21-3-1975 |

**विवरण**

दिनांक 1-1-75 से 15-4-75 की अवधि में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में संस्थित जांचों के विवरण :—

| क्रम संख्या | कम्पनी का नाम | आयोग द्वारा नोटिस जारी करने की तिथि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | स्टील एज इडस्ट्रीज लिमिटेड . . | 10-1-1975 |
| 2. | इन्टरनेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स प्रा० लिमिटेड और चार अन्य . | 30-1-1975 |
| 3. | टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड . | 10-2-1975 |
| 4. | बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | 10-2-1975 |
| 5. | हिन्द लेम्पस लिमिटेड और 9 अन्य . . . | 22-2-1975 |
| 6. | इलेक्ट्रिक लेम्पस मैन्युफैक्चरर्स (इंडिया) प्रा० लि० और 8 अन्य | 22-2-1975 |
| 7. | (1) मोटर इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड और (2) गाजियाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि० | 6-3-1975 |
| 8. | कलकत्ता केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड | 7-3-1975 |
| 9. | अतुल प्रोडेक्टस लिमिटेड और 2 अन्य . . . | 7-3-1975 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | *(1) मैसूर किलोस्किर लिमिटेड और (2) महिन्द्रा और महिन्द्रा लिमिटेड | 17-3-1975 |
| 11. | *(1) मैसूर किलोस्किर लिमिटेड और (2) बाटलीबाय एंड कम्पनी प्रा० लि० | 17-3-1975 |
| 12. | *(1) मैसूर किलोस्किर लिमिटेड और (2) मशीन टूल्स इंडिया लिमिटेड | 17-3-1975 |
| 13. | एक्स सैल ओ० इंडिया लिमिटेड और 4 अन्य | 10-4-1975 |
| 14. | (1) गोटज (इंडिया) लिमिटेड और एस्कोर्टस लिमिटेड . . . | 14-4-1975 |

**टिप्पणी** : (1) *मैसूर किलोस्किर लिमिटेड और अन्य तीन के विरुद्ध निर्बन्धनकारी व्यापार अनुबन्ध के रजिस्ट्रार का 13 सितम्बर, 1974 का मूल आवेदनपत्र (नामशः (1) महिन्द्रा और महिन्द्रा लिमिटेड (2) बाटलीबॉय एंड कम्पनी प्रा० लि० और (3) मशीन टूल्स इंडिया लिमिटेड) को आयोग द्वारा तीन आवेदनपत्रों में विघटित करने का आदेश दे दिया गया है। दिनांक 13 सितम्बर, 1974 के मूल आवेदनपत्र में कार्यवाही अ।वेलम्ब कर दी गई है ।

(2) इन 14 मामलों में जांच अभी तक पूर्ण नहीं हुई है और आयोग के समक्ष अभी भी चल रही हैं ।

## हाथी समिति पर सरकारी अधिकारियों का दबाव

7248. **श्री भालजीभाई रावजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति पर उन सरकारी अधिकारियों का लगातार दबाव पड़ता रहा था जो हर संभव तरीके से विदेशी फर्मों की सहायता पहुंचाना चाहते थे ;

(ख) क्या इसके निदेश पद की मद संख्या दो पर विचार-विमर्श करने के लिये कोई उप-समिति नियुक्त की गई थी ; इसके सदस्य कौन थे और इस उप-समिति की सिफारिशें क्या थी ; और

(ग) क्या उप-समिति द्वारा विचार-विमर्श के बाद तैयार किये प्रतिवेदन और अन्तिम प्रतिवेदन में भारी अन्तर है ; ये परिवर्तन किसने किये और किस प्राधिकारी के कहने पर किये ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा 6 अप्रेल, 1975 को प्राप्त की गई थी तथा सरकार उस पर विचार कर रही है।

**औषधियों के उत्पादन के लिये राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना**

7249. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, जीवन रक्षक औषधियों में से, उत्पादन का राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करने का कार्य कर रही है और;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क)** और (ख) औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति ने "आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपायों" पर अपनी रिपोर्ट में 117 औषध सूत्रयोगों का पता लगाया है जिनका उत्पादन देश में बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। रिपोर्ट की एक प्रति 4 मार्च 1975 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत की गई थी और रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

पता लगाये गये औषधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं और सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के नाम, उनकी मांग का अनुमान, उत्पादन के लिए अनुमोदित यूनिट आदि को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र, पहले ही लोक सभा के अता० प्रश्न सं० 6200 के उत्तर में 15 अप्रैल, 1975 को दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त आवश्यक एन्टीबायोटिक्स और संश्लिष्ट औषधों, जो पांचवीं योजना की औषधों की आवश्यकताओं के संदर्भ में संख्या में 48 है, जो वर्तमान लगभग 3300 मी० टन के उत्पादन से लगभग 10,000 मी० टन तक बढ़ने हैं, के उत्पादन में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए सरकारी और भारतीय क्षेत्रों के साथ बात-चीत आरम्भ की गई है । सरकारी क्षेत्र के यूनिटों का वर्तमान 1500 मी० टन के स्तर से 5000 मी० टन से अधिक अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

भारतीय क्षेत्र ने एक रूप-रेखा प्रस्तुत की है जिसके अनुसार निकट भविष्य में 23 यूनिट 27 औषधों का उत्पादन हाथ में लेंगे ।

**पूर्व रेलवे के आई० ओ० डब्ल्यू० का उतरी मूल रेलवे डिवीजनों को स्थानान्तरण**

7250. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि पूर्व रेलवे (निर्माण डिवीजन) के उन सभी आई० ओ० डब्ल्यू० को जो उत्तर रेलवे के हैं, उनके मूल डिवीजनों में भेज दिया जाये, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) क्या सरकार को पता है कि ये आई० ओ० डब्ल्यू० भ्रष्टाचार कर रहे हैं तथा वे उत्तर रेलवे की नियमित लाइनों पर वापस नहीं आना चाहते ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) ऐसा निर्माण निरीक्षक केवल एक ही है । उसे वापस स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि जिस निर्माण-कार्य पर वह लगा हुआ है वह कार्य अभी जारी है, इसलिए उसे वहां फालतू नहीं पाया गया है ।

(ख) ऐसा कोई प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है कि वह निर्माण-निरीक्षक भ्रष्टाचार कर रहा है ।

**तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों के दल का बम्बई हाई का दौरा**

7252. **श्री एन० आर० बेकारिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों के एक दल ने 'बम्बई हाई' का उस समय दौरा किया था जब हाल में वहां तेल का पता लगा।

(ख) क्या उन्होंने इस बात का कोई अनुमान लगाया कि वहां व्यापार के लिये कब तक तेल का उत्पादन होगा।

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी)** (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ विशेषज्ञ बम्बे हाई में कार्य कर रहे हैं तथा कुछ अन्य विशेषज्ञ किये जा रहे तेल अन्वेषण कार्य की देखरेख करने तथा नवीनतम विकास कार्य के संबन्ध में ताजी सूचना प्राप्त करने के लिए समय-समय पर क्षेत्र का दौरा करते हैं।

(ख) और (ग) बाम्बे हाई संरचना पर तेल निकालते समय संरचना के उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कुछ और अधिक कुएं खोदे जाने आवश्यक है। इस बीच तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग प्रतिवर्ष लगभग 1 मिलियन मी० टन की दर से बाम्बे हाई से तेल उत्पादन करने के लिए 1976-77 के दौरान उत्पादन के मध्यवृत स्तर की स्थापना करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

**Licences given for setting up of Fertilizer Plants in Private Sector**

7253. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the names of the fertilizer plants in the private sector given letters of intent and licences for production during the current year;

(b) whether Government propose to distribute the fertilizers to be produced by the above plants through official agencies or cooperative societies; and

(c) the steps Government propose to take in regard to high sale price of fertilizers prevailing in the country ?

**The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemical (Shri K.R. Ganesh) :**

(a) Large size plants for the manufacture of nitrogenous and/or complex fertilizers in the private sector are presently in operation at Kanpur, Kota, Baroda, Visakhapatnam, Goa, Ennore and Varanasi. The plants at Tuticorin, Mangalore and Vizag (Expansion) being implemented by M/s. Southern Petro-Chemicals Industries Corporation Ltd., Mangalore Chemicals and Fertilizers Ltd., and Coromandel Fertilizers Ltd. respectively are also expected to go into production during 1975-76. In addition, letters of intent have been granted for setting up of capacity in the private sector for the manufacture of fertilizers at Baroda (GSFC), Kota (Shriram Fertilizers) and Kakinada (Nagarjuna Fertilizers).

(b) A multi-agency approach is adopted for the marketing of fertilizers; this includes sale of fertilizers through co-operatives and institutional agencies.

(c) The retail prices of the main nitrogenous fertilizers viz., urea, CAN and Ammonium Sulphate which constitute nearly 60% of the total fertilizers consumed in the country are statutorily controlled by the Government under the Essential Commodities Act.

## Cases pending in Indore High Court

†7254. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be** pleased to state :

(a) the number of cases pending in the High Court, Indore (M. P.) at present; and

(b) the number of cases pending there for the lat two years ?

**The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) :** (a) & (b) The information relating to cases pending in Indore Bench of Madhya Pradesh High Court is not readily available. However, the number of cases pending in Madhya Pradesh High Court as on 31-12-1974 excluding miscellaneous matters are as follows :—

| | |
|---|---|
| (i) Total number of cases pending | 27,183 |
| (ii) Cases pending for more than two years : | 11,549 |

## Proposals for Extension/Expansion on Central Railway

†7255. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the salient points of expansion programme of the Central Railway during the next two years; and

(b) the number of proposals under consideration of Government for the new railway lines and for extension of the present lines ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :** (a) The following projects are under construction under Central Railway :—

(1) Construction of a broad gauge rail link from Diva to Bassein Road.

The construction of Bassein Road-Diva B.G. line (length 42 kms.—cost Rs. 12.75 crores) is in progress. The work is likely to be completed by 1-4-1977.

(2) Construction of a broad gauge rail link from Chanaka to Wani.

The construction of Chanaka-Wani B.G. rail link (length—76 kms.— cost. Rs. 5.3 crores) is in progress. The work is targetted to be completed by 31-12-77.

(3) Hirdagarh-Damua—Length 14.3 km. Cost Rs. 2.25 crores.

Work has been approved and included in the Budget for 1975-76.

The proposals for 1976-77 have not been finalised so far.

(b) The following proposals are under consideration for construction/extension of lines :

| | |
|---|---|
| (1) Apta-Dasgaon—108 kms. | Surveys completed, report under examination. |
| (2) Dasgaon-Mangalore—800 Kms. | Surveys in progress. |
| (3) Roha-Agardanda—25 Kms. | Do. |
| (4) Wardha-Katol—80 Kms. | Do. |
| (5) Mahoba-Khajuraho—75 Kms. | Do. |

## Platforms without arrangement of Electric Light in Central Railway

7256. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of platforms on the Central Railway where arrangement for electric light does not exist at present; and

(b) the action taken and proposed to be taken for providing electric light there during the financial year 1975-76 and Government's future scheme in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sh. Buta Singh) :** (a) Platforms at 307 stations do not have arrangement for electric lights.

(b) In 1975-76 electrification of 6 stations have been programmed. It is the policy to electrify all stations as and when reliable low tension power supply becomes available in the vicinity at reasonable tariff and service connection charges and within the limits of availability of funds.

**मिथाइल की अनुपलब्धता**

7257. **श्री शरद यादव :**

**श्री भाई साहेब धामनकर :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिथाइल (रक्त चाप की औषधि) मिल नहीं रही है और काले बाजार में बेची जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत की केवल एक फर्म ही इस औषधि का आयात करती है ; और

(ग) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है और 1974 की अन्तिम तिमाही के दौरान कुल कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया ?

**पेट्रोलयम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) से (ग) मैसर्स मर्क शार्प एंड धोमे (इंडिया) मेथाइल दोपा पर आधारित सूत्रयोग, अल्डीमेट का सबसे बड़ा निर्माता है। प्रपुंज मेथाइल दोपा के आयात को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वर्ष 1973-74 से सरणीबद्ध किया गया था। मैसर्स मर्कशाप एंड धोमे ने राज्य व्यापार निगम के मार्फत हंगरी से सरकार द्वारा आयातित मैथाइल दोपा इस आधार पर स्वीकार नहीं की है कि वे अमेरिका में अपने स्वामियों द्वारा बनाई गई प्रपूंज औषधों का ही प्रयोग करेंगे। अनेक डाक्टरों ने उत्पन्न हुई कमी और इस औषध की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्व के संबन्ध में लिखा है। तथापि चोर बाजारी में इस सूत्र-योग की बिक्री के संबन्ध में इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अत्यधिक रक्त चाप के उप-चार के काम में आने वाली अनिवार्य जीवन रक्षक औषध अल्डामेट गोलियों की कमी दूर करने के लिए सरकार काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में अन्तरिम अवधि के लिए जिस मूल्य पर यह औषध रुपये की मुद्रा क्षेत्र से उपलब्ध होती है। उसी औसत मूल्य पर अमेरिका में मर्क शार्प और धोमे के स्वामी से राज्य व्यापार निगम की मार्फत प्रपूंज मेथाइल दोपा की कुछ मात्रा का आयात करने को सहमत हो गई है। जैसा कि यह औषध सरणीबद्ध है इसका आयात केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाएगा। इंडियन ड्रग्स और फार्मास्युटिकल्स लि० मेथाइल दोपा के उन्हीं सूत्रयोगों के निर्माण कार्य को हाथ में लेने का अनुरोध किया गया है जोकि जून 1975 तक उपलब्ध हो,जाएगी। आई०डी०पी०एल० अभी और औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुई थी ताकि वे तत्काल मेथाइल दोपा के सूत्र योग को हाथ में ले सके।

1974 की गत अन्तिम तिमाही में राज्य व्यापार निगम द्वारा मेथाइल दोपा के आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

**वे कम्पनियां जिन पर कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया**

7258. **श्री शरद यादव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी कम्पनियों पर बोनस शेयरों, जमा धनराशियों और डिबेंचरों को जारी करने के लिये विज्ञापनों का प्रकाशन करने के बारे में कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये मुकदमा चलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) :** सूचना ग्रह की जा रही है एवं सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**विदेशी स्वामित्व वाली औषध कम्पनियों द्वारा औषधियों का उत्पादन**

7259. **श्री शरद यादव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी स्वामित्व वाली औषध कंम्पनियों ने 1972-73 और 1973-74 के दौरान विटामिनों और प्रति जीवाणु, दोनों प्रकार की औषधियों का कितना उत्पादन किया; और

(ख) इसी अवधि में अमरीकी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली कंपनियों ने इनका कितना उत्पादन किया ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित प्रपुंज एन्टीबायोटिक्स और विटामिन्स के नाम और वर्ष 1972 और 1973 के दौरान उनके उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है । मैसर्स पार्क-डैविस (इंडिया) लि०, मैसर्स साइनामाइड (इंडिया) लि०, मैसर्स फाइजर लि०, मैसर्स अबोट लैबोरेटरीज (इंडिया) प्रा० लि० और मैसंस पार्क शार्प एण्ड डोहमे आफ इण्डिया लि० उपरोक्त विवरण पत्र में उल्लिखत कंपनियां हैं जिनकी अधिकतर विदेशी साम्य पूंजी अमरीकी फर्मों के पास है।

**विवरण**

| क्रम सं प्रपुंज औषध का नाम | फर्म का नाम | उत्पादन 1972 | उत्पादन 1973 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **एटीबायोटिक्स** | | | |
| 1. क्लोरमफैनीकोल और इसके इस्टर्स | 1. पार्क डैविस (इंडिया) लि० | 9.70 टन | 11.79 टन |
| | 2. बोहरिंगर नौल लि० | 28.66 टन | 19.58 टन |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. टैट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० | 1. साइनामाइड (इंडिया) लि० (क्लोरटैट्रासाइकलीन और डिमेथाइक्लोर टैट्रासाइक्लीन को शामिल करते हुए) | 15.49 टन | 18.74 टन |
| | 2. फाइजर लि० | शून्य | शून्य |
| 3. ओक्सी टैट्रासाइक्लीन | 1. फाइजर लि० | 36.59 टन | 39.72 टन |
| 4. एरिथोमाइसीन बेस और इस्टर | 1. एबोट लैबोरेटरीज (इंडिया) प्रा० लि० | औद्योगिक लाइसेंस जाना है। | अभी जारी किया |
| **विटामिन्स** | | | |
| 1. विटामिन ए | 1. रोश प्रोडक्ट्स लि० | 27.81 एम एम यू | 26.79 एम एम यू |
| | 2. ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इंडिया) लि० | | |
| 2. विटामिन बी 12 (साइनोकोबालमिन और हाइड्रोक्सीकोबालामिन) | 1. मर्क शार्प एण्ड डोहमें आफ इंडिया लि० | 142.37 किग्रा० | 123.60 किग्राम |
| 3. विटामिन ई | 1. रोश प्रोडक्ट लि० | —— | 5.52 टन |
| | 2. ई० मर्क | —— | —— |
| 4. विटामिन के 1 | 1. ग्लेक्सो लैबोरेटरीज (1) | शून्य | शून्य |
| 5. विटामिन पी | 1. सिवा गैगी आफ इंडिया लि० | शून्य | शून्य |
| | 2. ई० मर्क | शून्य | शून्य |

**उत्तर रेलवे में गत एक वर्ष के दौरान बंद की गई गाड़ियां**

7261. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान उत्तर रेलवे में कितनी गाड़ियां बन्द की गई ; और

(ख) उन्हें बन्द करने के क्या कारण थे ?

**रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) अप्रैल, 74 से मार्च, 75 तक की अवधि में रेल कर्मचारियों की हड़ताल, कोयले की कमी और जनता के आंदोलन आदि के कारण उत्तर रेलवे पर प्रतिदिन औसतन लगभग 62 जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द की गयी थीं ।

**विदेशी औषध कम्पनियों के लाभ और उनका उत्पादन**

7262. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

**श्री मधु दण्डवते :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधियों के निर्यात से देश को कुल कितना लाभ हुआ और कम्पनियों को देश में इन औषधियों की बिक्री से कितना लाभ हुआ ;

(ख) क्या कुछ विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियां इतनी क्षमता का उत्पादन कर रही हैं जिसकी सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है, और कुछ मामलों में उन्हें घटिया किस्म की औषधियों का उत्पादन करते भी पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन गतिविधियों के अन्तर्गत पकड़ी गई कम्पनियों के नाम क्या है और उनके विरूद्ध क्या कायवाही की गई ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्यातों और आन्तरिक बिक्रियों से अर्जित लाभ का अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि विदेशी कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों में अर्जित कुल लाभ का विवरण पहले ही दिनांक 25 मार्च, 1975 को लोक सभा में अता० प्र० सं० 4774 के दिए गए उत्तर में प्रस्तुत कर दिया गया था ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**मथुरा तेल शोधक कारखाने की निर्माण लागत में वृद्धि**

7263. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

**श्री सतपाल कपूर :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने की निर्माण लागत आरम्भ से काफी बढ़ गई है ;

(ख) क्या निर्माण कार्य को चरणबद्ध करने के लिये अब किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है और क्या यह कारखाना पांचवीं योजना अवधि में चालू नहीं हो सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस समय तेल शोध कारखाने की निर्माण लागत में कितनी वृद्धि है तथा कारखाने के पूरा होने तक यह वृद्धि कितनी होगी तथा निर्माण कार्य को और आगे स्थागित करने में क्या औचित्य है ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी)** : (क) और (ग) मथुरा शोधनशाला प्रयोजना, 1978 के मध्य में पूरा करने के लिये 28 करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय उपकरणों सहित कुल 97 करोड़ रुपये के लागत पर अगस्त 1973 में मंजूरी की गई थी । सामग्री आदि के मूल्यों में वृद्धि के कारण यह अनुमान पर्याप्त रूप मे बढ़ गया है। अब प्रायोजना पर 46.25 करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय उपकरणों सहित 149.42 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

आयातित कच्चे तेल की लागत में तेज वृद्धि, विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता तथा कठिन संसाधनों की स्थिति के कारण नियम समय का इस समय, सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है।

**Loss suffered due to ticketless travelling during the last three years**

*7264. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the loss Government suffered during the last three years, year-wise on account of ticketless travelling on trains;

(b) the names of places where the number of occasions on which special checking drives were organised each year during the above period; and

(c) the amount of money realized by way of fines and the number of persons convicted?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh)** : (a) Estimates of the loss of revenue on account of ticketless travel on the Indian Railways are not made from year to year and, as such, separate figures for the last three years are not available. On the basis of sample checks conducted on all Indian Railways during 1967-68, the loss was estimated to be of the order of Rs. 20 to 25 crores per annum. Another check in 1973-74 revealed that the incidence of ticketless travel has come down. But this check has been vitiated due to cancellation of trains, Railway strike and disturbed law and order situation in certain parts of the country. A fresh survey is proposed to be conducted soon.

(b) Railways arrange intensive checks against ticketless travel on a large number of sections throughout the Railways, on a programme basis. As such, it would be difficult to furnish the names of the places where and the number of occasions on which special checks were organised during the last three years.

(c) The amount of judicial fines realised and the number of persons imprisoned is as follows :—

| Year | Amount of judicial fine realised | No. of persons imprisoned |
|---|---|---|
| 1972-73 . . . . . . . . | Rs. 21,17,173.63 | 1,40,886 |
| 1973-74 . . . . . . . . | Rs. 13,56,503.57 | 1,32,973 |
| 1974-75 . . . . . . . . (upto Feb. '75) | Rs. 12,66,690.82 | 99,189 |

**Survey for construction of new platform at Udaipur City Station.**

7265. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted for the construction of a new Platform at Udaipur city station ;

(b) if so, the time by which this work will commence ; and

(c) the main reasons for which work on it has not been started so far ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh)** : (a) Yes.

(b) & (c) Various proposals are still under examination, only after finalisation of which can the work be included for execution in the Railways' Works programme.

**Survey for Railway Line between Bari Sadri and Ratlam**

*7266. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Ministry has completed survey for construction of a railway line between Bari Sadri and Ratlam ; and

(b) if so, the action taken so far thereon ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :** (a) No survey has ever been undertaken as there is no such proposal.

(b) Does not arise.

**पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय अनुदान**

7267. **श्री रोबिन ककौटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, इंगलिश हाई स्कूलों, एम० ई० स्कूलों, और प्राइमरी स्कूलों के नाम क्या हैं जिन्हें पूर्वोतर सीमान्त रेलवे द्वारा सहायता अनुदान दिया गया था ;

(ख) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा सम्बद्ध संस्थाओं को वित्तीय अनुदान तथा सहायता के रूप में अलग-अलग कितनी धन राशि दी गई हैं ; और

(ग) उन कालेजों और स्कूलों के नाम क्या हैं जिन्होंने वित्तीय अनुदान के लिये पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे को आवेदन पत्र दिये हैं किन्तु पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे ने उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी तथा उन्हें वित्तीय सहायता न दियें जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :**

**(क) और (ख)**

**विवरण**

| संस्था का नाम | स्वीकृत रकम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | रुपये |
| 1 दीमापुर रेलवे एच० ई० स्कूल, दीमापुर | 7,983 |
| 2 मालीगांव बालिका एम० ई० स्कूल, मालीगांव | 1,593 |
| 3. सरकारी सहायता प्राप्त असीमया एच० ई० स्कूल, मालीगांव | 7,023 |
| 4 उमादेवी मिशन एच० ई० स्कूल, कटिहार | 3,744 |
| 5 शक्तिगार विद्यापीठ एच० ई०, स्कूल, सिलीगुड़ी | 2,364 |
| 6 पन्नालाल सुरेन्द्र नारायण कन्या विद्यापीठ, मनिहारी | 442.80 |
| 7 तिनधारिया रेलवे एच० ई० स्कूल, तिनधारिया | 18.15 |
| 8 श्यामा विद्या मन्दिर, अलीपुरदुआर ज० | 8,931.46 |
| 9 रेलवे हिन्दी विद्यामन्दिर, अलीपुरदुआर ज० | 842.16 |
| 10 शंकर देव विद्यालय, मालीगांव | 37.70 |
| 11 एम० ई० बालिका हाई स्कूल, पाण्डू | 924 |
| 12 दक्षिण लमडिंग विद्यानिकेतन एम० ई० स्कूल, लमडिंग। | 313.47 |
| 13 लोकप्रिय बारदोलोई विद्यालय, गुवाहाटी | 688.50 |
| 14 आदर्श शिशु विद्यालय, पाण्डू | 720 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | रुपये |
| 15 अम्बिका गिरि बालिका विद्यालय, मालीगांव | 1,956 |
| 16 कामाख्या विद्यालय, मालीगांव | 5,930.44 |
| 17 विद्यामन्दिर एच० ई० स्कूल, पाण्डू | 3,366 |
| 18 एम० ई० स्कूल, प्राथमिक खण्ड, पाण्डू | 2,328 |

(ग) पूर्वोतर सीमा रेलवे द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को सहायता-अनुदान नहीं दिये गये क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार वे इसकी पात्र नहीं हैं :—

1 तरुनराम पोकान हिन्दी एच० ई० स्कूल, मालीगांव।
2 पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जे० बी० स्कूल, जागीरोड ।
3 हिजीगुड़ी असीमया एम० ई० स्कूल, हिजीगुड़ी ।
4 हिजीगुड़ी एच० ई० स्कूल, हिजीगुड़ी ।
5 रेलवे एच० ई० स्कूल माकुन।
6 रेलवे एच० ई० स्कूल, बारदोलोई
7 एम० बी० टी० एच० ई० स्कूल, लर्मडिंग
8 नेबरुण विद्यालय, लर्मडिंग
9 मालीगांव एम० ई० स्कूल, मालीगांव।
10 बंगाली प्राथमिक स्कूल, मालीगांव ।
11 श्री श्रीशंकर विद्यालव, गुवाहाटी ।
12 असम रेलवे हिन्दी एम० ई० स्कूल, गुवाहाटी ।
13 आदर्श विद्यालय, गौशाला।
14 गांधी उच्च विद्यालय, कटिहार
15 रेलवे कालोनी एच० ई० स्कूल, न्यु जलपाइगुड़ी ।
16 गांधी माध्यमिक विद्यालय. कटिहार
17 रेलवे एच० ई० स्कूल, माल्दह।
18 एल० पी० स्कूल, मालीगांव।
19 आदर्श हिन्दी विद्यालय, न्यु गुवाहाटी ।
20 आदर्श शिशु विद्यालय, न्यु गुवाहाटी ।
21 विद्यानिकेतन एच० ई० स्कूल, लमडिंग।
22 बी० एल० बी० एस० डी० विद्यामन्दिर एच० ई० स्कूल, लमडिंग ।
23 नैताजी शिशु विद्यापीठ एम० ई० स्कूल, गुवाहाटी ।

**डराने-धमकाने के आरोप में परेशान किये गये कर्मचारी**

7268. **श्री मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें मिली है कि डराने धमकाने का आरोप लगा कर बहुत से रेल कर्मचारियों को उनकी मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान मजदूर संघ सम्बन्धी सामान्य गति विधियो के लिये परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख) यह स्मरण होगा कि मई 1974 की अवैध हड़ताल से पहले और हड़ताल के दौरान बहुत से कर्मचारी इसीलिये काम पर नहीं आये कि उन्हें गंभीर रूप से डराया धमकाया गया था या हिंसा की धमकी दी गयी । इन धमकियों के साथ साथ वास्तविक रूप में हिंसा की कुछ घटनाएं भी हुई, इस लिये इस तरह के आतंकपूर्ण तरीकों को क्षमा करना बहुत ही कठिन है । फिर भी, सरकार की इस नीति के अनुसार कि वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिये कर्मचारियों को दंड न दिया जाये, लगभग 90 प्रतिशत रेल कर्मचारी, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था या हटा दिया गया था या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, काम पर वापस ले लिये गये हैं । वैयक्तिक याचिकाओं के आधार पर पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है ।

### पिंडारा रोड हाल्ट को स्टेशन में बदलने का प्रस्ताव

7269. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तर रेलवे के फैजाबाद और वाराणसी सैक्शन पर पिंडारा रोड हाल्ट स्टेशन सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, यद्यपि प्रशासन ने विभिन्न शर्तें लगा रखी हैं जैसे कि वहां केवल 250 किलोमीटर की दूरी तक के लिए टिकटें दी जाती हैं और वहां कोई भी महत्वपूर्ण रेलगाड़ी नही रुकती;

(ख) क्या इसके आसपास के स्थानों और इसके निकट महत्वपूर्ण बाजारों को ध्यान में रखते हुये, प्रशासन का विचार इस हाल्ट को स्टेशन का दर्जा देने का है; और

(ग) क्या इसे 'हाल्ट' से 'स्टेशन' में बदलने के लिये आवश्यकताओं का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण करने का विचार है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) खालिसपुर और बाबतपुर स्टेशनों के बीच स्थित पिंडारा रोड हाल्ट स्टेशन संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है। इस हाल्ट स्टेशन पर दो अप और दो डाउन सवारी गाड़ियों के अलावा, 49 अप/50 डाउन लखनऊ-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ियां भी रुकती है ।

(ख) और (ग) जी नहीं, वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया ।

### गुजरात पैट्रो-रसायन की एक्रोलोनाईट्रोईट परियोजना का निर्माण

7270. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्रीलोनाइट्राइट परियोजना, जो गुजरात पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की सात 'डाउन स्ट्रीम' परियोजनाओं में से एक परियोजना का निर्माण-कार्य बड़ोदा के निकट जवाहर नगर के निकट प्रारंभ हो गया है ;

(ख) क्या यह देश में स्थापित किया जाने वाला अपनी किस्म का पहला संयन्त्र है ;

(ग) इस का निर्माण-कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है और यह कब तक चालू हो सकेगा; और

(घ) क्या उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने पर इस परियोजना से कुछ विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी)** : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय अनुमान के अनुसार यह प्रायोजना वर्ष 1977 के मध्य तक यान्त्रिक रूप से बनकर तैयार हो जाने की आशा है और उसके बाद तीन महीने के अन्दर उत्पादन करना आरम्भ कर दिया जायगा।

(घ) इस समय किसी एक्रिलोनिट्राइल का आयात नहीं किया जा रहा है।

(ङ) एक्रिलोनिट्राइल आधारभूत उत्पादन इस माला तक देश में ही उपलब्ध होगा कि आई पी सी एल कि संयंत्र में एक्रिनोनिट्राइल के उत्पादन से विदेशी मुद्रा में बचत होगी।

**दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में क्लर्क ग्रेड रुपया 330-560 (आर० एस) में पदोन्नति के लिये स्नातकों के लिए कोटा**

7271. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलर्क ग्रेड रुपया 330-560 (आर०एस०) संवर्ग में 10 प्रतिशत रिक्त स्थानों को सामान्य चयन परीक्षा लेकर भरा जाता है;

(ख) क्या रुपया 260-400 (आर०एस०) ग्रेड में कार्य कर रहे स्नातक क्लर्कों को दिल्ली डिवीजन में रुपया 330-560 (आर०एम०) के अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिये कोई हक नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या दिल्ली डिवीजन में रुपया 260-400 के ग्रेड में कोई ऐसे क्लर्क हैं जो मैट्रिक पास नहीं है तथा जिन्हें रुपया 330-560 के ग्रेड म पदोन्नत किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या अन्य श्रेणियों में भी स्नातकों के लिये कोटा है और यदि हां, तो रुपया 330-560 के ग्रेड में क्लर्कों की नियुक्ति के लिये स्नातक-कोटा आरक्षित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां, इस प्रकार की पदोन्नति के लिए स्नातकों को कोई हक (क्रेडिट) नहीं दिया जाता।

(ग) क्लर्क ग्रेड II में 75 प्रतिशत का भर्ती कोटा मैट्रिक पास व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है। 25 प्रतिशत का पदोन्नति कोटा श्रेणी IV के कर्मचारियों द्वारा प्रवरण के बाद भरा जाता है। श्रेणी IV के गैर-मैट्रिक कर्मचारी भी इस प्रवरण के पात्र हैं। एक बार जब वे चुन लिये जाते हैं और 260-400 रुपये के वेतनमान में क्लर्क ग्रेड II बन जाते हैं तब आगे 330-560 रुपये के ग्रेड I में उनकी पदोन्नति वरिष्टता के आधार पर की जाती है और इस पदोन्नति के समय शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। इसलिए, मैट्रिक पास और गैर-मैट्रिक पास दोनों ही उपयुक्तता परीक्षा पास करने पर पदोन्नति पाने के पात्र हैं

(घ) क्लर्क ग्रेड I की भर्ती में स्नातकों के लिए लेखा शाखा में कोटा है। लेखा शाखा के अलावा 330-560 रुपये के ग्रेड में स्नातकों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि लिपिक कार्य के लिए, जो इस कोटि के कर्मचारियों को करना पड़ता है, इस तरह की योग्यता जरूरी नहीं समझी जाती।

**मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना**

7272. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड को हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एक कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना करने के लिए आशय पत्र देने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि मैसस हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को 'एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969' का उल्लंघन करते हुए यह आशय-पत्र दिया गया है ; और

(ग) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलयम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) :** (क) पश्चिमी बंगाल में हल्दिया में कास्टक सोडा संयंत्र की स्थापना के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को इस रसायन की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना की आवश्यकता तथा यह देखते हुए कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत इस पार्टी को एक आशय-पत्र जारी किया जा सकता है, के आधार पर एक आशय-पत्र जारी किया गया था ।

(ख) और (ग) एक अन्य पार्टी जिसे हल्दिया में एक कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना के बारे में एक आशय-पत्र जारी किया जा चुका था, ने शिकायत की थी कि एम०आर०टी०पी० एक्ट 1969 की आवश्यकताओं को हिन्दुस्तान लीवर लि० के बारे में पूरा नहीं किा गया है । इस शिकायत में कोई सार नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तान लीवर लि० के बारे में एम०आर०टी०पी० एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत उचित रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी।

**नेशनल फोरम आफ शेयरहोल्डर्स, कलकत्ता द्वारा की गई शिकायतें**

7273. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फोरम आफ शेयरहोल्डर्स, 4 माइना गौज स्ट्रीट (दूसरी मंजिल) कलकत्ता, कुछ कम्पनियों के कुप्रबन्ध और हेर-फेर के कुछ मामलों के विरुद्ध मंत्रालय से विभिन्न शिकायतें करता रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1974 के अन्त तक इस फोरम ने 21 कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें की हैं;

(ग) यदि हां, तो उसने किन कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें की हैं;

(घ) प्रत्येक शिकायत की तिथि तथा उसका स्वरूप क्या है; और

(ङ) प्रत्येक शिकायत पर उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) :** (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) दिनांक 11 फरवरी, 1975 के पत्र के साथ नेशनल फोरम आफ शेयरहोल्डर्स ने 21 कम्पनियों के नामयुक्त एक सूची भेजी है, जिनकी बाबत विभाग को शिकायतें भेजी गई बताई गई हैं ।

(ग) से (ङ) ऊपर निर्देशित सूची की कम्पनियों के नाम, एवं प्रत्येक शिकायत की प्रकृति व तारीख, तथा उस पर की गई कार्यवाही देते हुये, एक विवरण पत्र संलग्न है।

**[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—9494/75]**

**ग्लूकोनेट लिमिटेड के उत्पाद**

7274. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता के मुख्य उत्पाद क्या है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने जीवन-रक्षक औषधियों का उत्पादन बंद कर दिया है;

(ग) क्या मैसर्स ग्लूकोनेट कम्पनी लिमिटेड में उत्पादन के बंद होने के पश्चात् विदेशी नियंत्रण वाली एक औषध कम्पनी मैसर्स बूटस कम्पनी जीवन-रक्षक औषधियों का आयात कर रही है और इस प्रकार देश द्वारा दुर्लभ विदेशी मुद्रा को खर्च कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** (क) व (ख) इस कम्पनी द्वारा निम्नलिखित मुख्य औषधों और सूत्रयोगों का निर्माण किया जाता है :—

2. यूफ्लावाईन

3. पैथीडीन एच०सी०एल०

4. प्रोफ्लावाईन

5. पैन्टावेलेन्ट एन्टीमोनी

6. ब्लड वाटल्स

7. एल्कासाइट्रोन

यह बताया गया है कि इस कंपनी द्वारा कुल उत्पादन में से 70 प्र० श० उत्पादन एल्कासाइट्रोन का किया जाता है।

कंपनी की वित्तीय हानि के कारण जो आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ी थी तथा उसके परिणामस्वरूप उसकी देयताएं बढ़ जाने के कारण, कंपनी द्वारा, विभिन्न उत्पादों का निर्माण धीरे-धीरे बन्द हो गया।

(ग) व (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

**सत्रह आवश्यक औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव**

7276. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लगभग 17 आवश्यक औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने और कमजोर वर्गों में इसके वितरण में सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूप-रेखा क्या है और इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण करने के लिये सरकार का क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : (क) और (ख) औषध और भेषज उद्योग समिति की आवश्यक औषधों और आम घरेलू दवाइयों को आम जनता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराने संबंधी रिपोर्ट पूर्ववत प्राप्त कर ली गई थी तथा 4 मार्च 1975 को उसकी एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी गई थी। समिति ने ऐसे 117 औषध सूत्रयों के बारे में जानकारी की है जिनका उत्पादन व्यापक रूप में किया जाना चाहिये। समिति ने उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया था और उसने 6 अप्रैल, 1975 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। सरकार समिति की सिफारिशों की समग्रता के आधार पर विभिन्न पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण बनाएगी। इस दिशा में पांचवीं योजना में औषधों की आवश्यकता, जो वर्तमान के 3300 मी० टन के उत्पादन से बढ़कर, लगभग 1000 मीटरी टन हो जायेगी, के संदर्भ में सरकारी और भारतीय क्षेत्रों के साथ उनके द्वारा आवश्यक एन्टीबायोटिक्सों और सिन्थेटिक औषधों (48 संख्या) के निर्माणक्षेत्र में निभाई जाने वाली भूमिका की जानकारी प्राप्त करने के बारे में विचार-विमर्श आरंभ कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र एककों को अपने उत्पादन को वर्तमान 1500 मीटरी टन के स्तर से 5000 मी० टन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भारतीय क्षेत्र ने एक रूप-रेखा प्रस्तुत की है जिससे यह प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में 23 एकक 27 प्रपुंज औषधों का उत्पादन कार्य आरंभ कर देंगे।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 जो कि एक विस्तृत दस्तावेज है कि अंतर्गत औषधों के मूल्यों सांविधिक रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। इसी दौरान सरकारी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र और इण्डियन मैडिकल एसोसियेशन के साथ सस्ती औषधों की समस्या तथा उसके लिए क्षमता के आरक्षण के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें बुलाई गई थी। औषध और भेषज उद्योग समिति ने अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में कमी करने के बारे में अब तक किए गए उपायों की जांच की है और प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में आगामी सुझाव दिये हैं। औषध और भेषज उद्योग समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के आधार पर मूल्य निर्धारण पहलू पर भी सरकार द्वारा अपना दृष्टिकोण बनाया जायगा।

**मैसर्स ए० एच० व्हीलर के लाइसेंस का नवीकरण**

7277. **श्री ज्योतिमय बसु**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ए०एच० व्हीलर द्वारा देश में विभिन्न रेल स्टेशनों पर कितने 'बुक स्टाल' चलाये जाते हैं ;

(ख) क्या उनका 9 वर्ष पुराना लाइसेंस 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हो जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि लाइसेंस का आगे 9 वर्षों के लिये और नवीकरण कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह)** (क) 289 स्टेशनों पर 381 स्टाल।

(ख) और (ग) जी हां।

(घ) चूंकि उनका काम सतोषजनक था इसलिए यात्रियों को समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों को बेचने का काम जारी रखने के लिए उनके ठेके को नवाकृत कर दिया गया है।

**25-3-1975 को लोक सभा के अ०प्र०सं० 4709 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण**

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश)** : अनेक अन्य मदों के साथ जन्टामाइसीन सल्फेट के इंजैक्शन के उत्पादन के लिए मैसर्स योफोटिक फार्मास्यूटिकल्स के एक आवेदन पत्र को 4-3-1975 को अस्वीकार कर दिया था। 25-3-1975 को लोक सभा अ०प्र०सं० 4709 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संबंधित संलग्न विवरण पत्र में दिए गये भारतीय कंपनियों के ब्यौरों में यह सूचना सम्मिलित करने में भूल हो गई थी। मूल उत्तर के साथ संलग्न किये गये विवरण पत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित विवरण पत्र की प्रति संलग्न है।

**विवरण**

**25-3-1975 के लिये लोक सभा अ० ता० प्रश्न संख्या 4709 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण पत्र के लिये प्रतिस्थापित किया जाने वाला संशोधित विवरण-पत्र**

| क्रम सं० | भारतीय फर्म का नाम | आवेदन की तिथि | रद्द करने के कारण | इन कंपनियों द्वारा मांगी गई मात्रा | आयात की मात्रा मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कैमिकल इण्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज लि० | 22-11-73 | प्रपुंज औषधों के निर्माताओं के लिए सूत्रयोगों का भी निर्माण करना वांछनीय है। रद्द किया गया, क्योंकि निर्माण आयातित कच्चे माल पर आधारित है और प्रपुंज औषधें देशीय रूप में उपलब्ध नहीं है। | 400 किलो ग्रा० | 12 लाख रुपये |
| 2. | थैमिस कैमिकल्स लि० | 28-5-73 | —तदैव— | 48 किलो ग्राम | 4.32 लाख रुपये |
| 3. | एफोरिक फार्मास्यूटिकल्स लि० | 10-10-74 | —तदैव— | 2 किलो ग्राम | 1.40 लाख रुपये |

# सभा पटल पर रखे गये पत्र

# PAPERS LAID ON THE TABLE

**मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड के वर्ष 1973–74 कार्यकरण की समीक्षा तथा प्रतिवेदन**

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :** मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, मद्रास के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, मनाली, मद्रास का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे, और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिये** संख्या एल०टी० 9483/75]

**कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना**

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) :** मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 409 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी और जिसके द्वारा मैसर्स कुम्बाकोनम डियोसेसन केथोलिक्स पर्मनेन्ट फण्ड लिमिटेड को, जिसका पंजीकृत कार्यालय तमिलनाडू में हैं, निधि घोषित किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 9484/75]

**पैराफिन वैक्स (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975**

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) :** मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पैराफिन वेक्स (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 194 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 9485/75]

---

# अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

# CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**संश्लिष्ट कपड़े को भारी मात्रा में चोरी छिपे भारत में लाना**

**श्री पीलू मोदी** (गोधरा) **:** मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें:

"संश्लिष्ट कपड़े को भारी मात्रा में चोरी छिपे भारत में लाने के अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन संघों के कथित प्रयासों तथा बैंकाक में हुई उनकी बैठक के समाचार"।

**वक्तव्य**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : सरकार ने इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्ट भेजी है कि संश्लिष्ट वस्त्रों के विदेशी निर्माताओं के विश्व उत्पादक संघ की, जैसा कि प्रेस रिपोर्टों में कहा गया है, हाल ही में बैंकाक में एक बैठक हुई थी जिनके आयातकर्ता दुबाई में हैं और माल उतारने वाले एजेन्ट भारत में हैं। इन प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, संश्लिष्ट वस्त्रों का एक बड़ी मात्रा में भारत में तस्कर आयात करने की योजनायें तैयार की गई थीं।

सरकार को प्राप्त हुई गुप्त सूचना रिपोर्टों से इन प्रेस रिपोर्टों की पुष्टि नहीं होती। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि तस्करों द्वारा सोने की अपेक्षा घड़ियों और संश्लिष्ट वस्त्रों के तस्कर आयात पर जोर दिया जाना कोई हाल की घटना नहीं है और यह बात पिछले दो वर्षों से देखी जा रही है।

सरकार द्वारा हाल ही में शुरु किये गये तस्करी विरोधी अभियान के परिणामतः जिसमें तस्करों, विदेशी मुद्रा के जाल-चक्र में लगे व्यक्तियों और उनके सहयोगियों की निवारक नजरबंदी भी शामिल हैं, यह रिपोर्ट दी गई कि जिन क्षेत्रों से निषिद्ध माल भारत में आता है उनमें तस्करों की गतिविधियां बहुत कम हो गयी हैं। यह रिपोर्ट भी दी गई कि इसके कारण इन क्षेत्रों में संश्लिष्ट वस्त्रों और अन्य वस्तुओं के स्टाक जमा हो गये हैं तथा वहां बहुत सी फर्मों को अपने बैंकों से ऋण प्राप्त करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। विदेशों में, निर्माता मुल्कों में वस्त्र उद्योग में आई मंदी को ध्यान में रखते हुये, वस्त्र निर्माताओं और तस्कर-व्यापारियों, दोनों के ही समक्ष गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हुई। यह मालूम हुआ है कि कुछ निर्माताओं ने अपने उत्पादन में काफी कमी कर दी है और ऐसी भी रिपोर्टों मिली हैं कि वे अपने स्टाक को परेशानी के कारण बेच रहे हैं।

सरकार गुप्त सूचना एकत्र कर रही है और इस संबंध में होने वाली घटनाओं पर सतत निगरानी रख रही है। सरकार ने, तस्करी विरोधी अभियान के एक भाग के रूप में, निवारक कर्मचारियों के लिये गुप्त और विश्वसनीय सेवा उपलब्ध करने के लिये बेतार संचार व्यवस्था स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित की है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर निवारक गुप्त सूचना तन्त्र को सुदृढ़ बनाया है, समुद्र तटों पर प्रहरी तैनात किये हैं, सड़कों पर निगरानी रखने वाले दल और शहरों में निवारक दल तैनात किये हैं। निवारक कर्मचारियों को और अधिक मोटर गाड़ियां, शस्त्र तथा गोलाबारूद और तेज रफ्तार से चलने वाली आधुनिक नौकाओं का एक बेड़ा सप्लाई किया गया है जिन पर हल्की मशीन गनें और संदिग्ध जलयानों का पता लगाने के लिए इलैक्ट्रानिक नाइट साइट्स और रडार जैसे आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं।

जैसा कि पहले बताया गया है, बैंकाक में हुई किसी भी बैठक के बारे में हमारे पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है। लेकिन, हाल के महीनों में हमने जो कारगर उपाय किये हैं जिनमें निवारक नजरबन्दी भी शामिल है, वे तस्कर-व्यापार को रोकने में पर्याप्त प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिये, इस बड़े अवैध बाजार के हाथ से निकल जाने पर उक्त जालचक्र में अन्तर्ग्रस्त स्वार्थों के चिन्तित होने की बात को समझा जा सकता है।

**श्री पीलू मोदी** : मुझे खेद है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए वित्त मंत्री स्वयं यहां उपस्थित नहीं हैं। सरकार ने वक्तव्य में जो सूचना दी है, वह बजट पेश करने से पहले की है। अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी का घोटाला बजट प्रस्तावों की घोषणा के बाद ही शुरु हुआ।

**(व्यवधान)**



24 LSS/75—11

मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम और रसायन तथा वाणिज्य मंत्रालयों ने वित्त मंत्रालय को परामर्श दिया था कि सूत तथा धागों पर शुल्क बढ़ाना हानिकारक होगा । वित्त मंत्रालय ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया ।

इसके फलस्वरूप इन धागों को बनाने वाले छोटे छोटे उद्योग बिना काम के बैठे हैं क्योंकि उत्पादन शुल्क लगने के बाद ये लोग स्थानीय माल का क्रय करने में समर्थ नहीं हैं । इसका सब से अधिक प्रभाव जालंधर, लुधियाना तथा भिवंडी जैसे शहरों पर पड़ा है जहां ये उद्योग काफी संख्या में चल रहे हैं ।

मैं इस बात को जानता हूं कि सरकार को पहले ही यह सूचना मिल चुकी थी कि शुल्क बढ़ाने से तस्करी में वृद्धि होगी । फिर भी सरकार ने इस बारे कोई कार्यवाही नहीं की ।

इस प्रकार वित्त मंत्रालय ने विदेशी कपड़ा कारखानों तथा तस्करों को सूत पर शुल्क बढ़ा कर प्रोत्साहन दिया है । क्या बजट का उद्देश्य इन्हें प्रोत्साहित करना ही था ?

निवारक उपायों की बात भी कही गयी है । एक ओर तो 28 अथवा 38 करोड़ रुपये के शुल्क लगाये जाते हैं और दूसरी ओर तस्करी रोकने के लिये पैसा व्यय किया जाता है ।

मेरे पास एक पत्र है जो एक स्विस फर्म ने दुबाई में रहने वाले चतुरमल नामक व्यक्ति को लिखा है । आप चाहें तो इस पत्र को मैं सभा पटल पर रखता हूं । इस पत्र से स्पष्ट होता है कि इन तस्करों के सरकार से सम्पर्क हैं ।

मेरी सूचना के अनुसार मार्च के महीने में लगभग 80 करोड़ रुपये का फल तस्कर व्यापार द्वारा भारत आया है । समाचार पत्रों में इस प्रकार के माल का बहुत मात्रा में देश के अंदर आने के समाचार प्रकाशित हुए हैं । आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के तस्कर व्यापार का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है । इससे विदेशी मुद्रा को हानि होती है और विदेशों में रुपये के मूल्य में भी गिरावट आ रही है । काले धन द्वारा ही इस प्रकार का व्यापार होता है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि बजट प्रस्ताव बनाने तथा उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिये कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं । आप इस प्रकार के लोगों का पता लगाने का प्रयास करें । मैं कह सकता हूं कि ऐसा जानबूझकर किया गया क्योंकि कांग्रेस आने वाले चुनावों के लिए तस्करों से बहुत सी राशि एकत्र कर सकती है ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं । बजट प्रस्तावों को तैयार करने के लिये कौन कौन जिम्मेवार हैं और क्या ये लोग विदेशी एजेन्सियों द्वारा प्रभावित थे ? बैंकाक की बैठक में किन किन बातों की चर्चा की गयी ? उपरोक्त पत्र में उल्लेखित व्यक्ति कौन हैं ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी** : बजट प्रस्तावों सम्बन्धी माननीय सदस्य की धारणा बिलकुल गलत है ।

**श्री पीलू मोदी** : क्या यह सच है कि दो मंत्रालयों ने संश्लिष्ट उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रस्तावों का विरोध किया था ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी** : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किस मंत्रालय ने किस प्रकार का परामर्श दिया ।

नये उत्पाद कर लगने के बाद इस वस्तु के स्वदेशी उत्पादन तथा आयात मात्रा के बीच 1 : 10 नहीं बल्कि 1:3 का अनुपात है। लेकिन बातों पर वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान ही विचार करना उचित रहेगा।

मैं अपने वक्तव्य में इस बात को मान चुका हूं कि अब सोने के स्थान पर संश्लिष्ट उत्पादों तथा घड़ियों की ही तस्करी होती है। संश्लिष्ट धागों के कपड़े तथा घड़िया बहुत मात्रा में पकड़ी गयी।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि कर प्रस्ताव विधि अधिकारी विशेष ने तैयार नही किये गये। सरकार निर्णय लेती है जिसे सभा में रखा जाता है।

**Shri Hukam Chand Kachwai (Muhena):** Some effective steps are stated to have been taken to check smuggling. We have no doubt that some big customs officials are helping the smugglers. A number of officers have been arrested but they are not being fried in the court of law because it is apprehended that names of many ministers who received money from these smugglers will came to light. They are being released so that money could be extracted from them during the next elections.

Law relating to smuggling is very defective. No strict action can be taken against smugglers as a result thereof.

**श्री प्रणब कुमार मुखर्जी** : यह कहना गलत है कि तेज चलने वाली ये सारी नौकाएं काम नहीं कर रही हैं। 13 नौकाएं तस्करी को रोकने के लिए सक्रिय हैं। अतः यह कहना गलत है कि ये नौकाएं ठीक ढंग से काम नहीं कर रहीं।

बखिया तथा अन्य तस्करों को न्यायालय के आदेश पर रिहा किया गया। हम उन कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं जिनके द्वारा हम रिहा किये गये लोगों के बारे में कार्यवाही कर सकें।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वतंत्र पार्टी तथा जनसंघ अब भी व्यापारियों तथा तस्करों का समर्थन कर रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी इस बात के पक्ष में रही है कि किसी भी वस्तु पर अधिक कर न लगाये जायें।

यह उनकी नीति है। वे ऐसी बातें करके सरकार को कठिनाई में डालना चाहते हैं। वे कर लगाने के विरुद्ध बातें करते हैं, क्योंकि वे गुजरात में चुनाव के लिए कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं। इस ध्यानाकर्षण के पीछे यही उद्देश्य है।

सरकार तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तस्करी को रोकने के लिए सराहनीय कार्य किया है। इस के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। पश्चिमी तट पर तस्करी लगभग पूर्णतया समाप्त हो गई है। ये तस्कर अब बैंकाक चले गये हैं तथा अपनी गतिविधियां पुनः आरम्भ करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय इसे रोकने के लिए कदम उठायेंगे।

माननीय सदस्य श्री पीलू मोदी ने वित्त विभाग के अधिकारियों की भर्त्सना करने का प्रयास किया था। कई अधिकारी रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि तस्करी विरोधी अभियान में लगे अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाये।

यह अनुमान लगाया गया है कि हजारों-करोड़ रुपये का संशलिष्ट कपड़ा दुबाई में पड़ा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि गह समूचा स्टॉक किन-किन देशों से आया है और

क्या सरकार ने उन देशों की सरकारों को विरोध पत्र भेजे हैं? क्या वे देश हमारे मित्र देश हैं अथवा नहीं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तस्करी के माल की कीमत का भुगतान किस रूप में किया जाता है, हमारी अपनी मुद्रा में अथवा विदेशी मुद्रा में अथवा किस्म में अथवा सोने और चांदी आदि में?

मैं यह जानना चाहता हूं कि तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा तस्करों को रिहा किया जा रहा है। क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनायेगी जिससे इन्हें रिहा न किया जाये और तस्करी का उन्मूलन किये जाने तक इन्हें रखा जाये।

**श्री प्रणव कुमार** मुखर्जी: जहां तक तस्करी के माल के आने का प्रश्न है यह मुख्यतया हांग कांग, दुबाई तथा कुछ अन्य स्थानों से आता है। जहां तक वहां की सरकारों का सम्बन्ध है, वे हमें पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदान करते हैं। हम आपस में जानकारी की अदला बदली भी करते हैं।

जहां तक कानूनी स्थिति का सम्बन्ध है, कि वर्तमान मामलों में न्यायालय तथ्यों के आधार पर निर्णय देते हैं न कि मामलों के गुण-दोष के आधार पर। कानूनी पेचिदगियों पर विचार करने में कुछ समय लगेगा तथा जैसा कि सभा में बताया जा चुका है कि कानूनी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हम अग्रेतर कार्यवाही पर विचार करेंगे।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**: तस्करी के माल की कीमत का भुगतान किस मुद्रा में किया जाता है?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी**: विदेशी मुद्रा में।

**Shri Madhu Limaye** (Banka): The way in which the cases of the smugglers have been handled by the officers credits, doubts in our minds that the officers are in collusion with the smugglers and they give such fake grounds deliberate by so the smugglers could get acquittal from the Courts. In view of these doubts, I would request the hon. Minister to give specific answers to my following questions :—

1. So far as the question of duty is concerned, it was stated by Shri Subramaniam that the issue is being reconsidered. I would like to know the time by which the reconsideration would be over and when Government would come before the House with their suggestions ?

2. The details of the action taken against the Government Officials who have been found guilty of having collusion with smugglers.

3. Is it a fact that there are 62 absconders in West Bengal, who have not been rounded up so far ? Does the same situation exist in other States also ?

4. The grounds for detention have deliberately been concocted. I want to know whether any enquiry will be made in this regard and whether the officers suspected to be responsible therefor would be suspended before starting the enquiry ?

**श्री प्रणव कुमार मखर्जी**: जान बूझ कर अधिकारियों द्वारा ऐसे कारण दिये जाने के बारे में जिस से कि वे न्यायालय में छूट जायें, मैं कहना चाहता हूं कि यह आरोप सही नहीं है।

जब ये व्यक्ति नजरबन्द थे तो इन्होंने विभिन्न न्यायालयों में याचिकायें दायर कर रखी थी।

नजरबन्दी के आधार के बारे में जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिकोण अपनाया, किसी अन्य न्यायालय ने दूसरे मामले में दूसरा दृष्टिकोण अपनाया। यह निर्णय तो स्वयं न्यायपालिका ने करना है कि उन का निर्णय उचित है अथवा नहीं। हमने उच्च न्यायालय में विशेष अपील के लिये दरखास्त

दे दी है। जब तक निर्णय नहीं हो जाता, मैं कुछ भी कहने कि स्थिति में नहीं हूं। एक मामले में दो उच्च न्यायलयों के निर्णय भिन्न-भिन्न हैं तथा मेरे लिये यह कहना असंभव है कि कौन सा निर्णय सही है।

**श्री भगवत झा आजाद** (भागलपुर): निराधार कारणों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी :** वे कारण निराधार नहीं है। उन का आधार है। इस बारे में दो उच्च न्यायालयों के भिन्न-भिन्न मत है। अतः इस का निर्णय उच्चतम न्यायलय करेगा।

**Shri Madhu Limaye :** He has said that he does not want to say anything about Bakhia's case. I want to know where you are prepared to get an enquiry conducted in his case in order to Know whether the grounds are non-existing or existing ones and whether they are in collusion with Bakia ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी**: उच्चतम न्यालय के निर्णय के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने दिल्ली उच्च न्यायलय के निष्कर्षों के विरुद्ध अपील कर दी है। हम चाहते हैं कि देश का उच्चतम न्यायलय इस बारे में निर्णय दे।

**Shri Madhu Limaye :** Mr. Speaker, Sir, the Junior Minister is being made a scape goat. You should give your absorvation in this matter. This is a very important matter. Shri Subramamaniam should have been present here. I do not know the important work which kept him away ?

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी** : माननीय सदस्य को ज्ञात है कि श्री सुब्रहमण्यम यहां नहीं है। वह विदेश गये हुए हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है उनका यह कथन सही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में केवल 82 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। अब तक 886.......... (व्यवधान)।

**Shri Madhu Limaye :** About west Bengal I have said that 82 smugglers have been arrested and 68 are absconding.

**श्री प्रणव कुमार मुखर्जी**: यह कहना सही नहीं है कि 82 व्यक्ति पकड़े गये है।

पश्चिम बंगाल में भी हमने राज्य प्रशासन से इस बारे में कार्यवाही करने को कहा है तथा हमने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि क्या इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। जहां तक उत्पादन शुल्क के प्रभाव का सम्बन्ध है, में पहले ही श्री पीलू मोदी के प्रश्न के उत्तर में इस का उत्तर दे चूका हूं। इस बात का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है परम्परा यह रही है कि यदि कोई रियायत देनी हो, तो उसकी घोषणा वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सभा में की जाती है। इस समय कुछ भी कहना मेरे लिये संभव नहीं हैं।

माननीय सदस्य की अन्तिम बात श्री रजनी पटेल के कथन से सम्बन्धित है। इसमें कोई खराबी नहीं है।

श्री रजनी पटेल ने अपना मत व्यक्त किया था तथा यह सरकार पर निर्भर है कि वह उन के मत के अनुसार कार्य करती है अथवा नहीं।

# लोक लेखा समिति

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

### 148 वां प्रतिवेदन

**श्री ज्योतिर्मय बसु**: (डायमंड हार्बर) मैं भारत के निर्यत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार, (रेल) में सम्मिलिति रेलवे के वित्तीय परिमाणों तथा आय सम्बन्धी पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 148 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

# सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

### 11 वां प्रतिवेदन

**श्री बी० के० दास चौधरी** (कूच-बिहार) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 11 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

### मेजर रमेश चन्द्र धवन की नजरबन्दी के बारे में पूछे गये प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में रक्षा मंत्री के उत्तर सम्बन्धी जानकारी के बारे में सदस्य का वक्तव्य

### STATEMENT BY MEMBER RE. INFORMATION GIVEN BY DEFENCE MINISTER IN REPLY TO QUESTION REGARDING DETENTION OF MAJOR RAMESH CHANDER DHAVAN

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने मेरे प्रश्न का गलत उत्तर देकर सभा को गुमराह किया है । दिनांक 20 फरवरी, 1975 को मैंने एक अतारांकित प्रश्न संख्या 422 पूछा था, जिस का भाग (ग) इस प्रकार था कि "क्या यह सच है कि मेजर धवन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और सैनिक साजसामान के दुरुपयोग और दुर्विनियोजन की संविधिक शिकायत केन्द्रीय सरकार को की है ।"

इस के उत्तर में रक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने कहा था, "जी हां," सांविधिक और अन्य शिकायतों में उन्होंने अपने चार वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये थे ।

यह जानकारी सर्वथागलत और आधारहीन है तथा सारे मामले की गम्भीरता को कम करती है वास्तव में उन्होंने चार अधिकारियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि बारह अधिकारियों (1) ले० कर्नल आई० एन० सूरी, (2) कर्नल सोमाना, (3) ले० कर्नल स्वामी (4) ले० कर्नल इन्द्र जगमोहन, (5) ले० कर्नल कपूर (6) ले० कर्नल अजीत प्रसाद (7) ले० कर्नल वी० गणेश, (8) ले० कर्नल इन गार, (9) जनरल नागरा, (10) ले० कर्नल बी० अरोड़ा, (11) ब्रिगेडियर ए० एल० कोचर और (12) ले० जनरल बी० एन० दास के विरुद्ध आरोप लगाये थे ।

उपर्युक्त तथ्यपूर्ण जानकारी से सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने सर्वथा गलत जानकारी दी और सभा को गुमराह किया ।

उन्होंने अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिये सभा को गुमराह किया है ।

**रक्षा मंत्री श्री (स्वर्ण सिंह)** : मैंने सेना मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिये गये उत्तर को बड़े ध्यान से पढ़ा है। जब कि प्रश्न के भाग (ग) में यह पूछा गया था कि क्या यह सच है कि मेजर धवन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और सैनिक साज-सामान के दुरुपयोग और दुर्विनियोजन की संविधिक शिकायतें की थी, इस के उत्तर में इन शिकायतों के अतिरिक्त अन्य शिकायतों का उत्तर दिया गया । अब मुझे पता चला है कि उत्तर तैयार करने वाले अधिकारी ने मेजर धवन से वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सांविधिक और अन्य शिकायतों से न ले कर गैर-सांविधिक शिकायतों के आधार पर की गई जांच कार्यवाइयों से ले लिये, क्योंकि अधिकारी को सांविधिक तथा अन्य शिकायतें तुरन्त उपलब्ध न थी । यह गलती उत्तर की जांच करके उसे अन्तिम रूप देने वाला अधिकारी भी न पकड़ सका । मैं सदन को गलत जानकारी देने के लिये खेद व्यक्त करता हूं ।

भाग (ग) का उत्तर मेजर धवन द्वारा दी गई सांविधिक शिकायत तक ही सीमित होना चाहिये था जिस पर रक्षा मंत्रालय पहले ही कार्यवाही कर चुका है। यह सांविधिक शिकायत 16-4-73 को की गई थी और अपनी वरिष्ठता निश्चित किये जाने और पदोन्नति करने के लिये की गई थी, क्योंकि अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करने के कारण 1962-69 के दौरान उनके गुप्त विवरण में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई थी। उन की शिकायत सरकार ने 1974 में ही रद्द कर दी थी और उन्हें सूचित कर दिया गया था। इस शिकायत में उन्होंने अपने छः वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाये थे, जो 1960 से 1970 तक सम्बन्धित थे। रिकार्ड से यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि उस समय उन की जांच की गई अथवा नहीं और यदि की गई तो क्या कार्यवाही की गई। यह पता चला है कि 1970 में एक मामले में अधिकारी के प्रति गहरी अप्रसन्नता प्रकट की गई थी। 1968 और 1969 से सम्बन्धित दो मामलों में रजिमेंट की राशि को जिसे अनधिकृत रूप से निजी खाते में रखा गया था, निजी खाते से वापस ले कर रजिमेंट के खाते में जमा कराया गया था। 1963 में एक मामले की जांच की गई थी तथा अन्त में इसे छोड़ दिया गया था। 1960 और 1965 से सम्बन्धित दो अन्य मामलों में क्या कार्यवाही की गई, इस का पता नहीं चल सका।

उपर्युक्त बातों को देखते हुए अतारांकित प्रश्न संख्या 422 के भाग (ग) और (ङ) में शुद्धि कर दी गई है और शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

**[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 9486/75]**

मेजर धवन ने एक से अधिक सांविधिक तथा कई गैर सांविधिक शिकायतें की हैं। मुझे यह पता नहीं है कि माननीय सदस्य ने अपनी विशेषाधिकार की सूचना में किस सांविधिक शिकायत का उल्लेख किया है। तथापि मैं माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित 12 अधिकारियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा तथा यथा समय वह जानकारी माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

मुझे यह कहने की भी अनुमति दी जाये कि सरकार की इच्छा किसी भी गलत आदमी को बचाने की नहीं है। अधिकारियों की जानकारी में लाये गये प्रत्येक आरोप की जांच की जाती है तथा प्रत्येक मामले में यथोचित कार्यवाही की जाती है।

# सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक

CIGARETTES (REGULATION OF PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) BILL

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिगरेट के व्यापार और वाणिज्य और उस के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में कतिपय निर्बन्धनों का और उस से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि सिगरेट के व्यापार और वाणिज्य और उस के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के सम्बन्ध में कतिपय निर्बन्धनों का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

THE MOTION WAS ADOPTED.

**डा० कर्ण सिंह** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

# सदस्यों द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के बारे में

## RE : PROCEDURE ABOUT PERSONAL EXPLANATION BY MEMBERS

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** (बेगुसराय) महोदय, नियम 376(1) के अन्तर्गत नियम 357 तथा निदेश 115ग के निर्वचन और लागू किये जाने के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल दिनांक 21-4-75 को श्री मोरारजी देसाई ने एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया था । निदेश 115ग के अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्य को वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने से पूर्व उस वक्तव्य की अग्रिम प्रति लिखित रूप में अध्यक्ष महोदय को देनी होती है । परन्तु लोक सभा सचिवालय ने चार प्रतियां मांगी थी, जो दे दी गई थी। लोक सभा सचिवालय को प्रतियां दिये जाने के तुरन्त बाद मुझे पता चला कि वक्तव्य की एक प्रति सरकार अथवा प्रधान मंत्री को दी गई । यह नियम 357 तथा निदेश 115ग का उल्लंघन है । नियम अथवा निदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिस सदस्य की टिप्पणियों के कारण वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता हुई, स्पष्टीकरण की अग्रम प्रति उसे भी दी जायेगी । इस मामले में वह सदस्या प्रधान मंत्री थी। परन्तु हम समता के आधार पर कार्य करते हैं तथा नियमों के अनुसार सरकारी सदस्य एवं गैर सरकारी सदस्य में कोई अन्तर नहीं है । अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित बातों के बारे में अपना विनिर्णय दें, अर्थात् :--(क) क्या नियम 357 और निदेश 115ग के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि स्पष्टीकरण की अग्रिम प्रति उस सदस्य को भी दी जाये । जिस की टिप्पणियों के कारण स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़ी ? क्या लोक सभा सचिवालय को चार प्रतियां देनी होती हैं ? (ख) क्या अग्रिम प्रति देने के मामले में सरकारी सदस्य का पक्ष किया जाता है ? (ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर नाकारात्मक हो, तो क्या प्रधान मंत्री को अग्रिम प्रति दिया जाना नियमों को भंग करना नहीं है ?

**अध्यक्ष महोदय** : हम किसी नियम अथवा निदेश अथवा परम्परा का पालन करते हैं। परम्परा यह रही है कि जब कोई वैयक्तिक स्पष्टकरण दिया जाये, जिसमें मंत्री सम्बद्ध हो, तो मंत्री को भी सूचित किया जाता है । आज भी निदेश 115 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य के मामले में श्री स्वर्ण सिंह को सूचित किया गया था और उन्होंने भी वक्तव्य दिया था ।

**श्री ज्योतिर्मय बासु** : (डायमंड हार्बर) : अन्तर केवल इतना है कि उन्हें मेरी प्रति दी गई थी, परन्तु उनकी प्रति मुझे नहीं दी गई ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री वैयक्तिक स्पष्टकरण नहीं दे रही थी कि उनकी प्रति अन्य सदस्यों को दी जाये ।

हम इस मूलभूत सिद्धांत का पालन करते हैं कि यदि कोई प्रश्न निदेश 115 के अधीन लाया जाता है, तो हम उसे मंत्री के पास भी भेज देते हैं । यदि माननीय सदस्य संतुष्ट न हों, तो उसे उत्तर देने का अधिकार है । अभी तक यही परम्परा रही है । इस बारे में कोई विशेष नियम नहीं है। यह जांच करना नियम समिति पर निर्भर है कि वह यह देखे कि इस परम्परा को चलाने दिया जाये अथवा नहीं ।

**श्री श्यामानदन मिश्र** : यह मामला बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिये तथा ऐसा नहीं होना चाहिये कि सरकार का पक्ष किया जाये । यह नियम सभा के सब सदस्यों के लिये समान होना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय**: इसमें पक्षपात का कोई प्रश्न नहीं है । जिस समय श्री डी० एन० सिंह यह मामला लाये थे, तो मैंने उसी समय कहा था कि प्रधान मंत्री को भी उपस्थित होना चाहिये क्योंकि यह मामला उनसे संबंधित है । मैंने यह भी कहा था कि मैं प्रधान मंत्री को भी सूचित करूंगा कि श्री मोरारजी देसाई इस विषय पर वैयक्तिक स्पष्टकरण दे रहे हैं, ताकि यदि आवश्यकता हो तो वह भी अपना स्पष्टीकरण दे सकें । मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है तथा इसमें कोई भेद भाव की बात नहीं है ।

मैं यह निर्णय आप लोगों पर छोड़ता हूं कि क्या इस परम्परा को चालू रखा जाये अथवा इसे जांच करने के लिये नियम समिति को भेजा जाये ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र**: परम्परा सब सदस्यों के लिये होनी चाहिये। हमें तो वैयक्तिक स्पष्टीकरण की अग्रिम प्रति कभी नहीं दी गई ।

**अध्यक्ष महोदय**: तभी तो दी जाये जब कोई सदस्य अन्तर्तग्रस्त हो, अथवा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

**श्री ज्योतिर्मय बासु**: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे काफी समय पूर्व अर्थात्, तीन दिन पहले अपने वैयक्तिक स्पष्टीकरण की प्रति देने को कहा गया, जब कि श्री स्वर्ण सिंह के वक्तव्य की प्रति मुझे नहीं दी गई, ताकि मैं यह पता लगा सकता कि उन्होंने सभा को कितना और गुमराह किया है ।

**श्री स्वर्ण सिंह**: महोदय, मैंने एक विस्तृत वक्तव्य दिया है । जब मैंने उत्तर दिया था, तो यह भी कहा था कि इसे माननीय सदस्य के पास भेजा जा सकता है ।

**श्री सेझियान**: यह आप की बात नहीं है । वह प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु**: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि आपके सचिवालय ने मुझे वक्तव्य की एक प्रति तीन दिन पहले देने के लिये कहा था जबकि श्री स्वर्ण सिंह से ऐसा नहीं कहा गया। इसका कारण क्या उनका मंत्री होना है। यह भेद-भाव किस लिये किया जाता है ?

**अध्यक्ष महोदय**: आपका वक्तव्य भेज दिया गया था और वह आज विवरण देंगे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु**: मुझे भी तीन दिन पूर्व मिलनी चाहिये थी ।

**अध्यक्ष महोदय**: इस तरह तो बात समाप्त नहीं होगी ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र**: मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार के किसी सदस्य या इस सभा के सदस्य पर कोई आरोप लगाया जाता है और सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देता है तो क्या हमें पहले ही प्रति उपलब्ध करायी जाती है ।

**अध्यक्ष महोदय**: मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री यहां होती तो ठीक था । उन्हें भी जानकारी होनी चाहिये कि क्या चीज लायी जा रही है ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र**: हम सभा में प्रधानमंत्री भी उपस्थित पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय**: मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री यहां होती तो ठीक था ।

**श्री दिनेश सिंह** (प्रतापगढ़) : क्या आपका विचार इसे नियम समिति को सौंपने का है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं सौंप रहा । सदस्य ऐसा कर सकते हैं । सदस्य सम्भवतया उसे अपने ढंग से सौंपना चाहें और शायद मैं उस ढंग से नियम समिति को नहीं भेजना चाहता ।

**श्री दिनेश सिंह** : इस का सम्बन्ध केवल सरकार तथा सदस्य के बीच होने वाली बात से ही नहीं है । व्यक्तिगत स्पष्टीकरण किसी सदस्य का अन्य सदस्य द्वारा कही गई बात पर भी हो सकता है और यह हो सकता है कि सरकार बिल्कुल ही बीच में न आये ।

**अध्यक्ष महोदय** : उस दिन श्री गोयनका का मामला था । उन्हें बताया गया था कि एक वक्तव्य दिया जायेगा । आप उस समय उपस्थित रहें ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : पूर्व प्रति के साथ प्रधान मंत्री उपस्थित रहें, आप के इस अनुरोध को मैं विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता । यह तो बिल्कुल ठीक है । लेकिन मैं तो पक्षपात किये जाने के विरुद्ध आपत्ति कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह पक्षपात नहीं है बल्कि यही प्रथा है । आप महासचिव से पूछ सकते है । वह इससे पूर्व के मामलों की जानकारी दे सकते हैं ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या आप हमें ऐसा अवसर बता सकते हैं जब व्यक्तिगत स्पष्टीकरण की पूर्व प्रतियां दी गयी हों ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बाल की खाल न निकालिये । मैं प्रधान मंत्री को यह बता दूंगा कि उन्हें सभा में क्यों उपस्थित रहना चाहिये ।

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : प्रधान मंत्री ने भी वक्तव्य दिया था । वह पूछ रहे हैं कि क्या उसकी पूर्व प्रति दी गई थी ?

**Shri Madhu Limaye** : A copy of the Prime Minister's statement should have been sent to Shri Morarji Desai.

**अध्यक्ष महोदय** : सिधान्त रुप से इस में कोई गलती नहीं है । यदि आप इस सम्बन्ध में नियमावली बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : जो सुविधा प्रधान मंत्री को दी जाती है वही अन्य सदस्यों को भी मिलनी चाहिये । एक अन्य बात यह है कि प्रधान मंत्री ने श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध कुछ आरोप लगायें हैं । यह नियम है कि जब किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लागाये जाते हैं तो सम्बन्धित सदस्य को उसकी पूर्व जानकारी दी जाये । क्या इस मामले में नियम का पालना किया गया ?

**अध्यक्ष महोदय** : जब श्री मोरारजी देसाई ने नियम 357 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तो उसमें कुछ विवादास्पद बातें थी और मैंने अनुभव किया कि उन्हें वक्तव्य का भाग न माना जाये लेकिन श्री देसाई की वरिष्टता को देखते हुए मैंने इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया ।

**श्री श्यामनन्दन मिश्र** : यह तो बिल्कुल नियमाकुल वक्तव्य दिया गया था । मामला तो यह है कि जब प्रधान मंत्री ने श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध आरोप लगाये तो क्या श्री देसाई को पूर्व प्रति भेजी गई थी ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होने वक्तव्य में कोई आरोप नहीं लगाया । यदि मैं अनुभव करता कि कोई आरोप लगाया गया है तो मैं पूर्व प्रति के लिये कहता ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : कल श्री मधु लिमये, श्री बाजपेयी और श्री सेझियान ने कुछ टिप्पणियां की थीं जिनके कारण विवश होकर मुझे सभा में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने आना पड़ा है । यदि आप अनुमति दें तो मैं यह मामला उठाऊं । आप जैसा उचित समझें निदेश दें ।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं । हमारे सामने अभी अन्य मामले हैं ।

**Shri Madhu Limaye** : We want his explanation before his term expires.

**श्री एस०एम० बनर्जी** : मैं बलिया में लड़कियों पर किये गये सामूहिक बलात्कार का मामला उठाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप प्रतिदिन नियम 377 के अन्तर्गत मामला नहीं उठा सकते । यदि आप पिछला विवरण देखें तो पता लगेगा कि एक या दो बार इसके लिये अनुमति दी जाती है । लेकिन आज कल तो प्रतिदिन ऐसा किया जा रहा है और फिर यह मामला तो पहले ही राज्य विधान सभा में उठाया जा चुका है । यह मामला राज्य से सम्बन्धित है । मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

**श्री एस०एम० बनर्जी** : क्या आप चाहते हैं कि हरिजन लड़कियों पर इसी प्रकार बलात्कार होते रहें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मध्य पूर्व के देशों को लड़कियों का अनैतिक व्यापार के लिये निर्यात बहुत शर्म की बात है ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ । श्री सरजू पांडे बलिया से हैं । यह मामला हरिजनो के बारे में है । आप गृह मंत्री को एक वक्तव्य देने के लिये कहें ।

**Mr. Speaker** : I shall convey the matter.

आप मुझे यहीं प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिये कह रहे हैं । यह उचित तरीका नहीं है । हर रोज एक मिनट दो मिनट का समय मांगा जाता है । ऐसा नहीं हो सकता ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मैं तो प्रतिदिन ऐसा नहीं करता । मुझे आप अवसर क्यों नहीं देते ? मैं भी आशा रखता हूं कि आप मेरी ओर ध्यान दें । आप भी मानव हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी अध्यक्ष हूं और पीठासीन हूं । आप भी मेरी तरह मानव हैं ।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : अध्यक्ष तो सारा दिन बोलते हैं । आप हमें बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : यह बड़े खेद का विषय है कि श्री बनर्जी को मामला नहीं उठाने दिया गया ।

## नियम 377 के अधीन मामला
## Matter under rule 377

**पांडिचेरी विनियोग लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में सरकार की असफलता**

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : मैं सभा का ध्यान सरकार की भारी भूल की ओर दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अधीन कतिपय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में तैयार किये गये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे गये हैं।

मैंने 25 मार्च को यह मामला उटाया था और आप ने कहा था कि सरकार को इस आशय का संकेत दिया गया है कि वे इन राज्यों के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जो राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत हैं। लेकिन आपके अनुदेशों का पालन नहीं किया गया है।

मुझे पता चला है कि पांडिचेरी के सम्बन्ध में विनियोग लेखे और 1971-72 तथा 1972-73 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नियत्रंक महालेखा परीक्षक ने सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया है। लेकिन संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम की धारा 49 के अनुसार उन्हें सभा पटल पर नहीं रखा गया है। धारा 49 में स्पष्ट लिखा है कि उन्हें विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा। विधान मण्डल के विघटन के बाद उसके सभी कृत्य संसद को करने हैं अत: उन्हें सभा पटल पर रखा जाना चाहिये। यह सरकार की गलती है।

गुजरात के सम्बन्ध में भी यही बात हुई है। नागालैंड के सम्बन्ध में प्रतिवेदन भी नहीं रखे गये हैं। जब तक ये प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे जाते तब तक उन्हें लोक लेखा समिति को नहीं सौंपा जा सकता। इसलिये इन पर विचार भी संभव नहीं। ऐसी भूलें क्यों कि गई हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप अभी उत्तर देंगे या बाद में ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : बाद में।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मुझे केवल आधा मिनट लगेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : आधा मिनट भी नहीं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मुझे यह नहीं बताया गया है कि इसे गृहीत नहीं किया गया है। मुझे केवल आधा मिनट चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : आप हर रोज ऐसा ही करते हैं। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री एस० एम० बनर्जी** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : किस पर ?

**श्री एस० एम० बनर्जी** : आप ने इस मामले में मंत्री जी से पूछा कि उत्तर देना चाहते हैं या नहीं। अन्य मामलों में आप केवल नोट करते हैं।

---

## अनुदानों की मांगें 1975-76—जारी
## DEMANDS FOR GRANTS 1975-76—Contd.

### वाणिज्य मंत्रालय

**श्री एम० सुदर्शनम** (नरसारावपेट) : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं :

सबसे पहले हमें यह बात जान लेनी चाहिये कि निर्यात में वृद्धि के लिये हमें निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि वे फालतू हो सकें और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन की ओर ध्यान देना होगा जिनमें काफी वृद्धि हो सकती है । जैसे बासमती चावल, चीनी, सिमेंट, इंजीनियरी का सामान और रसायन । इन वस्तुओं की बाहर मांग बढ़ रही है । दूसरे उद्योग और व्यापार को पूर्ण सहायता दी जाये ताकि वे अन्य देशों के मुकाबले में ठहर सकें और निर्धारित समय के भीतर माल भेज सकें । अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिपूर्ति नकद सहायता उपायों को अधिक समुचित ढंग से किया जाये और यदि किन्ही पार्टियों को विदेशों से आर्डर मिले हैं तो उन्हें विदेशी ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिये अपने वादे पूरे करने के लिये कहा जाये । तीसरे अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों की दृष्टि से अधिक बल परियोजनाओं, परामर्शदात्री सेवाओं, सभी पहलुओं से पूर्ण कार्यों आदि के निर्यात पर दिया जाना चहिये। मुझे खुशी है कि वाणिज्य मंत्रालय ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मेरा सुझाव है कि आरम्भ में कम से कम 10 करोड़ रुपये से एक आवर्ती निधि की स्थापन की जाये जिससे उद्यमियों को ऋण प्राप्त हो सके । ये ऋण अल्प समय के लिये दिये जायें और तब यह निधि स्वयं ही वित्तीय साधन जुटा पायेगी । इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता भी प्राप्त हो सकती है क्योंकि यह 'अनकटाड' द्वारा पास किये गये प्रस्ताव के ही अनुरूप है। आयात की जाने वाली वस्तुओं की प्राथमिकता का ध्यान भी रखना आवश्यक है । इस से हमारा व्यापार संतुलन ठीक हो सकेगा ।

भारत में तकनीकी दृष्टि से कुशल लोग और व्यापक जनशक्ति उपलब्ध है जिसका प्रयोग करके उन वस्तुओं के उत्पादन के लिये कारखाने लगाये जा सकते हैं जिनका हम आयात करते हैं । हमारी कठिनाइयां अल्पकालीन है और हम उन पर काबू पा सकते हैं । इसके लिये हमें प्रत्येक कारखाने और प्रत्येक एकक में उत्पादन बढ़ाना होगा । उवर्रक, अखबारी कागज, कागज. सीमेंट, इस्पात, भारी मशीनों के उत्पादन के संयंत्र लगाये जाने चाहियें ।

7 अप्रैल को सरकार द्वारा घोषित नई आयात नीति में सरकार ने प्रस्तावक प्राधिकारियों के माध्यम से लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र लेने की प्रक्रिया समाप्त करके और फालतु पुर्जों आदि के आयात में उदारता दिखा कर बहुत अच्छा किया है । इनसे उद्यमियों को बहुत लाभ होगा ।

निर्यात के लिये नकद सहायता और फिरती की सुविधाओं के क्षेत्र में अभी बहुत काम किया जाना शेष है । इस सम्बन्ध में निर्यात-आयात की स्थापना बहुत आवश्यक है । लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में उसका कोई उल्लेख नहीं है । निर्यात के लिये वित्तीय सहायता 11.5% से कहीं कम व्याज पर दी जानी चाहिये ।

दिल्ली में या उसके निकट शुष्क बन्दरगाह बनाने की बात 10 वर्ष से विचाराधीन है । अब इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

अपना निर्यात बढ़ाने के लिये हमें तेल सम्पन्न देशों से व्यापार सम्बन्ध बनाने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । ईरान आदि देशों की क्रय शक्ति बहुत अधिक है । राष्ट्रपति द्वारा इंडोनेशिया की यात्रा से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं । युद्ध के कारण कम्बोडिया और वियतनाम की बिगड़ी स्थिति सुधारने के लिये हमें प्रयास करने चाहियें इससे हमें व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त होंगी । इन देशों को

शिष्टमंडल भेजे जाने चाहियें । प्रतिकूल राजनीतिक स्थिति के बावजूद हमें पाकिस्तान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न करना चहिये ।

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कपड़ा उद्योग और पटसन उद्योग की समस्याओं का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं । वर्ष 1974 में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई है । फिर भी पिछले चार या पांच महीनों से वस्त्र उद्योग को बड़ी कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है । क्योंकि मिलों से कहा गया है कि नियंत्रित दर पर बिकने वाले कपड़े का उत्पादन 40 करोड़ वर्ग मीटर से बढ़ा कर 80 करोड़ वर्ग मीटर करने के लिये कहा गया है । नियंत्रित कपड़े के लिये अधिक धागे तथा अधिक संख्या में तकुओं और करधों की आवश्यकता पड़ेगी । नियंत्रण एवं निर्यात दायित्व योजना मेरे विचार में ठीक नहीं । सबसे पहले नियंत्रित कपड़ा समाज के दुर्बल वर्ग के पास पहुंचना चाहिये । हमारी वितरण प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण बेइमानी बहुत होती है । नियंत्रित कपड़े की सप्लाई के दायित्व के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । वाणिज्य मंत्री को वस्त्र के मूल्य और वितरण से नियंत्रण हटाने की सम्भाव्यता पर विचार करना चाहिये ।

लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन करने वालों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है । उचित मूल्यों पर कपास के खरीददार न होने के कारण उत्पादकों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है । अब यह आवश्यक है कि निर्यात शुल्क समाप्त करके लम्बे रेशे वाली रूई के निर्यात की अनुमति दी जाये।

पटसन उद्योग के बारे में मेरा सुझाव यह है कि निर्यात उत्पादन सचिव श्री एस० जी० बोस मलिक की अध्यक्षता वाले शिष्टमंडल की सिफारिशों को यथा शीघ्र कार्यान्वित किया जाये । यदि पटसन उद्योग को पर्याप्त राहत न दी गई तो पटसन के निर्यात को गहरा धक्का लगेगा । पटसन पर निर्यात शुल्क तुरंत हटा लिया जाये ।

हमारे देश में वाणिज्य मंडल और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थानों के संस्थागत प्रबन्धों में सुधार लाने की आवश्यकता है । औद्योगिक संस्थानों और निर्यात संवर्द्धन परिषदों के बीच सही सम्पर्क नहीं है । समिति की नियुक्ति द्वारा या विशेष ड्यूटी अधिकारी को मामले की समीक्षा का कार्य सौंपना चाहिये ।

तम्बाकू बोर्ड विधेयक पास कर दिया गया है । लेकिन उत्पादन क्षेत्र में कोई तम्बाकू बोर्ड कार्य नहीं कर रहा । उपकर विधेयक अभी नहीं आया है । मैं वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बजट सत्र में उसे पास कर दिया जाये ताकि तम्बाकू उत्पादकों को लाभ मिल सके।

**श्री सी० जनार्दनन** (त्रिचूर) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 1974-75 के पिछले नौ महीनों के दौरान 585 करोड़ रुपये का घाटा चल रहा है और आगामी मास में यह घाटा और बढ़ेगा । मंत्रालय ने कहा है कि विश्वव्यापी मुद्रा स्फीति, तेल संकट, अनाज और उर्वरकों के अधिक आयात के कारण व्यापार में घाटा हुआ है । लेकिन हम निर्यात-आयात व्यापार को एकाकी रूप में नहीं रख सकते । हमारे देश में आर्थिक संकट है और यह भी उसी संकट का एक भाग है ।

सरकार और कुछ अन्य लोगों का कहना है कि मुद्रास्फीति विश्वव्यापी संकट है लेकिन केवल पूंजीवादी देशों में ही यह संकट है, समाजवादी देशों में ऐसा कुछ नहीं है । हम भी चूंकि पूंजीवाद का

निर्माण कर रहे हैं अतः यहां भी यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है । हमें समाजवादी देशों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें । हमारी समस्याएं तभी सुलझ सकती हैं ।

सरकार की औद्योगिक नीति से यह स्पष्ट हो गया है कि एकाधिकारियों के पक्ष में प्रभाव बढ़ रहा है । क्योंकि सरकार समझ रही है कि वर्तमान संकट से छुटकारा तभी पाया जा सकता है जब एकाधिकारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जायें । आयात पर लगे प्रतिबंध हटा लिये गये हैं । सरकार ने सरकारी माध्यम से आयात-निर्यात की सूची में से 11 मदें हटा ली हैं और नई सूची में केवल एक और मद जोड़ी है । इससे पता चलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं । हम तो सम्पूर्ण आयात-निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण की मांग करते आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सरकार सरकारी व्यापार की सूची में से मदें निकाल रही है ।

वस्त्र उद्योग, विदेशी स्वामित्व वाले चाय और रबड़ के बागानों, चीनी उद्योग आदि के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है । वर्तमान संकट में राष्ट्रीयकरण अनिवार्य उपाय है । सरकारी क्षेत्र के कई निगमों जैसे राज्य व्यापार निगम का काम बहुत बढ़ रहा है केकिन उसके साथ-साथ इनकी आलोचना भी बहुत होती है । उन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं । यह भी कहा जाता है कि वे छोटे निर्यातकों की सहायता नहीं करते ।

केरल में अभी कुछ दिन पहले काजू उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों ने आन्दोलन किया था । वहां काजू के कई कारखाने बंद कर दिये गये हैं यद्यपि काजू की कोई कमी नहीं है । काजू कर्मचारियों का कहना है कि भारतीय काजू निगम ने समय पर काजू खरीदने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश नहीं किया । यह हजारों श्रमिकों की रोज़ी का मामला है । हमें स्वयं अपने देश में काजू का उत्पादन बढ़ाना चाहिये । मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया ।

इस मंत्रालय के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन के नाम पर कई बोर्ड हैं । यह पता नहीं कि वे ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं । नारियल जटा बोर्ड, चाय बोर्ड ऐसे ही बोर्ड है । इनसे सन्तोषजनक ढंग से कार्य सम्पन्न कराने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें अधिक पैसा तथा अधिकार दिये जायें । समुद्री उत्पाद प्राधिकरण के बारे में भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं ।

इस सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि यह विषय वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच बंटा हुआ है ।

अतः इन दो मंत्रालयों को अलग-अलग करना काफी कठिन है । मैं सरकार से मामले के इस पहलू पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा ताकि इन सब को एक मंत्रालय, हो सके तो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन लाया जाये जिससे वे विषय पर सही रूप से विचार कर सकें।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना उद्योग का विकास किया जाना चाहिये । 1964 अथवा 1967 में कृषि मंत्रालय ने कुछ नौकाएं आयात की थीं । 1974 में इन्होंने 50 नौकाएं आयात कीं । इस योजना अवधि में वे कुछ और नौकाएं आयात कर रहे हैं । मेरे विचार में वाणिज्य मंत्रालय का इस मामले में कोई हाथ नहीं है । छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । वे इस क्षेत्र से समाप्त होते जा रहे हैं ।

सरकारी नीति देश के एकाधिकारी हितों की रक्षा करने वाली है । लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमकर्ताओं की सहायता करने के लिए सरकार के पास कोई विशिष्ट योजना नहीं है। हालांकि एकाधिकारी गृहों का संचालन क्षेत्र समिति हैं, फिर भी सरकार अपने निर्णयों को लागू करने की स्थिति में नहीं है । ये एकाधिकारी गृह छोटे उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं । इसके परिणाम स्वरूप कई कारखाने बन्द हो गये हैं और कई मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठे हैं।

अत: मेरा सुझाव है कि छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों को सहायता देने के उपायों पर विचार करने के लिए सरकार को गैर-सरकारी समिति नियुक्त करनी चाहिये । इसके साथ समुद्री विकास प्राधिकरण को इसके साथ सहयोजित किया जाना चाहिये।

**श्री एस० आर० दामाणी** (शोलापुर) : निर्यात कार्यों में बढ़िया कार्य निष्पादन के लिए वाणिज्य मंत्री को बधाई है । निर्यात में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जोकि एक रिकार्ड है । परम्परागत एवं गैर-परम्परागत दोनों मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है । 31 मार्च, 1975 तक 2200 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 3250 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है । यह एक अच्छी उपलब्धि है । साथ ही साथ हमारे आयात में भी काफी वृद्धि हुई है । लेकिन व्यापारिक घाटा एक हजार करोड़ है जोकि बहुत अधिक है । इसका मुख्य कारण यह है कि पैट्रोलियम उत्पादों की आयात लागत कई हज़ार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है । हमें 500 करोड़ रुपये के खाद्यान्न का भी आयात करना पड़ा है। हमें अधिक लागत पर उर्वरक का आयात करना पड़ा । इसके फलस्वरूप 1000 करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा हुआ अत: अगले वर्ष निर्यात बढ़ाये रखने की आवश्यकता है । इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे क्योंकि यह मंदी का समय है । अत: हमें तेल समृद्ध अरब देशों को वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे । इन देशों को उपभोक्ता वस्तुओं एवं पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की सम्भावनाओं को देखना होगा । लेकिन हमें निर्यात करने की कला नहीं आती । हमें निर्यात सम्भावनाओं का पता लगाना होगा और इन वस्तुओं की सप्लाई करनी होगी । हमें उन तकनीकों का भी पता लगाना होगा जो जापान और अन्य देश अपना व्यापार बढ़ाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं । कुछ लोच का होना आवश्यक है ताकि हम वस्तुओं का निर्यात कर के व्यापारिक घोटे को पूरा कर सकें ।

कपास हमारी सबसे बड़ी नगद फसल है जो कपड़ा उद्योग के लिये अत्यावश्यक वस्तु है, जो देश का एक प्राथमिक उद्योग है । गत तीन वर्षों के दौरान रूई निगम द्वारा की गई खरीद बहुत ही असन्तुलित है । भूतपूर्व चेयरमैन ने एक राज्य में भारी मात्रा में कपास खरीदी और अन्य राज्यों में बहुत कम । जो मूल्य उन्होंने दिया उसका सभी भागों में विद्यमान मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं था । परन्तु इस बार रूई निगम का विचार 15 लाख गांठें खरीदने का था । महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा कि वह राज्य में उत्पन्न सारी कपास खरीदेगी । कपास उत्पादकों के पास लम्बे रेशे वाली कपास है जोकि हम निर्यात कर रहे हैं । इसका देश में काफी उत्पादन किया जा रहा है । इस वर्ष लम्बे रेशे की कपास का उत्पादन 20 लाख गांठे आंका गया है ।

परन्तु निगम ने क्या किया । उन्होंने 15 लाख गांठों की बजाय केवल 7,000 गांठें कपास खरीदी । उन्होंने 28 कार्यालय स्थापित किये है और उनका स्थापना व्यय एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ रुपया है । क्या निगम के कार्य करने का यही ढंग है ?

माननीय मंत्री ने उसका कारण यह बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें धनराशि नहीं दी अत: बिना धनराशि वे कपास नहीं खरीद सकते । मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने घोषणा करने से पूर्व रिजर्व

बैंक या सरकार से धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था क्यों नहीं की । किसानों को काफी नुकसान हुआ है । अगले वर्ष इसके क्या परिणाम होंगे ? मूल्य गिर गये हैं । कृषि मंत्रालय को घोषणा करनी पड़ी कि हमें लम्बे रेशे की कपास का निर्यात करना पड़ेगा जिसकी देश में आवश्यकता है । इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

अन्य निगमों में धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है । खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास 85 करोड़ रुपये के अलौह धातु जमा है । उसकी मांग नहीं है और इसी कारण पैसा रुक गया है । राजकीय व्यापार निगम 6 महीने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अखबारी कागज का स्टाक रोके हुए है । उन्होंने औषधियां और रसायन भी रोके हुए हैं । उन्होंने 70 करोड़ रुपये की धनराशि ब्लाक कर रखी है । इस स्टाक का निपटारा करना एक समस्या बन गया है । मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के उच्च अधिकारी इस बात की जांच करें कि यह कैसे हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में क्या भाव है और हमने क्या लागत दी । इसकी भारतीय मूल्य से तुलना न करके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से तुलना की जानी चाहिये । वे यह भी देखें कि क्या हमें इससे हानि हुई अथवा लाभ ।

स्टेण्डर्ड कपड़े के निर्यात और विक्रय से 120 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है । यदि इससे इससे बचा जा सके तो जनता को सस्ती दर पर कपड़ा मिल सकता है क्योंकि कपड़े की लागत को कम किया जा सकता है । मंत्री महोदय कपड़ा मिलों से कहें कि वे फाइन, सुपरफाइन, मीडियम कपड़े के कुल उत्पादन का 25% लागत मूल्य पर सप्लाई करें । लागत मूल्य का निर्धारण कपड़ा आयुक्त द्वारा किया जाना चाहिये । निर्यात पर नकद प्रोत्साहन देने की बजाय इस प्रोत्साहन को आयात पात्रता के साथ जोड़ना चाहिये ताकि निर्यात से होने वाले घाटे को निर्यातक पूरा कर सकें । इससे उपभोक्ताओं को 125 करोड़ रुपये का लाभ होगा ।

**Dr. Laxminarain Pandeya** (Mandsaur) : According to the report of the Commerce Ministry, the balance of trade during the current year has been adverse and the gap between exports and imports has widened. The earlier reports have also indicated that this trade gap has been constantly widening. It clearly shows that there are some basic flows in the formulation of our trade policy. Efforts must be made to identify the deficiencies and to remove them. There has constantly been a decline in the activities of the commerce Ministry. The export of traditional as well as non-traditional commodities has gone down and as a result there has been a deterioration in our economic health. Adequate efforts have not been made properly in the direction of export promotion. Proper steps have not been taken to increase the export of tea. It is not known how U.S.S.R. can enter into the market for the direct purchase of tea, ignoring the S.T.C. It is learnt that new varieties of tea are being evolved by some countries. If it is so, can we also not produce new varieties of tea and step up our exports ?

Government have not paid adequate attention to the export of tobacco which has been in large stocks in the country. There is still a good deal of scope for the export of tobacco. Similarly, in the matter of poppy, we can channelise its export to Yugoslavia which is its largest purchaser. The conditions in Shellac industry are deplorable and this is due to the defective policy of the Ministry that about 200 factories are on the verge of closure and there is a question of livelihood of 25 lakhs of Adivasis. This industry has been running in loss because several malpractices, such as, over-invoicing, are being followed in its export trade.

Government's policy of granting import-export licences is very much faulty and defective. Several instances have come to light where bogus and non-existing firms in different States have been granted licences for import and export. Similarly, there is a good deal of bungling in the matter of issuing licences because non-existing firms have been repeatedly issued licences without proper investigation. It is learnt that licences worth Rs. 3½ crores have been issued. The Minister should also undertake a probeinto these cases in which import-export licences have been obtained fradulently. Similary, the causes for decline in our export trade of Mica should also be identified. The Ministry of Commerce should re-examine their entire trade policy.



24 LSS/75—12

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** (बेतूल) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं । यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख एवं प्रबन्ध तथा निर्यात का कार्य इस मंत्रालय के पास है । हमारे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति धीमी हो गई है, क्योंकि हम उन देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं जो निर्बाध उद्यम के दर्शन में आस्था रखते हैं । हमें उसी देश के साथ व्यापार करना चाहिए जिसमें हमें लाभ हो । व्यापार क्षेत्र में हमारा रवैया कड़ा, तथ्यात्मक एवं व्यावहारिक होना चाहिए, यदि ऐसा रवैया नहीं अपनाया जाता तो सरकार निर्यात के मामले में कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकती ।

इस समय देश में निर्यात बढ़ाने और विदेशी मुद्रा को अधिक से अधिक प्राप्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है । विदेशी मुद्रा के अर्जन की स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता और इसमें सुधार की अपेक्षा है । भुगतान शेष की स्थिति भी खराब है । भुगतान शेष में अप्रैल-दिसम्बर, 1974 के दौरान 585 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और इस समय यह आंकड़े 800 करोड़ तक पहुंच गए हैं । यदि यही स्थिति जारी रही तो भविष्य में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । इस समय हम पर 7,000 करोड़ का विदेशी ऋण है और वर्ष 1980 तक इसके बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है । हमें हर वर्ष 1,000 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में देने होंगे । इसके अतिरिक्त हमें उर्वरकों, आवश्यक कच्चे माल, रक्षा सम्बन्धी उपकरण और पूंजीगत वस्तुएं भी आयात करनी होंगी । इस प्रकार हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस मंत्रालय के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना होगा और ऐसा करते समय हमें यथार्थवादी रवैया अपनाना चाहिए।

इस समय विश्व निर्यात 710 विलियन डालर का है जिसमें से हमारा अंश 0.5 प्रतिशत है । यह प्रतिशतता बहुत कम है और इस को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए । हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और फिर उसको पूरा करना चाहिए । हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे निर्यात में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत परिमाणात्मक वृद्धि होनी चाहिए । हमें निर्यात मूल्य में वृद्धि की ओर ध्यान न देकर निर्यात के परिमाण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए । खेद की बात है कि प्रतिवेदन में भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यात के सही अंश का मूल्यांकन नहीं किया गया है । प्रभारी सरकारी एजेन्सियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने प्रशासन में सुधार लाएं, अपने कार्य में गतिशीलता लाएं तथा संगत दृष्टिकोण अपनाएं । कई मदों का सरकारी एजेंसियों के माध्यम से निर्यात किया जाता है। यह एक अच्छी बात है । इससे कम बीजक एवं अधिक बीजक के बिल बनाने सम्बन्धी धोखाधड़ी से छुटकारा पाया जा सकता है । लेंकिन इन एजेंसियों को सही रूप से संगठित करने की आवश्यकता है । खेद की बात है कि इस समय सरकारी एजेंसियां भली-प्रकार काम नहीं कर रहीं। जहां तक निर्यात व्यापार का सम्बन्ध है, सरकारी एजेंसियों का काम धीमा एवं अकुशल है । उनका मानदंड अन्य व्यापार गृहों की भांति कार्य-कुशलता होना चाहिए । इन एजेंसियों के वर्तमान प्रभारी अधिकारी न तो विशेषज्ञ हैं और न ही अनुभावी । यही नहीं उन्हें अपने कार्य में रुचि नहीं है । वे केवल अधिकारों को बरकरार रखना चाहते हैं ।

एक अन्य छोटा मामला भी है जिसके सम्बन्ध में मैंने और श्री साठे ने वाणिज्य मंत्री से बातचीत की थी और विवादास्पद मामला यह था कि किसी विशिष्ट वस्तु का निर्यात उस कीमत पर किया जाए अथवा नहीं जिसका निर्धारण वस्तुओं के उत्पादकों ने किया है । तब सभी बड़े अधिकारी हमारे विरुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि निर्यात के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को होना चाहिए और किसी अन्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इसके बाद हमने यह मामला

प्रधानमंत्री के ध्यान में लाया। यदि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से नौकरशाहों को निकाल दिया जाए तो ही कुछ सुधार की सम्भावना हो सकती है। इस काम के लिए हमें कुछ लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार किए गए तथा बेचे गए 700 टन फेरो-क्रोम का उदाहरण दिया जा सकता है। इसे धातु तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा 48 अमरीकी सेंट प्रति पौंड की दर से बेचा गया जबकि उस समय का प्रचलित मूल्य 67.5 अमरीकी सेंट प्रति पौंड था। जब यह मामला उठाया गया तो मंत्री महोदय ने बताया कि बिक्री योग्य किस्म अन्य किस्मों से भिन्न है। मंत्री महोदय इस मामले की जांच कराएं और यह पता लगाएं कि क्या फेरो-क्रोम प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर बेचा गया जिसके परिणामस्वरूप 40 लाख रुपये का घाटा हुआ। यह घाटा सम्बन्धित अधिकारियों की अज्ञानता के कारण हुआ है।

इसी प्रकार एक अमरीकी फर्म ने 35-40 लाख रुपये की कीमत का फेरो-सिलिकोन खरीदा था। अब उस फर्म ने उसकी डिलीवरी लेना अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उनके कथनानुसार एक तो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आई है और दूसरे ये वस्तुएं नमूनों के मुताबिक नहीं है। वस्तुएं भेजी जा चुकी हैं और वे रास्ते में हैं। इसी प्रकार स्पेन की एक फर्म ने भी डिलीवरी लेने से मना कर दिया है। मैंने मंत्री महोदय के ध्यान में ऐसे मामले लाए हैं क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि अनुभवहीन अधिकारियों के कारण देश को घाटा हो रहा है। प्रसन्नता की बात है कि फेरो मिश्र धातु के निर्यात का काम खनिज तथा खनिज व्यापार निगम से लेकर स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के हाथ में दे दिया गया है। जहां तक मुझे जानकारी है, इस संस्था को फैरो-मिश्र धातु के बारे में अधिक जानकारी है। लेकिन साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह कि नियम प्रक्रिया तथा विनियम इतने जटिल हैं कि लोगों की कठिनाईयां ज्यों की त्यों रहती हैं। इससे निर्यातकों का उत्साह धीमा पड़ जाता है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरे यह कि सरकारी एजेंसियों को और अधिक स्वायतता प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए ढांचागत परिवर्तन अपेक्षित हैं। तीसरे, निर्यात लाइसेंस लेने में अधिक समय लेने वाली प्रक्रियाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। चौथे, निर्यातकों को विज्ञापन, मनोरंजन व्यय आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिएं और वास्तविक निर्यातकों को विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिए। वर्तमान निर्यात संवर्द्धन प्रयास प्रभावहीन एवं अपर्याप्त हैं। इसके लिए एक सर्वोच्च परिषद् का गठन किया जाए जिसके पास प्रशासनिक निर्णय करने के अधिकार हों और ये निर्णय सरकार के लिए मान्य हों। अन्तिम, विदेशों में बाजार-भाव की स्थितियों का अध्ययन करने के लिए एक गुप्तचर विभाग खोला जाए। इससे कम मूल्य एवं अधिक मूल्य के बीजक बनाना बन्द हो जाएगा तथा धातु एवं खनिज व्यापार निगम द्वारा अलौह धातु की लम्बी सूचियां नहीं निकाली जाएंगी।

अन्त में मैं पश्चिम जर्मनी के निर्यात विशेषज्ञ डा० ब्रूनो हेक के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सान्ताक्रुज में निर्यात बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कारखानों की आवश्यकता है जबकि वहाँ एक या दो कारखाने चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यदि प्रतिबन्धों एवं लालफीताशाही को समाप्त कर दिया जाए तो चार ज़ोनों में 40 लाख मजदूरों को काम मिल सकता है।

**श्री बंसत साठे** (अकोला) : प्रतिवेदन में निर्यात में होने वाली वृद्धि का उल्लेख किया गया है। यदि आंकड़े देखे जाएं तो पता चलेगा कि वर्ष 1972-73 से निर्यात 1,970 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,343 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन यह वृद्धि केवल रुपयों में हुई है, परिमाण में नहीं।



24 LSS/75—13

प्रतिवेदन के पृष्ठ 7 पर बताया गया है कि वर्ष 1962-63 में व्यापार सन्तुलन + 103.4 करोड़ था, जो वर्ष 1973-74 में 437—करोड़ रुपये हो गया । यह बड़े दुःख की बात है ।

वस्त्रों के निर्यात में हमने काफी प्रगति की है । परन्तु दुर्भाग्यवश, हमारी वस्त्र नीति विस्तृत नहीं है । भारतीय रूई निगम वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत है तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत है । इसी प्रकार सरकारी नियन्त्रण में ली गई 103 बन्द पड़ी कपड़ा मिलें किसी अन्य मंत्रालय के अधीन हैं । समूचे वस्त्र उद्योग सम्बन्धी नीति इस मंत्रालय के अधीन है । लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र पर इसका कोई नियन्त्रण नहीं और न ही इस क्षेत्र पर ऐसी शर्तें लगाई गई हैं कि उन्हें नियन्त्रित दर पर बिकने वाले कपड़े की कितनी मात्रा का उत्पादन करना चाहिए ।

अभी-अभी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक करार किया गया है जिसके अन्तर्गत हमने सिले सिलाए वस्त्र आदि निर्यात करने हैं । क्या इन मिलों को ऐसे वस्त्र बनाने के लिए विवश करने की कोई नीति सरकार के पास है ? वस्त्र उद्योग में निर्यात की काफी सम्भावनाएं हैं और यदि हम ध्यान दें तो कुटीर उद्योगों के रूप में विकेन्द्रित वस्त्र एककों का जाल बिछाया जा सकता है । आप वस्त्रों को बढ़िया किस्म के कपड़े के साथ निर्यात कर सकते हैं ।

वस्त्रों एवं सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात एवं अन्तर्राष्ट्रीय खपत का कार्य वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत रख दिया जाए । साथ ही हमारी वस्त्र नीति युक्तियुक्त एवं विस्तृत होनी चाहिए तभी हमारी विदेशी आय में वृद्धि हो सकती है । देश में जिसका उत्पादन तथा निर्यात किया जाए, इस पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए ।

हथकरधा वस्तुओं की आजकल बहुत मांग है । हम इनके उत्पादन की ओर ध्यान एकाग्र क्यों नहीं करते जबकि इससे रोजगार मिलने एवं विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावनाएं हैं ? प्रशिक्षण एवं विपणन के क्षेत्र में भी काफी कार्य किए जाने की सम्भावनाएं हैं । हथकरधा वस्तुओं के विपणन पर भी सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए । उद्योग कोई भी हो जब तक उत्पादन एवं निर्यात पर सरकार का नियन्त्रण नहीं होता तब तक स्वदेशी उत्पादन एवं निर्यात के बीच समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता ।

बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्रों में लगाना हानिकारक है । हमें इन क्षेत्रों में विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए । यही नहीं इस क्षेत्र में हमें प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बल देना होगा तभी हमारे निर्यात में वृद्धि हो सकती है ।

यही एक क्षेत्र है जिसमें हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं । साथ ही तस्करी को रोकने के भी उपाय किए जाने चाहिएं । यदि तस्करी को न रोका गया तो वस्तुओं के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा ।

***श्री जे० माता० गौडर** (नीलगिरी) : मैं द्रमुक दल की ओर से वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 1974-75 के लिए 47 करोड़ 80 लाख किलोग्राम चाय उत्पादन का रखा गया लक्ष्य पूरा हो जाएगा । चाय के निर्यात से इस वर्ष 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

Summerised translated version based on English translation of the Speech delivered in Tamil.

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 109 पर यह बताया गया है कि लन्दन बाजार में अन्य देशों की चाय के मूल्य 16 नए पैसे प्रति किलो बढ़े जबकि भारतीय चाय के मूल्य 14 नए पैसे प्रति किलो बढ़े। वाणिज्य मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय चाय के मूल्य में कम वृद्धि क्यों हुई ? क्या हाल के वर्षों में भारतीय चाय की किस्म में गिरावट होने के कारण ऐसा हुआ है अथवा चाय बोर्ड की लापरवाही या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों में कमी के कारण ऐसा हुआ है ? चाय की किस्म में सुधार करने एवं निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि विदेशी बाजार में भारतीय चाय का मूल्य बढ़ सके ?

मैं यह जानता हूं कि यदि चाय के पौधे 40 वर्ष पुराने हो जाएं तो चाय की किस्म में गिरावट आ जाती है। सरकार चाय पुनर्रोपण वित्त योजना, पुनर्रोपण सहायता योजना एवं चाय मशीनरी किराया खरीद योजना क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गई है। इन योजनाओं का अधिकतम लाभ बड़े बड़े चाय बागान मालिक ले जाते हैं और छोटे चाय उत्पादकों को लाभ कमाने का अवसर नहीं मिलता। नीलगिरी जिले में 20 हजार छोटे चाय उत्पादक हैं। मैं वहां के चाय उत्पादक संघ का संस्थापक सदस्य हूं। वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री ने वहां का दौरा किया था और वहां के सहकारी आन्दोलन की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अन्य चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को भी वैसा ही उदाहरण स्थापित करना चाहिए। सरकार को छोटे उत्पादकों की कठिनाईयों की ओर ध्यान देना चाहिए। पुनर्रोपण सहायता योजना के अन्तर्गत 5 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। आश्चर्य की बात है कि यह राशि युनाईटिड प्लांटर्स एसोसिएशन आफ साउथ इण्डिया को दे दी गई। मुझे पूरा विश्वास है कि नीलगिरी के चाय उत्पादकों के लिए एक भी पैसा व्यय नहीं किया गया। टाटा फिनले, ब्रूक बांड, लिपटन आदि बड़ी कम्पनियों को सहायता दी जा रही है लेकिन छोटे उत्पादकों के बारे में सरकार चिंतित नहीं है।

हालांकि चाय बोर्ड में छोटे चाय उत्पादकों के प्रतिनिधियों को लेने का प्रावधान है फिर भी किसी भी प्रतिनिधि को चाय बोर्ड में शामिल नहीं किया गया है। एक भूतपूर्व सैनिक को छोटे उत्पादकों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है लेकिन वह प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं है। चाय बोर्ड में एक सक्षम प्रतिनिधि को नामांकित किया जाना चाहिए।

सभी छोटे चाय उत्पादक औद्योगिक सहकारी सेवा सोसाईटी के सदस्य हैं। अतः पुनर्रोपण सहायता योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि सोसाइटी के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। इसी प्रकार ऋण आवेदन-पत्र चाय बोर्ड द्वारा बिना विलम्ब के निपटाये जाने चाहिएं। कट्टावेटु सहकारी चाय फैक्टरी स्थापित करने के लिए राशि स्वीकृत करने में चाय बोर्ड ने दो वर्ष लगा दिए हैं। मेरा अनुरोध है कि आवेदन-पत्र को शीघ्र से शीघ्र निपटाया जाना चाहिए।

नीलगिरी के छोटे चाय उत्पादकों की तकलीफों को दूर करने के लिए नीलगिरी में एक विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। चाय बोर्ड का कार्यालय कलकत्ता में है, जोकि बहुत दूर है। यदि ऐसा सम्भव नहीं तो कोयम्बटूर में, जो कि केरल और नीलगिरी के लिए केन्द्रीय स्थान, एक विभाग खोलना चाहिए।

नीलगिरी में 20,000 लघु चाय उत्पादकों के हित में मैं वाणिज्य मंत्री महोदय से कोयम्बटूर में लघु चाय उत्पादक सैल की स्थापना करने का अनुरोध करूंगा।

**[श्री बसंत साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe in the Chair]**

सभापति महोदय, केवल बड़े चाय उत्पादकों और अधिकारियों को ही विदेशों में भेजा जाता है जिससे चाय प्रदर्शनी देखने और प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा छोटे उत्पादकों को नहीं मिल पाती। आशा है मंत्री महोदय चाय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजते समय इन्हें भी यह सुविधा प्रदान करेंगे।

मंत्री महोदय को याद होगा कि 2 वर्ष पूर्व नई दिल्ली में अखिल भारतीय चाय बागान मालिक गोष्ठी हुई थी परन्तु उसमें छोटे चाय उत्पादकों की समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा बड़े उत्पादक और चाय बोर्ड भी उनके कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं देते। अतः उक्त सैल बना कर, चाय बोर्ड में इन्हें प्रतिनिधित्व देकर, यू० पी० ए० एस० आई० जैसे निकायों के स्थान पर औद्योगिक सहकारी सेवा समिति द्वारा उन्हें ऋण और वित्तीय सहायता देकर तथा उन्हें विदेश जाने वाले चाय प्रतिनिधि मंडलों में शामिल करके उनकी वास्तविक कठिनाईयां दूर की जा सकती हैं।

विदेशों में भारतीय चाय का स्थान श्रीलंका और अफ्रीका की चाय ने हथिया लिया है। सरकार को इसके कारणों की पूरी जांच करके और प्रभावी और ठोस कदम उठा कर भारतीय चाय को पुनः प्रथम स्थान दिलाना होगा। चाय कारखानों में पुरानी मशीनें बदलनी होंगी और इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में चाय बागानों की महिला श्रमिकों को पुरुषों के समान वेतन देना सुनिश्चित करना होगा।

अन्त में मैं पुनः यही कहूंगा कि ये 20,000 छोटे चाय उत्पादक भी विदेशी मुद्रा कमाने में सहायक हैं अतः सरकार और चाय बोर्ड को उनकी समस्याओं पर उचित ध्यान देना चाहिये।

**Shri Ram Singh Bhai** (Indore) : Sir, I must congratulate the hon. Minister of Commerce for the excellent performance of his Ministry during the last two years. Despite difficulties, the exports have gone up.

Sir, I will not mention the points already covered by Sarvashri Salve and Sathe, but I will speak about our textile industry which has always been in the doldrums. We talk of rise in production of this and that but cloth production is on the decline and employment therein is also coming down. The conditions have deteriorated to such an extent that after the take over of 103 mills, Government might have to take over 300 more textile mills. Already, 20 crore rupees are due as Provident Fund of workers, not even a paisa has been paid to them so far. How grave the Situation would be when another 300 mills will be taken over ?

**Mr. Chairman :** The mills taken over by Government fall under Shri Pai's Ministry.

**Shri Ram Singh Bhai :** I was talking of those 300 mills which will have to be taken over and where retrenchment is going on and machines are lying idle. This requires serious consideration. The mills having modern machinery give 6 oz. per spindle production whereas in others it is only 3 to 3 oz. per spindle. This means that some of the mills get all necessary raw material whereas others are denied. The Textile Commissioner is responsible therefor. Even in respect of the taken over 103 mills, only very few of them are aided by him.

Government need not worry over the accummulation of Stocks of cloth and Cotton. This is a happy phenomenon. Cloth prices should come down and the Cotton Corporation should go in for cotton at the prices fixed by the Agricultural prices Commission. Much rot has been stemmed by curbs on black money and its resources by Government. Let cotton be controlled by Government otherwise big businessmen will corner all the stocks and sell it at exorbitant rates later.

The glut in the cloth market is mainly that of long cloth and other varieties of cloth of limited utility. Moreover, substandard cloth is being manufactured and the price-structure thereof is also irrational because of Textile Commissioner being biassed in favour of some mills. Government should, therefore, fix a percentage of different varieties of cloth, *viz.*, Sarees, Dhotis, Shirting etc. to be manufactured in the country.

In the end I would appeal to Government to think seriously and bring some rationale in textile production. I offer my services also in this regard because I known much about these things.

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Morena) : Sir, a glance at the Report of the Ministry of Commerce shows that last year it suffered heavy losses and this year the losses might be even more. Much of this might be attributed to defective licensing policy. If these defects are rectified, not only losses can be avoided, we might earn a profit also.

I want to cite specific instances. We imported paper from Bangla Desh at the rate of 1800 Rupees per quintal but it was sold here at a loss of 200 to 300 Rupees per quintal. The causes of such loss should be enquired into.

It is very unfortunate that Australia has black-listed us to whom we used to export wool. It is a stigma and enquiry should be held to fix responsibility. The guilty persons should be punished and steps should be taken to ensure that such mistakes are not repeated.

As an hon. Member has said, huge stocks of controlled cloth have accummulated which is due to its inferior and Sub-standard quality. In reply to a question on 11-4-74, it was said that a Textile Board was likely to be set up by 17th April, 1974. I want to know whether it was set up and whether this matter was considered there or not and if so, the details thereof. Recently in another reply regarding enhancement of duty on powerlooms, it was stated that no duty would be levied on those having 4 to 10 powerlooms. These days handloom operators are experiencing acute shortage of Yarn and they are being exploited by middlemen. Their interests should be protected adequately.

The causes of loss suffered in exporting Jute should be inquired into because Bangla-Desh is doing so profitably. Moreover, the duties imposed on various exports should be withdrawn in order to step up exports. The exporters should be given maximum incentives.

It should be ensured that the machinery imported or manufactured indigenously is not allowed to lie idle as it rusts and is rendered inoperative and money is also stuck up unnecessarily.

One of the main causes of decline of tea export is its adulteration in importing countries. It brings a bad name to our country also. We should add a provision in the trade agreement prohibiting any such adulteration at any State. Our publicity should also be more vigorous and effective.

The licence Scandal of Indore should be thoroughly looked into and such licences should be banned. Moreover, the officials concerned should also be brought to book.

**श्री पी० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर बोलने से पूर्व मैं मंत्री महोदय का ध्यान यूरोपीय आर्थिक मंत्री समिति के अध्यक्ष के इस कथन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि ब्रिटेन इस समुदाय से निकलने का निर्णय करता है फिर भी भारत को कोई व्यापारिक लाभ नहीं होगा। तो क्या उन्होंने प्रत्येक परिस्थिति के लिये तैयारी कर ली है और यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं ?

मंत्रालय के प्रतिवेदन में 585 करोड़ रुपये का व्यापार-असंतुलन है जिसका कारण अन्न, पेट्रोल और उर्वरकों के आयात पर अधिक व्यय है। उस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि हमारा निर्यात देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर करता है।

इस संबंध में मैं कपास का उल्लेख करना चाहता हूं। लम्बे रेशे की कपास की देश में कमी थी तो किसानों ने इसे उगाया परन्तु अब मध्यम रेशे की कपास की कमी हो गई है। सभापति महोदय, आप ने स्वयं इस विषय पर बोलते हुए कहा था कि इसका कारण उचित सूती कपड़ा-उद्योग नीति का अभाव है। अब जबकि इतनी मेहनत करके किसानों ने इतना अधिक कपास पैदा किया है तो उन्हें

ग्राहक ही नहीं मिल रहा है। किसानों ने अधिक ब्याज पर धन लेकर इसे पैदा किया है और अब कपास बिक नहीं रही है। अतः उन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। खेद है कि मंत्री महोदय ने अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद उनके प्रति कोई सद्भाव नहीं दिखाया है। वे भीख नहीं चाहते अपितु अपने परिश्रम का उचित प्रतिदान चाहते हैं। यदि ऐसा न हुआ तो किसान अगले वर्ष के लिये कपास नहीं पैदा करेंगे। यदि सरकार ने शीघ्र कपास निर्यात करने का निर्णय न किया तो बिचौलिये उनसे सस्ते दामों पर कपास खरीद लेंगे।

यदि मंत्री महोदय यह समझते हैं कि बड़े-बड़े किसान ही कपास उगाते हैं तो मैं उनकी यह धारणा दूर करना चाहता हूं। अतः किसानों को लाभप्रद मूल्य देना अनिवार्य है। यदि सरकार का रवैया यही रहा तो निर्यात बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।

अब तिलहन को लीजिये। सरकार चाहती है कि 5.5 करोड़ टन तिलहन पैदा हो जबकि 85 प्रतिशत भूमि सिंचाई के लिये वर्षा पर निर्भर है।

सूखे से प्रभावित न होनेवाली शुष्क खेती की विधियों की खोज करने के लिये उपाय नहीं किये गये हैं। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रयास नहीं किये गये हैं।

तेल उत्पादन में वृद्धि का संकल्प किया गया है जिसकी पूर्ति असम्भव प्रायः है। आज भी हमारी भूमि का 10 अथवा 15 प्रतिशत भाग ही सिंचित है शेष क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है।

ऐसी और भी अनेक मदें हैं जिनका उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को उचित रूप से धन लगाना चाहिये। खाद्यान्नों के संबंध में हमारी यही स्थिति है। हमने किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया। हमने उन्हें चावल का लाभकारी मूल्य नहीं दिया। इसलिये अधिकांश किसान चावल की बजाये नकद फसलें उगाने लगे हैं।

कृषि उत्पादन संबंधी नीति और अधिक समेकित और व्यापक होनी चाहिये। तभी वाणिज्य मंत्रालय निर्यात बढ़ा सकता है। हमारे पूर्वी यूरोप के देशों और सोवियत संघ से मैत्रीपूर्ण संबंध है। इनके साथ हमारा व्यापार-सन्तुलन हमारे पक्ष में होता जा रहा है।

आम के निर्यात के लिये काफी सम्भाव्यता है हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

**सभापति महोदय**: जनसाधारण के लिये एक फल तो छोड़ दीजिये।

**श्री पी० वेंकटासुब्बया**: बहुत सी वस्तुएं वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आती। यदि इनका निर्यात किया जाये तो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

मंत्री महोदय एम० सी० कपास का मूल्य 4.50 रुपये को घोषित कर देना चाहिये जिससे किसानों को यह निश्चय हो जायेगा कि उस कपास का उन्हें इतना मूल्य मिलेगा।

**Shri Ram Hedaoo** (Ramtek) : India is a country of artists. Very fine cloth used to be manufactured in Dacca but the British cut the fingures of the artists so that the product of this country may not have a place in international market.

There are about 30 lakh land laboures in the country but the Goverment is not giving them any encourgement. Gradully this industry would be finished. There is a great demand for handloom products in international markets.

The Government cannot expect to convert these 30 lakhs handlooms into fewer because a power loom is installed at a cost of Rs. 20,000 whereas a handloom can be installed at cost of 500/- which can yield sufficient income for a family of 7-8 persons. There is great demand of handloom products in the country.

When would the recommendations of report of Shivraman committee be implemented ? As soon as Shivraman committee recommended the grant of protection to the handloom industry the lobby of powerloom industry raised a hue and cry. Both weavers and cultivators are suffering today. No cultivator wants to grow cotton.

The cotton corporation is very much prominent in Maharashtra but corruption is prevalent there. They pay 30% to the cultivators and tell them to get the remainder afterwards. In order to hide the scandles lakhs of tons of cotton is being deliberately put on fire. The Maharashtra Government has assured of an enquiry into this. But the co-operation Minister of the State is a tool of big businessmen. I demand that a CBI inquiry of the matter may be ordered.

**Mr. Speaker :** The rule of this House is that if any person who is net present is to be accused it's prior intimation ought to be given to the speaker.

**Shri Ram Hedaoo :** The tradition to import long stapple cotton be stopped and the cultivators be given full facilities to grow it in the country.

A lot of readymade garments can be manufactured in this country. Handloom clothes in various colours and designs can also be made for extent. It would provide employment opportunities.

**श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** (गौहाटी) : चाय तथा जूट ने देश की अर्थ-व्यवस्था को पर्याप्त योगदान दिया है। इनसे देश के लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित होती है।

वर्ष 1973-74 में चाय से 148.1 करोड़ रुपये तथा जूट से 260.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े आसाम राज्य से चाय और जूट के निर्यात से भारत सरकार ने 49.66 लाख रुपया अर्जित किये। चाय और जूट ने देश में रोजगार के बहुत अधिक अवसर पैदा किये हैं। जूट के माध्यम देश के आर्थिक विकास में बहुत सहायता मिली है। चाय पर अनुचित रूप से शुल्क लगाने का प्रश्न कई बार उठाया गया है ? इस उद्देश्य से देश भर को 5 भागों में बांटा गया है। जोन 1 को 25 पैसे तथा जोन 3 को 1.50 रुपये और जोन 5 को 1.15 रुपये प्रति किलो उत्पाद शुल्क देना पड़ता था। परन्तु अब इस जोन में 1.30 रुपये उत्पाद शुल्क अदा करना पड़ता है। अतः इसे औचित्य पूर्ण बनाया जाये। मैंने इस बारे में अनेक बार लिखा भी है। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय में पड़ा एक मामला इसे सुव्यवस्थित करने में आड़े आ रहा है। परन्तु इस वर्ष के बजट में इसे सुव्यवस्थित करने की बजाय किसी भाग में शुल्क बढ़ाया गया है तथा किसी में घटाया गया है। मंत्री महोदय इस अन्तर के कारण बतायें।

पिछले वर्षों विश्व बाजार में चाय की कीमत में कमी आई है। 1950 में लन्दन की नीलामी में भारत को प्रति पाउण्ड चाय के लिये 63 पेंस मिलते थे जबकि 1972 में 41.6 पेंस ही रह गये। गत वर्ष हमारी फसल बहुत अच्छी थी फिर भी लन्दन का स्टाक बहुत कम था और सूखे के कारण अफ्रीका और श्रीलंका में पैदावार बहुत कम हुई। परन्तु हम सबके आधार पर मंत्रालय को अपना हिसाब नहीं लगाना चाहिये। वाणिज्य मंत्रालय को चाय शुल्कों के मामले में औचित्य लाना चाहिये तथा कम से कम जोन संख्या 5 का शुल्क कम करना चाहिये।

संकट ग्रस्त चाय बागान के बारे में सरकार ने कोई औचित्य पूर्ण नीति नहीं अपनाई। सुझाव दिया गया था कि सात वर्ष के लिये चाय बागान को अधिकार में लिया जाये तथा बाद में प्रबन्धकों को सौंप दिया जायें। इसके बारे में सरकार कोई निश्चित नीति अपनाये।

जूट ने देश की अर्थ-व्यवस्था में बड़ा योगदान दिया है परन्तु जूट के बारे में कोई मूल्य नीति तथा कोई वित्तीय नीति नहीं अपनायी गई है। 1940 में फलाइड ग्रायोग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जूट और धान के मूल्य में 1 : 3 का अनुपात होना चाहिये। परन्तु सरकार के समर्थन मूल्य के बावजूद, जबकि धान का मूल्य 75 रुपये प्रति क्विन्टल है, जूट का मूल्य 1.25 रुपये है। इस प्रकार फलाइड ग्रायोग द्वारा 1940 में निर्धारित अनुपात को नहीं रखा गया है। इसके फलस्वरूप जूट उत्पादकों की स्थिति बहुत दयनीय है।

मूल्यों के घटने बढ़ने से जूट के उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है इसी कारण जूट उत्पादकों की स्थिति अवर्णनीय है। उनके समक्ष कई और कठिनाइयां भी हैं। उन्हें अपने माल को मंडियों में लेजाकर कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। बड़े बड़े व्यापारी उनका शोषण करते हैं। ऐसा लगता है कि अफसरशाही प्रगतिशील कदमों की कार्यान्विती में बाधा पैदा कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस दिशा में कौन से प्रगतिशील कदम उठाए जा रहे हैं।

**श्री एन० ई० होरो** (खुन्टी): सरकार ने लाख उद्योग की सर्वथा उपेक्षा की है। दो दशक पहले देश में लाख का उत्पादन 60,000 से 70,000 टन के लगभग था। परन्तु अब वह घटकर 18,000 टन ही रह गया है। लगता है कि सरकार ने उसपर पूरा ध्यान नहीं दिया तथा उसे व्यापारियों की दया पर छोड़ दिया है।

एक समय ऐसा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ही लाख का व्यापार करता था परन्तु अब थाईलैण्ड प्रतियोगिता में आ गया है और हम पिछड़ते जा रहे हैं।

सरकार ने 1958-59 में समर्थन न्यूनतम मूल्य लागू किया। उसके पश्चात् निर्यात कार्य कुछ एकाधिकारी गृहों के हाथ आ गया तथा मूल्य तथा उत्पादन कम हो गया।

हम कुल उत्पादन का 83.85 प्रतिशत भाग निर्यात करते हैं और शेष की देश में ही खपत होती है। पांच लाख आदिवासी परिवार इसके उत्पादन कार्य में लगे हैं। 200 पंजीयित तथा 300 गैर-पंजीयित, लाख फैक्ट्रियां है जिनमें 30,000 से 40,000 श्रमिक कार्य करते हैं। सरकार ने विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली इस मद की सर्वथा अपेक्षा की है जिससे उत्पादन को बड़ी हानि हुई है।

लाख का मूल्य 1-2 रुपये प्रति किलोग्राम है। निर्यातक अत्यधिक मूल्य पर इसका निर्यात कर रहे हैं। बाजार पर उनका पूरा नियंत्रण हो गया है। और वे अपनी बात मनवा कर बहुत ही कम मूल्य उत्पादकों को दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों का मंत्रालय पर प्रभाव है। जब तक सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इसकी जांच नहीं करवाती कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को लाख व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। उत्पादकों के हित में निम्नतम समर्थन मूल्य निश्चित किये जाने चाहिये।

लाख विदेशी मुद्रा, का अर्जन करने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इस की अब तक अवहेलना की गई है। इस लिये वाणिज्य मंत्रालय को इस की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। इस समूचे मामले की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जानी चाहिये क्योंकि इस में एकाधिकारी भ्रष्ट और गलत तरीके अपना रहे हैं तथा आयकर का अपवंचन कर रहे हैं।

**श्री के० गोपाल** (करूर): मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मंत्रालय के प्रतिवेदन से यह ज्ञात होता है कि इस वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये का निर्यात होगा।

जहां तक मूल्य का प्रश्न है, यह काफी अच्छा है और मैं इस के लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। परन्तु देखना यह है कि मात्रा की दृष्टि से क्या स्थिति है। प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि सूती माल और चाय की निर्यात की मात्रा में कमी हुई है। यह कोई अच्छी बात नहीं हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्यात की मात्रा में कमी न हो। हमें यह देखना चाहिये कि निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि देश में निर्यात के लिये कौन कौन सी वस्तुयें उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्री उत्पादों में निर्यात की बहुत अधिक गुंजाइश है। समुद्री उत्पादों का हम जितना निर्यात कर सकते हैं, इस समय उस का केवल 1/10 भाग ही निर्यात कर रहे हैं। इस का निर्यात बढ़ाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस के लिये मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करके निर्यात बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।

मध्य पूर्व के देश, जिनके पास तेल से अर्जित प्राप्त मात्रा में डालर उपलब्ध है हमारी वस्तुएं नहीं खरीदना चाहते। वे पश्चिम के माल को अधिक पसन्द करते हैं। यह गलत है या सही है परन्तु पश्चिम के माल की मांग का कारण यह है कि उन देशों में बनी वस्तुओं के साथ वहां की प्रतिष्ठा का मूल्य जुड़ा हुआ है। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिये कि इन देशों में हमारा निर्यात बढ़े।

हमें विश्व के सभी देशों में निर्यात बढ़ाने के प्रयास करने चाहिये। निर्यात योग्य माल के पुन-रीक्षण के सिलसिले में पता नहीं सरकार ने कितनी बार मूल्य बढ़ाये हैं। क्या हम अपना मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर बढ़ा रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है, तो यह किया जाना चाहिये।

तैयार माल के बारे में मेरा सुझाव है कि हमें कच्चा माल भेजने की बजाये तैयार माल का निर्यात करना चाहिये। इस से हम अधिक आय कर सकेंगे।

भारतीय रूई निगम सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। इसे लाभकारी मूल्य देने और मूल्यों के स्थिरीकरण के लिये स्थापित किया गया था। इस की स्थापना के समय इसे 150 करोड़ रुपये देने का वायदा किया गया था। अब इसे केवल 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह राशि इस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाया जाना चाहिये।

विग इंडिया लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। इस में काफी दिनों से आन्दोलन चल रहा है। परन्तु सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इस में 700 से अधिक कर्मचारी हैं, जिन में अधिकांश महिलायें हैं। उन में भारी असन्तोष व्याप्त है। इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। तम्बाकू बोर्ड की स्थापना के लिये एक विधेयक पास किया गया था। उस बोर्ड की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिये।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि इन उपक्रमों के प्रबन्ध में ऐसे व्यक्ति रखे जाने चाहिये जो विशेषज्ञ हों तथा काम जानते हों। एक तकनीकी व्यक्ति अच्छा अधिकारी हो सकता है, परन्तु एक नौकर शाह कभी भी अच्छा तकनीशियन नहीं हो सकता।

हथकर्घा उद्योग की सब से बड़ी समस्या धागे के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव है। इस से न तो उत्पादक को लाभ होता है और न ही उपभोक्ता को। मूल्य में उतार-चढ़ाव इतना है कि कभी तो इस का भाव 50 रुपये प्रति पांच किलोग्राम, हो जाता है और कभी 90 रुपये प्रति 5 किलोग्राम। इस का भाव 60 से 70 रुपये निर्धारित किया जाना चाहिये। जो भी मूल्य निश्चित किया जाये, वह कम से कम छः महीने तक लागू रहना चाहिये।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं प्रतिवेदन के पृष्ठ 183 का उल्लेख करना चाहता हूं। इस पृष्ठ में कहा गया है कि शत्रु सम्पत्ति का निपटान करने के लिये विभिन्न मंत्रालय में विभिन्न विभाग हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा कोई शत्रु ही नहीं है तो ये विभाग कैसे हुए। इन का नाम बदला जाना चाहिये।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वाद-विवाद में मेरा हस्तक्षेप केवल कृषि उत्पादों तक कुछ अन्य मदों तक सीमित है। सर्वप्रथम में समुद्री उत्पादों का उल्लेख करूंगा। समद्री उत्पादों में गत दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिस से 89.51 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। गत वर्ष इस में कुछ कमी अवश्य हुई है, परन्तु यह विश्व व्यापी मुद्रा स्फीति के कारण हुई है। तथापि हम यह नहीं मानते कि यह कमी हमेशा चलती रहेगी और यह एक स्थायी बात हो जायेगी। हम आशा करते हैं कि समुद्री उत्पादों का हमारा निर्यात बढ़ेगा।

जैसा कि श्री गोपाल ने कहा था कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की काफी गुंजाइश है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ओर अत्यन्त गम्भीरता से प्रयत्न किया जाना चाहिये। विश्व भर में समुद्री उत्पादों का केवल 5-6 प्रतिशत मात्रा में उपयोग किया जाता है, जबकि कि उस की सम्भाव्यता 1180 लाख टन है। हिन्द महासागर में केवल 10-12 प्रतिशत समुद्री उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जब कि उस की सम्भाव्यता 100-120 लाख टन है। अन्तर्देशीय तथा तट के पास समुद्री उत्पादों की सम्भाव्यता की तुलना में तटदूर और गहरे समुद्र में मछलियों की सम्भाव्यता तीन या चार गुना अधिक है और इसी कारण वाणिज्य मंत्रालय ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये मत्स्य नौकायें आयात करने की योजना बनाई है। इसी कारण बहुत से बहुत बड़े व्यापार गृह इस व्यापार में आना चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्य इस के विरोधी अवश्य होंगे। परन्तु हमने इस बारे में उचित ऐतिहात से काम लिया है। वे अपना कार्य स्वयं पकड़ी गई मछलियों से ही करेंगे तथा अर्ध विकसित क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे।

हमें समुद्री उत्पादों के विविधि करण की ओर भी ध्यान देना होगा। निर्यात से 92 प्रतिशत आय झींगा मछली से होती है। इस का 73 प्रतिशत निर्यात जापान और अमरीका को होता है। हमें उत्पादवार और बाजारवार भी विविधिकरण करना होगा। उत्पाद की दृष्टि से सार्डीन और टुना मछलियों का विशेष महत्व है।

मेरे माननीय मित्र श्री मैथा गौडर ने मत्स्य नौकाओं और उन के आवंटन के बारे में प्रश्न किये थे। उन्होंने ने कहा था कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को न तो कार्य अच्छी तरह सौंपा गया है और न ही उसे पर्याप्त धन दिया गया है। वर्ष 1974-75 में उस के लिये 21.44 लाख रुपये का बजट प्रावधान था। इस वर्ष इस राशि को बढ़ा कर 83.41 लाख रुपये कर दिया गया है। इस से यह बात स्पप्ट हो जाती है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को उसका उचित स्थान दिया जा रहा है।

जहां तक चाय का प्रश्न है, मैं यह तो नहीं कह सकता कि चाय की निर्यात मात्रा में काफी वृद्धि की है। परन्तु इस का कारण दूसरा है। इस का कारण यह है कि जबकि उत्पादन में 52 प्रतिशत वृद्धि हुई है, घरेलू खपत में 171 प्रतिशत वृद्धि हुई है। घरेलू बाजार का यह दबाव निर्यात पर प्रभाव डालता है। विश्व सप्लाई में 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जब कि खपत में केवल 1.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस लिये जब कि विश्व सप्लाई में वृद्धि हुई है, खपत में वृद्धि नहीं हुई है और इसके विपरीत घरेलु खपत में उत्पादन में वृद्धि की तुलना में तीन गुणा वृद्धि हुई है। चाय के सम्बन्ध में यह खुशी की बात है कि चाय के मूल्यों में इस वर्ष 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परन्तु इस से मैं बहुत सन्तुष्ट नहीं हूं, क्योंकि वस्तुतः यह मूल्य 1954 के स्तर पर पहुंचा है।

हम ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त कार्यवाही की है और इन्डोनेशिया तथा मलेशिया जैसे चाय के प्रमुख निर्यातक देशों एवं केनिया जैसे अफ्रीका देशों से सम्पर्क स्थापित किया है । हम ने बहुविधीय विकास का प्रयास किया है जिस पर गत वर्ष जून में खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में चर्चा हुई थी। इस में न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रबन्ध, चाय बाजार का समन्वय और नियमन, उत्पादक देशों में चाय की नीलामियो को प्रोत्साहन और बाजार आसूचना विनिमय शामिल है । हम ने लन्दन, पैरिस, न्यूयार्क और ब्रुसल्स में चाय बोर्ड के कार्यालय खोले हैं और वहां चाय को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाहरी परिस्थितियों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के प्रति यथार्थवादी रहते हुए भी हम अपनी चाय को अधिकाधिक लोक प्रिय बनाने का तथा अपनी स्थिति सुधारने का हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री गोस्वामी ने अलाभप्रद चाय बागानों के बारे में टास्क फोर्स और इस के प्रतिवेदन का उल्लेख किया था। इस सदर्भ में चाय बोर्ड द्वारा जारी किये गये एक परिपत्र के उत्तर में 125 चाय बागानों ने अपने आप को अलाभ प्रद बताया है । जब कि चाय उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा अलाभप्रद चाय बागान को लाभपद बनाने के लिये हमारे कई प्रस्ताव है, किसी चाय बागान को अपने हाथों में लेने से पहले हमें यह देखना होता है कि क्या वहां श्रमिक उपलब्ध हैं और क्या वह वाणिज्यिक रूप में सशक्त है तथा उस की स्थिति में सुधार किया जा सकता है । टास्क फोर्स का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र निर्णय किये जाने की आशा है । चाय के छोटे उत्पादकों के लिये भी पांचवीं योजना में कुछ योजनायें शामिल की गई हैं।

काजू निगम के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं । जैसे कि यह निगम अपने कार्य के प्रति उदासीन है और इस वर्ष काजुओं की वसूली नहीं हुई है । मैं इन आरोपों का जोरदार शब्दों में खण्डन करता हूं और यह कह सकता हूं कि काजू निगम ने काजू की वसूली करने में सक्रिय भाग लिया है । हम लगभग 75 प्रतिशत आयातित काजू पर निर्भर हैं । हम लगभग 140,000 टन काजू पैदा करते हैं, जिस में 70,000 टन निर्यात के लिये होता है । हमें प्रतिवर्ष लगभग 170,000 टन काजू का आयात करना होता है, फिर भी हमें लगभग 160,000 टन की कमी रहती है । इस कारण कारखाने पूरे वर्ष तक काम नहीं कर पाते यदि वे आठ महीने तक भी काम कर पायें, तो इसे बहुत अच्छा समझा जाता है ।

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामि पीठासीन हुए ।
Shri Dinesh Chandra Goswami in the Chair]

इस वर्ष स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि काजू सप्लाई करने वाले अफ्रीकी देशों ने मूल्य बढ़ा दिये हैं हमें यह डर है कि यदि हम इस मूल्य पर काजू खरीदें तो हमारे लिये उन्हें बेचना कठिन होगा तथा हानि उठानी पड़ेगी । काजू की सप्लाई में कमी होने के कारण हमें उन देशों जैसा कि चीन आदि से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिन्होंने काजू खरीदना आरम्भ कर दिया है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्वदेशी उत्पादन के अतिरिक्त आयातित श्रोतों, अफ्रीकी श्रोतों से कच्चा काजू प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । अतः हमें अपने देश में ही उत्पादन करना पड़ेगा ।

अभ्रक का उत्पादन घटा है । परन्तु इस का मुख्य कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होना है । इसे रोकने के लिये हम ने न्यूनतम समर्थित मूल्य निर्धारित कर दिया है । इससे उत्पादन में सहायता मिली है वर्ष 1973 में 13,572 मीटरी टन अभ्रक का उत्पादन हुआ था, जब कि वर्ष 1974 में यह बढ़ कर 17,863 मीटरी टन हो गया था ।

हम अभ्रक का व्यापार अभ्रक व्यापार निगम के माध्यम से करते हैं । अब तक 30 प्रतिशत निर्यात अभ्रक व्यापार निगम द्वारा किया जाता था तथा 70 प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा । अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि अभ्रक निर्यात निगम के कार्यकलापों में वृद्धि हो। इस संबंध में विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

तम्बाकू का निर्यात बढ़ा है । वर्ष 1973-74 में 68.41 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था, जोकि वर्ष 1974-75 में बढ़कर 76 करोड़ रुपये हो गया । परन्तु 1975-76 में निर्यात की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस वर्ष फसल अच्छी नहीं है । परन्तु मूल्य की दृष्टि से 1975-76 में वृद्धि होगी, क्योंकि अब एकक मूल्य बढ़ गये हैं । हमने एम०ई०पी० मूल्य बढ़ा दिया है और इससे हमें अधिक राशि प्राप्त होगी ।

गत दो वर्षों के दौरान हस्तशिल्प की स्थिति में सुधार हुआ है । वर्ष 1973-74 में 72.6 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था, जबकि यह बढ़ कर वर्ष 1974-75 में 85 करोड़ रुपये हो गया और हमें आशा है कि हम वर्ष 1975-76 में 100 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे । हस्तशिल्प के निर्यात में ऊनी कालीनों तथा खनिज की कलात्मक वस्तुओं का मुख्य योगदान रहा है ।

हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि करने हेतु हमने कुछ मुख्य निर्णय किये हैं । हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन के लिये हम ने हाथ से निर्मित कालीनों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र खोले हैं तथा और केन्द्र खोले जा रहे हैं । हस्तशिल्प के क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिये विकासशील योजनाओं के संवर्द्धन के लिये 160 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । हमने गुण-नियंत्रण और निर्यातों के लिये आयात प्रतिस्थापन की शर्तों को हाल में उदार कर दिया है ।

श्री के० गोपाल ने हथकर्घा उद्योग की स्थिति का उल्लेख किया था । यह सच है कि हथकर्घा उद्योग ने हमारे सामाजिक दृश्यों के लिये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । इस क्षेत्र में गत वर्ष उत्पादन में 5 प्रतिशत तथा निर्यात में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

**श्री बंसत साठे** : हस्तशिल्प तथा चमड़े की खरीद किस प्रकार और किस से की जाती है । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : निस्संदेह यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें सीधे उत्पादकों से खरीद करनी चाहिये, क्योंकि अधिकांश लाभ बिचौलिये हजम कर जाते हैं । इस विषय में हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं तथा कुछ व्यवस्था की गई है । जहां तक हस्तशिल्प का संबंध है, राज्यों के एम्पोरियम सीधे उत्पादकों से ही खरीदते हैं । हम ने अखिल भारतीय हथकर्घा विपणन सहकारी समिति के लिये बजट में 20 लाख रुपये की व्यवस्था की है । यह समिति उत्पादकों से सामान खरीदती है और जनता में बेचती है । शिवरामन समिति की सिफारिशों पर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिये 188 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

जहां तक चमड़े और चमड़ के सामान का सम्बन्ध है, सरकार की नीति यह है कि चमड़े की अर्धविनिर्मित वस्तुओं और खालों की तुलना में चमड़े का विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाया जाये। यद्यपि खालों और अर्ध-विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में कुछ गिरावट आई है, परन्तु कमाये हुए चमड़े और चमड़े के समान के निर्यात में वृद्धि हुई है । हमने खालों और अर्ध-विनिर्मित चमड़े पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और कोटे निर्धारित कर दिये हैं । यद्यपि हमने देश में जमा भंडारों को देखते

हुए और यह देखते हुए कि मूलभूत ढांचा बन गया है और चमड़ा कमाने की सुविधायें उपलब्ध हैं, कोटे में कमी तो नहीं की है, तथापि ज्यों-ज्यों चमड़ा कमाने की सुविधायें बढ़ती जायेंगी हम अर्ध-विनिर्मित और कच्चे चमड़े का कोटा कम करते जायेंगे।

तैयार चमड़े तथा चमड़े की सभी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में हमने कुछ निर्णय किये हैं। हमने यह शर्त भी रखी है कि संपूर्ति पावना के दो तिहाई भाग को तैयार कर चमड़े की मशीनरी की खरीद के लिये पुनः लगा दिया जाये। मशीनरी एवं रसायनों के आयात के लिये भी सुविधायें दी गई हैं। उद्योग एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत चमड़ा विकास निगम की स्थापना भी की जायेगी।

प्रसन्नता की बात है कि रबड़ के लिये हमने राजसहायता 7,500 रुपये कर दी है। जितनी छोटी जोत होगी उतनी अधिक राजसहायता दी जायेगी। 20 हैक्टर से ऊपर 300 रुपये, 2 से 20 हैक्टर के लिये 5,000 रुपये एवं 2 हैक्टर से कम के लिये 7,500 रुपये राजसहायता दी जायेगी।

यह तर्क भी दिया गया है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारण से चमड़े के उत्पादन में कमी आई है। यह सही नहीं है। जून, 1974 में न्यूनतम निर्यात मूल्य में वृद्धि की गई थी। न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारण से पूर्व भी उत्पादन में गिरावट आई है। वर्ष 1969-70 में इसका उत्पादन 25,742 वर्ष 1970-71 में 25,559 तथा वर्ष 1972-73 में 17,000 हो गया और वर्ष 1974 में यह 19,000 हो गया। उत्पादन में कमी होने के दो कारण हैं। पहला तो यह कि मौसम में गड़बड़ी होना और यह है कि कृत्रिम रेशों के प्रतिस्थापन से चमड़े का विश्व मूल्य कम हो गया जिससे उत्पादक भी प्रभावित हुए। जब कृत्रिम रेशों का मूल्य बढ़ा तो चमड़े के मूल्य में प्रतिस्पर्धा आ गई और इसकी बिक्री में वृद्धि हो गई। अतः चमड़े का उत्पादन का न्यूनतम निर्यात मूल्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह कहना भी सही नहीं कि वाणिज्य मंत्रालय में निहित स्वार्थ अधिक पनप रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं। जब गत वर्ष न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित हुए, तो इसमें 400 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी, और इस समय देश ने अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की। निर्यात के परिमाण में भी कमी नहीं हुई। अब हमने चमड़ा परामर्शदात्री समिति गठित की है जिसमें न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि लाक्ष प्रौद्योगिक संस्थान एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मूल्य निर्धारण सम्बन्धी समस्या पर विचार किया गया है। उत्पादन की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम निर्यात मूल्य में कमी की गई है। मशीन द्वारा निर्मित चमड़े पर 15 प्रतिशत और हाथ द्वारा निर्मित चमड़े पर 22 प्रतिशत मूल्य कम किया गया है। इस व्यापार में प्रगति तब की जा सकती है जब उपादक-स्तर पर खरीद की जाये और मुझे आशा है कि राज्य सरकारें उपर्युक्त कार्यवाही करेंगी।

भारत, मलेशिया और इण्डोनेशिया विश्व में काली मिर्च के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। इन दोनों देशों ने काली मिर्च समुदाय गठित किया है और आशा है कि इसके मुख्यालय, अनुसंधान और कार्यकरण के बारे में शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

दुर्भाग्य की बात है कि काफी के मूल्यों में इस वर्ष गिरावट आई है लेकिन इसके बावजूद भी हमने उचित समय पर खरीद जारी रखी। हम इंस्टेंट काफी का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश, आसाम तथा उड़ीसा जैसे गैर-परम्परागत राज्यों में भी इसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि निर्यात आय मुख्यतः मुद्रास्फीति के कारण हुई है न कि निर्यात के परिमाण में वृद्धि करने के लिये शुरू किये गये अभियान के कारण हुई है । तथ्य यह है कि वर्ष 1973 में 10.55 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया जो वर्ष 1974 में 11.45 करोड़ रुपये हो गया । इसी प्रकार वर्ष 1973 में 36.9 हजार टन काजू की गिरी का निर्यात किया गया जो वर्ष 1974 में बढ़कर 41.6 हजार टन हो गया । वर्ष 1973 में 4.37 करोड़ टन चीनी का निर्यात किया और वर्ष 1974 में 27 करोड़ टन चीनी का निर्यात किया गया वर्ष 1973 में 3.1 हजार टन लाक्ष का निर्यात किया गया और वर्ष 1974 में 5 हजार टन लाक्ष का निर्यात किया गया । अतः यह कहना सच नहीं है कि मूल्य वृद्धि एवं मुद्रा स्फीति के कारण हमारी विदेशी आय में वृद्धि हुई है ।

कुछ सदस्यों ने निर्यात में वृद्धि की समस्या पर भी जोर दिया है । यह सच है कि निर्यात के परिमाण में वृद्धि करके हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं । अतः हमें उत्पादन में वृद्धि करनी होगी ।

**श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य** (गिरीडीह) : विकसित देश स्थिरता एवं मन्दी के दौर से गुजर रहे हैं । विश्व व्यापार में भारत का अंश प्रतिवर्ष घटता जा रहा है । लेकिन साथ ही बढ़ती हुई कीमतों में भी कमी हुई है । इससे हमारे निर्यात की क्षमता में वृद्धि हुई है ।

हमारा निर्यात 3,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । लेकिन आयात इससे भी अधिक मूल्य का हुआ है और इस कारण भुगतान सन्तुलन में 1,000 करोड़ रुपये का अन्तर हो जायेगा । इस अन्तर को दूर करने के लिये हमें निर्यात को और अधिक बढ़ाना होगा ।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों एवं खनिज तथा धातु व्यापार निगम एवं व्यापार विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय होना चाहिये । इस समय इन देशों के बीच कम समन्वय है ।

ऐसा सुना गया है कि 129 करोड़ रुपये की अलौह धातु में से 50 प्रतिशत को बट्टे खाते डालना होगा । क्या यह विपणन आसूचना की असफलता है अथवा बाजार सर्वेक्षण की असफलता है? यदि हिन्दुस्तान जिंक, हिन्दुस्तान कापर तथा बाल्को में समन्वय होता तो ऐसा नहीं हो सकता था । 1,000 करोड़ रुपये के अन्तर को व्यापार द्वारा ही दूर किया जा सकता है ।

छोटे-छोटे उपभोक्ताओं के अलौह धातुओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिये न्यूनतम नियत मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये । अतिरिक्त लागत दोहरी मूल्य प्रणाली से वसूल की जानी होगी और हिन्दुस्तान जिंक, हिन्स्दुतान कापर तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से परामर्श लिया जाना चाहिये ।

जहां तक जिंक, कापर, लैड, राक-फास्फेट आदि का संबंध है, हमारे आंतरिक उत्पादन संबंधी प्रयासों और आयात में समन्वय नहीं है ।

जहां तक अभ्रक का संबंध है, इसकी 360 किस्में हैं । मूल्यों में भी बहुत अन्तर है । इस संबंध में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो वास्तविक कार्यन्वयन के मामले में सरकार की नीति की जांच करेगी । यह नीति निर्धन वर्ग की सहायता के लिये बनायी गयी है। लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ है । मैं पिछले तीन वर्षों से कहता आ रहा हूं कि खनिज और धातु व्यापार निगम को समाज के निर्धन वर्गों की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिये ।

5 लाख व्यक्ति अभ्रक उद्योग में कम वेतन पर काम कर रहे हैं । इस उद्योग से सरकार के कोष को 30 या 40 करोड़ रुपये की आय होती है । चमड़े से 21 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । लेकिन इस उद्योग के विकास के लिये रुपया नहीं लगाया जाता है ।

मैंने तीन वर्ष पहले अभ्रक उद्योग के विकास के लिये कुछ सुझाव दिये थे । इनमें उत्पादन में ववििधकरण, अभ्रक, कागज का विकास, इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग के लिये माइकानाइल्स का विकास शामिल है । लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है । इसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ गयी है ।

जहां तक इंजीनियरिंग उद्योग का संबंध है , इसमें विविधता लाने के लिये हमारे पास विशेषज्ञ हैं और फालतू इस्पात भी है । हमें तटदूर तेल अन्वेषण के लिये मशीनें बनानी चाहियें।

हिन्दुस्तान जिंक, खनिज और धातु व्यापार निगम हिन्दुस्तान कापर और बाल्को के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये ।

जहां तक कोयले का संबंध है, इसके लिये एक नया क्षेत्र खुल रहा है । इसका अन्तर्देशीय मूल्य 10 डालर है जबकि निर्यात मूल्य 47 डालर है । गैर-कोकिंग कोयले का मूल्य 75 डालर और उच्चस्तरीय कोकिंग कोयले का मूल्य 220 डालर प्रति टन है । यदि हम 5 या 7 टन कोकिंग कोयला निर्यात करें तो इससे हमारे कोयले खान उद्योग का ढांचा तैयार करने के लिये पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जायेगी ।

मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

**श्री कमला मिश्र मधुकर** (केसरिया) : श्रीमान् जी मैं. . .

**तत्पश्चात लोक सभा बुद्धवार, 23 अप्रेल 1975/3 वैशाख, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on wednesday, April, 23, 1975/ Vaisakha 3, 1897 (Saka)**



MGIPRRND—Sec. VI—24 LSS/75—5-9-75—200